राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक १ चतुर्थ विधान सभा के प्रथम सत्र का ७३वां दिवस [संख्या ३४]

शुक्रवार, दिनांक १४ जुलाई, १९६७

विधान सभा की बैठक म० पू० ११.०२ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री निरन्जननाथ आचार्य, अध्यक्ष पदासीन)

———

तारांकित प्रश्नोत्तर

(गृह, सार्वजनिक निर्माण, विधि सामान्य, प्रशासन, शिक्षा, यातायात, चिकित्सा, व निर्वाचन विभाग)

श्री अध्यक्ष : श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा ।

अकलेरा में गुन्डागर्दी के मामले

८१९. **श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा** (अकलेरा):—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या दिनांक २९-३-६७ को अकलेरा पुलिस स्टेशन पर ऐसी कोई रिपोर्ट पेश हुई थी कि मुलिया आत्मजा चम्पा जोगी निवासी मनोहरथाना नामक लड़की को गुण्डे भगा लाये और उसे देहली की ओर बेचने ले गये हैं ?

(२) क्या उक्त लड़की को अकलेरा के चक वकील के मकान में बंद रखा गया था तथा उसके साथ व्यभिचार किया गया तथा उस व्यभिचार में उक्त वकील भी सम्मिलित था ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त लड़की को जब धारा १६४ के तहत बयानों के लिए झालावाड़ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया तब लड़की के इस कथन को कि अमुक वकील ने भी मेरे साथ व्यभिचार किया है, एफ० सी० एम० ने दर्ज नहीं किया ?

(४) क्या यह भी सही है कि पी० आई० झालावाड़ ने लड़की को बयानों के पूर्व डांटा डपटाया कि वह अपने साथ किये व्यभिचार में वकील का नाम नहीं लेवे ?

(५) क्या यह भी सही है कि उक्त दिन अकलेरा से एक फोन इस

(श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा)

आशय का झालावाड़ पी० आई० को उक्त अपराधी वकील की ओर से किया गया था कि वह लड़की के बयानों के पूर्व फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से मिलकर लड़की के बयानों की वकील ने व्यभिचार किया पंक्तियों अंकित नहीं कराये ?

(६) क्या यह भी सही है कि अकलेरा मनोहरथाना में कोई ऐसा गुण्डा गेंग सक्रिय है जो भोली भाली लड़कियों के फुसला कर घरों से भगा ले जाता हैं और देहली अहमदाबाद बेचता रहता है ?

(७) क्या यह भी सही है कि सब जानकारी पुलिस को होते हुए भी गुण्डों के खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जाती है ?

(८) क्या यह भी सही है कि पुलिस की इस निष्क्रियता से जन-मानस उद्वेलित है ?

गृहमन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) तारीख २९-३-६७ को अकलेरा पुलिस स्टेशन पर ऐसी कोई रिपोर्ट पेश नहीं हुई है बल्कि तारीख ३-४-६७ को इस प्रकार की एक रिपोर्ट जरूर पेश की गई है इसमें भी मुसम्मात मुलिया को गुण्डों द्वारा अपहरण करने एवं दिल्ली की तरफ ले जाने का आरोप लगाया गया जिसका मुकदमा नं० २२ दि० ३-४-६७ धारा ३७६।३६३ ताजीरात हिन्द दर्ज किया गया।

(२) यह सही है कि उक्त लड़की को एक वकील के मकान में बन्द रखा गया और उसके साथ व्यभिचार किया गया लेकिन वकील सा० इस व्यभिचार में शामिल नहीं थे।

(३) यह सही है कि उक्त लड़की को १६४ जाप्ता फौजदारी के तहत बयान कलम बन्द करवाने के लिए फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया था। लड़की ने जो बयान दिया वह मजिस्ट्रेट द्वारा कलमबन्द किया गया।

(४) पी० आई० झालावाड़ ने लड़की को डांट डपट नहीं किया।

(५) यह बात गलत है।

(६) जी नहीं, कोई गुण्डा गेंग सक्रिय नहीं है।

(७) कोई गुण्डा गेंग नहीं है इसलिए कार्यवाही करने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

(८) जी नहीं।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : जब वकील के मकान में व्यभिचार किया गया तो वकील का चालान क्यों नहीं किया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया कि वकील इसमें शामिल नहीं था और लड़की ने अपने बयान को जो दफा

(श्री दामोदरलाल व्यास)

१६४ जाप्ता फौजदारी में जो मजिस्ट्रेट के सामने दिये तो उस वकील के लिए कुछ नहीं कहा ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि ३-४-६५ को थाना अकलेरा में रिपोर्ट दर्ज होने से पहले मुसम्मात मूलिया मुल्जिमान के साथ थाना सारोला में पकड़ ली गई थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसकी मुझे जानकारी नहीं है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि ता० २६-३-६७ को जब लड़की थाना सारोला में पकड़ ली गई तो उनकी रिपोर्ट के पश्चात् थानका अकलेरा में मय मुल्जिमान के साथ इस लड़की को भेजा गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह मेरी नालेज में नहीं है । इस प्रकार की सूचना आप देते हैं कि ३ तारीख से पहले इस लड़की को थाना कौनसा बतलाया आपने ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : सारोला ।

श्री दामोदरलाल व्यास : सारोला में पकड़ लिया गया था और वहां से लड़की भेजी गई तो ज्यादा अच्छा था कि आप उस पुलिस स्टेशन का नाम पूछते तो मैं वहां से जवाब मंगवा लेता, क्योंकि आपने इस सवाल में पुलिस स्टेशन अकलेरा को पूछा था तो अकलेरा थाने में ३ तारीख को रिपोर्ट दी है आप कोई मजीद सूचना देते हैं तो मजीद जांच की जायगी ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि इस लड़की को इन वकील साहब के मकान में बन्द रखा गया था और वह मकान वकील साहब के एक्सक्लूजिव पजेशन में था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : एक्सक्लूजिव पजेशन का मैं नहीं कह सकता । बहरहाल यह बात जरूर थी कि वकील साहब के मकान से लड़की बरामद हुई है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : फिर क्या कारण है कि जब उस लड़की को मकान के अन्दर बन्द रखा गया और मकान एक्सक्लूजिव वकील साहब के पजेशन में था तो फिर इन वकील साहब को मुल्जिम नहीं बनाया गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया डाइरेक्टली या इन्डाइरेक्टली वकील का नाम इस लड़की ने कहीं नहीं लिया है इसलिए वकील को मुल्जिम नहीं किया गया है । अगर ऐसा आप बतलायेंगे कि जिससे यह पता लगता हो कि वकील साहब ने इसमें एक्टिव पार्ट लिया हो या उनके कनाइवेन्स से या नोलेज से किडनेपिंग हुआ हो और रेप हुआ हो तो और जांच करा लूंगा ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि यह लड़की मय मुल्जिमान के

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

रात भर उसी मकान में रही थी ।

श्री रामकिशन : इसको तो वे मान ही रहे हैं ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैने अर्ज किया कि यह लड़की कहां रही इतना तो इसमें नहीं है । १६४ का बयान मेरे पास मौजूद है । बहरहाल इतनी बात जरूर है कि इस लड़की ने अपने बयान में वकील साहब के लिए कुछ नहीं कहा ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इस प्रश्न में प्रश्नकर्त्ता ने स्पष्ट सम्भावना बतलाई है कि मजिस्ट्रेट के सामने लड़की ने स्वयं ने वकील का नाम लिया है और कहा है कि वकील साहब ने उसके साथ व्यभिचार किया है, लेकिन जिस मजिस्ट्रेट ने बयान कलमबन्द किया है उसने जानबूझकर वकील का नाम ओमिट कर दिया है । इस प्रकार को प्रश्नकर्त्ता ने सम्भावना इस प्रश्न में बताई और उसी दृष्टिकोण से सप्लीमेंट्री आपसे पूछे जा रहे हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि यह लड़की मय मुलिजमान के वकील साहब के मकान में रही है और वह मकान वकील साहब के एक्सक्लूजिव पजेशन में था तो उनको मुल्जिम नहीं बनाने का क्या कारण था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान हुए हैं उस बयान के अन्दर यह किसी तरह से नहीं मान सकते हैं कि कुछ लिखवाया हो नाम और उन्होंने नहीं लिखा हो बहरहाल मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान हुए हैं उसमें वकील साहब के लिए कुछ नहीं लिखा है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि इस लड़की ने इस डर के कारण कि जान बूझकर वकील होने के कारण नाम नहीं लिखा गया है मध्यप्रदेश की अदालत जावरा में जाकर जेर दफा १६४ के बयान दर्ज कराये हैं और वहां पर उसने वकील साहब का नाम बताया है और कहा है कि वकील साहब ने उसके साथ में जिना बिलजब्र किया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मध्य प्रदेश में क्या बयान हुए हैं यह मेरी जानकारी में नहीं है । अगर आपके पास वह बयान हों तो उसकी कापी मुझे दें तो मैं उस पर कार्यवाही करूंगा ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से मैं कहूंगा कि जानबूझकर वकील को बचाया जा रहा है । लड़की ने स्वयं ने बयान में वकील का नाम लिखाया है । जावरा के मजिस्ट्रेट के सामने वह बयान दिये हैं उसमें इस बात को कहा है कि मैंने वकील का नाम लिखाया था पर मजिस्ट्रेट ने जानबूझकर उसका नाम हटा दिया । इस प्रकार का शपथपत्र उसने पेश किया है । इस प्रकार उसका हलफिया बयान मध्य प्रदेश की अदालत में दर्ज है, और उस बयान को लेकर और लड़की को लेकर....

एक माननीय सदस्य (कांग्रेस पक्ष) : पाइंट ग्राफ ग्रार्डर सर । किसी प्रकार के मामले में व्यक्तिगत प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं....

श्री ग्रध्यक्ष : नो पोइंट ग्राफ ग्रार्डर।

श्री रामकिशन (वैर) : यह व्यक्ति-त प्रश्न है ?

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : यह एक महिला की इज्जत का सवाल है।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज ।

श्री विजयसिंह (मकराना) : ग्राप इस तरह के काम करेंगे तो व्यक्तिगत नहीं कहेंगे ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : एक वकील रेप करता है उस वकील को बचाने की कार्यवाही की जाय । उस पर प्राइमाफेसी केस एस्टेब्लिश करना चाहिए क्योंकि वह लड़की वकील के मकान में रही मय मुल्जिमान के ग्रौर वह मकान एक्सक्लूजिव वकील के पजेशन में था।

वकील को मुलजिम नहीं बनाया जब कि लड़की मध्य प्रदेश में बयान दे चुकी है कि वकील इसमें शामिल है। मैं समझता हूं कि यह तथ्यों की जो मांग की है, यह हम दे देंगे ग्रौर इस लाइट में इस तफतीश को करने के लिए ग्राप ग्रादेश दें।

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय गृह मंत्री, क्या वकील इसमें गवाह हैं ग्रौर क्या कहीं बयान हो चुके हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरा ग्रर्ज करना है कि जहां तक मध्य प्रदेश के बयान का सम्बन्ध है, उसको मैंने नहीं देखा है ग्रौर वह बयान पुलिस इन्वेस्टीगेशन में कहीं पेश नहीं किया गया है। ग्राज पहली मर्तबा यह जानकारी माननीय सदस्य ने यहां दी है। वह बयान की कापी दे देंगे तो इसके ऊपर ग्रवश्य कार्यवाही करेंगे। जहां तक वकील के सम्बन्ध में लड़की ने १६४ के बयान में कुछ नहीं लिखवाया ग्रौर बयान में डाइरे-क्टली इन्डाईक्टली वकील का नाम नहीं है....

(व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज !

श्री दामोदरलाल व्यास : ग्रापका कहना यह है कि मजिस्ट्रेट ने जान बूझ कर नहीं लिखा। मैं यह ग्रर्ज कर सकता हूं कि कोई भी ग्रदालत इसके ऊपर किस तरह से गौर करेगी यह वह खुद समझ सकते हैं। फिर भी माननीय सदस्य का यह कहना है, यह हो सकता है कि मजिस्ट्रेट ने नहीं लिखा हो। बहरहाल हम जांच कर सकते हैं ग्रौर बयान की कापी ग्राने पर तफतीश हो सकती है। उसने जो मध्य प्रदेश में स्टेटमेंट दिया है उस स्टेटमेंट की कापी देवें ग्रौर स्टेटमेंट देने की कोई एवीडेंस देवें कि उसने नाम जान बूझ कर नहीं लिखा है तो तफतीश कराई जा सकती है।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : ग्रध्यक्ष

Page No. 6

(श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा)

महोदय, आप कहें तो मैं असेम्बली में पेश कर दूं उस लड़की को ।

श्री अध्यक्ष : बैठिये । बैठिये ।

श्री दामोदरलाल व्यास : वकाल के लिए आपसे मैंने कहा कि उसको जो गिरफ्तार नहीं किया गया है, उसकी वजह यह है कि उसका नाम लड़की ने नहीं लिखवाया।

श्री अध्यक्ष : गवाह में नाम नहीं लिखवाया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : गवाह में लिखवाया है । लड़की का स्टेटमेंट और दूसरी चीजों में है : Copnder threats of injuries oi something, but there is absolutely nothing against the Vakil himself. I have no intention to protect the Vakil.

कोई प्राटेक्ट करने का सवाल नहीं है । आप बयान की कापी देवें तो तफतीश की जा सकती है ।

श्री प्रद्युम्नसिह (राजाखेड़ा) : वकील साहब का नाम क्या है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वकील साहब का नाम....

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट श्री देवीदत्त !

श्री प्रद्युम्नसिह : मालूम तो पड़ जाय, वकील साहब का नाम क्या है ? हम पूछना चाहते हैं उनका नाम ।

(व्यवधान)

श्री दामोदरलाल व्यास : उनका नाम है इन्द्रमल वकील !

श्रीभैरोंसिह : मण्डल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वही हैं ना ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जनसंघ के है । (व्यवधान) इनका सम्बन्ध जनसंघ पार्टी से ज्यादा है ।

श्री अध्यक्ष : सार्वजनिक निर्माण मंत्री !

श्री देवीलाल (सराड़ा) : इसमें गुण्डों की गलती नहीं है । जब मिनिस्टर एम एल एज को भगा सकते हैं तो गुण्डे किसी को क्यों नहीं भगा सकते ।

श्री अध्यक्ष : श्री देवीदत्त ।

सीसवाली–अन्ता सड़क निर्माण कार्य

८१७. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) तहसील मांगरोल में सीसवाली मांगरोल सड़क, सीसवाली–अन्ता सड़क एवं सीसवाली से दूसरे स्थान पर जाने वाली सड़क में से किस सड़क पर पक्की सड़क का

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

निर्माण का कार्य किस समय से चल रहा है और इस समय किस स्थिति में है और कब तक पूरा हो जावगा ?

(२) क्या यह सही है कि सीसवाली अन्ता सड़क निर्माण का ठेका दिया जा चुका है ? यदि हां, तो कितने रुपयों में, किस ठेकेदार को किस तारीख को दिया गया और उसके अन्तर्गत क्या कार्य चल रहा है ?

(३) क्या यह सही है कि ठेकेदार ने ठेके की शर्तों के अन्तर्गत सड़क निर्माण कार्य को एक लम्बे समय से अधूरा छोड़ रखा है ? यदि हां, तो क्यों और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अमीनुद्दीन) : (१) केवल अन्ता से सीसवाली रोड के मील ५ से ८ का कार्य १२-८-६५ से चल रहा है। इन मीलों में मिट्टी का तथा कुछ काम गिट्टी का हुआ है।

(२) जी हां, ६५३६४) रु० का ठेका श्री कादर बख्श को १२-८-६५ में दिया है। मिट्टी व गिट्टी का काम हुआ है।

(३) जी हां, भविष्य में इस कार्य की समाप्ती तक ठेकेदार को कार्य नहीं दिये जाने के आदेश जारी कर दिये हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह जो मिट्टी का कार्य हुआ है यह कितने रुपये का मिट्टी का कार्य हुआ है और किस तारीख से प्रारम्भ हुआ है और जितना कार्य हुआ है, उसके लिए कितना ठेकेदार को पार्ट पेमेन्ट किया गया है।

श्री अमीनुद्दीन : ठेकेदार को उतना पेमेन्ट किया है जितना उसने काम किया है, उससे ज्यादा नहीं किया गया है। लेकिन कितना काम हुआ है यह इससे असेस होता है कि कोई ज्यादा अच्छा नहीं हुआ है, जैसा पढ़कर बताया है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : कितने रुपये का काम हुआ मिट्टी का ?

श्री अमीनुद्दीन : मेजरमेंट करने मैं नहीं गया हूं। जो इत्तला थी वह मैंने बता दी है।

श्री अध्यक्ष : मुश्किल है। श्री हरि वल्लभ !

श्री देवीदत्त गाड़िया : ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है, यह आपने बताया। यह बताने का कष्ट करें कि अब तक क्या कार्यवाही की गई है, आपने जो ठेका ठेकेदार को ६५ से दिया है, उसने अब तक काम नहीं किया तो उसका अर्नेस्ट मनी जब्त की जाने की कार्यवाही की जायगी ?

श्री अमीनुद्दीन : उसके खिलाफ नोटिस वगैरह दिया गया है और पूरी कार्यवाही की जायगी जो होनी चाहिए। ठेका उसका नहीं तोड़ा जा सकता, उसके ऊपर पेनल्टी भी हो सकती है--इसकी जांच भी हो रही है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आप यह कह रहे हैं कि ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही की है तो मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आप यह बताने का कष्ट करें कि ठेकेदार के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री अध्यक्ष : सभी तरह की कार्यवाही का जिक्र किया है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या नोटिस....

श्री अध्यक्ष : नोटिस का, ठेका देने का, पैनल्टी का -सबको देख लिया जायगा।

श्री हरिवल्लभ !

श्री देवीदत्त गाडिया : एक प्रश्न और अध्यक्ष महोदय, यह जो पांच मील से आठ मील तक का टुकड़ा है यह कब तक पूरा हो जायगा....

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर !

श्री देवीदत्त गाडिया : यह पांच मील से आठ मील तक पूरा नहीं हुआ है यह किस कारण से नहीं हुआ है और कब तक हो जायगा ?

श्री अमीनुद्दीन : यह सवाल बिल्कुल अलग है। लेकिन जो काम होगा वह जल्दी कराया जायगा।

श्री अध्यक्ष : श्री केसरी सिंह !

आमेर किले पर गाइडों की व्यवस्था

८१९. श्री केशरीसिंह हाडा (हिन्डोली): क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(१) क्या यह सही है कि आमेर के किले से गाइडों को हटा दिया गया है ? यदि हाँ, तो क्यों ?

(२) पर्यटन विभाग वेतन से गाइड क्यों नहीं रखता है ?

गृह मंत्री (श्री दामोदर लाल व्यास): (१) जी हां। पर्यटकों की शिकायतों पर।

(२) वेतन से गाइड नियुक्त करने की अभी तक आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई है। और अभी तक न अन्य राज्यों ने भी ऐसा किया है।

श्री केशरीसिंह हाडा : किसकी शिकायत पर बन्द किया गया है ?

श्री दामोदर लाल व्यास : टूरिस्ट।

श्री केशरी सिंह हाडा : क्या शिकायत थी उनकी ?

श्री दामोदर लाल व्यास : उनकी शिकायत थी, उनके साथ में व्यवहार अच्छा नहीं था, बदतमीजी, व पैसा ज्यादा मांगा, कम तय करके ज्यादा मांगना, तंग करना।

श्री केशरी सिंह हाडा : क्या आपने गाइड की रेट फिक्स नहीं कर रखी हैं कि इतना लें पर्यटकों से ?

Page No. 9

श्री दामोदर लाल व्यास : आरक्यो-लोजिकल डिपार्टमेंट ने लाइसेन्स से गाइड मुकर्रर करने के लिए स्कीम बनाई है, वह अभी इम्प्लीमेंट की जा रही है और उसके अन्दर जो गाइड होंगे वह लाइसेन्स शुदा होंगे और उनकी फीस मुकर्रर होगी ।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रद्युम्न सिंह !

श्री केशरी सिंह हाडा : आरक्यो-लोजिकल डिपार्टमेंट इसकी मरम्मत कराता है या नहीं कराता है ?

श्री अध्यक्ष : शिक्षा !

मल्टीपरपज हायर सैकन्डरी स्कूल, धौलपुर का छात्रावास

८२०. श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सत्य है कि धौलपुर के मल्टीपरपज हायर सैकेन्डरी स्कूल के छात्रावास को, जो रियासत के समय में तथा मत्स्य सरकार के समय में सरकारी छात्रावास माना जाता था, राजस्थान सरकार ने अब सरकारी छात्रावास मानने से इन्कार कर दिया है ? यदि हाँ तो क्यों ?

(२) क्या यह भी सत्य है कि इस छात्रावास की इमारत को सरकारी इमारत माना जाता है परन्तु इसमें चलने वाले छात्रावास का जो प्रधान अध्यापक के अन्तर्गत चलता है, गैर सरकारी मान कर, शिक्षा विभाग की ओर से कोई सुविधा नहीं दी जाती ? यदि हां तो क्यों तथा क्या सरकार इस स्थिति को दूर करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

उप मंत्री, शिक्षा (राव श्री धीर सिंह) : (१) जी हां ।

(२) महालेखाकार की आडिट पार्टी द्वारा आपत्ति होने पर यह क्रम बंद कर दिया गया था क्योंकि जो छात्रावास फीस छात्रों से ली जाती थी वह एज्यूकेशन कोड के मुताबिक नहीं थी । यदि वर्तमान में एज्यूकेशन कोड में जो फीस निर्धारित है उसके अनुसार छात्र फीस देने को तैयार हों तो छात्रावास को चालू करने पर पुन: विचार किया जा सकता है ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार अब इस छात्रावास को अपने हाथ में लेकर सरकारी नियमों के तहत चलाने का इरादा रखती है या नहीं ?

राव श्री धीर सिंह : हां, सरकारी नियमों के अनुसार छात्रावास को चलाने का इरादा रखती है ।

श्री भीमसेन (लूनकरणसर) : अकाउन्टेन्ट जनरल ने क्या आपत्ति की थी जिसके कारण बन्द किया आपने ?

राव श्री धीर सिंह : यह अपेन्डिक्स में है—"Under schedule appended to G. F. &. A. Rules Hostel admission fee of Rs. 2 per student

Page No. 10

(राव श्री धीरसिंह)

Hostel Re-admission fee of Rs 2 per student etc. were also recoverable. These were not realised and it was contended by the Head Master that because the hostel was not recognised, no fees had so far been charged."

फिस के बारे में ।

श्री भीमसेन : फीस के बारे में आपत्ति है । उन्होंने कहां कहा कि होस्टल बन्द कर दिया जाय !

राव श्री धीर सिंह : उसके बाद में और आपत्ति थी । एक आपत्ति है यह जो मैंने आपको बताई, और भी आपत्ति थीं, बहुत से चार्जेज थे, हैड मास्टर के खिलाफ थे, उसने पैसा जमा नहीं कराया गवर्नमेंट ट्रेजरी में जो नियमानुसार कराना चाहिए । उसको एक्जामिन किया जा रहा है और जो इरेंगुलेरिटी हैं उनको ठीक करके दुबारा चालू कर देंगे ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : जब सरकार चलाने का इरादा रखती है तो इस सत्र से चालू कर देगी ?

राव श्री धीर सिंह : जल्दी से जल्दी चलाने का प्रयत्न किया जायगा ।

श्री अध्यक्ष : श्री बालसिंह सोठा !

श्री बालसिंह सोठा (जैसलमेर) : अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं एक करेक्शन कराना चाहूंगा, सोठा की जगह सोढा होना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : सही, करेक्ट कर लिया जाय, सोढा होना चाहिए, ठ के बजाय ढ ।

जैसलमेर–बाड़मेर रेल्वे लाइन का कार्य

८२१. **श्री बालसिंह सोढा** (जसलमेर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) क्या यह सही है कि भारत सरकार ने जैसलमेर-बाड़मेर रेल्वे लाइन बनाने की स्वीकृति दे दी है ? अगर हाँ तो राजस्थान सरकार ने आज तक इस सम्बन्ध में कार्य आरम्भ करने के लिये क्या व्यवस्था की है ?

(२) यह कार्य कब तक आरम्भ होगा और कितनी अवधि में पूर्ण होने की सम्भावना है ?

यातायात मन्त्री (श्री अमीनुद्दीन) (१) जी नहीं ।

(२) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अध्यक्ष : नाम करेक्ट कराया जिसका यह ।

श्री पृथ्वी सिंह (बाली) : आपने जवाब दिया जी नहीं, बाड़मेर से जैसलमेर जाने के लिए कोई व्यवस्था करने के लिए और रेल्वे लाइन स्थापित करने के लिए

(श्री पृथ्वीसिंह)

सेन्ट्रर को सिफारिश नहीं की गई है। राज्य सरकार को इस बारे में जो कदम उठाना हो वह कदम जरूर उठाना चाहिए क्योंकि पहले ही पिछड़ा हुआ इलाका है।

श्री अमीनुद्दीन : प्लानिंग मिनिस्टर साहब के पास यह रेल्वे का काम है, वह आपके जवाब ज्यादा बेहतर दे सकेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिह !

श्री भैरोंसिह : ८२२. (विराम) गृह मन्त्री महोदय।

भारत-पाक संघर्ष के दौरान मारे गये व अपाहिज हुए पुलिस कर्मचारी

८२२. श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) सन् १९६५-६६ में भारत-पाक संघर्ष के दौरान पुलिस के कितने और कौन कौन आदमी मारे गये, कितने अपाहिज हुए और कितने अब तक लापता हैं ?

(२) इन व्यक्तियों को अब तक सरकार द्वारा किन किन नियमों के अन्तर्गत क्या क्या सहायता दी गई है ?

गृह मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) सन् १९६५-६६ में भारत-पाक संघर्ष के दौरान २४ जवान मारे गये, २८ घायल हुए । गुम एक भी नहीं है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) मारे गये जवानों में से २३ परिवार वालों को राज्य सरकार के विशेष आदेश दि० ८-४-६६ के अन्तर्गत एक एक हजार रुपये नकद व एक एक हजार रुपये के डिफेन्स सर्टिफिकेट दिये गये। एक परिवार को पोस्थूमस प्रेसीडेंट पुलिस एण्ड एयर सर्विसेज मेडल दिया गया है व २०००) रु० नकद दिये गये हैं। जो जवान कैदी बनाये गये थे वे वापस आ गये हैं उनको १००) रुपये का इनाम कैंटीन फंड में से दिया गया है तथा ३१ दिन की स्पेशल कम्पन्सेशन केजुवल लीव दी गई है। घायल हुए जवानों को भी पदोन्नति या नकद इनाम दिये हैं, जिनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री भैरोंसिह : केन्टीन फंड से क्यों दिया गया, सरकारी खजाने से क्यों नहीं दिया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जो सूचना मेरे पास थी, वह मैंने दे दी है। केन्टीन फण्ड से दिया गया।

श्री भैरोंसिह : केन्टीन फण्ड तो उन्हीं का पैसा है, कान्स्टेबल्स का पैसा है।

श्री दामोदरलाल व्यास : केन्टीन फन्ड से दिया गया है, मेरे पास यह सूचना है, सरकार के पास से देना चाहिये तो ऐसी व्यवस्था करेंगे।

श्री भैरोंसिह : देना चाहिए यह नहीं, आपने कह दिया केन्टीन फण्ड से दिया गया,

Page No. 12

(श्री भैरोंसिंह)

गवर्नमेंट की तरफ से देना चाहिए या नहीं, आपकी इसमें क्या राय है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरी राय है कि देना चाहिये, जांच करके इस प्रकार की व्यवस्था की जायगी ।

श्री भैरोंसिंह : आपने बताया कि कुछ आदमी ऐसे हैं जिनको अभी नहीं दिया है सेंक्शन कर दी हैं, तो ऐसे कितने हैं जिनको सेंक्शन कर दी और अभी तक नहीं दिया गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कौन से सवाल में बताया है ?

श्री भैरोंसिंह : "Rewards as indicated against the names have been given. All the remaining have been sanctioned rewards of Rs. 100 each."

श्री दामोदरलाल व्यास : इसमें शायद एक आध केस है, जिनका नहीं मिला है, सेंक्शन हो गई है बाकी सबको मिला है, हो सकता है कि एक आध केस में नहीं मिला हो, नहीं लिया हो, या और कोई बात हो ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न जरूरी रह गया है, कितने आदमी रह गये हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : ९ आदमी ऐसे हैं जिनके बारे में आई. जी. पी. से कुछ कोरेस्पोन्डेन्स चल रही है ।

श्री भैरोंसिंह : इन्जर्ड और वून्डेड में से कितने ऐसे हैं जिनको सरकार दुबारा सर्विस में नहीं रख सकी हैं, जिनको केवल १००) रुपये देकर छुट्टी दे दी गई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह इन्फोरमेशन मेरे पास नहीं है, इसकी इन्फोरमेशन लेकर आपको दूंगा ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि ऐसे इन्जर्ड हैं जो वापिस सर्विस में आ गये हैं और ऐसे भी इन्जर्ड और वून्डेड हैं जो वापिस सर्विस में नहीं आ सके हैं, उन दोनों तरह के इन्जर्ड परसन्स को क्या एक ही तरह का रिवार्ड दिया गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह जानकारी मेरे पास नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : कृपा करके आप जांच कर लें कि जो इन्जर्ड लोग बिल्कुल बेकार हो गये हैं, सर्विस में नहीं लिये गये हैं; उनको भी केवल १००) रुपया दिया गया है....

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं बिल्कुल तैयार हूं, इसकी जांच कराके जो दिया जाना चाहिये, उसकी व्यवस्था की जायगी ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : मैं समझता हूं, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि मन्त्री महोदय को इस सम्बन्ध में जानकारी नहीं है । यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है, सरकार को सजग रहना चाहिये कि जो घायल हुए हैं, बिल्कुल बेकार हो गये हैं उनकी उचित व्यवस्था होनी चाहिये, जिनको नौकरी दी है, उनके लिये व्यवस्था की जाय पर जो बिल्कुल नौकरी

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

करने के लायक नहीं रहे, उनकी तो उचित व्यवस्था अवश्य करनी चाहिये। मंत्री महोदय कहते हैं कि उनको जानकारी नहीं है तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय नेता महोदय, आज, मैं बहुत अदब के साथ अर्ज करता हूं, यह बात तो ठीक है कि आज कल सरकार की हर बात....

श्री भैरोंसिंह : आज कल ही बहुत अदब से अर्ज करते हैं, पहले नहीं कर रहे थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उन्होंने जो आज फरमाया, करीब करीब एक आध सवाल पर रोजाना कह देते हैं, कल कह दिया था कि रोजमर्रा एक फायरिंग राजस्थान में होता है....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय को बहुत अदब से निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने रोज राजस्थान का नहीं कहा था, देश का कहा था। देश में अगर जांच करेंगे तो बराबर स्थिति पायेंगे कि फायरिंग रोज होते हैं, लोग मरते हैं और करीब करीब रोजाना यह होता है।

श्री दामोदरलाल व्यास : खास सवाल के लिये अर्ज किया कि यह सेपरेट क्विश्चन था, कोई मिनिस्टर जवाब नहीं दे सकता, जब तक स्ट्रेट सवाल नहीं पूछें।

श्री अध्यक्ष : मैंने इस सम्बन्ध में अपनी व्यवस्था दे दी है मन्त्री महोदय। नेक्स्ट।

श्री भैरोंसिंह : एक बड़ा इम्पोर्टेन्ट प्रश्न और है। जो फौजी भारत पाक संघर्ष में मारे गये उनके लिये अलग से काश्त की भूमि की व्यवस्था है लेकिन पुलिस और आर. ए. सी. के जवान भारत पाक संघर्ष में मारे गये हैं उनके साथ अलग ट्रीटमेंट क्यों हुआ है। फौज के जो आदमी भारत पाक संघर्ष में मारे गये, सरकार ने नियम बना रखे हैं, उनके परिवार वालों को काश्त के लिये भूमि दी जाती है, यदि पुलिस और आर. ए. सी. के आदमी भारत पाक संघर्ष में लडाई करते करते मारे गये तो उनके सम्बन्ध में यही नियम क्यों नहीं लागू किये जाते ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जमीन देने के सम्बन्ध में ?

श्री भैरोंसिंह : जी हां।

श्री दामोदरलाल व्यास : अगर नहीं हुआ है तो लागू हो जायगा।

(करतल ध्वनि)

श्री अध्यक्ष : श्री गामा !

सिरोही नगर की सडकों पर डामर का कार्य

८२३. श्री गामा (आबू-सु.) क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सिरोही नगर के समीप रामझरोखा से सेल टैक्स आफिस एवं राजमाता धर्मशाला से जेल तक कंकड़ की सड़क का

Page No. 14

(श्री गामा)

निर्माण गत वर्ष किया गया है ?

(२) यदि हां, तो क्या सरकार इस तथ्य से परिचित है कि वर्षा ऋतु के प्रारम्भ होने से पूर्व इन दोनों टुकड़ों पर डामर नहीं बिछाया गया तो ये दोनों सड़कें बारिश में बह जायेंगी और इसके निर्माण में लगाई गई धन राशि का अपव्यय होगा ?

(३) यदि हां, तो क्या बारिश के पूर्व इन दोनों टुकड़ों पर डामर बिछा दिया जावेगा ?

सार्वजनिक निमांण मंत्री (श्री अमीनुद्दीन) : (१) जी हां ।

(२) यह अभी संभव प्रतीत नहीं होता ।

(३) जी नहीं ।

श्री अध्यक्ष : श्री कृष्णकुमार गोयल !

सेकेन्डरी स्कूल के ऐच्छिक विषयों की निरस्तकी गई परीक्षा

८२४. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि सेकेन्डरी स्कूल १९६७ की परीक्षा के ऐच्छिक विषयों की परीक्षा जो दिनांक २७-३-६७ से ३०-३-६७ तक होनी थी, निरस्त की गई थी ?

(ख) अगर हां, तो क्यों ?

(ग) क्या उपरोक्त मामले में कुछ व्यक्ति दोषी पाये गये हैं ? अगर हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उपमंत्री शिक्षा (राव श्री धीरसिंह) : (क) जी हां ।

(२) राजकीय सेकण्डरी स्कूल, खेड़ली केन्द्र पर नागरिक शास्त्र, संस्कृत, इतिहास, भूगोल, प्रारम्भिक अर्थ शास्त्र, गणित, रसायन विज्ञान, व्यापार पद्धति ज्ञान तथा आर्थिक और व्यापारिक भूगोल के प्रश्न पत्रों के लिफाफों को होली के अवकाश के दिनों में, जब कि केन्द्राधीक्षक केन्द्र पर नहीं थे, किसी व्यक्ति ने खोल कर एक प्रश्न पत्र निकाल लिया तथा लिफाफों को पुन: चिपका दिया । दिनांक २७ मार्च, १९६७ को केंद्र पर जिन विषयों की जांच परीक्षा हुई थी उन विषयों के प्रश्नपत्र लिफाफों में एक एक प्रश्नपत्र कम पाये जाने पर प्रश्नपत्र चोरी हो जाने का पता लगा तथा जांच करने पर उक्त विषयों के लिफाफों को संदिग्ध अवस्था में पाया गया । इस तथ्य की बोर्ड को सूचना मिलने पर बोर्ड के सचिव ने मौके पर जाकर जांच की तथा उनके द्वारा दी गई जानकारी पर बोर्ड ने उक्त विषयों की परीक्षा निरस्त कर दी । जिसकी सूचना सभी परीक्षा केन्द्रों को तार द्वारा समय पर दे दी गई । रेडियो, समाचार पत्र आदि में भी उक्त घोषणा करवा दी गई थी ।

(ग) उपरोक्त मामले में खेड़ली विद्यालय के एक चपरासी तथा एक वरिष्ठ लिपिक पुलिस की जांच पर दोषी पाये गये तथा उनके खिलाफ मुकदमा प्रथम श्रेणी दण्ड नायक, लक्ष्मणगढ़ (अलवर) के न्याया-

Page No. 15

(राव श्री धीरसिंह)

लय में चल रहा है। दोनों व्यक्तियों को सेवा से निरीक्षक, अलवर द्वारा निलम्बित भी कर दिया गया है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि जो पेपर्स सेंटर पर भेजे जाते हैं वह डबल लाक में रखे जाते हैं ?

राव श्री धीरसिंह : वहां के जो हैड मास्टर थे, खेड़ली स्कूल के उनके चार्ज में थे, लाक में थे, वे छुट्टी चले गये थे उस वक्त वहां पर एक चाबी पहले से खोई हुई थी, उस चाबी से जो व्यक्ति वहां क्लर्क था, उसने डबल लाक की चाबी जो पहले खोई हुई थी, उससे लाक को खोल कर प्रश्नपत्रों से एक एक को निकाल लिया। चपरासी को, वरिष्ठ लिपिक को तथा हैड मास्टर को जो इन्चार्ज था उसने लापरवाही रखी, पहले चाबी खोई हुई थी उसकी सूचना नहीं दी, और वहां सुपरवाइजर था उसको भी सस्पेंड कर दिया है। जांच की जा रही है। नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है मजिस्ट्रेट के पास केस हैंड ओवर कर दिया है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : हैड मास्टर जिसके पास डबल लाक की चाबी रहा करती थी, वह छुट्टी चला गया तो उसको मालूम था कि एक चाबी खो जाने से वह डबल लाक सिंगल लाक ही रह गया है, उस हैड मास्टर के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

राव श्री धीरसिंह : मैंने निवेदन किया कि निलम्बित कर दिया है राज्य सरकार से आर्डर कर के।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या ८२५। श्री दिग्विजयसिंह !

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ८२६। श्री लादूराम !

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये।)

श्री रामकिशन !

भरतपुर जिले में बाढ़ तथा अतिवृष्टि से सड़कों के बचाव की योजना

८२७ श्री रामकिशन (गैर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(१) क्या यह सही है कि अधिशासी अभियन्ता (भवन एवं पथ) भरतपुर ने प्रतिवर्ष जिले में बाढ़ तथा अतिवृष्टि से सड़कों के खराब होने के सम्बन्ध में सरकार को बार बार लिखा है ?

(२) क्या यह भी सही है कि अधिशासी अभियन्ता ने यह लिखा है कि अगर जिले की सड़कों को ऊंचा करने के लिये विभाग एक बार कुछ रकम देदे तो प्रतिवर्ष लाखों रुपये का नुकसान बचाया जा सकता है ?

(३) अधिशासी अभियन्ता भरतपुर ने इस कार्य के लिये कुल कितनी रकम की मांग की है तथा सरकार ने क्या फैसला किया है ?

सार्वजनिकनिर्माण मन्त्री (श्रीअमीनुद्दीन) (१) जी हां।

(श्री अमीनुद्दीन)

(२) मरम्मत की धन राशि की वृद्धि के लिये लिखा है।

(३) ४० लाख रुपये की मांग की है अर्थाभाव के कारण निर्णय नहीं लिया जा सका है।

श्री रामकिशन : कब कब लिखा है और किस किस साल में लिखा है?

श्री अमीनुद्दीन : यह तो आप मुझ से मालूम करते, मैं सूची सदन की मेज पर रख देता।

श्री रामकिशन : और इसके बाद क्या पूछें सप्लीमेंटरी के लिये। ४० लाख की रकम का लिखा है कब लिखा है?

श्री अमीनुद्दीन । वक्तन फवक्तन लिखा करते हैं।

श्री रामकिशन : इसलिये लिखते हैं कि फ्लड से नुकसान होता है।

तारीख बता दें मेरे पूछने का मतलब यह है कि इतना पैसा बरबाद होता जा रहा है और कोई मतलब हल नहीं होता, इस लिये एक बार भरतपुर की बाढ़ समस्या का निराकरण, एक साथ रकम लगा कर कर दिया जाय।

श्री अमीनुद्दीन : यह तो बड़ी खुशी की बात है, इतना रुपया मिल जाय तो किया जा सकता है। अभी जितना मिलता है, उतना ही किया जाता है।

श्री रामकिशन : आप ४० लाख एक बार नहीं दें। विभाग मानता है कि हर साल फ्लड आता है और जो पैसा लगाया जाता है वह बरबाद हो जाता है। इसलिये आप एक हिस्से का काम इस तरह का कर दीजिये कि उस पर बाढ़ का असर न हो। वरना आपके हिस्से का पैसा हर साल फ्लड में बह जाता है। यह परेशानी है। एक हिस्से पर एक साथ इस तरह पैसा लगाया जाय कि हमेशा के लिये इस समस्या का उस हिस्से में निराकरण हो जाय। क्या आप यह पसन्द करते हैं कि हर साल आपके हिस्से का रुपया फ्लड में बह जाय?

श्री अमीनुद्दीन : यह बिलकुल पसंद नहीं करता कि बह जाय, पर फ्लड आये हैं तो बराबर इन्तजाम हुए हैं।

श्री रामकिशन : एक बार पैसा लगा दिया जाय तो बरबाद नहीं होगा।

श्री अमीनुद्दीन : मगर इतना पैसा एकदम कहां से आए? जब आएगा तब तो मरम्मत होगी।

श्री अध्यक्ष : ध्यान दिये जाने का मसला है।

श्री रामकिशन : भरतपुर में कोई नई सड़क नहीं बनी है, पहली, दूसरी व तीसरी योजना में कोई नहीं बनी।

श्री दामोरलाल व्यास : बनी हैं।

श्री रामकिशन : स्टेट के जमाने में बनी हुई हैं। यह सरकार के लिए कलंक की

(श्री रामकिशन)

बात है कि जो बनी हुई हैं उनकी रक्षा नहीं की जा सकती । तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक साल में सरकार इतनी रकम नहीं दे सकती । यह तो मैं भी मानता हूं कि इतनी रकम नहीं दे सकेगी, तो एक एक पोरशन को एक एक साल में लेकर दो तीन हिस्सों में करके, इस तरह की योजना पर सरकार विचार करेगी ?

श्री अमीनुद्दीन : जरूर विचार करेगी और आपकी राय भी ले लेगी।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : जो योजना आई थी और आप कह रहे हैं कि अर्थाभाव के कारण नहीं ले सके तो उस योजना पर सरकार ने विचार किया है कि इसको पीस मील में कार्यान्वित किया जा सकता है।

श्री अमीनुद्दीन : सरकार विचार जरूर कर रही है कि किस तरीके से काम किया जाय।

श्री रामकिशन : कितने दिनों से कर रही है ?

श्री अध्यक्ष : आपकी सलाह लेने का विश्वास दिलाया है।

श्री रामकिशन : सिर्फ मेरी सलाह से काम नहीं चलेगा । काम इस बात से चलेगा कि सिंचाई मंत्री और आप इसको देखें । वहां कि स्थिति बिलकुल दूसरी है । बंधे पर सड़क बनी हुई है । अगर दोनों विभाग मिलकर कुछ करें तो बन्धे की रक्षा होगी और सड़क की रक्षा होगी । पहले के सालों में तो वर्षा हुई नहीं, अब थोड़ी हुई है तो तीन सड़कें जो बनवाई वे टूट भी गई।

श्री अध्यक्ष : गौर किया जाना चाहिए।

प्रश्न संख्या ८२८

श्री खेतसिंह ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री विजय सिंह रावत ।

बड़ाखेड़ा व काबरा के हैड मास्टरों के चुनाव में सक्रिय भाग लेने के विरुद्ध शिकायतें ।

८२९. श्री विजय सिंह रावत (नसीराबाद) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह बात सही है कि दिसंबर सन् १६६६ तथा जनवरी १६६७ में शिक्षा निरीक्षक अजमेर को यह शिकायत की गई थी कि श्री मूलसिंह, हैडमास्टर माध्यमिक शाला बड़ाखेड़ा और श्री पूनासिंह, हैडमास्टर माध्यमिक शाला काबरा चुनाव प्रचार में सक्रिय भाग ले रहे हैं, उन्हें ऐसा करने से रोका जाय ?

(२) यदि हां तो उन अध्यापकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उप मन्त्री शिक्षा (रावश्रीधीरसिंह): इसकी सूचना हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुई इसलिए स्थगित करने की कृपा करें।

श्री विजयसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को लेकर जब बजट के अंदर हम बोले थे उस समय कटौती प्रस्ताव रखा था और उस पर भी हम बोले थे और शिक्षा मंत्री से भी कहा था उसके बाद में भी आज स्थिति यह है कि सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई, यह दुर्भाग्य की बात है।

दूसरी चीज जो शिकायतें दिसम्बर २१ व जनवरी २० को राजस्थान सरकार को दी गई, उसका भी जवाब नहीं आया। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। अभी भी मन्त्री महोदय....

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त हो गया, मन्त्री महोदय समझ गए हैं।

श्री बरकतुल्ला खां : मैं इनकी गलतफहमी दूर करना चाहता हूं। सदन में जिस समय कटौती प्रस्ताव आया उस समय जानकारी दी थी। उसके बाद और फैक्ट्स पर जानकारी की तो पूरी तरह से जानकारी करके लाना चाहता हूं और नेक्सट डे जब मेरे सवाल होंगे तब बताऊंगा।

श्री अध्यक्ष : कुछ हो गई, कुछ मगाई गई है।

श्री बरकतुल्ला खां : जी हां।

श्री फतेह सिंह (ब्यावर) : इसमें शिकायत कर्ता मैं था। ब्यावर से मैं जब चुनाव लड़ रहा था उस बारे में शिकायत मैंने की और अभी तक मुझसे जानकारी किसी ने नहीं की। क्या शिकायत कर्ता के बिना जानकारी प्राप्त किए बिना ही कोई जांच हो सकती है?

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय, शिकायत के कागज वहां हैं या नहीं या वे भी गुम हो गए?

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : इस प्रश्न को स्थगित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : स्थगित ही है।

प्रश्न संख्या ८३०

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ८३१

श्रीमूलचन्द कटेवा।

अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये।

श्री शंकरलाल

पुलिस विभाग से संबंधित जिला स्तरीय कमेटियों का निर्माण।

८३२. **श्री शंकरलाल (जैतारण) :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान के कई जिलों में पुलिस विभाग से संबंधित जिला स्तरीय कमेटियों का निर्माण किया हुआ है? यदि हां, तो किन किन जिलों में और कौन कौन सी तारीखों में?

(श्री शंकरलाल)

(२) इन कमेटियों का कार्य क्षेत्र क्या है और इन्होने अब तक क्या कार्य किया है ?

(३) क्या सरकार प्रत्येक जिले में इस प्रकार की कमेटियां बनाने का विचार रखती है ? यदि हाँ तो कब तक ?

गृहमन्त्री (श्रीदामोदर लाल व्यास): (१ जी हां। राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर व कोटा में २४ सितम्बर १९६२ को पुलिस सलाहकार समितियाँ गठित की गई थीं। इसी प्रकार जयपुर में २१–५-६२ को जोधपुर में २८-७-६२ को अजमेर में ७-८-६२ को बीकानेर में २६-९-६२ को उदयपुर व कोटा में १६--११--६२ को यातायात समितियां गठित की गई थीं।

(२) पुलिस सलाहकार समितियों का कार्यक्षेत्र उन जिलों में ही सीमित था व उद्देश्य पुलिस व पब्लिक के बीच अच्छी अन्डरस्टेंडिंग सामाजिक अपराधों की रोक-थाम के लिए वातावरण बनाना व पुलिस प्रशासन में सुधार के लिए सुझाव देना। ये समितियां संबंधित जिलों में मिलती हैं। ट्रैफिक कमेटियां जिन नगरों में गठित की गई हैं वहां यातायात के मामलों को सुलझाने में मदद व सलाह देने का कार्य करती हैं।

(३) अन्य जिलों में इस प्रकार की कमेटियां बनाने का अभी कोई विचार नहीं है।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : मंत्री महोदय ने कुछ जिलों में बताया है कि समितियों का गठन किया गया है तो मंत्री महोदय की राय में अन्य जिलों में जिनमें समितियों का गठन नहीं हुआ, वहां कोई समस्याएं नहीं हैं, जिनके कारण समितियों का गठन नहीं किया गया है।

श्री दामोदरलाल व्यास : अभी सरकार को इनका मूल्यांकन करना है कि इन कमेटियों ने जो कार्य किया है या किया जा रहा है उससे कितना फायदा हुआ है और उसको देखकर अन्य जिलों में भी, अगर एडवान्टेज्यस साबित हुआ, तो हम दूसरे जिलों में भी बनायेंगे।

श्री शंकरलाल : अभी आपने बताया कि........

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कहा कि जयपुर में हो गया और भी बताया। कहीं कहीं कमेटीज मिली नहीं, कहीं मीटिंग्स हुई हैं तो दिलचस्पी नहीं ली, खाली कमेटीज बनी हुई हैं। मकसद यह है कि जो फायदा चाहते हैं क्राइम्स को रोकने में वह मिलना चाहिए। इसलिए हम सोच रहे हैं, इनके काम को देखकर दूसरे जिलों में भी बनायेंगे।

श्री रामकिशन : जिस समय यह निश्चय हुआ था, भूतपूर्व गृहमंत्री, मथुरादासजी थे, तो सारे जिलों का था और आपने अभी तक मूल्यांकन नहीं किया है। ये समितियां बुलाई नहीं गई और अगर मीटिंग नहीं होगी तो दोष किसका है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मीटिंग

Page No. 20

(श्री दामोदरलाल व्यास)

बुलाते हैं तो सदस्य आते नहीं है। आप समझते हैं कि मीटिंग नहीं बुलाई है. मेम्बर्स ने दिलचस्पी ली है लेकिन कहीं नहीं ली है। अलग अलग क्षेत्रों की बात है। मेरा मतलब यह नहीं है कि दूसरे जिलों में नहीं बनाना चाहते हैं, मगर बनाने का निर्णय नहीं हुआ है।

श्री रामकिशन : एनाऊंसमेन्ट सबके लिए था।

एक माननीय सदस्य : मंत्री महोदय ने बताया कि जोधपुर जिले में बनी हुई हैं। लेकिन उस समिति के जो सदस्य हैं उनको आज तक नहीं बुलाया गया। दो साल हो गए कमेटी फंक्शन नहीं कर रही है।

श्री शंकरलाल : कमेटी बुलाने का अधिकार किसको है ?

श्री अध्यक्ष : जो जोधपुर की कमेटी बनाई गई है, वह क्या भंग हो गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : भंग तो नहीं हुई है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : माननीय सदस्य ने कहा कि दो वर्षों से मीटिंग नहीं बुलाई।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री शंकरलाल : मीटिंग्स बुलाने का अधिकार किसको है। इसका मतलब मीटिंग बुलाई नहीं। काम कैसे करेंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आप कहते हैं कि मीटिंग नहीं बुलाई गई तो मैं इस बात की जानकारी करूंगा।

श्री शंकरलाल : आप कहते हैं कि आते ही नहीं, बैठते ही नहीं। आखिर क्यों नहीं बुलाई जाती। बुलाने का अधिकार किसको है। अगर एस. पी. को है तो उनको आप आदेश दें।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवनाथसिंह।

द्वितीय ग्रेड में कार्य करने वाले अध्यापकों को एडवान्स इंक्रीमेंट की सुविधा

८३३. श्री शिवनाथसिंह (गुढा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि थर्ड ग्रेड (स्केल सं. ८) में काम करने वाले अध्यापकों को बी. एड. करने पर दो एडवान्स इन्क्रीमेंट दिये जाते हैं तथा इसी प्रकार सेकन्ड ग्रेड (स्केल नं. १३) में काम करने वाले अध्यापकों को भी बी. एड. कर लेने पर दो एडवान्स इन्क्रीमेंट दिए जाते हैं।

(२) यदि हां तो क्या यह सुविधा केवल विज्ञान वालों को ही दी जा रही है या द्वितीय ग्रेड वाले सभी अध्यापकों को ?

(३) क्या सरकार सभी द्वितीय ग्रेड वाले अध्यापकों को यह सुविधा देने का विचार रखती है ?

उप मन्त्री शिक्षा (राव श्री धीरसिंह) :(१) जी हां। तृतीय वेतन शृंखला

(राव श्री धीरसिंह)

(स्केल नं० ८) में कार्य कर रहे सभी अध्यापकों को बी० एड० कर लेने पर दो एडवान्स इन्क्रीमेंट दिए जाते हैं परन्तु द्वितीय वेतन शृंखला (स्केल सं० १३) में कार्य कर रहे विभाग के अध्यापकों को ही बी० एड० कर लेने पर दो एडवान्स इन्क्रीमेंट दिए जाते हैं।

(२) द्वितीय वेतन शृंखला में यह सुविधा केवल विज्ञान के अध्यापकों को ही दी जाती है।

(३) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री शिवनाथ सिंह : इस डिस्क्रिमिनेशन का क्या कारण है थर्ड ग्रेड में तो सभी को एडवान्स इन्क्रीमेंट मिलते हैं और सैकेन्ड ग्रेड में सिर्फ विज्ञान वालों को दिए जाते हैं।

राव श्री धीरसिंह : अपोइंटमेंट में जो प्रणाली लागू की गई है और की जा रही है, वह विज्ञान वालों को प्रिफरेंस देते हैं और विज्ञान के अध्यापकों की आगे जरूरत भी ज्यादा है इसलिए विज्ञान वालों को प्राथमिकता दी जाती है। इसके अलावा फाइनेन्स का भी इसके अन्दर सवाल है सामने, वह भी मामला देखने के लिए हम विचार कर रहे हैं कि उसमें कितना और खर्चा होगा। इसलिए हमने यह मामला अभी डिसाइड नहीं किया है कि उनको भी दिया जाय जो विज्ञान के अलावा हैं। फर्स्ट ग्रेड में भी सिर्फ विज्ञान वालों को दिए जाते हैं।

श्री शिवनाथ सिंह : थर्ड ग्रेड में तो विज्ञान वालों और सबको दिया जाता है और सैकंड ग्रेड में सिर्फ विज्ञान को? यह फाइनेन्स का मामला सिर्फ थर्ड ग्रेड पर पड़ता है, सैकंड ग्रेड वालों के साथ यह क्यों?

राव श्री धीर सिंह : फर्स्ट ग्रेड वालों के साथ भी है कि विज्ञान के अध्यापकों को बी० एड० करने के बाद दिया जाता है। अगर दूसरों को देंगे तो फाइनेन्स इन्क्रीज होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या जो थर्ड ग्रेड लोग बी० एड० कर लेते हैं, उनको आप केवल दो इन्क्रीमेंट्स देते हैं। क्या यह सही है कि फिर भी उनका वेतन मैट्रिक ट्रेन्ड से थोड़ा रहता है? आप उनको मैट्रिक ट्रेन्ड का वेतन क्यों नहीं देते हैं।

राव श्री धीर सिंह : जो वेतन है वह नियमानुसार जो निर्धारित स्केल है, उसके अनुसार दिया जाता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: अध्यक्ष महोदय, थर्ड ग्रेड में सब लोग हैं। मेट्रिक्युलेट भी है, अनट्रेण्ड लोग भी हैं। बी. ए. ट्रेण्ड होने के बाद भी मेट्रिक ट्रेण्ड को ज्यादा मिले और बी. ए. ट्रेण्ड को कम मिले उसी ग्रेड में होते हुए तो यह तो नहीं होना चाहिए। थर्ड ग्रेड में भी मेट्रिक ट्रेण्ड से नीचे तो नहीं रखिये। यह हिन्दी क्यों करते हैं?

राव श्री धीर सिंह : यह डिस्क्रिपेन्सी है, इस पर विचार कर लिया जावेगा।

एक माननीय सदस्य : विचार कब तक हो जावेगा ?

अस्पतालों में भरती करने के अधिकार

८३४ श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि मरीजों को भर्ती करने के अधिकार प्रत्येक अस्पताल में कुछ विशिष्ट डाक्टरों को ही मिले हुए हैं और आउट डोर में मरीज को देखने वाले डाक्टर मरीजों को इनडोर भरती नहीं कर सकते ?

(२) क्या सरकार महसूस नहीं करती कि इस प्रथा से मरीजों को बहुत असुविधा होती है क्योंकि उन्हें भरती के लिये इन विशिष्ट डाक्टरों का इन्तजार करना पड़ता है और उससे भ्रष्टाचार को भी प्रोत्साहन मिलता है ?

(३) क्या सरकार ने मरीजों को भरती करने के मामले में भ्रष्टाचार को रोकने के लिये कोई कदम उठाने का निश्चय किया है ? यदि हां तो क्यों ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उपमन्त्री, चिकित्सा (राव श्री धीर सिंह) : (१) राज्य के सरकारी चिकित्सालयों में इमर्जेन्सी केसेज को भरती करने के अधिकार प्रत्येक आउटडोर अथवा ड्यूटी डाक्टर को है जो सख्त बीमार नहीं हैं उन्हें जिस विशेषज्ञ का आउटडोर होता है वही देखकर पलंगों की उपलब्धता के अनुसार भरती करते हैं।

(२) जो रोगी इमर्जेन्सी केसेज नहीं होते उन्हें विशेषज्ञ या यूनिट इन्चार्ज मुआयना करने के बाद ही भरती करते हैं। भरती करते समय पलंगों की उपलब्धता के अनुसार एवं बीमारी को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाता है। इस विधि से भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन नहीं मिलता।

(३) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही नहीं है कि इमर्जेन्सी के अलावा साधारण दिनों में भी जो आउट डोर में डाक्टर बैठते हैं उनमें डाक्टरों को भरती करने का अधिकार नहीं है।

राव श्री धीर सिंह : मैंने बताया कि इमर्जेन्सी केसों में तो कर सकते हैं पर और केसों में विशेषज्ञों को ही अधिकार है क्योंकि ऐसे मरीजों की छंटनी विशेषज्ञ ही ज्यादा अच्छी तरह कर सकते हैं। किसको भरती किया जावे, किसको नहीं किया जावे इसमें पलंगों की उपलब्धता का भी ध्यान रखते हैं।

इसमें वही ठीक निर्णय ले सकते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या सरकार यह महसूस नहीं करती कि इस प्रणाली से कुछ डाक्टर जो यूनिट इन्चार्ज हैं एक दो या तीन उन्हीं के हाथ में भरती करने की मोनोपोली चली जाती है और इसके कारण प्राइवेट प्रैक्टिस के तौर पर मरीज जो उनको फीस दे उसी को वे भरती करते हैं तो इससे क्या भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन नहीं मिलता ? इसके बजाय आउट डोर के अन्दर बैठने वाले डाक्टरों को जिनकी ड्यूटी आती है उनको आप भरती करने का अधिकार दें तो उनके पास भी लिस्ट होती है पलंगों की कि कितने पलंग खाली हैं तो वे भी मरीज के रोग को देखकर आवश्यकतानुसार पलंगों की उपलब्धता को देखकर भरती कर सकते हैं। तो आउट डोर के डाक्टरों को सभी को आप यह अधिकार दें तो यह भ्रष्टाचार और भरती करने की मोनोपोली समाप्त हो सकती है। यूनिट डाक्टर के पास लाचार होकर मरीज को जाना नहीं पड़े भरती होने के लिये। इस प्रणाली को अपनाने में सरकार को क्या दिक्कत है ? पहले भी यही प्रणाली अपनाई जाती थी कई अस्पतालों में।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य को कहीं गलतफहमी हो रही है। सवाल का जवाब दिया उसमें बताया कि जो भी डाक्टर होता है इमर्जेन्सी में तो वहां तो वह भरती करता है। वहां तो कोई अड़चन पैदा होती नहीं। अब रहा सवाल आउट डोर में भरती करने का। सो वहां भी भरती करने की उन डाक्टरों के लिए मुमानियत कतई नहीं है। जो विशेषज्ञों के दिन बंटे हुए हैं कि फलां तारीख को स्पेशियेलिस्ट का टर्न है। वह विशेषज्ञ भी उस दिन अपनी टर्न पर आउट डोर में जाता है, लोअर स्टाफ के डाक्टर भी जाते हैं। जिस केस को वे समझते हैं कि यह भरती करने लायक है उसको भरती कर लेते हैं। कोई डाक्टर आउट डोर में भरती नहीं करता ऐसा नहीं है। जिसको भरती करना चाहिये, उसको भरती करते है पलंगों की शार्टेज होते हुए भी भरती करना जरूरी समझते हैं तो जमीन पर भी जगह देते हैं। आप देखेंगे कि जितने बैड हैं उतने ही मरीजों को कई कई वार्डों में तो जमीन पर भी जगह देते हैं। तो ऐसी सूरत में कोई गुंजाइश नहीं है कि भरती करने में गड़बड़ी होती है। और इस प्रणाली को तो कतई मैं प्रोत्साहन नहीं देना चाहता कि पहले यूनिट का डाक्टर बीमार को प्राइवेट में देख ले उसकी फीस ले ले और फिर भरती करे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं तो इसको रोकना चाहता हूं। प्रोत्साहन देने की बात नहीं कही। इसी को रोकने के लिये तो मेरा सुझाव था।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं भी इसे रुकवाने की बात कहता हूं। आउट डोर में हर रोज किसी न किसी स्पेशलिस्ट का दिन होता है एडमिशन का। ४ मैडिशन में स्पेशलिस्ट हैं तो चारों अपने अपने दिन आउट डोर में बैठते हैं और उस दिन उनके नाम से उनके यूनिट में भरती किये जाते हैं। अगर कोई केस ऐसा होता है उनकी राय में भरती करने का तो आउट डोर के डाक्टरों को मना नहीं है कि वे भरती नहीं कर सकते और

(श्री दामोदरलाल व्यास)

फिर भी मजीद इन्स्ट्रक्शन मैं जारी कर दूंगा कि आउट डोर के डाक्टरों को कोई मनाही नहीं हो भरती करने की।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरा यही निवेदन है। आउट डोर में दूसरे डाक्टर बैठते हैं वे भी एम. बी. बी. एम. हैं। जरूर विशेषज्ञ नहीं हैं। उनकी ड्यूटी चेन्ज होती रहती है। तो आउट डोर में बैठने वाले एम. बी. बी. एस. डाक्टर को भी, अगर वह भरती करने के योग्य समझता है किसी केस को, तो उसको भी अधिकार क्यों नहीं देते भरती करने का ? यूनिट इन्चार्ज भी बैठता है। दो तीन यूनिट ज्यादा से ज्यादा चार होते हैं उन चारों डाक्टरों के हाथ में भरती करने की मोनोपोली चली जाती है। वे कहते हैं मेरी टर्न फलां दिन को आवेगी मंगल को आवेगी उस दिन आना। माननीय सदस्यों को भी इसका अनुभव होगा। अब प्राइवेट में उनको दिखाने में १६) देने पड़ते हैं सबको।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपको मैं बता रहा हूं कि आउट डोर के अन्दर यूनिट के सारे ही डाक्टर रहते हैं। प्रोफेसर भी जाते हैं, रीडर भी जाते हैं ड्यूटी डाक्टर भी और हाउस सर्जन भी जाते हैं। वे केस देखते हैं। आउट डोर के डाक्टरों को मना नहीं है कि वे भरती नहीं कर सकते अपनी मरजी से। मेरे साथ आइयेगा मैं बता दूंगा। तो इस तरह से आउट डोर के डाक्टरों को अपना डिस्क्रेशन यूटीलाइज करने में कोई रुकावट नहीं आती है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आउट डोर में एडमिट करने का यूनिट इन्चार्ज की डिस्क्रेशन पर निर्भर है। बैड होते हुए भी, बैड खाली पड़ा है, आउट डोर का डाक्टर रिकमण्ड करता है पर यूनिट इन्चार्ज के डिसक्रेशन पर है यह कि भरती करे या नहीं करे।

श्री दामोदरलाल व्यास : आउट-डोर के डाक्टर समझें कि बैड खाली है और किसी मरीज को भरती करना जरूरी है, उसे भरती करना पड़ेगा और यूनिट इन्चार्ज का कोई डिस्क्रेशन इसमें नहीं रहेगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मन्त्री महोदय जो अनुभव करते हैं उससे हम भी सहमत हैं। प्रेक्टिस तो यही होनी चाहिये, पर प्रेक्टिस आज यह नहीं है बल्कि यह है कि आउट डोर के डाक्टर भरती के मामले में बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। सब यूनिट इन्चार्ज के कहने पर होता है।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह डिस्क्रेशन उनको देने के लिये कह चुका हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री आईदानसिंह।

यातायात मन्त्री।

श्री ओमदत्त भाटी : क्या यह सही है ....

श्री अध्यक्ष : आगे ले लिया है।

श्री ओमदत्त भाटी : जल्दी में ले लिया ।

जिला जालौर के रूट्स का राष्ट्रीयकरण

८३५. श्री आईदानसिंह (भीनमाल) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि जिला जालौर के किसी भी बस रूट पर स्टेट रोडवेज की कोई बस नहीं चलती ?

(२) अगर हां तो क्या कारण है ?

(३) जिला जालौर में कितने बस रूट हैं जिन पर प्राइवेट बसें चलती हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(४) उपरोक्त रूटस पर दिन में कितनी बसें चलती हैं ?

(५) उपरोक्त बस रूट्स का राष्ट्रीय करण करने की क्या कोई योजना है ?

(६) अगर नहीं, तो क्यों नहीं ? और सरकार की इनके राष्ट्रीयकरण बाबत क्या नीति है ?

यातायात मंत्री (श्री अमीनुद्दीन) : (१) जी हां, यह सही है ।

(२) जालौर जिले में अभी किसी भी मार्ग का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ है ।

(३) जालौर जिले में १७ बस मार्ग हैं जिनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(४) उन बस मार्गों पर चलने वाली बसों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(५) जी नहीं ।

(६) राजस्थान में मार्गों के राष्ट्रीयकरण का निर्णय परिवहन निगम द्वारा किया जाता है जो एक स्वायत्त संस्थान है । निगम मार्गों के राष्ट्रीयकरण का निश्चय निगम की आर्थिक स्थिति, क्षमता, मार्ग की स्थिति, यात्रियों की संख्या आदि बातों के आधार पर करता है । निगम ने निर्णय लिया है कि पहिले राष्ट्रीयकृत मार्गों के ओवरलेपिंग मार्गों व उन मार्गों का जिनकी प्रारूप योजनायें प्रकाशित हो गई हैं पहिले राष्ट्रीयकरण किया जावे । अत: जालौर जिले के मार्गों का राष्ट्रीयकरण उस आधार पर निगम द्वारा निर्णय लिये जाने पर ही सम्भव हो सकेगा ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री आईदानसिंह : अध्यक्ष महोदय, जो सूची सदन की मेज पर रखी गई है उसमें एक बस रूट को तो छोड़ ही दिया जो जालौर से लेकर सुमेरपुर जाता है । अच्छा ट्रेफिक है इस पर । छ: बसें आठ बसें रोज चलती हैं । जालौर से फालना और जालौर से सुमेरपुर । दोनों का डाइवर्सन तखतपुर से होता है । तो वहां पर कम से कम १५-१६ बसें चलती हैं और वहां के ठेकेदार मनमाने ढंग से बसें चलाते हैं । तो अगर उनका

(श्री आईदानसिंह)

राष्ट्रीयकरण कर लिया जावे तो अच्छा है। विधान सभा के माननीय सदस्य उसके लिए अगर रिकमण्डेशन कर दें तो निगम इस रूट को भी शामिल कर सकेगा।

श्री अमीनुद्दीन : जैसा मैंने कहा कि उनकी स्कीम जो है अपनी उनकी अलग से है। उसमें अगर आपका यह रूट आता है तो वे कर लेंगे। पर जो आम शिकायत है उसके मुतल्लिक आप कहेंगे बसों को चलाने का, बढ़ाने का कमी का उस पर बराबर पूरा ध्यान दिया जावेगा।

श्री पृथ्वीसिंह (बाली) : राष्ट्रीयकरण की नीति क्या है ?

श्री अमीनुद्दीन : नीति को बतादी, उस नीति के प्रोग्राम के साथ चलने वाले हैं।

प्रश्न संख्या ८३६।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती कान्ता खतूरिया।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री केदारनाथ।

जुर्माना न देने पर मुलजिमों को सजा

८३७. श्री केदारनाथ (गंगानगर) : क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(१) क्या यह सही है कि बीकानेर के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट श्री सिंघी ने किसी मुलजिम के पास जुर्माने की रकम न होने पर मूंछ मुंडवाने की सजा देकर उसकी मूंछ मुंडवा दी ? यदि हां, तो कौन से कानून के तहत ?

(२) क्या यह सही है कि वे किसी भी होटल वाले व्यापारी को बाजार से स्वयं जुर्म २७८ आई. पी. सी. के तहत गिरफ्तार कर थाने में बन्द कर देते हैं और उसे जमानत तक से वंचित कर अनावश्यक रूप से उन्हें परेशान करते है ?

(३) क्या यह सही है कि इस प्रकार उन्होंने २३।५।६७ की रात को साढे आठ बजे दो हलवाइयों को जुडिशियल लॉक अप में रख दिया ?

(४) क्या यह सही है कि दूसरे दिन उसे किसी फण्ड में ५००) रुपये देने के आश्वासन पर छोड़ दिया ?

विधिमन्त्री (श्री बरकतुल्लाखां) : यह होम मिनिस्टर से सम्बन्ध रखता था उनसे दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री केदारनाथ : जवाब दे रहे हैं वे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : बड़ा मजेदार प्रश्न है।

श्री रामकिशन : पहले का है।

गृहमन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : मैं वही अर्ज कर रहा हूं।

(१) बीकानेर में कोई एस डी एम

(श्री दामोदरलाल व्यास)

श्री सिंघी नाम के नहीं हैं। वहां इस नाम के एडीशनल मु० मजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने उनके उत्तर में ऐसा कोई आदेश नहीं देना बताया है।

(२) उक्त मुंसिफ मजिस्ट्रेट द्वारा यह बताया गया है दिनांक २३।५।६७ को दो हलवाई बाजार में गन्दगी व धुंआ फैला रहे थे, उन्हें रोकने पर वे नहीं रुके, इस पर ता० हिन्द की दफा २७८ में उन्हें गिरफ्तार किया गया व २।३ घंटे बाद जमानत पेश करने पर छोड़ा गया। मुकद्दमा सब जूडिस है।

(३) ज्युडिशियल लॉक अप में रखने व समय बाबत सूचना प्राप्त नहीं हो सकी है।

(४) मुन्सिफ मस्ट्रिट द्वारा यह आरोप असत्य बताया गया है।

श्री केदारनाथ : उनकी मूंछ मुंडवाई गई है। २॥ घण्टे तक अरेस्ट करने के बाद जमानत दे दी फिर भी डिटेन किया गया और फिर छोड़ा गया ?

डिटेन करने का क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष : सबजुडिस है मामला। नोट अलाउड।

श्री दामोदरलाल व्यास : मामला सबजुडिस है।

श्री रामकिशन : मूंछों के मामले में क्या जवाब है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट है कि यह गलत है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के यह खिलाफ है यह चीज उन्होंने जजमेंट में नहीं लिखी। जजमेंट में नहीं होते हुए भी उन्होंने इस प्रकार की सजा दी। मैं खुद बीकानेर गया था। मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के बयान पर आप यहां जवाब दें यह उचित नहीं होगा। आप इन्डिपेन्डेंट इन्क्वायरी करके बतायें। समय दें तो नाम तक बता सकता हूं कि किस आदमी की मूंछ मुंड-वाई गई।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : मूंछे मुंडवाना कतई गलत बात है। मजिस्ट्रेट की बड़ी अच्छी रेपुटेशन है। अच्छी शोहरत है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मूंछें मुंड-वाने से रिश्वत लेना तो साबित नहीं होता।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मंत्री महोदय को यह कहना चाहिए कि मूंछों का क्या हुआ ? मूंछें रहीं या मुंडवा दी गईं ? मुंडवा दी गई या मूंड डाली ?

श्री नत्थीसिंह : यह बात सही है कि ज्यादातर ईमानदार आदमी होते हैं वे सनकी होते है वे इस तरह का फैसला दे देते हैं। क्या आप जॉच करायेंगे कि जबानी तौर पर मूंछें मुंडवाने के आदेश दिये और मूंछें मुंडवा दी गईं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : डिस्ट्रिक्ट जज से जानकारी आई वह गलत है ता आप सोर्स बतायें जिनसे जानकारी मुझे मिल सके तो मैं जांच करा सकूंगा।

श्री रामकिशन : आपने वहां के नाइयों से पूछा था कि मूंछें मूंडी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं नाइयों और नाइयों के एजेन्ट से परिचित नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज। जुर्माने की रकम जमा कराई या नहीं ? और जमा नहीं कराई तो क्या हिरासत में लिया गया ? हिरासत में लिया गया तो बिना मूंछों के लिया गया या मूंछों के लिया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जुर्माने की रकम कौनसी ?

श्री अध्यक्ष : इसमें पूछा है जुर्माने की रकम न होने पर मूंछ मुंडवाने की सजा देकर उसकी मूंछ मुंडवा दी।"

श्री दामोदरलाल व्यास : मुन्सिफ मजिस्ट्रेट ने लिखा कि इस प्रकार का केस उनके सामने नहीं आया। मुकदमे का अनवान बतायें तो मालूम हो सकता है।

मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के पास हजारों मुकदमें हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री नत्थीसिंह।

श्री विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, मूंछों के बाल बड़े कीमती होते हैं।

श्री अध्यक्ष : यह तो आपको देखने से ही मालूम होता है।

थाना सेवर से पृथक् किये ग्राम

८३८. श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि सेवर पंचायत समिति क्षेत्र के बहुत से गांव सेवर थाना से हटाकर रूपवास थाना में मिला दिये गये हैं ? यदि हां, तो कब और क्यों ?

(ख) क्या यह सही है कि उपरोक्त गांव सेवर के बहुत नजदीक हैं तथा रूपवास इन गांवों से काफी दूरी पर है और बरसात में इन गांवों से रूपवास का आवागमन भी अवरुद्ध हो जाता है ?

(ग) क्या सरकार उपरोक्त ग्रामों की कठिनाई को दृष्टिगत रखते हुए इन गांवों को पुनः थाना सेवर में शामिल करने का विचार रखती है ?

गृह मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) जी हां, सन् १९६३ में कुछ गांव जो सेवर थाना में पड़ते थे उन्हें हटाकर रूपवास और बयाना थाने में मिला दिये गये हैं। ऐसा पुलिस एडमिनिस्ट्रेटिव इन्क्वायरी कमेटी की सिफारिश पर किया गया था।

(२) जी हां। ये गांव रूपवास थाने के बनिस्बत सेवर थाने के नजदीक पड़ते हैं। बरसात में रास्तों में पानी भर जाता

(श्री दामोदरलाल व्यास)

है जिससे रास्ते बन्द हो जाते हैं।

(३) जी हां।

श्री नत्थीसिंह : आपने यह माना हैं कि रास्ते बन्द हो जाते हैं तो कब तक फैसला कर देंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : नम्बर ३, जी हां कह दिया। आपको संतोष हो जाना चाहिए था।

श्री नत्थीसिंह : कब तक कर देंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जल्दी ही।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

स्थगित प्रश्न।

श्री देवीदत्त गाड़िया।

श्री रामकिशन : राजस्थान मेडिकल कालेज का प्रश्न है उसे पहले ले लें।

श्री अध्यक्ष : ६७६।

स्थगित प्रश्न ७–७–६७

पुलिस कल्याणकारी फण्ड

६७६. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान के कितने जिलों में पुलिस कल्याणकारी फण्ड बना हुआ है ?

(२) यदि सभी जिलों में यह फण्ड है तो प्रत्येक जिले में गत पांच वर्षों से प्रति वर्ष कितना कितना रुपया किस किस प्रकार से इकट्ठा हुआ और किस किस प्रकार से व्यय किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

गृह मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : राजस्थान में २६ जिलों एवं पी. टी. एस. किशनगढ़ एवं रेलवे मण्डल अजमेर पर कल्याणकारी फण्ड बना हुआ है।

(२) हाँ प्रत्येक जिले में जितना रुपया प्रतिवर्ष इकट्ठा हुआ और खर्च हुआ उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली बार भी जानकारी चाही थी और प्रश्न पूछा था कि कितना कितना किस प्रकार इकट्ठा हुआ और किस प्रकार व्यय किया इसकी सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। मेरे पास आंकड़े आये हैं। किस किस प्रकार से खर्च किया गया इसकी जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : किस किस प्रकार से व्यय किया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत अफसोस है कि मेरा यह खयाल था कि इसके अन्दर नाम की सूची

(श्री दामोदरलाल व्यास)

आ गई है लेकिन वह आनी रह गई है। मैं इसकी कापी माननीय सदस्य को भेज दूंगा और इसको हाउस में भी प्रस्तुत कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री रामानन्द, श्री भैरोंसिंह।

६८१। मुख्य मंत्री महोदय।

प्रश्न संख्या ६८१

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल पोस्टपोन करने के लिये प्रार्थना की गई थी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कब तक ?

श्री दामोदरलाल व्यास : नेक्स्ट टर्न तक।

श्री विजयसिंह : रिटायरमेन्ट की आयु ५५ साल.........

श्री अध्यक्ष : कौनसा प्रश्न ? किस मामले में ?

श्री किशनलाल शाह।

श्री विजयसिंह : दूसरे प्रश्न उसके साथ में है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(विराम)

प्रश्न ही पैदा नहीं होता। वह स्थगित कर दिया गया है।

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री भैरोंसिंह : एक बात बतायी गयी कि प्रश्न स्थगित कर दिया गया। दूसरी बार स्थगित हो रहा है। इसकी कुछ सीमा है ? अध्यक्ष महोदय की ओर से बार बार रखा जाय.........

श्री अध्यक्ष : इसमें थोड़ी विवशता का आधार है।

श्री दामोदरलाल व्यास : जिसकी इन्फोर्मेशन चाही गयी है बहरहाल माननीय सदस्य खुद देखेंगे कि उसमें टाइम लग सकता है कलेक्ट करने में। रेडिली अवेलेबल नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : सब कलेक्टेड है। आपके पास नहीं है तो हम से ले लें।

श्री दामोदरलाल व्यास : स्थगित कराने का मतलब यह है कि इस असेम्बली में जवाब देंगे और तसल्ली बक्ष देंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : किस आधार पर वह है ?

श्री अध्यक्ष : १७ तारीख को दूसरे प्रश्न भी आ रहे हैं उस दिन यह भी ले लिया जावेगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह नहीं है कि मुख्य मन्त्रीजी यहां नहीं हैं इसलिये

(श्री दामोदरलाल व्यास)

नहीं लिया जा रहा है बल्कि इन्फार्मेशन कलेक्ट नहीं हो पायी है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। प्रश्न संख्या ६९७।

स्थगित प्रश्न

(७. ७. ६७)

राजपूत बोर्डिंग हाउस कुचामन को आर्थिक सहायता

६९७ श्री किशनलाल शाह (नावां) : क्या शिक्षामन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या कुचामन में राजपूत बोर्डिंग हाउस के नाम से कोई संस्था है ? यदि है, तो कितने साल से ?

(२) क्या यह सही है कि गत आठ वर्ष से निरन्तर प्रयास करने पर भी उसे नियमानुकूल कोई आर्थिक सहायता नहीं मिल रही है ? यदि हां, तो क्यों और क्या अब उसको आर्थिक सहायता देना चालू किया जावेगा ? यदि हां, तो कब से और यदि नहीं तो क्यों ?

उपमन्त्री शिक्षा (राव श्री धीरसिंह) : (१) कुचामन सिटी में हनवन्त छात्रावास नाम की विभागीय मान्यता प्राप्त एक संस्था है जिसका नाम आम जनता में राजपूत बोर्डिंग हाउस प्रचलित है। सन् १९६१ से यह एक विभागीय मान्यता प्राप्त संस्था है।

(२) इस संस्था को १. ७. ६१ से दो साल के लिये अस्थायी मान्यता दी गई थी। तत्पश्चात् सन् १९६६. ६७ तक के लिये अस्थायी मान्यता प्रदान की जा चुकी है। संस्था ने गत वर्ष सहायता अनुदान हेतु प्रार्थना पत्र निरीक्षक नागौर को प्रस्तुत किया था जिसको उन्होंने उप निरीक्षक शिक्षा विभाग जोधपुर को दिनांक ३१-१०-६६ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया। चालू वित्त वर्ष में संस्था को अनुदान दिये जाने के प्रश्न पर विचार किया जावेगा।

(१२ मध्याह्न पश्चात्)

श्री किशनलाल शाह : क्या सरकार इस प्रकार के जातीय होस्टल को रिकग्नाइज करती है कि अमुक जाति के लोग ही इन बोर्डिंग में रखे जायें ?

राव श्री धीरसिंह : इसमें जाति विशेष का नहीं है।

शिक्षा मन्त्री (श्री बरकतुल्लाखां) : दरअसल ऐसा था कि पहले यह राजपूत बोर्डिंग हाउस के नाम से चलता था इसमें खास जाति विशेष का कुछ नहीं है कुछ दूसरे लोग भी काफी हैं।

श्री रामकिशन (वैर) : क्या सरकार नीति के आधार पर सोचती नहीं कि यह अग्रवाल, राजपूत महासभा और ब्राह्मण सभा इन सब को हटाकर दूसरे नाम रखे जायें यह संविधान के खिलाफ भी है।

श्री बरकतुल्लाखां : अगर सदन की तरफ से हिम्मत दिलाई जाये तो मैं प्रयत्न करूंगा।

श्री रामकिशन : १०३ तो आप हैं और फिर भी हिम्मत मांगते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हिम्मत वालों के साथ आकर बैठ जाओ फिर।

श्री दामोदरलाल व्यास : फिर तो और हिम्मत कम हो जायेगी।

श्री विजयसिह रावत : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या ८२६ के लिए माननीय शिक्षा मन्त्री महोदय ने कहा है कि मैं इनफोर्मेशन दूंगा तो वह कौनसी तारीख को देंगे ?

श्री अध्यक्ष : मैं तारीख के लिए मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूंगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।

श्री विजयसिह रावत (नसीराबाद): इतना आश्वासन दिला दें कि इसी सेशन में दिया जायेगा या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : इतना आश्वासन है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।

योग अनुसंधान चिकित्सा केन्द्र, जयपुर

८३९. श्री बद्री प्रसाद गुप्ता (बानसूर) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या यह सही है कि गांधीनगर, शहर जयपुर में स्थित योग अनुसन्धान व चिकित्सा केन्द्र की ओर से इस संस्था को ठीक तरह से चलाने के लिए कुछ प्रस्ताव समय समय पर भेजे गये हैं ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

उप मन्त्री, चिकित्सा (राव श्री धीर सिह): जी हां, इस संबंध में यौगिक चिकित्सा एवं अनुसंधान केन्द्र बापूनगर जयपुर से जो समय समय पर प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं उनको क्रियान्वित किया जा रहा है। इस संबंध में दो फरवरी, सन् १९६७ को एक मीटिंग का आयोजन सचिव, महोदय चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य के कक्ष में हुआ जिसमें डा० एस० सी० मेहता निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा, राजस्थान जयपुर, श्री प्रेम शंकर निदेशक आयुर्वेदिक विभाग, अजमेर स्वामी आनन्दा नन्द प्रभारी यौगिक संधान केन्द्र डा० सुखराम दास प्रभारी प्राकृतिक चिकित्सालय एवं डा० नारायन बरण्डानी, चिकित्सा अधिकारी प्रभारी यौगिक संधान केन्द्र जयपुर उपस्थित थे। इस मीटिंग में सर्व सम्मति से महत्वपूर्ण विषयों पर जो निर्णय लिये हैं उन्हें शीघ्र ही कार्यान्वित किया जा रहा है।

मीटिंग के प्रस्तावों की प्रति एवं प्रस्तावों पर लिये गये निर्णयों पर जो कार्यवाही की जा रही है उसका विवरण संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : (अश्रव्य) ६ महीने हो गये हैं...... (अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : सुनाई नहीं दिया।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, फरवरी के महीने में मीटिंग हुई उसमें सारे आफिसर्स मौजूद थे और आज ६ महीने तक प्रस्तावों के ऊपर कार्यवाही नहीं हुई ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): अध्यक्ष महोदय, इस संस्था के लिए दर-असल जो प्रस्ताव आये हैं उनके ऊपर किया तो जा ही रहा है परन्तु इस बात पर भी विचार किया जा रहा हैं कि आया यह जनता के हित में उपयोगी है या नहीं और पिछले वर्षों में इसने जितना काम किया उतना भी हम देखेंगे अगर वाकई उपयोगी साबित हुई तो और ज्यादा ग्रान्ट देकर, माननीय सदस्य खुद ने इस संस्था को चलाने में काफी सहयोग दिया है इसलिए उसका भी पूरा ख्याल है कि इसको हम अच्छी तरह चलायें लेकिन हम यह भी देखेंगे कि जितना पैसा हम खर्च करते हैं उतना लाभ मिलता है या नहीं। इन तमाम मुद्दों पर विचार कर रहे हैं । साथ ही में जो प्रस्ताव आये हैं उनके उपर भी निर्णय लेंगे। माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि इसमें जरा भी कमी करने का इरादा नहीं है।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : माननीय मंत्री महोदय, स्वयं इसको देख लें इसलिए ही मैंने यह रखा है। पता नहीं यह योग के मामले में विश्वास रखते हैं या नहीं। (अश्रव्य) भारत सरकार की तरफ से ही यह संस्था चालू हुई थी और हिन्दुस्तान भर में इसके मुकाबिले में दूसरी संस्था नहीं हैं, यूनिक संस्था है और उसके ऊपर मंत्री महोदय स्वयं देख लें और इसको करें।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं। माननीय सदस्य को याद दिलाता हूं कि वह स्वयं इसमें कुछ दिनों के लिए प्राकृतिक चिकित्सा के लिए भर्ती हुए थे उस समय का अनुभव मुझे बहुत खराब है और वह रुकावट डालता है उसको थोड़ा साफ करा दें।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : यह दोनों संस्थायें अलग अलग हैं वह प्राइवेट संस्था है और यह तो गवर्नमेंट की चलाई हुई ही नहीं बल्कि भारत सरकार ने सारा खर्च देकर इसको चालू की है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य यह बता दें आप तो स्वयं स्वस्थ होकर लौटे थे।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : वह तो प्राकृतिक चिकित्सा की बात है और वह बहुत लाभकारी है।

श्री राम किशन : यह कौन सा योग है ? (विराम) अध्यक्ष महोदय बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। यह कौन सा योग है ?

श्री अध्यक्ष : यह तो संयोग है।

श्री सुवालाल चौधरी

मोजमाबाद के स्कूलों में उर्दू पढ़ाने वाले अध्यापकों की व्यवस्था

८४०. श्री सुवालाल चौधरी (दूदू) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या मोजमाबाद पंचायत समिति में उर्दू के पढ़ने वालें छात्रों की संख्या कक्षा १ से १० तक १०० से अधिक है ?

(२) अगर हां, तो क्या सरकार प्राथमिक शाला व हायर सैकेन्डरी स्कूल में उर्दू भाषा पढ़ाने वाले अध्यापकों की व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

(३) क्या यहाँ के मुसलमानों ने जो जन संख्या में ग्राम के तीन चौथाई हैं उर्दू भाषा के अध्यापकों की मांग की थी ? यदि हां, तो उसका क्या हुआ ?

(४) क्या सरकार यहां के मुसलमानों को उर्दू भाषा का लाभ उठाने में मदद करने का विचार रखती है ?

उप मंत्री शिक्षा (राव श्री धीरसिंह):

(१) मोजमाबाद पंचायत समिति नाम की कोई पंचायत समिति इस जिले में नहीं है।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री सुवालाल चौधरी : मोजमाबाद पंचायत समिति...........

राव श्री धीर सिंह : मोजमाबाद नाम की पंचायत समिति नहीं है तथा यह क्वेश्चन शायद मोजमाबाद कस्बे के लिए पूछा है।

श्री सुवालाल चौधरी : मैंने यह लिखा है मोजमाबाद पंचायत समिति में उर्दू भाषा के पढ़ने वाले छात्रों की संख्या.........

राव श्री धीर सिंह : वह जानकारी मैं दे रहा हूं संख्या के बारे में।

मोजमाबाद पंचायत समिति के नाम से कोई पंचायत समिति नहीं है। सम्भवत: प्रश्नकर्ता ने मोजमाबाद कस्बे के बजाय मोजमाबाद पंचायत समिति शब्द लिख दिये हैं। मोजमाबाद इस जिले में एक कस्बा है जहां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है तथा पंचायत समिति दूदू की एक प्राथमिक शाला है। इसके संबंध में सूचना निम्न प्रकार है:

(१) इस वर्ष किसी भी छात्र ने राजकीय उच्च विद्यालय मोजमाबाद में उर्दू विषय पढ़ने के लिए प्रार्थनापत्र नहीं दिया है। गत वर्ष कक्षा ६ में ८ छात्रों ने उर्दू पढ़ने के लिए प्रार्थनापत्र दिये थे।

(राव श्री धीरसिंह)

(२) विभागीय नियमों के अनुसार किसी विषय की कक्षा चालू करने के लिए कम से कम १० छात्र संख्या होना अनिवार्य है चूंकि यह १० संख्या किसी कक्षा में नहीं हो सकी है इसलिए विषय चालू करने का प्रश्न नहीं उठता ।

(३) यहां के मुसलमानों की ओर से कभी कोई उर्दू विषय चालू करने के लिए नियमानुसार पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

(४) सरकार और विभाग मुसलमानों को उर्दू का लाभ उठाने में नियमानुसार मदद करने का विचार रखती है ।

श्री सुवालाल चौधरी : (अश्रव्य)

राव श्री धीर सिंह : सुनाई नहीं दिया ।

श्री अध्यक्ष : आपको अगर पूरी संख्या दे दें प्रत्येक क्लास में तो क्या उस संख्या के आधार पर इसी साल व्यवस्था कर देंगे ?

राव श्री धीर सिंह : जी हां, चालू कर देंगे ।

श्री अध्यक्ष : श्री मनोहर सिंह महता ।

श्री मनोहर सिंह महता : प्रश्न संख्या ८४१

चिकित्सा मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : अध्यक्ष महोदय, इस सवाल के ऊपर एक एड्जॉर्नमेन्ट मोशन भी है और शायद मंगलवार को इसके ऊपर स्टेटमेन्ट देना है इसलिए स्टेटमेन्ट इसको कवर कर लेगा ।

श्री अध्यक्ष : उस प्रस्ताव में इस को सम्मिलित किया जाय ।

प्रश्न संख्या ८४२

श्री मोतीलाल (अनुपस्थित-- कृपया आगे देखिये)

श्रीमती सुमित्रा !

झुंझुनू थाने में पकड़े गये चावल के ट्रक

८४३. श्रीमती सुमित्रा (झुंझुनू) । क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या झुंझुनू थाने में १ मई सन् १९६६ को ट्रक नं० आर० जे० एल० ७३२५ चावलों से लदा हुआ पकड़ा गया था ?

(२) यदि हां, तो सम्बन्धित व्यक्ति को अदालत ने क्या सजा दी ?

गृह मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) तारीख १-५-६६ को झुंझुनू की पुलिस द्वारा ६२ बोरी चावल से लदा ट्रक नं० आर० जे० पी० ६११ न कि आर० जे० एल० ७३२५ पकड़ा गया था ।

(२) दिनांक १३-६-६६ को अदालत द्वारा ट्रक के ड्राईवर, क्लीनर व मालिक को

(श्री दामोदरलाल व्यास)

बरी किया गया व चावल के मालिक पर २१ रुपये जुर्माना किया गया।

श्रीमती सुमित्रा : क्या यह बात सही है कि एक बार जिला मजिस्ट्रेट ने बिना किसी प्रकार की सजा दिए ही इस केस में एक्विट किया था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : एक बार एक्विट कहाँ किया है, जुर्माना किया है, बाकी तीन को छोड़ दिया है। एक पर २१) रु० जुर्माना किया है।

श्रीमती सुमित्रा : एक बार तो बिना किसी प्रकार की सजा दिए ही छोड़ दिया था। पुलिस ने दुबारा रिव्यू किया तब २१) रु० जुर्माना किया गया है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरी जानकारी में यह बात नहीं है। माननीय सदस्या ऐसा कहती हैं तो मैं मालूम करा लूंगा। वरना फौजदारी मुकदमात में रिव्यू कैसे किया जाता है, यह मेरी समझ में नहीं आता। फिर ऐसा अदालत में किया गया हो तो मैं उसकी जानकारी करा लूंगा।

श्रीमती सुमित्रा : क्या ६२ बोरी चावल ले जाते हुए पकड़े जायं तो उन पर सिर्फ २१) रु० जुर्माना किया जाय, क्या आप इसे पर्याप्त समझते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अगर स्मगिलग का मामला होता तो मैं भी इसको बिल्कुल अपर्याप्त समझता हूं लेकिन उन्होंने इसको स्मग्लिग का मामला नहीं माना है। जो जुर्माना किया है वह हिसाब पेश नहीं करने पर किया है उन्होंने अपनी अकाउण्ट बुक्स ठीक समय पर पेश नहीं की इसलिए जुर्माना किया है बाकी स्मग्लिग का केस नहीं माना है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्रीमती सुमित्रा : चावल कहां से आया, कहां गया इसकी भी जानकारी है ? पुलिस ने इसका केस बनाया था और उस पर सिर्फ २१) रुपया जुर्माना करके छोड़ दिया।

श्री अध्यक्ष : It is a question of discretion of the Magistrate.

प्रश्न समाप्त हुए।

श्री नन्दलाल (किशनगंज) : अध्यक्ष महोदय, एक बहुत जरूरी प्रश्न रह गया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसकी अपील क्यों नहीं की गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसके कागजात मंगवाये हैं मैंने....

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप मुनासिब नहीं समझते कि चावल के इतने बड़े केस पर सिर्फ २१) रु० जुर्माना किया जाना और इस तरह से हजारों रुपये वे बनाते रहें और उनकी अपील भी न की जाय....

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं आपको अर्ज कर चुका हूं कि अगर यह स्मगलिंग का केस होता तब तो बहुत ही गलत बात होती कि इतना कम जुर्माना किया गया लेकिन उन्होंने इसको स्मगलिंग का केस नहीं माना है। यह तो महज अकाउण्ट्स का डिक्लेरेशन वक्त पर नहीं करने पर जुर्माना किया है। तब भी कल ही यह केस मेरे नोटिस में आया है और मैंने इसके कागजात मंगाए हैं। अगर इन कागजातों की रूह से अपील करना आवश्यक समझा गया तो उसकी अपील की जायेगी और जैसा माननीय सदस्या ने बताया कि रिव्यू किया गया था, यह मेरी जानकारी में नहीं है। यह भी जानकारी करवा लूंगा। इसके सिवाय यह ज्यूडिशियल डिसिजन है। इस अपील के सिवाय मेरे पास कोई इलाज नहीं है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): इसको स्मगलिंग का केस नहीं मानते है ?

श्री अध्यक्ष : श्री कन्हैयालाल।

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह जरूरी प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ने कागजात मंगवाए हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मंत्री महोदय ने कागजात मंगाए हैं तो ठीक है लेकिन जब पुलिस ने स्मगलिंग का केस बनाया और उसको सजा नहीं मिली तो क्या पुलिस का कर्त्तव्य नहीं था कि उसकी अपील करती। उसके खिलाफ कार्यवाही करना चाहिए था।

श्री नन्दलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक बहुत जरूरी प्रश्न रह गया है।

श्री अध्यक्ष : चुनाव मन्त्री महोदय, प्रश्न सं० ८४४।

चुनाव मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां) : अध्यक्ष महोदय, इसके पोस्टपोनमेंट की मांग कर रहा हूं अगली टर्न पर इसका जवाब दे दूंगा।

श्री कन्हैयालाल (बस्सी) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सं० ८४५ रह गया है।

श्री अध्यक्ष : श्री कन्हैयालाल।

बास खोह रेल्वे फाटक पर मोटर की टक्कर से मृत्यु

श्री कन्हैयालाल (बस्सी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि मई, १९६७ के महीने में बासखो रेल्वे फाटक पर एक व्यक्ति की मृत्यु मोटर से टकरा कर हुई थी जिसकी बस्सी थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई और लाश भी बरामद की गई थी ? यदि हां, तो कब और वह कौन था ?

(२) क्या यह सत्य है कि इस सम्बन्ध में स्थानीय थानेदार द्वारा फाइनल रिपोर्ट दे दी गई है ? यदि हां, तो कब ?

(३) क्या यह सत्य है कि इस बारे में थाने द्वारा कोई छानबीन नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों और यदि की गई तो क्या तथ्य पाये गये ?

(श्री कन्हैयालाल)

(४) क्या यह सत्य है कि विकास अधिकारी बस्सी उस रोज रात को जयपुर से बस्सी लौट रहे थे ?

गृह मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) दिनांक १४-५-६७ को बाँसखो व भर रेल्वे स्टेशनों के बीच १६८ किलो मीटर पर एक आदमी की लाश गेट की दक्षिण की तरफ रेल्वे लाइन्स से नीचे करीब ३।। फीट की दूरी पर पड़ी मिली । इस घटना की सूचना थाना बस्सी पर प्रात: ६ बजे दर्ज हुई । मृतक की मौत के कारणों की जांच चल रही है । यह नहीं कहा जा सकता कि मौत मोटर की टक्कर से हुई । अब तक जांच से मृतक का नाम, पता आदि का पता नहीं चल सका कि वो कौन था ।

(२) जी नहीं ।

(३) जी नहीं । मृतक की लाश का पोस्टमार्टम कराया जा चुका है । मृतक की लाश, पाई जाने वाले स्थान पर काफी रक्त पड़ा हुआ था जिससे अनुमान लगाया जाता है कि मृतक की मौत रेलगाड़ी से गिरने से हुई हो परन्तु जांच पूरी हो जाने पर ही सही तथ्य की जानकारी हो सकती है ।

(४) जी नहीं ।

श्री नन्दलाल (किशनगंज) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सं० ८४६ भी है ।

श्री अध्यक्ष : ८४६ का जवाब तो दे दिया ना ?

श्री नन्दलाल (किशनगंज) : वह तो ८४५ था । मेरा प्रश्न सं० ८४६ है ।

श्री अध्यक्ष : अच्छा ।

बन्दूकों के लाइसेन्स

८४६. श्री नन्दलाल (किशनगंज) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि ३० जून, १९६६ तक बिना लाइसेन्स की बन्दूकों के नये लाइसेन्स बनाने के लिए सरक्यूलर निकाला गया था ? क्या इस मियाद की तिथि के भीतर भीतर समस्त बिना लाइसेन्स की बन्दूकों के लाइसेन्स बन चुके थे ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(२) क्या यह सही है कि वह सरक्यूलर अंग्रेजी में छपा था ?

गृह मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) जी सरक्यूलर नहीं अधिसूचना प्रचलित की गई थी ।

(२) इस अवधि में जिन जिन व्यक्तियों ने अपने शस्त्रों को पुलिस में जमा करा दिया था, उनके अनुज्ञापत्र बन गये । केवल झुन्झुनू जिले के लिए यह अवधि ३१-१२-६६ तक बढ़ाई गई थी ।

(३) जी हां । किन्तु संचालक, सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय द्वारा सूचना का हिन्दी में प्रसारण करवा दिया गया था ।

श्री नन्दलाल : इस सक्यूलर के अन्तर्गत राजस्थान में कितने लाइसेन्स बनाए गए ?

श्री अध्यक्ष : वापिस बोलिए।

श्री नन्दलाल : इस सर्क्यूलर के अन्तर्गत राजस्थान में कितने नये लाइसेन्स बनाये गये ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह तो अलग से प्रश्न है। राजस्थान भर का टोटल लगवाने के लिए तो काफी टाइम चाहिए।

श्री नन्दलाल : राजस्थान में अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों का क्या परसेन्टेज है ?

(कोई उत्तर नहीं)

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय अध्यक्ष, मेरा प्रश्न सं० ८४४ बहुत महत्वपूर्ण रह गया है।

श्री अध्यक्ष : महत्वपूर्ण नहीं रहा है, पोस्टपोन हुआ है। स्थान ग्रहण करिए।

प्रश्न समाप्त हुए।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

अतिरिक्त डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन्स जज का कोर्ट-जिला सवाई माधोपुर

८१८. श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

१. क्या सवाईमाधोपुर जिले में एक अतिरिक्त डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन्स जज कोर्ट खोला जाना राज्य सरकार के विचाराधीन है ?

२. यदि हां, तो उक्त कोर्ट कब और किस स्थान पर खोले जाने का निर्णय राज्य सरकार ले रही है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) मामला अभी विचाराधीन है। अभी यह तय नहीं किया गया है कि कोर्ट कब और कहां खोला जावे।

जिला टोंक में कत्ल के मामले

८२५. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जिला टोंक में वर्ष १९६४–६५ व ६५–६६ में कुल कितने केसेज कत्ल (मरडर) के दर्ज हुवे ? और उनमें से कितनों का चालान अभी तक नहीं किया गया ?

(२) जिन मामलों में चालान किया है उनमें चालान कब पेश हुआ और केस कब रजिस्टर हुआ था ?

(३) उक्त केसेज में से कितने केसेज में कोर्ट द्वारा कन्विक्शन हो चुका है और कितने कोर्ट में चल रहे है ?

उत्तर

(१) १९६४ में ११, १९६५ में १४ १९६६ में ८ मुकदमात दर्ज हुये हैं। १९६४ के केसेज में से ९, १९६५ के केसेज में से १० व १९६६ के केसेज में से ७ केसेज के चालान किये जा चुके हैं।

(श्री गृह मन्त्री)

(२) इस सूचना की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) सन् १९६४ में ६२ सन्, १९६५ में २, सजा हुये हैं सन् १९६६ में कोई सजा नहीं हुआ व सन् १९६२ के २, सन् १९६५ के ३, सन् १९६६ के ७ मुकदमात पैन्डीग ट्रायल है।

(सूची विस्तृत होने से विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, भीम का भवन

८३०. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या भीम पंचायत समिति में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने के लिए जन सहयोग का दस हजार रुपया जमा हुए काफी समय हो गया है ?

(२) क्या यह भी सही है कि किराये के मकान में केन्द्र कार्य कर रहा है जिसका भारी वजन पंचायत पर पड़ रहा है ?

(३) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन बनाने के लिए विभागीय धनराशि जो कभी की प्राप्त हो जानी चाहिये थी, अभी तक क्यों नहीं प्रदान की गई तथा अब कब तक दी जायगी ?

उत्तर

(१) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरार के उप केन्द्रों के भवन निर्माण के लिये जन सहयोग की धनराशि ८९००) रु० दिनांक ६-१२-६५ एवं ११००) रु० दिनांक २०-१२-६५ को जमा कराई जा चुकी है।

(२) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र किराया के मकान में चलाया जा रहा है जिसका ५०) रु० प्रतिमाह किराया पंचायत बरार सहन कर रही है।

(३) धनराशि के अभाव के कारण अभी भवन निर्माण के पहले स्वीकृत नहीं हुई है ज्योंही धनराशि नवीन निर्माण कार्य के लिये उपलब्ध होगी कार्य शीघ्र आरम्भ हो सकेगा।

पंचायतों के चुनावों में भेजे गये ट्रकों का ट्रक मालिकों को किराये का भुगतान

८३१. श्री मूलचन्द कटेवा (पिलानी) : क्या निर्वाचन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि जिलाधीश झुंझुनू ने जिलाधीश चूरू को गत ग्राम पंचायत चुनावों में झुंझुनू जिले के कुछ ट्रक भेजे थे ?

(२) अगर हां, तो क्या इन ट्रकों के मालिकों को किराया दे दिया गया है ?

(३) अगर नहीं, तो अब तक क्यों नहीं दिया गया ?

(४) कितने ट्रकों का किराया देना बाकी है ?

(श्री मूलचन्द कटेवा)

(५) अब यह किराया कब तक दे दिया जावेगा ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) ट्रकों के मालिकों को किराया दिया जा चुका है। शेष ५ ट्रक मालिकों ने बिल प्रस्तुत नहीं किये।

(३) मालिकों से बिल प्राप्त न होने के कारण ५ ट्रक मालिकों को किराया नहीं दिया जा सका।

(४) ५ ट्रकों का।

(५) बिल प्रस्तुत होने पर।

सजाओं में छूट

८३६. श्रीमती कान्ता कथूरिया (कोलायत) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या इस वर्ष जेल भोगने वाले व्यक्तियों को पुन: जनता का राज स्थापित होने के उपलब्ध में सजायें भोगने में कोई छूट देने की सम्भावना है ? यदि हां, तो उनका विवरण क्या है ?

(२) कब तक इसे कार्यान्वित किया जायेगा ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्नोतर

रामसर-चौहटन सड़क का निर्माण

४६०. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) रामसर से चोहटन, जिला बाड़मेर में सड़क निर्माण पर कुल कितने रुपये खर्च हुए और कितने मील लम्बी सड़क का निर्माण हुआ ?

(२) क्या इस सड़क पर विभागीय एस्टीमेट से अधिक व्यय हुआ है ? यदि हां तो कितना प्रतिशत तथा अधिक व्यय का कारण क्या है ?

(३) इस सड़क पर कितने विभागीय कर्मचारियों ने कार्य किया तथा क्या उन कर्मचारियों ने अपनी रिपोर्ट में राज्य सरकार को यथा समय एस्टीमेट से ज्यादा या कम खर्च की सूचना दी थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(४) क्या इस सड़क पर कार्य करने वाले मजदूरों की मजदूरी का चुकारा सड़क बन्द करने की तारीख तक कर दिया गया था ? यदि नहीं, तो कितना बाकी रहा और कितने बाद तक चुकारा किया गया ?

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

ग्राम रामासिया के पास जवाई केनाल पर पुलिया का निर्माण

४६१. श्री मूलचन्द डागा (पाली) :

(श्री मूलचन्द डागा)

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या पाली तहसील में गांव रामासिया के पास जवाई केनाल बहती है ?

(२) क्या यह सही है कि गांव रामासिया के मवेशी जाने के लिए जवाई केनाल पर कोई पुलिया नहीं है ? यदि हां, तो सरकार गांव रामासिया की समस्या का निराकरण करने के लिए पुलिया का निर्माण करवाने का विचार रखती है ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(१) इस विभाग को जानकारी नहीं है ।

(२) इसका सम्बन्ध सिंचाई विभाग से है ।

सांडेराव–उदयपुर रोड पर मोड़

४९२ श्री पृथ्वीसिंह (बाली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि सांडेराव-उदयपुर रोड पर स्थित निम्बाका नाथ नदी (खारी नदी) पर बने पुल के पास जो घुमाई (मोड़) है, वह इतनी अधिक तीखी है कि अक्सर दुर्घटना का डर बना रहता है ?

(२) क्या सरकार का इरादा इस मोड़ को निकालने का है ? अगर नहीं, तो क्यों और हाँ तो कब तक ?

उत्तर

(१) जी हाँ ।

(२) धन राशि उपलब्ध हुई तो विचार किया जायेगा ।

दौसा सब–डिविजन में सड़क निर्माण कार्य

४९३. श्री शम्भूराम (लालसोट–सु०) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) दौसा सब-डिविजन में कौन कौन सी पुख्ता सड़क बनाया जाना राज्य सरकार के विचाराधीन है ?

(ख) इन मार्गों का अभी तक सर्वे कराया गया है अथवा नहीं ?

(ग) आवागमन की दृष्टि से इनमें कौन कौन सी सड़क प्राथमिकता की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है ?

(घ) इन सड़कों का काम कब आरम्भ करा दिया जावेगा ?

उत्तर

(क) (१) लालसोट से तूगां वाया रामगढ़ पचवार ।

(२) दौसा से तूंगा बाया लवाण ।

(३) सिकन्दरा वांदीकुई रोड पर क्रोस ड्रिमेज कार्य ।

(४) कोथून लालसोट सड़क पर मोरेल का पुल ।

(श्री सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(५) सी० डी० वर्क्स ।

सवाई माधोपुर रोड ।

(ख) सर्वे तकमीने आदि बना लिये गये है ।

(ग) सभी समान है ।

(घ) अर्थाभाव के कारण निश्चित नहीं कहा जा सकता ।

कोटखावदा-दौलतपुरा सड़क

४६४. श्री शम्भूराम (लालसोट सु.): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपाकरेंगे ।—

(१) क्या कोटखावदा (तहसील चाकसू) से ग्राम दौलतपुरा (तहसील लालसोट) तक कोई पक्की सड़क बनाने की योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है ?

(२) यदि हां, तो क्या इस सड़क का सर्वे कराया जा चुका है ?

(३) यदि हां, तो कब कराया गया ?

(४) इस सड़क का कार्य कब से चालू किया जावेगा ?

उत्तर

(१) जी नहीं ।

(२) जी नहीं ।

(३) प्रश्न नहीं उठता ।

(४) यह कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है ।

कस्बा सुलताना के लिए पक्की सड़क का निर्माण

४६५. श्री मूलचन्द कटेवा (पिलानी): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या सुलताना कस्बा (जिला झुंझुनु) के लिए कोई पक्की सड़क है ?

(२) अगर नहीं, तो इस कस्बे से पक्की सड़क कितनी दूरी पर और कहां है ?

(३) क्या अरडावता से सुलताना तक अकाल सहायता के अन्तर्गत कोई कच्ची सड़क बनाई गई थी ?

(४) अगर हां, तः क्या इस पर पत्थर भी डलाए गए थे ?

(५) क्या सुलताना से शार्दूलपुर, झुंझुनू और चिड़ावा बसें चलती हैं ?

(६) क्या इन बसों को कच्चा रास्ता होने से आवागमन में कठिनाई होती है ?

(७) क्या राज्य सरकार सुलताना के लिए पक्की सड़क का निर्माण कराने का विचार रखती है ?

(सरकार में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

टीबी से चाइया सड़क

४६६. श्री वीरबल (संगरिया सु.): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की

(श्री बीरबल)

कृपा करेंगे:—

(१) टीबी से चाइया सड़क का कार्य कब तक चालू किया जा सकेगा और कब तक सम्पूर्ण हो जावेगा ?

(२) क्या यह सही है कि टीबी से चाइया स्वीकृत शुदा सड़क क्षेत्र के गांवों के नजदीक ना तो कोई रेल्वे स्टेशन है और ना ही कोई पक्की सड़क है जिसके कारण इस क्षेत्र में यातायात की भारी असुविधा है और इसको दूर करना नितांत आवश्यक है ?

उत्तर

(१) अर्थाभाव के कारण निश्चित नहीं कहा जा सकता ?

(२) जी हां

सगरिया-टीबी सड़क निर्माण कार्य

४९७. श्रीवीरबल (संगरिया-सु.) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) संगरिया से टीबी सड़क किस वर्ष में स्वीकृत हुई और किस वर्ष में टेंडर हुए और किस वर्ष में निर्माण कार्य चालू हुआ ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त सड़क आज तक भी अधूरी पड़ी है ? यदि हां, तो इतना विलम्ब होने का कारण क्या है ?

(३) उक्त सड़क कब तक सम्पूर्ण होकर टीबी पहुंच जावेगी ?

उत्तर

(१) द्वितीय पंच वर्षीय योजना में स्वीकृत हुई है। प्रथम ९ मीलों के टेण्डर १९५७-५८ तथा मील ९ से १४.४ के टेण्डर १९६४-६५ में स्वीकृत किये गये हैं और तभी से कार्य चल रहे हैं।

(२) १४ मील सड़क बन चुकी है बाकी कार्य अर्थाभाव के कारण आरम्भ नहीं हुआ है।

(३) अर्थाभाव के कारण निश्चित नहीं कहा जा सकता।

राज्य की सड़कों की लंबाई

४९८. श्री हंसराज आर्य (भादरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) राजस्थान में कुल कितने माइल लम्बी डामर की सड़क हैं ?

(२) राजस्थान में कुल कितने माइल लम्बी कंकरीट की बिना डामर डाली हुई सड़कें हैं ?

(२) इन सड़कों की जिलेवार मीलों में लम्बाई क्या है ?

उत्तर

(१. २. ३) सूची प्रस्तुत है।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

श्री हनुमानगढ़-सूरतगढ़ सड़क की मरम्मत पर व्यय

४६६. रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या हनुमानगढ़ से सूरतगढ़ जाने वाली सड़क की मरम्मत हर साल की जाती है ?

(२) यदि हां, तो इस सड़क पर हर साल कितने रुपये मरम्मत के खर्च होते हैं ?

(३) क्या यह सही है कि यह सड़क मंडी पीलीबंगा से सूरतगढ़ तक नाली के पानी की बाढ़ से हर साल खराब हो जाती है ?

(४) यदि हां, तो इस सड़क का स्थायी हल क्यों नहीं निकाला जाता ?

(५) क्या यह सही है कि इस सड़क की समय पर मरम्मत नहीं होने से यातायात में भारी बाधा उत्पन्न होती है और नाली की बाढ़ समाप्त होने के ६ माह तक मरम्मत नहीं होती ?

(६) क्या यह सही है कि इस सड़क की मरम्मत में भारी घोटाला होता है क्योंकि जब नाली की बाढ़ आ जाती है तो पीछे की हुई मरम्मत का कार्य बाढ़ के पानी से व्यर्थ हो जाता है ?

(७) क्या सरकार इस व्यवस्था की ओर ध्यान देगी ?

(८) यदि नहीं तो क्यों नहीं ? यदि हां, तो कब तक ?

(९) इस सड़क पर मरम्मत करवाने की रकम के गत ५ साल से अब तक के आंकड़े बताने की कृपा करें।

उत्तर

(१) जी हां।

(२) उपलब्ध धनराशी अनुसार मरम्मत पर व्यय किया जाता है।

सन्	१९६२—६३ में	१५८२८) रु०
	६३—६४	१४२५४) रु०
	६४—६५	६९८३९) रु०
	६५—६६	२९५३४) रु०
	६६—६७	३०८८०) रु०

व्यय किये गये हैं।

(३) जी हां।

(४) घघर डाइवर समचैनल निर्माण का क्या असर होता है देखा जा रहा है।

(५) यह सही नहीं है।

(६) जी नहीं।

(७) सरकार का ध्यान है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(८) प्रश्न नहीं उठता ।

(९) आंकड़े पैरा २ में दर्ज कर दिये गये हैं ।

सूरतगढ़--रावतसर सड़क का निर्माण कार्य

५००. श्रीरामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या सूरतगढ़ से रावतसर तक सड़क पक्की बनाने की सरकार ने योजना बनाई है ?

(२) यदि हां, तो कब तक काम शुरू हो जायेगा और सड़क कौन कौन से ग्रामों मे से होकर रावतसर जायेगी ?

(३) क्या यह सही है कि गत वर्ष अकाल राहत कार्य से कुछ सड़क बड़ी पुल तक बनाई गई थी ?

(४) यदि हां तो इस अकाल राहत कार्यों के नाम से कुल कितने रूपये खर्च हुए ?

(५) क्या यह सही है कि रावतसर से सूरतगढ़ जाने की सड़क नहीं होने से रास्ता बिलकुल बन्द है ?

(६) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सड़क को बनाने की प्राथमिकता कब दी जावेगी ?

उत्तर

(१) जी नहीं ।

(२) प्रश्न नहीं उठता ।

(३) जी हां ।

(४) अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत २७६८६) रु० व्यय हुआ है ।

(५) जी नहीं सूरतगढ़ से पीलीबंगा, लजूवाली होते हुये पहुंचा जा सकता है ।

(६) अर्थाभाव के कारण निश्चित नहीं कहा जा सकता ।

नोहर-पल्लू सड़क

५०१. श्रीरामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या नोहर से पल्लू तक जाने वाली सड़क पक्की बनाने की योजना बनी है ?

(२) यदि हां, तो इसका काम कब तक शुरू हो जावेगा ?

(३) क्या यह सही है कि इस सड़क पर गत वर्षों में अकाल राहत कार्यों द्वारा काफी रकम खर्च हुई है ?

(श्री रामचन्द्र आर्य)

(४) यदि हां, तो कुल कितने रुपये इस सड़क पर खर्च हुए हैं ?

(५) क्या यह सही है कि नोहर से सोनडी तक ५ मील सड़क काफी सालों से पक्की बनी हुई है ?

(६) यदि हां, तो फिर उक्त सड़क को चालू करने में क्या रुकावट है ?

(७) क्या यह सही है कि ५ मील पक्की व करीब १० मील राहत कार्यों से कच्ची बनी हुई है ?

(८) यदि हां तो फिर यह कुल कितनी मील लम्बी सड़क है ?

(९) क्या यह सही है कि ५ मील पक्की बनी हुई सड़क बेकार में टूट फूट रही है और राहत कार्यों पर जो रुपया खर्च हुआ उसका भी कोई लाभ नहीं हुआ है ?

(१०) यदि हां, तो फिर इस सड़क को प्राथमिकता क्यों नहीं दी जाती ?

(११) नोहर से सोनड़ी तक सड़क बनाने पर कितने रुपये खर्च हुए व राहत कार्यों में इस सड़क पर कितने रुपये सन् १९५५ से १९६६ तक व्यय हुए हैं ? अलग अलग आंकड़ों की सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

उत्तर

(१) यह सड़क तृतीय पंच वर्षीय योजना में स्वीकृत नहीं है।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) धन राशि खर्च हुई है।

(४) १५९७२८-०० रु. व्यय हुए हैं।

(५) जी हां।

(६) यह कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है।

(७) जी हां।

(८) इस सड़क की लम्बाई ३३ मील है।

(९) ५ मील का टुकड़ा यातायात के काम में लिया जा रहा है तथा मिट्टी का काम जो अकाल राहत के तहत हुआ है निर्माण का एक भाग है।

(१०) अर्थाभाव के कारण।

(११) नोहर सोनाडी रोड पर २६१८६०-० रु०० व्यय हुआ है और नोहर पल्लू सड़क पर अकाल राहत कार्य पर १५९७२८-०० रु० व्यय हुआ है।

लखूवाली से मण्डी पीलीबंगा की पक्की सड़क

५०२. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने

Page No. 48

(श्री रामचन्द्र आर्य)

की कृपा करेंगे—

(१) तहसील सूरतगढ़, जिला श्री गंगानगर में लखूवाली में मन्डी पीलीबंगा तक सडक कौन से सन् में पक्की बनाई गई थी ?

(२) क्या यह सही है इस कि सड़क की कभी भी मरम्मत नहीं की जाती है ?

(३) यदि हां, तो क्यों और यदि नहीं तो कौन २ से सन् में कितने रुपये इस पर खर्च किये गये ?

(४) क्या यह सही है कि वर्षा के मौसम में घग्घर (नाली) की बाढ़ से जो पानी आता है उसकी निकासी के लिये इस सड़क पर कहीं भी पुल नहीं बनाया गया है ?

(५) यदि हां तो पुल के अभाव में इस सड़क को बनाने से जनता को क्या फायदा है ?

उत्तर

(१) सन् १९६४-६५ में सड़क का निर्माण हुआ है ।

(२) यह सही नहीं है ।

(३) सन् १९६४-६५ में २४२३-०० रु.

„ ६५-६६ में ११९४७-०० रु.

„ ६६-६७ में ७०५४-०० रु.

व्यय किया गया है ।

(४) जी हां ।

(५) पुल का तखमीना व टैण्डर स्वीकृत हो चुके हैं ?

नोहर-साहबा लिंक रोड़

५०३. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) नोहर तारानगर रोड लिंक साहबा तक पक्की बनाने के लिये क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रावधान हैं ?

(२) यदि हां तो यह रोड कब तक बनकर तैयार हो सकेगी ?

(३) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(४) क्या यह सही है कि गत वर्ष इस रोड पर अकाल राहत कार्यों में काफी रुपया खर्च किया गया था ?

(५) यदि हां, तो इस रोड के कार्य में देरी होने से क्या लाभ है ?

(६) क्या यह सही है कि नोहर साहबा लिंक रोड तैयार होने से श्री गंगानगर से जयपुर जाने का रास्ता ३० मील कम हो जायगा ?

(७) यदि हां, तो फिर इस प्रकार के पाक बार्डर (सीमा) के जिलों में जाने वाली रोड को उपेक्षा की दृष्टि से क्यों देखा

(श्री रामचन्द्र आर्य)

जा रहा है ?

(८) क्या यह सही है कि इस रोड की स्कीम काफी सालों से चल रही है ?

उत्तर

(१) चतुर्थ योजना में भी स्वीकृत नहीं हुई है।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

(४) जी हां।

(५) प्रशासनिक एवम् विधि स्वीकृत प्राप्त नहीं हुई है।

(६) जी हां।

(७) गंगानगर से जयपुर वाया सरदार शहर रोड़ उपलब्ध है।

(८) जी नहीं।

तफिया किशनपुरा-मघाणा सड़क निर्माण कार्य

५०४. श्री बृजवल्लभ बोहरा (दीगोद) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सही है कि कोटा जिले की तहसील लाडपुरा में तफिया किशनपुरा ग्राम से मघाणा ग्राम तक सड़क का निर्माण कार्य हो रहा है ?

(२) क्या यह भी सही है कि तफिया किशनपुरा के लोगों ने कुछ धन राशि पंचायत द्वारा सरकार को दी थी ?

(३) क्या यह भी सही है कि अब उस सड़क का कार्य बन्द पड़ा है ?

(४) यदि हां तो क्यों ?

(५) सड़क के निर्माण कार्य हेतु सरकार द्वारा कितनी धनराशि मंजूर की गई थी व कितनी खर्च हुई ?

(६) और कितनी धनराशि अब सड़क के निर्माण हेतु शेष है ?

(७) क्या सरकार यह भी आश्वासन देगी कि यह बन्द काम कब तक पूरा हो जायगा ?

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

केकडी-खादेड़ा सड़क पर डामर

५०५. श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी–सु०) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

केकडी से खादेडा जाने वाली रोड कितने मील तक डामर की बनी हुई है और राज्य सरकार बाकी सड़क को कब तक डामर की बनाने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(१) केकड़ी से शाहपुरा वाया खादेड़ा जाने वाली सड़क चार मील तक डामर की बनी हुई हैं और बाकी सड़क पर कार्य पुन: कब आरम्भ होगा अर्थाभाव के कारण निश्चित नहीं कहा जा सकता।

केकड़ी-बघेरा सड़क

५०६. श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी-सु०) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

केकड़ी से बघेरा जाने वाली रोड का सर्वे कब हुआ और उसकी बनने की मंजूरी हुई या नहीं ? अगर हुई तो इसके कब तक बन जाने की आशा है ?

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

नागौर जिले की सड़कों पर व्यय

५०७. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा सड़कों की देख रेख व मरम्मत पर कुछ राशि प्रति वर्ष खर्च की जाती है ? यदि हां, तो नागौर जिले की कौन कौन सी सड़कों पर पिछले तीन वर्षों में कितने रुपये खर्च किये और इस वर्ष कौन कौन सी सड़कों पर कितना कितना रुपया खर्च किया जायेगा ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या सरकार यह महसूस करती है कि जितने रुपये इस कार्य के लिये खर्च किये जाते है वे इस कार्य के लिये पर्याप्त हैं ? और सड़कों की हालत अच्छी रह सकती है ?

(३) उपरोक्त कार्य में लगाये गये रुपयों के सदुपयोग होने के बारे में सरकार क्या प्रक्रिया अपनाती है ?

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

जैसलमेर-म्याजतार सड़क निर्माण कार्य

५०८. श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जैसलमेर-म्याजतार सड़क जो बनाई जा रही है वह कितने मील लम्बी बनाई जावेगी और कितने मील बनाने के लिये ठेके हो चुके हैं और कब तक पूर्ण करने का प्रावधान है ?

(२) क्या यह सही है कि यह सड़क डामर की बनाने की योजना थी ? अगर हां, तो अब तक इस पर कितना कार्य हो गया है, कितना बाकी है और कब तक पूर्ण किया जावेगा ?

(३) क्या यह सही है कि उपरोक्त

Page No. 51

(श्री बालसिंह सोढ़ा)

सड़क पर रक्षा की दृष्टि से कुछ पेय जल के लिये ट्यूबवेल खोदने की योजना थी जिससे सड़क निर्माण में भी पानी की व्यवस्था करनी थी ? अगर हां, तो आज तक यह कार्य क्यों नहीं आरम्भ किया गया ?

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

रामगढ़-पचवारा सड़क

५०९. श्री शम्भूराम (लालसोट–सु०) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) दौसा से लालसोट सड़क जाती है और उसमें से जो कच्ची सड़क रामगढ़ पचवारा जाती है उसको राज्य सरकार का पक्की बनाने का विचार कब तक का है ?

(२) क्या इस रोड को रामगढ़ से सलेमपुर होती हुई शोसींगपुरा कोथन रोड में मिलाने की योजना है ?

(३) अगर हां, तो कब तक ?

(४) अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(१) सड़क तृतीय योजना में स्वीकृत है। कार्य कब तक आरम्भ हो सकेगा अर्थाभाव के कारण निश्चित नहीं कहा जा सकता।

(२) जी नहीं।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

(४) योजना नहीं है।

राजगढ़-मण्डावर सड़क पर डामर

५१०. श्री गंगा सहाय (कठूमर–सु०) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि राजगढ़ से मण्डावर जाने वाली सड़क की बुरी दुर्दशा हो रही है ?

(२) क्या सरकार इस सड़क पर डामर बिछाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों नहीं ?

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

जहाजपुर-शाहपुरा सड़क पर बनास नदी पर पुल

५११. श्री कल्याण मल मीणा (जहाजपुर–सु०) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जहाजपुर-शाहपुरा रोड पर बनास नदी पर पुल निर्माण की योजना सरकार द्वारा स्वीकृत कर गत वर्ष कुछ कार्य शुरू किया गया था ?

(२) यदि हां, तो यह कार्य बन्द क्यों किया गया और अब वापस कब आरम्भ किया जायेगा ?

Page No. 52

(श्री कल्याणमल मीणा)

(३) बनास के इस पुल पर कितना रुपया व्यय होगा और कितने समय में यह कार्य पूर्ण होगा ?

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

जहाजपुर-बूंदी सड़क

५१२. श्री कल्याणमल मीणा (जहाजपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि जहाजपुर, मनवा, सरलिया, मेड़ीया होती हुई बून्दी तक पक्की सड़क के लिये १५,७०,००० रु० की स्वीकृति हुई थी ? यदि हां, तो सन् १९६६-६७ में कितने रुपये खर्च करने का प्रावधान था और कार्य अब तक चालू क्यों नहीं हुआ ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त रोड़ पर सन् १९६५-६६ में मिट्टी डलाई गई थी ? यदि हां, तो क्या उस पर पत्थर का खुर्रा बनवाया जायेगा ? अगर नहीं, तो मिट्टी बारिस से बह न जाय इसके लिए क्या व्यवस्था की गई है ?

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

लक्ष्मणगढ़-हरसाणा सड़क

५१३. श्री गंगासहाय (कठूमर-सु.) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि लक्ष्मणगढ़ (अलवर) से हरसाणा, गढ़ी सवाईराम होकर जाने वाली पक्की सड़क की रोड़ियां उखड़ उखड़ कर इधर उधर बिखरी पड़ी हैं ?

(२) क्या सरकार इस सड़क पर भविष्य में डामर करने का विचार रखती है ?

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

नरोली से लालपुर भीण्ड तक गई बस

५१४. श्री रिद्धिचंद पल्लीवाल (गंगापुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि वर्ष १९६६ में वैसाख सुदी ३ के सावे पर बस नं० आर. जे. यू. ४३१ झूंठे हल्फनामे पर नरोली (चौरी की) से लालपुर भीण्ड (मध्य प्रदेश) बरात लेकर गई थी और टूरिस्ट बताई गई थी ?

(२) टूरिस्ट और साधारण बरात को ले जाने में टैक्स का क्या अन्तर है ?

(३) टूरिस्टों में किन किन व्यक्तियों के नाम दिये गये हैं और हल्फनामे किसने दिये हैं ?

(४) सरकार ने इस टैक्स की चोरी के मामले में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

(५) क्या यह सही है कि उपरोक्त बस

(श्री रिद्धिचन्द पल्लीवाल)

गंगापुर-हिन्डोन रूट पर अब भी चल रही है और भारी मेकेनिकल डिफेक्ट्स होने पर भी पास कर दी गई है ?

(६) क्या सरकार इस सम्बन्ध में जांच करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) यह सही नहीं है । इस बस के लिए टैम्परेरी परमिट नम्बर ५२८ दिनांक २२–४–६६ से २५–४–६६ तक एक रिटर्न ट्रीप करने के लिए सपोटरा से करौली तक का २०–४–६६ को दिया गया था इसके लिए टूरिस्ट परमिट नहीं दिया गया ।

(२) कुछ नहीं ।

(३) प्रश्न नहीं उठता ।

(४) प्रश्न नहीं उठता ।

(५) इस गाडी का परमिट २६–९–६९ तक वैध है । इस गाड़ी का फिटनैस सर्टिफिकेट ९–४–६७ को ६ माह की अवधि के लिए बोर्ड द्वारा दिया गया है ।

(६) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अलवर जिले के बस मालिकों व ट्रक मालिकों पर टैक्स बकाया

५१५. श्री गंगासहाय (कठूमर सु.) : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार बतलावेगी कि अलवर जिले में बस मालिकों व ट्रक मालिकों की तरफ रोड टैक्स व पैसेंजर टैक्स अथवा अन्य टैक्सों का पिछले पांच साल से कितना रुपया बकाया है ?

(२) किन किन मालिकों की तरफ कितना कितना टैक्स का रुपया बकाया है ? वर्ष वार बतलावें ।

(३) अब तक सरकार ने इस बकाया राशि की वसूली के संबंध में कोई कार्यवाही की है अथवा नहीं ? यदि की गई तो क्या की गई और नहीं की गई तो क्यों नहीं की गई ? विस्तृत जानकारी दें ।

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

किशनगढ़-परबतसर, परबतसर-डीडवाना डीडवाना से नागौर-जोधपुर मार्ग का राष्ट्रीयकरण

५१६. श्री परसराम गंगाराम (परबतसर सु०) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या किशनगढ़ से परबसर, परबतसर से डीडवाना व डीडवाना से नागौर-जोधपुर बसों का राष्ट्रीयकरण करने की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

(२) यदि हां, तो कब तक व किन किन सड़कों पर चलने वाली बसों का राष्ट्रीयकरण पहले होगा ?

(श्री परसराम गंगाराम)

(३) किशनगढ़ से परबतसर व किशनगढ़ से डेगाणा चलने वाली बसों का मॉडल किस साल का है और उनकी बॉडीज कब कौन से वर्षों में बनी है ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) किशनगढ़ से परबतसर चलने वाली बसों का मॉडल निम्नलिखित है:—

१. बस संख्या आर. जे. एल. ७५०२। मॉडल १६५३।

(२) बस संख्या आर० जे० एल० ४३०७। मॉडल १६५३। किशनगढ़ से डेगाणा चलने वाली बसों की मॉडल निम्नलिखित है :—

(१) बस संख्या आर० जे० क्यू० २७११। मॉडल १६४७।

(२) बस संख्या आर. जे. एक्स ६६। मॉडल १६५२। उपरोक्त बसों को परमिट जोधपुर आर० टी० ए० द्वारा मन्जूर हुए हुए हैं। बसों की बॉडीज बनने की सूचना प्रादेशिक परिवहन अधिकारी को देने का नियमों में प्रावधान नहीं है। बसों के रजिस्ट्रेशन की तारीख ही बस बॉडी बनने की तारीख व साल माना जाता है।

जयपुर व अजमेर डिपो में खराब व बेकार टायर तथा ट्यूब

५१७. श्री परसराम गंगाराम (परबतसर सु.) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) कितने टायर और ट्यूब जयपुर, अजमेर डिपो में बेकार खराब पड़े हुए हैं और कितने कितने और कितने वर्षों से ?

(२) क्या इन रद्दी टायर और ट्यूबों को नीलाम करने का सरकार का विचार है ?

उत्तर

१- जयपुर व अन्य आगारों में कुल पुराने ६ हजार टायर व १४०० ट्यूब हैं। यह कहना मुमकिन नहीं है कि प्रत्येक टायर कब से पड़ा है, क्योंकि इन टायरों के घिस चुकने की अलग अलग तारीखें हैं। इनमें १००० टायर वे भी सम्मिलित हैं जिनको फिर से (retread) किया जा सकता है। और पुनः काम में लिया जा सकता है।

२-जी हां, निगम इनको नीलाम करने के लिए शीघ्र कार्यवाही कर रहा है।

भादरा से सिरसा तक पक्की सड़क

५१८. श्री रामकिशन (वैर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि भादरा जिला

(श्री रामकिशन)

गंगानगर को सिरसा (हरियाणा) से मिलाने वाली सड़क पर इस वर्ष अकाल सहायता विभाग की तरफ से मिट्टी डलवाई जा चुकी है ?

(२) मादरा से सिरसा सड़क की कुल कितनी लम्बाई है ?

(३) जब मिट्टी का काम पूरा हो चुका है तो सरकार इस सड़क को पक्का बनवाने का इरादा रखती है ? अगर हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जावेगा ?

(४) क्या यह भी सही है कि इस सड़क को पूरा करने का लक्ष्य प्रथम पंचवर्षीय योजना में रखा गया था ?

(५) क्या यह भी सही है कि हरियाना सरकार ने अपनी सीमा में ग्राम नाथूसरी तक पक्की सड़क बनाली है ?

उत्तर

(१) वर्ष १६६६-६७ में कुछ मीलों में मिट्टी का काम कराया गया है।

(२) ३२ मील लम्बी सड़क है जिसमें १२ मील राजस्थान सीमा में है।

(३) केवल ७ मील में मिट्टी का काम कराया है। जी नहीं।

(४) जी नहीं।

(५) जी हां।

सरवाड़-शाहपुरा मार्ग पर चलने वाली बस के सांपला ग्राम तक न जाने से परेशानी

५१६. श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी-सु.) क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि सरवाड़ से शाहपुरा जाने वाली मोटर कभी जाती है और कभी नहीं और इससे सांपला ग्राम की जनता अति परेशान है ?

(२) क्या राज्य सरकार केकड़ी से ब्यावर जाने वाली प्राइवेट बस को सुबह शाम सांपला जाने की अनुमति देने का विचार रखती है जिससे सांपला वासियों को आराम मिल सके ?

उत्तर

(१) यह सही नहीं है। सरवाड़ शाहपुरा रूट पर चलने वाली बसें जो सांपला ग्राम होकर जाती हैं बरसात में बन्द हो जाती हैं क्योंकि यह कच्चा रूट है।

(२) ऐसी प्रार्थना आने पर आर० टी० ए० उस पर नियमानुसार विचार करेगी।

मेड़ता से पुष्कर डामर की सड़क

५२०. श्री गोरधन सोनी (मेड़ता): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने

(श्री गोरधन सोनी)

की कृपा करेंगे:—

(१) मेड़ता से पुष्कर को डामर सड़क से मिलाने लिए सरकार कब से कार्य शुरू कर रही हैं ?

(२) क्या यह सही हैं कि पादू से डोडीयाना तक डामर सड़क बनने के लिए टेन्डर हो चुके हैं ? यदि हाँ तो अब तक काम क्यों नहीं शुरू किया गया ?

(३) क्या यह सही हैं कि मेड़ता से पीपाड़ जाने वाली रोड पर ६ मील डामर हो चुकी है व इसके आगे इन्दावड वीटन तक टेन्डर हो चुके हैं ? यदि हां, तो यह कार्य अब तक क्यों नहीं शुरू किया गया ?

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

अजमेर सिटी बस को माखूपुरे तक चलाने की मांग

५२१. श्री विजय सिंह रावत (नसीराबाद) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत माखूपुरा ने व प्रिन्सिपल, अजमेर पोलीटैक्निक कालेज, माखूपुरा ने अजमेर जिलाधीश एवं ट्रांसपोर्ट अधिकारी को सिटी बस को माखूपुरा तक चलाने का अनुरोध किया था ? अगर हां तो कब और उस पर क्या निर्णय लिया गया ?

(२) क्या यह सही है कि सिटी बस का अन्तिम स्टॉप आदर्शनगर होने से विद्यार्थियों, ग्राम पंचायत माखूपुरा और लघु उद्योग एस्टेट, माखूपुरा के कर्मचारियों को काफी कठिनाई रहती है ? यदि हाँ तो क्या सरकार सिटी बस को माखूपुरा तक चलाने के प्रश्न पर विचार करेगी ? यदि हां तो यह व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी ?

उत्तर

१—जी, यह सही है। जून सन् १९६२ में सिटी बस को माखूपुरा तक चलाने का अनुरोध किया गया था। यह नगर अजमेर-नगर की म्युनिसिपल सीमा से बाहर स्थित है और साथ में यह नगर राष्ट्रीयकृत मार्ग अजमेर-नसीराबाद पर स्थित है। सिटी बस को वहाँ तक चलाया जाना इसलिये मुनासिब नहीं समझा गया कि यह अजमेर नगरपालिका की सीमा के बाहर स्थित है।

(२) जी, यह सही है कि सीटी बस का अन्तिम स्टाप आदर्शनगर तक है जो कि माखूपुरा से १॥ मील की दूरी पर है। विद्यार्थियों के आराम के लिये राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने अपने आदेश नम्बर आर० एस० आर०। आर० एम० ६२।५९३, दिनांक २४-९-६२ द्वारा माखूपुरा को राष्ट्रीय कृत मार्ग पर बस स्टॉप घोषित किया जा चुका है और बसें वहां पर आती जाती ठहरती हैं : अतः विद्यार्थियों को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों से माखूपुरा तक पहुंचने की सुविधा

(श्री विजयसिंह रावत)

है ।

वीर जाने के लिये बस

५२२. श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी सु.): क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि वीर जाने के लिये कभी अजमेर से देवली, कभी अजमेर से केकड़ी और कभी अजमेर से नसीराबाद गाड़ी लगाई जाती है ?

(२) क्या सरकार अन्य गाड़ियों को बन्द करके सिर्फ लोकल गाड़ी अजमेर से नसीराबाद वाली को अलाऊ करने का विचार रखती है जिससे यात्रियों को परेशानी न उठानी पड़े ?

उत्तर

(१) जी नहीं। सायंकाल जो बस केकड़ी के लिए जाती है वह वीर ग्राम होकर जाती है क्योंकि वीर के यात्रियों के लिए यह ही उपयुक्त रहती है ।

(२) सुबह वीर ग्राम से अजमेर जाने के लिये तो नसीराबाद से अजमेर जाने वाली बस ही वीर ग्राम में होकर जाती है। सायंकाल अजमेर से वीर जाने के लिये नसीराबाद वाली बसें उपयुक्त नहीं हैं क्योंकि वे देर से जाती हैं। इसलिए सायं छः बजे केकड़ी जाने वाली बस को वीर होकर जाने की व्यवस्था की हुई है। यह व्यवस्था वीर ग्राम निवासियों की सलाह पर ही की गई है।

गोनेर से दांतली लूनियावास सड़क निर्माण पर व्यय

५२३. श्री कन्हैयालाल (बस्सी-सु०) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या गोनेर से दांतली लूनियावास होती हुई ३।। मील रोड गत साल आगरा रोड से मिलाई गई थी ? यदि हां तो इस पर कितना खर्चा हुआ ?

(२) क्या यह सही है कि अब वह रोड बेकार होती जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसको ठीक करवाने की स्वीकृति दे रही है ? अगर हां, तो कब तक ?

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

जयपुर-लोहारू बस मार्ग का राष्ट्रीयकरण

५२४. श्री सांवरमल बासोतिया (नवलगढ़) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सरकार जयपुर से लोहारू बस मार्ग का राष्ट्रीयकरण करने का विचार कर रही है ?

(२) यदि हां, तो इस बस मार्ग पर

(श्री सांवरमल)

कब तक रोडवेज की बसें चलने का अनुमान है ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) निगम ने तय किया है कि जिन मार्गों का राष्ट्रीयकरण हो चुका है उनके ओवरलेपिंग (overlapping) मार्गों का राष्ट्रीयकरण सबसे पहले किया जाय। इसके अलावा निम्न मार्गों की राष्ट्रीयकरण योजनाओं पर ज्वाइंट लीगल रिमेम्बेंसर द्वारा एतराज सुने जा रहे हैं। ज्वाइन्ट लीगल रिमेम्ब्रेंसर द्वारा फैसला दिये जाने पर इन मार्गों का पहले राष्ट्रीयकरण किया जाना है:—

१—अजमेर-भीलवाड़ा।

२—भीलवाड़ा-उदयपुर।

३—रावतसर-गंगानगर-रायसिंहनगर।

४—जयपुर--भरतपुर (मोडीफाईड स्कीम)

५—जयपुर-अलवर (मोडीफाईड स्कीम)

कोटा रीजन के बस व ट्रकों के मालिकों से इकट्ठी की गई धनराशि

५२५. श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (अकलेरा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) कोटा रीजन में कुल ट्रकें व बसेज की संख्या क्या है ?

(२) क्या पिछले आम चुनावों से पूर्व कोटा के ए. आर. टी. ओ. ने बस एवं ट्रक मालिकान से पार्टी के नाम से कोई धनराशि इकट्ठी की थी ?

(३) क्या उक्त इकट्ठी राशि किसी विभाग या संस्था में जमा की गई है ?

उत्तर

(१) कुल ट्रक—२६८५

कुल बसेज—५९१

(२) जी नहीं।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

विभिन्न डिपोज पर पड़े पुराने सामान की नीलामी

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) इस समय रोडवेज के कौन-कौन से डिपो कार्यालयों पर कितने-कितने पुराने टायर पड़े हैं और कब से ?

(२) क्या कभी टायर नीलाम किये गये हैं ? यदि हां, तो कब-कब और कैसे ?

(श्री जयनारायण सालोदिया)

(३) इस समय कहां-कहां और कितने-कितने ऑयल के खाली ढोल पड़े हैं और कब से ?

(४) क्या ढोल भी कभी नीलाम किये गये हैं ? यदि हां, तो कब व कैसे ?

(५) कहां–कहां पुराने पार्ट्स व पुर्जे कब से पड़े हैं ?

(६) क्या पार्ट्स व पुर्जे कभी नीलाम किये गये हैं ? यदि हां तो कब व कैसे ?

उत्तर

(१) निगम के डिपो कार्यालयों पर पड़े हुए पुराने टायरों की सूची सदन की मेज पर रखदी गई है ।

(२) अभी तक पुराने टायरों की नीलामी नहीं की गई है ।

(३) ऑयल के खाली ढोलों की डिपोवार सूची सदन की मेज पर रखदी गई है । जब से वह ड्रम खाली हुए हैं तभी से पड़े हुए हैं क्योंकि अभी निलामी नहीं हुई है ।

(४) अभी तक पुराने ढोलों की नीलामी नहीं की गई है ।

(५) पुराने पार्ट्स व पुर्जों की सूची सदन की मेज पर रखदी गई है ये पुर्जे व पार्ट्स जब से खराब हुए हैं, पड़े हुऐ हैं ।

(६) पुराने पार्ट्स व पुर्जों की अभी तक नीलामी नहीं की गई है ।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

मोटर ड्राइवरों तथा कन्डक्टरों को साप्ताहिक अवकाश

५२७. श्री रामानंद अग्रवाल (अलवर) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे.—

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ-परिवहन निगम के जोधपुर रीजन में काम करने वाले ड्राइवरों तथा कण्डक्टरों को मोटर ट्रान्सपोर्ट वर्क्स एक्ट, न्यूनतम वेतन एक्ट आदि के अनुसार, नियमित रूप से साप्ताहिक छुट्टियां नहीं दी जाकर २–२, ३–३ माह तक भी साप्ताहिक छुट्टियें नहीं दी जाती हैं ? यदि नहीं, तो जनवरी, ६७ से मार्च, ६७ तक साप्ताहिक छुट्टियें मनाने की इजाजत किस-किस को दी गई ?

२) क्या यह सही है कि कर्मचारियों को साप्ताहिक छुट्टी मनाने का कोई लिखित आदेश देने की प्रथा नहीं है ? अगर नहीं, तो जनवरी, ६७ से मार्च, ६७ तक कितने ड्राइवरों व कण्डक्टरों को साप्ताहिक छुट्टी के एवज में कब छुट्टी दी गई ?

उत्तर

(१) जी नहीं । पर कभी कभी कर्मचारियों की कमी या अन्य खास कारणों के

(श्री यातायात मन्त्री)

कारण समय पर साप्ताहिक अवकाश देना सम्भव नहीं होता है। जिन चालकों व परिचालकों को जनवरी, फरवरी व मार्च सन् ६७ में साप्ताहिक अवकाश दिये गये उनकी सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(२) जी हां, साप्ताहिक छुट्टी के एवज में छुट्टी मनाने के लिए कोई लिखित आदेश देने की प्रथा नहीं है। इसकी सूचना नोटिस बोर्ड के जरिये कर्मचारी को दे दी जाती है। समय पर साप्ताहिक अवकाश नहीं दिये जाने पर उन्हें ओवर टाइम दिया जाता है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सचिवालय में खस की टट्टियों पर व्यय

५२८. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): क्या नियुक्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) राजकीय सचिवालय में प्रतिवर्ष खस की टट्टियों पर कितना खर्च सरकार का होता है?

(२) उन पर पानी डालने के लिये पाइप लाइन का कितना व्यय हुआ था?

(३) सचिवालय की बिल्डिंग में किस-किस कमरे में कूलर लगे हुये हैं और कितने पखे हैं?

उत्तर

(१) सचिवालय में प्रति वर्ष ९५८३.०० रुपये औसतन खस की टट्टियों पर खर्च होता है।

(२) पाइप लाइन पर २८२२७.०४ पैसे खर्च हुए।

(३) केवल निम्नलिखित ६ कमरों में कूलर लगे हुए हैं और उनमें कुल १२ पंखे हैं:—

(१) केबिनेट रूम

(२) मुख्य मन्त्री महोदय

(३) गृह मन्त्री महोदय

(४) वित्त मन्त्री महोदय

(५) भूतपूर्व राजस्व मन्त्री

(६) कमेटी रूम

भूतपूर्व, जिलाधीश, झुंझुनूं के विरुद्ध सतर्कता आयोग द्वारा की गई जांच

५२९. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): क्या मुख्यमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि अलाउद्दीन खिलजी, आई० ए०एस०, भूतपूर्व जिलाधीश झुंझुनूं के विरुद्ध राजस्थान सतर्कता आयोग ने जांच करके अपना प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिया है?

(श्री भैरोंसिंह)

(२) क्या यह सही है कि इस जांच के अनुसार श्री खिलजी पर गम्भीर आरोप हैं ? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) प्रारम्भिक जांच में जो अनियमिततायें पाई गई उनके लिये श्री खिलजी के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गयी है।

अधिकारियों का मुख्यालय

५३०. श्री परसराम गंगाराम (परबतसर-सु०) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सरकार का ऐसा नियम है कि गजेटेड अधिकारी जिस जिले का रहने वाला हो उसका हैड क्वार्टर अपने जिले में नहीं हो ?

(२) अगर हां, तो नागौर जिले में कितने ऐसे अधिकारी हैं जिनका हैडक्वार्टर नागौर जिले में हैं ? क्या उनको हटाने की कोई योजना है ?

(३) परबतसर सब-डिवीजन में ऐसे कितने अधिकारी हैं और उन्हें नियमों के विरुद्ध क्यों रखा जा रहा है ?

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

पुष्कर में यात्रियों के साथ ज्यादती

५३१. श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर प०) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि पुष्कर शहर में जो नये संवत्सर की एकम से तीन तक जो सिंधियों का मेला भरा था उसमें बाहर अजमेर, ब्यावर, अहमदाबाद से आये यात्रियों को बसों के ड्राइवर और पुलिस वालों ने मारा था तथा उन पर गलत आरोप लगवा कर बन्द किया था ?

(२) सरकार इस प्रकार की कार्यवाही की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये क्या कार्यवाही करना चाहती है ताकि बाहर से आये यात्रियों को इस तरह की स्थिति से बचाया जा सके ?

उत्तर

(१) यह सही है कि नये संवत्सर के अवसर पर पुष्कर में मेला लगा था किन्तु बाहर से आये हुए यात्रियों को गलत आरोप लगाकर पुलिस द्वारा बन्द करने के आरोप सही नहीं पाये गये।

(२) पुनरावृत्ति का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। वैसे मेले में यात्रियों को नियन्त्रित रखने के लिए व शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पर्याप्त पुलिस का प्रबन्ध रखा जाता है।

पुलिस उड़न दस्ते पर व्यय

५३२. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) पुलिस विभाग राजस्थान में पुलिस उड़न दस्ता सेक्शन पर राजस्थान भर में कितना वार्षिक खर्चा किया जाता है?

(२) उक्त सेक्शन के जिम्मे क्या कार्य हैं ?

(३) इस सेक्शन में कितने कर्मचारी किस-किस श्रेणी के कार्य करते हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(४) उक्त सेक्शन ने सन् १९६१ व व १९६२ में कितने केस पकड़े थे जिनमें से अदालतों में कितने केस कामयाब हुए ?

उत्तर

(१ व २) राजस्थान पुलिस उड़न दस्ते जयपुर का वार्षिक व्यय ९२०००) रुपया है। इस दस्ते के जिम्मे निम्न लिखित कार्य हैं –

१. नगर में किसी प्रकार अशान्ति, झगड़े आदि की सूचना मिलते ही तुरन्त मौके पर पहुँच कर स्थिति को काबू में करना। २. जनता को शीघ्र ही समय पर पुलिस की सहायता देना। ३. अपराधियों को अपराध करने के बाद भागने का मौका न देना। ४. किसी भी प्रकार के झगड़े, इत्यादि के मौके पर तुरन्त पहुंच कर आइन्दा कानूनी कार्यवाही के लिए सम्बन्धित आरक्षी केन्द्र को मामला सुपुर्द करना। ५. आवश्यकता पड़ने पर अपराधों की रोक थाम व फ्तारसी का काम करना। ६. अपराधियों पर नियन्त्रण रखने के लिये नगर में गश्त करना।

(३) उक्त दस्ते में निम्नलिखित श्रेणी के कर्मचारी कार्य कर रहे हैं :—

१. उप निरीक्षक आरक्षी	३	तीन
२. मुख्य आरक्षी	९	(नौ)
३. आरक्षी	२१	(इक्कीस)
४. ड्राईवर	६	(छः)

(४) जयपुर में यह पुलिस उड़न दस्ता दिनांक १०-१०-६२ को स्थापित हुआ था। अतः चाही गई सूचना शून्य है।

अजमेर जिले के कांस्टेबलों की बकाया का भुगतान

५३३. श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर प०) व श्री अम्बालाल (अजमेर पू०) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि अजमेर जिले के पुलिस कांस्टेबलों के टी० ए० और डी० ए० का भुगतान रुका हुआ है ? यदि हाँ, तो क्यों, कितना और कितने व्यक्तियों का ?

(२) कब तक उन्हें पेमेन्ट हो जाएगा ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

Page No. 63

(श्री गृह मंत्री)

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

युद्धविराम के पश्चात् सीमा उल्लंघन की वारदातें

५३४. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सितम्बर १९६५ में युद्धविराम होने के बाद पाकिस्तान ने राजस्थानी सीमा पर कितने बार उल्लंघन की वारदातें कीं तथा इससे क्या-क्या नुकसान हुआ?

(२) युद्ध विराम होने तक कितनी वर्गमील भूमि पर और किन-किन स्थानों पर पाकिस्तान ने कब्जा किया था? क्या यह सब क्षेत्र अब हमारे अधिकार में आ गया है और राजस्थान का कोई भी भाग पाकिस्तान के कब्जे में नहीं है?

(३) युद्ध विराम होने के बाद हमारी सीमा पर पाकिस्तान ने किन–किन स्थानों पर कब्जा किया था?

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

अलवर जिले में हुई चोरियां

५३५. श्री गंगासहाय (कठूमर सु.): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) अलवर जिले में गत दो वर्षों में कुल कितनी चोरियां हुईं व कितनी रकम की हुईं? उनमें से कितनी चोरियों का माल बरामद किया गया? तहसीलवार सूची सदन की पर मेज रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सही है कि अलवर की लक्ष्मणगढ़ तहसील में दिनों दिन चोरियों की सख्या में वृद्धि हो रही है?

(३) यदि हां, तो उसका क्या कारण है?

(४) सरकार उक्त जिले में बढ़ती हुई चोरियों की संख्या को कम करने के क्या कदम उठा रही है और क्या-क्या कदम अब तक उठाये गये हैं?

(५) इन चोरियों में कितने दोषी पाये गये व्यक्तियों को सजायें दी गई हैं?

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

मलेरिया विभाग में मेडिकल विभाग के डॉक्टर

५३६. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सत्य है कि मलेरिया विभाग में मेडिकल विभाग के कुछ डॉक्टर काम कर रहे हैं? अगर हां तो वे कितने हैं व कब से काम कर रहे है?

(२) क्या यह सत्य है कि मेडिकल विभाग के मलेरिया विभाग में काम करने वाले डॉक्टरों को सरकार वापिस अपने विभाग में लगाना चाहती है? अगर हां, तो वे वापिस विभाग में कब तक बुला लिए

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

जावेंगे ?

(२) क्या यह भी सत्य है कि मलेरिया विभाग में डॉक्टरों की कमी अपने ही विभाग के निरीक्षकों को तरक्की देकर सरकार पूरा करना चाहती है और क्या यह भी सत्य है कि मलेरिया यूनिट ऑफिसर्स का सलेक्शन एक बोर्ड द्वारा कर लिया गया है ? अगर हां, तो कब व किस-किस को सिलेक्ट किया गया ? अब सिलेक्ट किए गए ऑफिसर्स को यूनिट ऑफिसर्स कब तक नियुक्त कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(१) जी हां। मलेरिया विभाग में मेडिकल विभाग के ही कार्य कर रहे हैं। जिनकी एक सूची जिस तारीख से कार्य कर रहे हैं, संलग्न है।

(२) मलेरिया विभाग, मेडिकल विभाग की ही एक शाखा है, अतः इसका प्रश्न नहीं उठता है।

(३) मलेरिया विभाग में डॉक्टरों की कमी की पूर्ति के लिये नॉन-टेक्निकल हैन्ड्स को यूनिट अफसर मलेरिया के पद पर नियुक्त करने के लिए सरकार ने एक सिलेक्शन कमेटि नियुक्त की थी। उस कमेटी द्वारा कुछ इन्टरव्यू भी किये गये थे, परन्तु सरकार ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मलेरिया इरेडीकेशन प्रोग्राम करीब करीब लास्ट स्टेज पर पहुंच गया है, नॉनटेक्निकल हैन्ड्स को मलेरिया के पद पर नियुक्त करने के प्रस्ताव को उपयुक्त न मान कर प्रस्ताव रद्द कर दिया है।

(कृपया परिशिष्ट ७ देखिये)

ग्राम चेचट में पब्लिक हैल्थ सैन्टर

५३७. श्री जुझारसिंह (रामगंज-मंडी) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम चेचट में पब्लिक हैल्थ सेन्टर खुलवाने हेतु जनता द्वारा १०,००० रु० की धनराशि जमा की गई थी, परन्तु वहां सेन्टर नहीं खोला गया ?

(२) चेचट की आबादी, लोकेशन व आवश्यकता को देखते हुए सरकार वहां प्रसूति गृह खोलने का प्रबन्ध करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(१) जी हां, विकास अधिकारी, पंचायत समिति चेचट ने अपने पत्र सं० १०७६५ दिनांक ६-११-६५ से सूचित किया है कि १०,०००) रु० की धनराशि ग्राम चेचट एवं मोड़क स्टेशन (उदयपुर) प्रत्येक की पंचायत समिति में जमा हुई है। पंचायत समिति ने अपनी सामान्य बैठक दिनांक २२-१०-६५ को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ग्राम मोड़क में रखने का निर्णय मतदान द्वारा लिया है इसलिये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ग्राम मोड़क में खोला गया है।

(२) चेचट की जन-संख्या ३९४२ है और वहां पर एक राजकीय चिकित्सालय

(श्री चिकित्सा मन्त्री)

चल रहा है इसमें ४ रोगी शैयाओं का प्रावधान है। इस विभाग के पास वहां पर एक प्रसूति गृह खोलने का कोई प्रस्त विचाराधीन नहीं है।

अस्पतालों में आपरेशन के लिये आये रोगियों से सरजन्स द्वारा फीस की वसूली

५३८. श्री गंगासहाय (कठूमर सु०) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या सरकार ने सिविल हॉस्पीटलों में आपरेशन के लिये आने वाले प्रत्येक रोगी से १६) रु० फीस लेने की छूट (अधिकार) सरजन्स को दे रक्खी है ?

(२) यदि हां, तो किस आदेश व नियम के द्वारा अधिकार दिया गया है ? और कब से दिया गया है, और क्यों ?

(३) क्या सरकार इस व्यवस्था को रोकने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) जी नहीं। सरकारी अस्पतालों में सरजन्स भरती किये गये रोगियों का निःशुल्क आपरेशन करते है।

(२) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(३) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

तहसील सिवाना में चोरियां

५३९. श्री कालूराम (सिवाना सु०) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

बाड़मेर जिले की तहसील सिवाना में वर्ष १९६४–६५ से १९६६-६७ तक प्रत्येक वर्ष में कितनी-कितनी चोरियां कितने-कितने रुपये की हुई और उनमें कितनी चोरियों का माल मय चोरों के बरामद हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

तहसील सिवाना की चोरी के मुकद्दमात का उल्लेख मानचित्र में किया गया है।

सन्	चोरी के मुकदमे दर्ज हुए	माल चोरी गया	माल बरामद हुआ
१९६४	३०	२००६१/६७	५३११/००
१९६५	३४	२०६८५/००	६४१७/००
१९६६	१७	५५३९/००	१७५२/५०
१९६७	८	२६०७/५०	१५८७/५०

ग्राम बछेना, तहसील बयाना में चोरियां

५४०. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन सु.): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम बछेना, तहसील बयाना में आए दिन चोरियां होती रहती हैं ? गत एक वर्ष में कितनी चोरियां हुई हैं ?

(२) क्या यह सही है कि पुलिस चोरों से मिली हुई है और चोरी के मामलों को रोकने के लिये कोई कार्यवाही नहीं करती है ?

(३) क्या यह सही है कि इस संबंध में उच्च अधिकारियों के लिखित में सूचना देने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है ? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) जी नहीं, सन् १९६६ में केवल एक नकबजनी का मुकदमा बछेना, थाना बयाना में कायम हुआ था और तफतीश से माल मुलजिमान का पता नहीं चलने से मु० न० ११५ दिनांक १०-९-६६ धारा ४५७/३८० ता० हि० थाना बयाना में दिनांक २३-१२-६६ को अदम पते में फाईनल रिपोर्ट दी गई ।

(२) जी नहीं, पुलिस मुकद्दमात का पता लगाने के लिये पूर्ण कोशिश करती है ।

(३) मु० न० ११५/६७ धारा ४५७/३८० ता० हि० थाना बयाना में बादी ने दिनांक १२-१०-६६ को अधीक्षक आरक्षी को शिकायत की थी । जिसकी जांच के लिए सर्कल अफसर बयाना को भेजी गई है । जिसकी जांच अभी जारी है ।

ग्राम खातोली के कुछ व्यक्तियों के मकानों में पत्थर फेंके जाने की रिपोर्ट

५४१. श्री महेन्द्रसिंह (पीपल्दा) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि पुलिस स्टेशन खातोली में यह सूचना लिखित में दी गई कि चन्द व्यक्तियों द्वारा ग्राम खातोली के कुछ व्यक्तियों के मकानों में पत्थर फेंके जाते हैं और उन्हें खुले ग्राम पीटने की धमकी दी जाती है ?

(२) क्या यह सही है कि पुलिस द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

पोलीटेकनिक कालेजों में होस्टल की व्यवस्था

५४२. श्री गंगासहाय (कठूमर सु०) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या राजस्थान में जहां जहां

(श्री गंगासहाय)

पोलीटेकनिक कालेज हैं वहां पर छात्रों के लिए होस्टलों की व्यवस्था है ।

(२) क्या सरकार प्रत्येक कालेज के साथ होस्टल की आवश्यकता की अनिवार्यता को अनुभव करती है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार इन स्थानों पर जल्द से जल्द होस्टल चालू कराने की व्यवस्था करेगी ?

(३) प्रत्येक पोलीटेकनिक संस्था में परिगणित जाति के कितने छात्रों को प्रवेश की व्यवस्था है ?

(४) क्या प्रत्येक पोलीटेकनिक संस्था में परिगणित जाति के छात्रों का निश्चित कोटा पूरा हो जाता है ?

उत्तर

(१) भरतपुर और जयपुर पोलीटेकनिक को छोड़ बाकी सब जगह है ।

(२) जीहां ? होस्टल बनाने में देरी लगेगी तब तक किराये के भवन में छात्रावास स्थापित करने की कोशिश की जा रही है ।

(३) पोलीटेकनिक में किसी भी जाति के स्थान सुरक्षित नहीं हैं ?

(४) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

माध्यमिक शालाओं का उच्च माध्यमिक शालाओं में परिवर्तन

५४३. श्री सहदेव शर्मा (आमेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) १९६६-६७ में राजस्थान में कितनी माध्यमिक शालाओं का परिवर्तन उच्च माध्यमिक शालाओं में किया गया है और कितनी प्राथमिक शालाओं का परिवर्तन माध्यमिक शालाओं में किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(२) अपग्रेड करने के लिए किस किस शाला में कितनी २ अग्रिम राशि एक एक साल के खर्चे के रूप में ली गई है और किस किस शाला को बिना किसी प्रकार की अग्रिम राशि के लिये अपग्रेड किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(३) किसी शाला को अपग्रेड करने के नियम क्या हैं ?

उत्तर

(१) १९६६-६७ में राजस्थान में प्राथमिक शालाओं से माध्यमिक में तथा माध्यमिक शालाओं से उच्च माध्यमिक शालाओं में क्रमोन्नत की गई शालाओं की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(३) नियमों की प्रति संलग्न है ।

(सूची विस्तृत होने से विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

Page No. 68

ग्रान्ट इन एड से चल रहे स्कूल एवं कालेज

५४४. श्री श्रवणलाल (हिन्डोन सु०) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राज्य में कितने कालेज और स्कूल किस-किस जिले में ग्रान्ट इन एड से चल रहे हैं ?

(२) इन कालेजों व स्कूलों को कितनी २ ग्रान्ट इन एड दी जाती है ?

(३) ग्रान्ट इन एड दिये जाने संबंधी क्या नियम हैं ?

(४) वर्तमान योजनाकाल में किस-किस जिले में कहां-कहां के कालेजों व स्कूलो को ग्रान्ट इन एड दिए जाने की योजना है ? और कब-कब ?

उत्तर

(१) राज्य में जो कालेज और स्कूल जिस-जिस जिले में ग्रान्ट इन-एड से चल रहे हैं उनकी सूची संलग्न है।

(२) इन कालेजों व स्कूलों को जो ग्रान्ट इन एड मिलती है वह सूची में अंकित हैं।

(३) ग्रान्ट इन एड देने के नियम सरकार के आदेश संस्था एफ २ (२४) शि। प्रकोष्ठ—६।६२ दिनांक १९-१-६३ के अनुसार जारी हुए जो राजस्थान राज-पत्र भाग ४ दिनांक २४-१-६३ में प्रकाशित हो चुके हैं।

(४) इस समय धनाभाव के कारण नए कालेजों व स्कूलों को ग्रान्ट इन एड देने की योजना नहीं है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जिला परिषद, अलवर द्वारा एस. टी. सी. ट्रेनिंग के लिए भेजे गए व्यक्तियों की नियुक्तियां

५४५. श्री गंगासहाय (कठूमर सु.) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) १९६४ से १९६६ तक जिला परिषद, अलवर के कितने व्यक्तियों को एस. टी. सी. की ट्रेनिंग को भेजा ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) उक्त ट्रेनिंग में परिगणित जाति व परिगणित जन जाति के लोगों की संख्या क्या है ?

(३) क्या इन तीन वर्षों में प्रशिक्षित किये गए सभी अध्यापकों को जिला परिषद, अलवर द्वारा नियुक्तियां दी जा चुकी है ? यदि नहीं दी गई, तो क्यों नहीं दी गई ?

(४) क्या भविष्य में जिला परिषद् द्वारा उक्त तीन वर्षों में प्रशिक्षित अध्यापकों को ही सर्वप्रथम नियुक्तियां दी जावेगी ?

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

निरीक्षक शिक्षा विभाग अलवर द्वारा एस. टी. सी. की ट्रेनिंग के लिए भेजे गये व्यक्तियों की नियुक्तियां

५४६. श्री गंगासहाय (कठूमर सु.) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) निरीक्षक शिक्षा विभाग अलवर के द्वारा गत पांच वर्षों में कितने लोगों को एस. टी. सी. की ट्रेनिंग को भेजा गया ?

(२) उक्त ट्रेनिंग में परिगणित जाति व परिगणित जन जाति के लोगों की संख्या कितनी है ?

(३) क्या कुल पांच वर्षों में प्रशिक्षित सभी अध्यापकों को नियुक्तियां दी जा चुकी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं दी गई ?

(४) क्या सरकार जब तक इन प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्तियां नहीं दे तब तक लोगों को उक्त प्रशिक्षण में नहीं भेजा जायेगा ?

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

हायर सकेन्डरी स्कूल कालन्द्री में विज्ञान के विषय की कमी

५४७. श्री मोतीलाल (रेवदर सु.) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या कालन्द्री (जिला सिरोही) हायर सैकन्डरी स्कूल में विज्ञान विषय व वाणिज्य विषय की कमी है ?

(२) यदि हां, तो क्या इसकी पूर्ति सरकार सन् ६७–६८ में करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी नहीं, धनाभाव के कारण सम्भव नहीं है ?

रतनगढ़ नगर में हायर सेकेन्ड्री स्कूल

५४८. श्री लाभचन्द वैद (सुजानगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) इस वर्ष रतनगढ़ नगर स्थित शिक्षण संस्थाओं में आठवीं कक्षा में कितने लड़के उत्तीर्ण हुए ? और नौवीं कक्षा में कितने लड़के फेल हुए और नौवीं कक्षा में कितने स्थान वहां की शिक्षण संस्थाओं में उपलब्ध हैं ?

(२) क्या यह सही है कि रतनगढ़ नगर में सरकार की तरफ से कोई भी हायर सेकन्डरी स्कूल नहीं है। अगर हां, तो क्यों ?

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

झालरापाटन कन्या माध्यामिक शाला तथा असनावर ग्राम की माध्यमिक शाला का हाईस्कूल में परिवर्तन

५४९ श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि झालरापाटन की कन्या माध्यमिक शाला को इसी साल हाई स्कूल बनाया जा रहा है ?

(२) क्या यह सही है कि यहां कन्या माध्यमिक शाला सन् ३२ से इसी तरह चली आ रही है ? परन्तु छात्राओं की अधिक तादाद होते हुए भी अभी तक हाई स्कूल नहीं बनाया गया ? यदि हां, तो क्या कारण है ?

(३) क्या यह भी सही है कि असनावर ग्राम की माध्यमिक शाला को इसी जुलाई से हाई स्कूल में परिवर्तित किया जा रहा है ?

(४) क्या यह सही है कि गत वर्ष में असंनावर के लिये हाई स्कूल शुरू किये जाने का माननीय शिक्षा मन्त्री जी ने वक्त दौरा आश्वासन दिया था ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) धनाभाव के कारण सम्भव नहीं है।

(३) जी नहीं।

(४) इस विभाग को इस सम्बन्ध में जानकारी नहीं है।

कला व वाणिज्य के अध्यापकों को अग्रिम वेतन वृद्धियां

५५०. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग के अपर निर्देशक प्राथमिक एवं माध्यमिक विभाग ने आदेश संख्या १९६७ द्वारा वेतन शृंखला १३ से दो अग्रिम वेतन वृद्धियां देने का स्पष्टीकरण किया था ?

(२) क्या उक्त स्पष्टीकरण से कला व वाणिज्य अध्यापकों को भी दो अग्रिम वेतन वृद्धियां दी जावेंगी ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त सम्बन्ध में भिन्न भिन्न निरीक्षक क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से व्यवहार किया जा रहा है ? अगर हां, तो क्यों ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी नहीं।

(३) जी नहीं।

ग्राम जाखोड़ा में मिडिल स्कूल

५५१. श्री मूलचन्द कटेवा (पिलानी) क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा

(श्री मूलचन्द कटेदा)

करेंगे :-

(१) क्या मन्ड्रेला और बख्तावरपुरा (जिला झुंझुनू) के बीच में कोई मिडिल स्कूल है ?

(२) मन्ड्रेला का बख्तावरपुरा से कितना फासला है ?

(३) क्या यह सच है कि मंड्रेला और बख्तावर पुरा के बीच जाखोड़ा, गोविन्दपुरा, बजावा, मगफरा, घूमसर (खुर्द) घत्तर वाला, दुडानियां आदि प्राथमिक शालाएं पड़ती हैं ?

(४) क्या यह सही है कि जाखोड़ा ग्राम वासियों ने चन्दा इकट्ठा करके मिडिल स्कूल के लिए अभी अभी भवन तैयार किया है ?

(५) क्या राज्य सरकार यह महसूस करती है कि जाखोड़ा ग्राम में मिडिल स्कूल खोले जाने की आवश्यकता है ?

(६) क्या राज्य सरकार इस वर्ष जाखोड़ा ग्राम में मिडिल स्कूल खोलने के आदेश जारी करने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) १२ मील।

(३) जी हां।

(४) इसकी जानकारी इस विभाग को नहीं है।

(५) जी हां।

(६) जी नहीं चालू वित्तीय वर्ष के आय व्ययक में प्रावधान न होने के कारण सम्भव नहीं है।

पंचायत समिति दूदू में बी. ए. व बी. एड़. योग्यता के अध्यापकों की पदोन्नति

५५२. श्री सूवालाल चौधरी (दूदू): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) पंचायत समिति दूदू से सन् ६२ से ६६ तक कितने बी. ए. व बी. एड़. अध्यापकों को शिक्षा विभाग में पदोन्नत किया गया है ?

(२) इस समय इस समिति में कितने अध्यापक उक्त योग्यता के हैं और इनकी पदोन्नति कब तक की जा सकेगी ?

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

बून्दी डिग्री कालेज का भवन

५५३. श्री केसरीसिंह (हिण्डोली): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जिला बून्दी में डिग्री कालेज का

(श्री केसरीसिंह)

उद्घाटन कब और किस के द्वारा किया गया था ?

(२) इस इमारत का काम किस साल से प्रारम्भ हुआ, और सालाना कितनी धन-राशि लगी ?

(३) क्या इस वक्त यह नक्शों के मुताबिक पूर्ण हो चुका है ?

(४) जिस वर्ष जिला बून्दी के कालेज का उद्घाटन हुआ था उस वर्ष और किस २ जगह डिग्री कालेजों के उद्घाटन हुए थे और इनमें से किस किस की क्या स्थिति है ?

(५) सरकार उसको कब तक पूर्ण कर सकेगी ?

उत्तर

(क) डिग्री कालेज बून्दी का उद्घाटन नहीं हुआ है बल्कि शिलान्यास हुआ था ।

(ख) १९६० से आरम्भ हुआ । सालाना खर्चा निम्नप्रकार से हुआ :-

साल	खर्चा
१९६०-६१	३०,०००
१९६१-६२	१,००,०००
१९६२-६३	१,६०,०००
१९६३-६४	७०,०००
१९६४-६५	४,०००
१९६५-६६	१०,०००
१९६६-६७	५,०००
कुल योग	३,७९,०००

(ग) छोटे मोटे कार्य के अलावा सब कार्य पूर्ण हो चुका है ।

(घ) यह सूचना अभी उपलब्ध नहीं हो सकी है । प्राप्त होने पर सदन की मेज पर रखदी जायेगी ।

(ङ.) कुछ अन्य कार्य हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को लिखा गया है वहां से स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्य पूर्ण कराया जा सकेगा ।

ग्राम भन्दर में माध्यमिक पाठशाला

५५४. श्री पृथ्वीसिंह (बाली) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) गांव मंदर, तहसील बाली से माध्यमिक पाठशाला नजदीक से नजदीक कितनी दूरी पर स्थित है ?

(२) गांव मंदर में स्कूल भवन उपलब्ध होते हुए भी माध्यमिक पाठशाला क्यों नहीं खोली जाती जबकि इतनी ही आबादी वाले एवं इसी प्रकार के भवन में दूसरे गांवों में स्कूल चल रहे हैं ।

(श्री पृथ्वीसिंह)

(३) अगर सरकार का विचार जल्द स्कूल खोलने का है तो स्कूल कब तक खुल जावेगी ?

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

गंगापुर में बालिकाओं के लिये नवीं क्लास

५५५. श्री रिद्धिचन्द पल्लीवाल (गंगापुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) जिला सवाई माधोपुर में बालिकाओं के उच्च माध्यमिक शाला कहां कहां पर १९६६–६७ में खोली गई ?

(२) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर, हिण्डौन और गंगापुर में बालिकाओं की संख्या में काफी अन्तर था तथा विद्यालय भवन भी गंगापुर में ज्यादा अच्छा है, लेकिन गंगापुर में बालिकाओं की नवीं कक्षा नहीं खोली गई ?

(३) क्या राज्य सरकार इस सत्र में गंगापुर में बालिकाओं की नवीं कक्षा खोलने का इरादा रखती है ? अगर हां, तो इस सम्बन्ध में क्या व्यवस्था की जा रही है ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(१) हिन्डौन व सवाई माधोपुर ।

(२) जी हां ।

(३) जी हां, राज्य सरकार ने गंगापुर में बालिकाओं की नवीं कक्षा खोलने का निर्णय ले लिया है, चालू सत्र से कार्य प्रारम्भ होने की सम्भावना है ।

बांगड़ कालेज पाली में आशुलिपिक कक्षाएं

५५६. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) बांगड़ कालेज, पाली में मार्च १९६३ में आशुलिपिक कक्षायें चालू करने के लिए कितनी टाइप मशीनें खरीदी गईं और उन पर कितना व्यय हुआ ?

(२) उपरोक्त टाइप मशीनें खरीदने के बाद आशुलिपिक कक्षायें कब आरम्भ की गईं ?

(३) क्या यह सही है कि उपरोक्त टाइप मशीनें काफी समय के लिए अनुपयोगी रहीं ? यदि हां, तो कितने समय तक ?

(४) राज्य सरकार ने इस प्रकार अनावश्यक रूप से व्यय करने वाले अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(१) टाइप की मशीनें खरीदी गईं । इन मशीनों को खरीदने में ४२४२) रुपये का व्यय हुआ ।

Page No. 74

(श्री शिक्षा मन्त्री)

(२) बांगड़ महाविद्यालय पाली में आशुलिपिक कक्षायें खोलना सम्भव नहीं हुआ।

(३) जी हां, एक मशीन राजकीय महाविद्यालय जालौर को सन् १९६६ में दी गई, एक और मशीन राजकीय महाविद्यालय भीनमाल को सन् १९६६ में दी गई। शेष चार मशीनें शिक्षा निदेशक के कार्यालय में मौजूद हैं और अब अन्य महाविद्यालयों में इनका वितरण किया जायेगा।

(४) सम्बन्धित अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

डग निर्वाचन क्षेत्र में स्कूलों की संख्या व छात्रावास

५५७. श्री लक्ष्मन पालीवाल (डग सु.): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(१) क्या यह सही है कि डग निर्वाचन क्षेत्र की जन संख्या के अनुपात में इस क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिये स्कूलों की संख्या पर्याप्त नहीं है? यदि हां, तो क्यों? यदि नहीं, तो कितनी स्कूलें हैं?

(२) क्या यह सही है कि इस क्षेत्र को अनुसूचित जाति क्षेत्र घोषित किये जाने के उपरान्त भी यहां कोई छात्रावास नहीं है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(१) जी नहीं, प्राथमिक शालायें पंचायत समिति के प्रस्तावों अनुसार ही सर्वेक्षण गांवों में खोली जाती हैं, इस पचायत समिति क्षेत्र में अभी ९२ प्राथमिक शालायें, ३ माध्यमिक शालायें तथा २ उच्चतर माध्यमिक शालायें हैं।

(२) यह समाज कल्याण विभाग से सम्बन्धित है।

जटवाड़ा माध्यमिक शाला का हाई स्कूल में परिवर्तन

५५८. श्री कन्हैयालाल (बस्सी सु): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) जटवाड़ा माध्यमिक शाला (बस्सी) को हाई स्कूल में परिवर्तित किए जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार क्या विचार रखती है?

(२) क्या सरकार हाई स्कूल में परिवर्तित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं।

(३) इस माध्यमिक शाला की छात्र संख्या क्या है? तथा इसके चारों तरफ के क्षेत्र में कितनी माध्यमिक शालाए चल रही हैं?

(४) माध्यमिक शाला को हाई स्कूल

(श्री कन्हैयालाल)

में परिवर्तित करने के लिए कितनी छात्र संख्या वहां प्राप्त है ?

उत्तर

१ व २ का उत्तर:—

चालू वित्तीय वर्ष में धनाभाव के कारण सम्भव नहीं है।

(३) इस माध्यमिक शाला की छात्र संख्या ३७५ है, इसके चारों तरफ के क्षेत्र में ७ माध्यमिक शालाएं हैं।

(४) माध्यमिक शाला को हाईस्कूल में क्रमोन्नत करने के लिए कुल छात्र संख्या २०० तथा कक्षा ९ में प्रवेशार्थियों की कम से कम संख्या २५ होनी चाहिये तथा फीडिंग की परिस्थितियां ऐसी होनी चाहिये कि भविष्य में यह संख्या कम न हो, यह संख्या यहां प्राप्त है।

टीकड, गाडोली व जमोली ग्रामों में प्राथमिक माध्यमिक स्कूल

५५९. श्री कल्याणमल मीणा (जहाजपुर सु.) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि सरकार जहाजपुर क्षेत्र के ग्राम टीकड़, गाटोली, जामोली ग्रामों में प्राथमिक स्कूल खोलने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब ? अगर नहीं तो क्यों ?

(२) क्या यह सही है कि तहसील कोटड़ी के ग्राम पंचायत छाबड़ेल में मिडिल स्कूल खोलने का इरादा है ? अगर नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(१) जी नहीं। चालू वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक में नई शालायें खोलने का प्रावधान नहीं है।

(२) जी नहीं। धनाभाव के कारण सम्भव नहीं है।

ग्रामदानी ग्राम के प्रतिनिधि का चुनाव

५६०. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) - क्या चुनाव मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) पंचायत समिति लाडनूं में जो ग्रामदानी गांव हैं और जिनका प्रतिनिधि नियमानुसार पंचायत समिति का सदस्य होता है उसकी नियुक्ति या चुनाव आज तक क्यों नहीं हुआ है ? इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? क्या यह सही है कि उपरोक्त कारण से यह क्षेत्र अपने प्रतिनिधित्व से वंचित रह गया ?

(२) क्या यह सही है कि इसके लिए जिलाधीश नागौर को ग्राम वासियों ने कई बार प्रार्थना-पत्र दिये हैं लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई ? यदि हां, तो क्या सरकार सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) पचायत समिति लाडनूं के दोनों ग्रामदानी ग्रामों के अध्यक्षों द्वारा किसी को भी पचायत समिति की सदस्यता के लिए मनोनीत न करने के कारण चुनाव नहीं हो पाये। दोनों ग्रामदानी ग्रामों की सभाओं के अध्यक्ष इसके जिम्मेदार हैं।

(२) जी नहीं। चूंकि जिलाधीश नागौर के कार्यालय में इस प्रकार का कोई प्रार्थना पत्र नहीं पेश हुआ इसलिये किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

अतारांकित प्रश्न

स्थगित प्रश्न

(१९-६-६७) और (७-७-६७)

डी. आई. आर. के तहत केसेज

५५७. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) राजस्थान में डी. आई. आर. के तहत अब तक कितने केस दर्ज किये गये हैं और किन किन के विरुद्ध ? कृपया जिले वा. सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

२) क्या यह सत्य है कि उक्त डी. आई. आर. के केसेज में से कुछ कोर्ट आफ ला में भी चेलेंज किए गए हैं ? यदि हां, तो कितने और मुख्यतया किन आधारों पर ?

(३) अब इस समय डी. आई. आर. के तहत कितने केसेज चल रहे हैं।

उत्तर

(१) डी. आई. आर. के तहत उपलब्ध सूचना के अनुसार राजस्थान में कुल ७९९ मुकदमें दर्ज किये गये। जिलेवार सूची संलग्न है।

(२) यह सही है। प्राप्त सूचना के अनुसार १० मामलों में भारत सुरक्षा नियम के तहत जारी की गई आज्ञा के विरुद्ध आपत्ति उठाई गई। मुख्य रूप में आपत्ति के आधार ये थे:—

१—नजरबन्दी की आज्ञा में नजरबन्दी के कारण दर्ज नहीं।

२—नजरबन्दी सविधान की धारा १९ के विरुद्ध है और इससे नागरिकों की स्वतन्त्रता का हनन होता है।

३—नजरबन्दी को जेल में प्रथम श्रेणी नहीं दी गई।

४—डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की आज्ञा कानूनन अधिकृत नहीं।

५—नजरबन्दी के कुटुम्बियों को भत्ता न देने की बिना पर।

६—नजरबन्दियों को जेल की अलग वारिकों में रखने के विरुद्ध।

७—लेवी ओनर के प्रावधानों को चेलेंज किया गया।

(श्री गृह मन्त्री)

८–नियमों के अन्तर्गत निकाली आज्ञा को चेलेंज किया गया।

९–राजस्थान चने व जौ (निर्यात निषेध) आज्ञा, १९६५ के प्रावधानों को चेलेंज किया गया।

(३) इस समय भारत सुरक्षा नियम के तहत १७० मामले चल रहे हैं।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

वित्तीय समितियों से नाम वापिस लेना

श्री अध्यक्ष : वित्तीय समितियों से जो माननीय सदस्य नाम वापिस लेना चाहें वे ऐसा कर सकते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कब तक कर सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष : मनफूलराम आज ही करना चाहते हैं।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, १७ की शाम तक कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : मनफूलराम का नाम है, वे आज ही वापिस लेना चाहते हैं। खैर, १७ तक कर सकते हैं।

माननीय मंत्रियों के वक्तव्य

। उदयपुर रीजन के आर. टी. ओ. द्वारा मोटर गाड़ियों में रजिस्ट्रेशन सरेंडर से इन्कार करने पर यातायात मंत्री का वक्तव्य।

विद्युत मण्डल के वार्षिक लेखों पर टिप्पणियों का उपस्थापन

इससे पूर्व, राजस्थान राज्य के विद्युत मण्डल के १९६४–६५ के समाप्त होने वाले वार्षिक लेखों पर टिप्पणियां।

विद्युत मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य विद्युत मण्डल के १९६४–६५ के समाप्त होने वाले वार्षिक लेखों पर टिप्पणियों की एक प्रति सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आडिट रिपोर्ट रख रहे हैं।

श्री हरिदेव जोशी : आडिट रिपोर्ट की टिप्पणियां हैं ?

मन्त्रियों के वक्तव्य

श्री अध्यक्ष : उदयपुर रीजन के आर टी ओ द्वारा मोटर गाड़ियों में रजिस्ट्रेशन सरेंडर से इन्कार करने पर यातायात मंत्री का वक्तव्य।

यातायात मंत्री (श्री अमीनुद्दीन) : अध्यक्ष महोदय, मोटर वेहिकल अधिनियम १९५१ और उसके नीचे बने नियमों के अनुसार वाहन का टैक्स उन्हें अगाऊ देना पड़ता है और उसके अनुसार ही वसूल किया जाता है। जिस दर्मियान वाहन सरेंडर रहती है उसका भी कानून के अनुसार टैक्स देना

(श्री अमीनुद्दीन अहमद)

पड़ता है। यदि टैक्सेशन अधिकारी को यह इत्मीनान हो जाय कि यह वेहिकल जिसका टैक्स दिया जा चुका है, तीन महीने या उससे अधिक के समय में काम में नहीं ली गई है, तो ऐसे समय का टैक्स वापिस कर दिया जाता है वरना ऐसे समय का टैक्स न लेने या माफ करने का कानून में कोई प्रावधान नहीं है।

हालां कि कानून और नियमों की शक्ल वही चली आती है तो भी पहले उस समय का कर नहीं मांगा जाता था जिसमें गाड़ी के कागजात सरेण्डर रहे हों। लेकिन जब यह मामला अदालतों में गया तो यह फैसला दिया गया कि ऐसे समय का कर न लेने का कानून में कोई प्रावधान नहीं है तब कानून की मंशा से सभी कर अधिकारियों को आगाह करा दिया गया और उन्हें उसके मुताबिक वसूल करने को हिदायत कर दी गई।

सरकार ने कानून की विधि विभाग के मशवरे से दुबारा जांच की और उसके बाद भी कानून की ऊपर बतायी गई मंशा को सही पाया है। ऐसी हालत में पुराने अमल पर वापिस आना न तो सार्वजनिक हित में है और न जरूरी ही।

यह मुद्दा भी उठाया गया कि ३०-६-६७ को गाड़ियों को सरेन्डर कर अधिकारी ने इसलिए मंजूर नहीं किया कि इन वाहनों का अगली तिमाही का कर जमा नहीं किया गया। जैसा ऊपर जिक्र किया जा चुका है, कानून के अनुसार कर अगाऊ जमा कराना होता है तो भी चूंकि ३०-६-६७ तक अगली तिमाही का कर काबिल अदायगी नहीं होता है, इसलिए यह हिदायत की जा रही है कि जब तक कर का बिल अदायगी नहीं हो जाय वाहनों का सरेन्डर अगली तिमाही के कर को अदायगी के बिना ही स्वीकार कर लिया जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : लास्ट में क्या कहा है ?

श्री अमीनुद्दीन : मैंने लास्ट में यह कहा कि कानून के अनुसार कर अगाऊ जमा कराना होता है तो भी चूंकि ३०-६-६७ तक अगली तिमाही का कर काबिल अदायगी नहीं होता है, इसलिए यह हिदायत की जा रही है कि जब तक कर काबिल अदायगी नहीं हो जाय वाहनों का सरेन्डर अगली तिमाही के कर की अदायगी के बिना ही स्वीकार कर लिया जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, आम तौर पर जब बरसात का मौसम होता है तो ट्रक आपरेटर्स अपने ट्रकों के लाइसेंसों को और रजिस्ट्रेशन को सरेण्डर कर देते हैं और अभी तक यह प्रेक्टिस रही है कि सरेंडर करा देने के बाद जितने अर्से तक वह सरेंडर रहता है उसका टैक्स नहीं जमा कराया जाता...... ।

अभी पिछली एक मार्च १९६७ को यहां के ट्रान्सपोर्ट डायरेक्टर ने नयी हिदायतें जारी की जिसके अनुसार राजस्थान ट्रान्सपोर्ट

(श्री रामान्द अग्रवाल)

टेक्सेशन ला की धारा ४ के तहत बने हुए रूल २५ का इन्टरप्रीटेशन करते हुए हिदायत की है कि तमाम आर० टी० ओ० से कहा गया कि जो एडवान्स में अपने कागजात सरेन्डर कराये और जितने पीरियड के लिए सरेन्डर कराना चाहता है उससे उसका एडवान्स टेक्स जमा कर लिया जाय।

अध्यक्ष महोदय, कानून की धारा ४ में यह सुविधा दी गई है जब तक टैक्स वाजिब अदा होता है उस पर उसको १५ दिन का समय ग्रेस का दिया जाता है जैसे किसी का टैक्स १ जुलाई को ड्यू होता है उसको १५ जुलाई तक ग्रेस मिलता हैं। उस हिदायत के अनुसार जो ट्रान्सपोर्ट डायरेक्टर ने जारी की है उसके अनुसार ऐसे लोगों के लिये विहिकल्स के कागजात सरेन्डर कराते हैं वह सुविधा जो १५ दिन की मिलती थी वह ग्रेस उनसे छीन ली गई है। उन पर पेनेल्टी दायर करदी १५ दिन का ग्रेस नहीं दिया गया वे लोग जो सरेन्डर कराना चाहते हैं पहले टैक्स जमा करा कर उनका सरेन्डर माना जाय। अभी उदयपुर में ३० जून को बहुत से लोगों को जिन्होंने इस प्रकार से कागजात सरेन्डर कराये थे वहां के आर० टी० ओ० ने ३ जुलाई को यह कहकर उनको लौटा दिया कि आपने तीन महिने का एडवान्स टैक्स जमा नहीं कराया है। मन्त्री महोदय ने उत्तर देते हुए यह कहाकि गलती हुई है उसके लिये हिदायत जारी कर रहे हैं। ३० तारीख जून की जब आखिरी दिन था उन्होंने टैक्स जमा नहीं कराया उस दिन कागजात जमा कर लेने चाहिये थे। मेरा निवेदन है कि केवल इतना करने से सारी समस्या का हल नहीं होता बहुत से मिलीटरी के लोग या अफसर हैं जिनको अपनी ड्यूटी पर जाना पड़ता है और अपनी ड्यूटी पर जाते हुए कुल सारे कागजात वे जमा करा जाते हैं वह इसलिये कि जितने पीरियड के लिये वे कार नहीं चलाते उतने पीरियड का उनको टैक्स जमा नहीं कराना पड़ता। अभी जैसा कि माननीय मत्री महोदय ने कहा उस व्यवस्था से उसका असर यह हुआ कि चाहे आप कागजात सरेन्डर कर दें जिसके पास सेन्ट परसेन्ट सबूत है कि विहिकल्स का यूज नहीं किया गया है तब भी विभाग इनसस्टि कर रहा है कि पहले इस टैक्स को जमा कराया जाय फिर आप उसका रिफन्ड मांगे। आज साधारण ट्रांसपोर्टर्स की आर्थिक स्थिति को देखते हुए, उनके साथ होने वाली ज्यादती को देखते हुए जस्टिफिकेशन होना चाहिये। आपके एक्ट के अनुसार जो यूजर है उससे टैक्स लेना चाहते हैं जिसके द्वारा विहिकल्स का यूज किया गया उनसे टैक्स लेना चाहते हैं लेकिन जिसके पास डेफीनेट प्रूफ है कि इसने यूज नहीं किया उसके अन्दर इनफरेन्स नहीं। इसके अन्दर यह जरूर कहा गया है कि जो विहिकल रजिस्टर्ड है जिसका फिटनेस सर्टिफिकेट लिया हुआ है जिसका टोकन लिया हुआ है उसको यह माना जायगा कि यह फोर यूज है। इस प्रावधान से यह प्रगट किया जा रहा है कि धारा ४ के तहत फिटनेस रजिस्ट्रेशन, और टोकन की वजह से

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

यह प्रीज्यूम किया गया है कि विहिकल्स का यूज किया गया है । जब पोजीटिव तौर पर रजिस्ट्रेशन, फिटनेस और टोकन सब जमा कराया हुआ है जब कि उसका सोलिड प्रूफ दे दिया जाय कि विहिकल्स का यूज नहीं किया गया है फिर भी धारा ४ के तहत एडवान्स टैक्स लेना और उस पर मन-माना कानून लागू करना कि यह इन्टर-प्रीटेशन गलत है यह धारा ४ के संबंध में लागू नहीं होता ।

श्री अध्यक्ष : क्या इस पर जुडिशियल प्रोनाउन्समैन्ट है क्या ?

यातायात मंत्री (श्री अमीनुद्दीन) : जितने सवाल उठे हैं एक्ट के तहत बहुत साफ है टैक्स एडवांस देना लाजिमी है । फिर भी ला के इन्टरप्रीटेशन का सवाल है उसके लिये एक कमिटी बनाकर ला को इन्टरप्रेट कर सकते हैं हम चाहते हैं कि सहूलियत में कोई कमी नहीं हो ।

श्री अध्यक्ष : मैं जानना चाहता हूं कि इस संबंधी कोई जुडिशियल डिसिजन है, हाई कोर्ट का डिसीजन है ?

श्री अमीनुद्दीन : हाईकोर्ट के डिसी-जन के मुताबिक ऐसा कोई क्लाज इस एक्ट के अन्दर नहीं है जिससे यह कह सकें कि टैक्स जमा न कराया गया और एग्जेम्प्शन हो । ऐसा कोई एग्जेम्प्शन का क्लाज नहीं है । यह टैक्स एडवांस में जमा कराया जाना लाजिमी और जरूर है ।

श्री अध्यक्ष : रूल्स के अमेन्डमेन्ट का मसला है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरी जानकारी है मैंने इस एक्ट को देखने की कोशिश की है इस प्रकार का कोई प्रोनाउन्समेन्ट नहीं है । ट्रान्सपोर्ट के डायरेक्टोरेट का सरकुलर है, अगर प्रोनाउन्समेन्ट होता तो उसका सर-कुलर में रेफरेन्स होना चाहिये जिस बेसिस पर निकालते ।

श्री अमीनुद्दीन : उसमें तो है नहीं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय कहते हैं इस प्रकार कोई प्रोनाउन्समेन्ट नहीं है ।

श्री अमीनुद्दीन : मैंने ला डिपार्टमेंट से जानकारी की है उसमें ऐसा है कि हाई-कोर्ट का डिसीजन हुआ है उसकी रिपोर्ट ए० आई० आर० १६५६ राजस्थान पेज १८ ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : राजस्थान हाईकोर्ट का है ?

श्री अध्यक्ष : सुप्रीम कोर्ट उसका भाई है ? आप डाइरेक्ट क्वश्चन पूछिये मंत्री महोदय कमिटी बनाने को तैयार हैं उसमें अमेन्डमेन्ट हो सकता है या नहीं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि पिछले पचास वर्षों से यह कस्टम चला आ रहा है जब नया

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

अमेन्डमेन्ट नहीं उसी सिस्टम को स्टेटस को मेन्टन करना चाहिये अगर माननीय मन्त्री महोदय इसके जस्टिफिकेशन से कनवीन्स्ड हैं ? हम नहीं चाहते टैक्स का इवेजन हो। जिस टैक्स को आपको रिफन्ड करना है तो फिर उस व्यक्ति को परेशानी में क्यों डालना चाहते हैं ? मैंने एक सवाल पूछा है जिसमें पांच पांच बरस के रिफन्ड का पैसा बाकी है ९८ हजार के करीब अब तक डिपार्टमेन्ट्स में बाकी है........

श्री अध्यक्ष : इसकी स्मृति सब को हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरा निवेदन यह है कि आप स्टेटस को मेन्टेन करें और एक कमेटी मुकर्रर करें जो यह देखे कि ला में या रूल्स में किसी अमेन्डमेण्ट की आवश्यकता है क्या ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय फेवरेबली कन्सीडर करने को तैयार हैं।

श्री अमीनुद्दीन : रूल यह है एडवान्स दिया जाना जरूरी है। जब यह मालूम हुआ कि अब तक जो किया जाता रहा है वह रूल के मुताबिक नहीं। फिर भी पबलिक की सहूलियत को मद्देनजर रखते हुए, उनको कोई तकलीफ न हो रिफन्ड में दिक्कत न हो यह ख्याल रखना चाहिये इसलिये इस रूल के और ला के इन्टरप्रीटेशन के लिये या सुझावों के लिये एक कमेटी होनी चाहिये ताकि वह अमेन्डमेंट के जरिये सहूलियत हो सकती हैं तो मिलनी चाहिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : लेकिन प्रश्न यह है कि इसमें आप स्टेटस को मैंटैन करें।

श्री अध्यक्ष : इनका (मंत्रीजी) निवेदन करना यह है कि हार्ड शिप एलिमिनेट हो सकती है।

श्री अमीनुद्दीन : बिल्कुल।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो स्टेटस को मेंटैन करने में क्या दिक्कत है ?

श्री अध्यक्ष : कोई कमेटी बना दी जाय जो इस सारी स्थिति पर विचार करेगी इस उद्देश्य से कि यह हार्ड शिप एलिमिनेट हो सके, अमेंडमेंट वगैरह करके। इन्होंने आपके स्टेटमेंट को तस्लीम फर्मा लिया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : फिर इनको स्टेटसको जारी रखना चाहिए। आखिर कौन सा आसमान गिर जायगा। इसमें कोई जुडिशियल प्रोनाउन्समेंट भी है नहीं। एक डाइरेक्टर आफ ट्रांसपोर्ट ने सक्युंलर निकाल दिया है मिनिस्टर ने नहीं निकाला है। आपने नहीं निकाला है। आपने डिटेक्ट किया है तो उस प्रेक्टिस को जारी रखने में क्या दिक्कत है ?

श्री अमीनुद्दीन : हाई कोर्ट ने ध्यान दिलाया कि गलत कार्यवाही है, कानून के खिलाफ कर रहे हो तो उसका एन्फोर्स मेंट किया है। नहीं रह सकती है वह प्रेक्टिस।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने १६५६ का जो जुडिशियल प्रोनाउन्समेंट है तो १६५६ से अब तक जितने भी डाइरेक्टर आफ ट्रांसपोर्ट रहे हैं उनके खिलाफ क्यों आप एक्शन लेने को तैयार हैं। वे क्यों इतने दिनों तक सोते रहे ? जिन्होंने इस कानून को लागू नहीं किया उनके खिलाफ क्या किया ?

श्री अध्यक्ष : ५६ तक हार्ड शिप देते रहे।

श्री भैरोंसिंह : ५६ के बाद में, प्रोनाउन्समेंट के बाद में।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जिन्होंने इस पर कार्यवाही नहीं की जो और अभी तक सोते रहे उनका क्या किया ?

श्री अध्यक्ष : इस पर भी खयाल फर्मा दें।

श्री अमीनुद्दीन : यह देख लूंगा कि दानिस्ता गलती की या नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कुम्भकरण ६ महीने सोता था और ६ महिने जागता था। इसी तरह कांग्रेस गवर्नमेंट इतने दिनों तक सोती रही और अब जागी है।

श्री अमीनुद्दीन : २० वर्षों तक सोते रहे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप नहीं कर सकते हैं। डाइरेक्टर आफ ट्रांसपोर्ट नीचे वालों से करा लेगा। वह समझता था कि यहां पर मत लाओ। हम कर सकते हैं। वह कर सकता है। आप नहीं कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : खाद्य मंत्री नसीराबाद पर।

नसीराबाद की खाद्य-स्थिति पर खाद्य मन्त्री का वक्तव्य

श्री परसराम मदेरणा (खाद्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, नसीराबाद से आने वाले...

श्री रामानन्द अग्रवाल : दूसरे एजर्नमेंट मोशन आज के अभी बाद में लेंगे।

श्री अध्यक्ष : उस पर आ रहे हैं। आज जो दिये जायेंगे।

श्री रामकिशन : जी हां।

श्री अध्यक्ष : यह समाप्त हो जायें तब लिये जायेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने एक स्थगन-प्रस्ताव इस विषय का कि नसीराबाद के अन्दर जो कि २६०००

(श्री परसराम मदेरणा)

की जन-संख्या का टाउन है खाद्यान्न राशन देना बन्द कर दिया है और इसलिए वहां पर बहुत विषम स्थिति खड़ी हो गई है।

माननीय सदस्य ने १० जून को एक प्रश्न पूछा था उसके उत्तर में जो कुछ मैंने कहा उसकी ओर इशारा करते हुए उन्होंने यह बात कही है कि खाद्यमन्त्री ने सदन को विश्वास दिलाया था कि ६ किलो अनाज नसीराबाद में बांधा जायगा, लेकिन उस विश्वास को उन्होंने निराधार माना है। अध्यक्ष महोदय, ने तो ऐसा कोई विश्वास प्रश्न के उत्तर में उन्हें दिया गया था। उत्तर में मैंने यह बात कही थी कि जहां तक राजस्थान के भिन्न भिन्न इलाकों में जो चीप ग्रेन सप्लाई करने की राजस्थान सरकार की नीति है उसके अनुसार हम पहली प्राथमिकता स्केर्सिटी एफेक्टेड जो पापूलेशन है उसको खाद्यान्न पहुंचाने में देते हैं। दूसरी प्राथमिकता १ लाख से ऊपर के जो शहर हैं उन कस्बों के अन्दर आज जो सस्ते दामों के अन्दर गेहूं खाद्यान्न वितरित करते हैं उनके सैकेण्ड प्रायोरिटी है। तीसरी प्राथमिकता उन शहरोंको देते हैं जिनकी आबादी ५०००० से १ लाख के बीच की है और चौथी प्राथमिकता डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर को देते हैं।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक नसीराबाद का प्रश्न है राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की हुई नीति के अनुसार यह किसी भी केटेगरी के अन्दर नहीं आता है। हम जैसा कि माननीय सदस्य को मैंने १० तारीख को निवेदन किया था कि अजमेरके कुछ कस्बों को नाज का वितरण करते हैं, क्योंकि हमारे पास में स्टाक की ऐसी पोजीशन थी और स्टाक होने की वजह से नाज को कमी वाले इलाके में वितरण किया जाना चाहिए अगर हमारे पास में एक चीज मौजूद है तो। पिछले महीने के अन्दर, जून के महीने में माननीय सदस्यों को जानकारी के लिए बतलाना चाहता हूं कि राजस्थान में जो नाज का कोटा भारत सरकार से आवंटित होता है तो वह ३८ हजार टन होना चाहिए था, लेकिन भारत सरकार ने उसमें ५ हजार टन की कमी करके जून के महीने में राजस्थान को ३२ हजार टन आवंटित किया, और उस ३२ हजार टन में भी ऐसी अनएवायडेबल चीजें बीच में आगईं, ऐसे हालात आगये कि बन्दर गांहों से वह नाज ६ हजारटन के आस पास माल वहां से रवाना नहीं हो सका। इसलिए जून के महीने में २४ हजार टन नाज ही राजस्थान में पहुंचा। २४ हजार टन पहुंचा तो जुलाई में जब नाज वितरण करने का प्रश्न आया तो कई जगह नाज की जो सप्लाई कम होने की वजह से जुलाई के प्रथम सप्ताह और दूसरे सप्ताह में जितना किया करते थे उतना वितरण नहीं कर सके।

जहां तक नसीराबाद का सवाल है मई और जून में तो क्योंकि नाज की इफराद थी और इसीके फलस्वरूप यह किसी भी कैटेगरी का कस्बा नहीं होते हुए भी नसीराबाद को नाज दे रहे हैं। लेकिन नाज की कमी हो गई और माइलो बिल्कुल नहीं आया जो कि आना चाहिए था ६

(श्री परसराम मदेरणा)

हजार टन के आसपास, जिसका नतीजा यह हुआ कि जो २ किलो हम गेहूं दे रहे थे नसीराबाद में वह २ किलो गेहूं तो हमने दिया है और बाकी जैसी कि अभी मुझे जानकारी मिली है ५०० टन जो जुलाई के महीने में हमने जो माइलो अजमेर डिस्ट्रिक्ट के लिए एलाट की है उस माइलों में से कुछ हिस्सा तो पहुंच गया है अजमेर में पिछले दो दिनों में और कुछ पहुंच रहा है। गेहूं भी कुछ पहुंच गया है और कुछ पहुंच रहा है ज्योंही नाज पहुंच जायगा इस बात की कोशिश की जायगी कि नसीराबाद को गेहूं और माइलो जो स्टाक की पोजीशन राजस्थान की और अजमेर जिले की है उसी के अनुसार वहां के उपभोक्ताओं को अनाज वितरण किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य ने यह कहा है कि वहां पर जनता भूख से तड़फ रही है और बिल्कुल वहां पर नाज नहीं हैं। जो दो दिन पहले मार्केट की पोजीशन थी, नसीराबाद के मार्केट में और नसीराबाद की मंडी में ४३२ बोरी वहां पर गेहूं का स्टाक था, ४१५ बोरी जौ का स्टाक था, २४९ बोरी चने का स्टाक था और ५२५ चने की दाल का स्टाक था और ९७ बोरी मक्का का स्टाक था, ३९ बोरी बाजरे का स्टाक था। हमने एस० डी० ओ० से भी रिपोर्ट मांगी है। उनका भी यह कहना है कि जैसा कि स्थगन-प्रस्ताव में स्थिति बताई गई है, ऐसी स्थिति आज नसीराबाद में नहीं है। इसलिए मैं माननीय सदस्यों को इस वक्त इतनी जानकारी देना उपयुक्त समझूंगा कि हमने मई और जून में जितना गेहूं अजमेर को एलाट किया था और जुलाई में भी हमने करीबन २४०० टन के आस पास किया है और ५९२ टन माइलो एलाट किया है। जुलाई के माह का और पिछले २ महीनों का अगर आप देखें तो जो हमने अजमेर डिस्ट्रिक्ट को मई और जून में दिया था जुलाई के महीने में दूसरे जिलों को कम दिया है।

लेकिन अजमेर को हमने जो एलाट किया है खाद्यान्न वह चार सौ टन अधिक किया जो पिछले दो महीने में दिया जा रहा था, वह मई में २५६० दिया, जब कि जून के अन्दर २९६० दिया। फिर जुलाई के महीने में जो एलोकेशन किया है वह चार सौ गेहूं और ५९२ माइलो है। इस तरह एलोकेशन चार सौ टन अधिक अजमेर को जुलाई के महीने में किया है। हमने इस बात में सतर्कता बरती है कि बन्दरगाह, पोर्ट से अनाज अजमेर पहुंचाने में जो डिफीकल्टी आ रही थी, उसके लिए आफिसर वहां है और वह कोशिश कर रहा है कि दो दिन में अजमेर स्टेशन पर माइलो आ गया है, जो सेन्टर्स पर भेजा जा रहा है। ऐसी जानकारी मुझे कलेक्टर और एस. डी. ओ. ने दी है। इसलिए माननीय सदस्य का यह कहना कि आज सरकार जो है, उसके द्वारा जो भी यहां पर स्टेटमेंट दिया है या आश्वासन दिया गया है उस आश्वासन के विरुद्ध या आश्वासन के विपरीत कोई कार्यवाही कर रही है-यह बात सही नहीं है। जहां तक नसीराबाद का सवाल है, आज वहां पचास हजार की आबादी का सवाल

(श्री परसराम मदेरणा)

नहीं होते हुए भी किया है जबकि पचास हजार की आबादी के राजस्थान में म्यूनीसिपल टाउन हैं उनके अन्दर हम आज भी अनाज वितरित नहीं करते हैं, वहां नहीं करते हुए भी अजमेर डिस्ट्रिक्ट की हालत कुछ ऐसी थी जिसको देख कर कलैक्टर की शुरू शुरू में रिपोर्ट आई थी कि अजमेर डिस्ट्रिक्ट डेफिसिट एरिया है और सरप्लस एरिया या डिस्ट्रिक्ट नहीं है इसलिए यह उचित होगा कि जो छोटे मोटे कस्बे हैं, जो म्यूनीसिपल टाउन हैं, उन दूसरे म्यूनीसिपल टाउन्स की तरह इन्हें ट्रीट नहीं किया जाय । मैं यह माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बनना चाहता हूं कि इस प्रकार टाउन दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में हैं म्यूनीसिपल टाउन्स कहीं है जैसे जोधपुर में दो म्यूनीसिपल टाउन्स हैं, वहाँ हम धान नहीं दे रहे हैं, चीप ग्रेन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं जब कि अजमेर डिस्ट्रिक्ट में कुछ जगह हम प्रोवाइड कर रहे हैं वह इसलिए कर रहे हैं-यद्यपि इन चार कैटेगरी में से एक में भी अजमेर, ब्यावर, नसीराबाद, और केकड़ी नहीं आते हैं, पर नहीं आते हुए भी हम अनाज वितरण वहां कर रहे हैं । अब अनाज के स्टाक को देखते हुए पिछले महीनों में जो डिफीकल्टी रही क्योंकि भारत सरकार ने राजस्थान सरकार को पूरा कोटा एलाट नहीं किया और राजस्थान को पांच हजार टन कम एलाट किया उसके बावजूद ट्रांसपोर्ट की भी बोटल नेक रही-उसके कारण अनाज कम पहुंचा । इसलिए धान का स्टाक इन हैंड होता तो जुलाई में डिफीकल्टी नहीं होती और जुलाई में जो नसीराबाद में अनाज वितरण नहीं कर सके—उसकी मजबूरियां थी । मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य का जो कहना है कि ज्यादा कठिनाईयाँ पैदा हो गई हैं, उसके लिए बता दिया कि जो हम अनाज दे रहे हैं यदि अनाज हमारे पास अवेलेबल होता तो हम निश्चित रूप से देतें । अनाज का स्टाक नहीं था इसलिए देने में मजबूरी हुई ।

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, अजमेर जिले के बारे में मंत्री महोदय ने फर्माया उससे स्थिति स्पष्ट है कि अजमेर जिले के अन्दर चार उप जिले हैं और चार उप जिलों की जन संख्या है, उस जनसंख्या को अगर हम लेवें तो राजस्थान के छब्बीस डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर हैं, उनके अन्दर ब्यावर, किशनगढ़ और नसीराबाद—इनकी जनसख्या है, वह दूसरे डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर हैं उनसे कतई अधिक है । लेकिन उस बात को मैं नहीं लेना चाहता हूं । मैं खास कर नसीराबाद की ओर ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं । जो एस. डी. ओ. ने रिपोर्ट भेजी है कि नसीराबाद की मंडी के अन्दर धान यानि गेहूं, चना और कुछ जो उपलब्ध है तो आज नसीराबाद की जनता की हालत है कि वहां पर बीस वर्षो के इस स्वतंत्र शासन के अन्दर न तो कोई इन्डस्ट्री बनी है, और न कोई दूसरा ऐसा उद्योग है जिसके द्वारा वहां के नागरिक कोई धन्धा और रोजगार कर सकें। यहां पर केन्टूमेंट होने की वजह से थोड़ा बहुत उनको धन्धा मिल जाता है और एक मजदूर को मजदूरी, अध्यक्ष महोदय, एक रुपया या बारह आने मिलती है । एक रुपया या बारह आना कमाने

(श्री विजयसिंह रावत)

वाला आदमी, मेरे ख्याल में, १४०) रुपये क्विन्टल का अनाज यानि गेहूं या नब्बे रुपये क्विन्टल की गुज्जी या चना नही खरीद सकता बाजार से । उन बेचारों को आज तक, राजस्थान में इस कांग्रेस सरकार की नीति नसीराबाद के अन्दर धान देने की नहीं रही है, वहां पर केवल चार किलो माइलो और दो किलो गेहूं देती थी और अब वे भी बन्द कर दिया है तो जिस स्थिति के बारे में एस. डी. ओ. ने लिखा है, उसके बारे में, अध्यक्ष महोदय मैंने स्वयं स्थिति जानने के लिए दो दिन का वहां दौरा किया था मैं वार्ड वाइज घूमा हूं और जब मैं बकरे कटने, कसाई खाने के पास गया तो वहां लोगों को मैंने कटे फटे मांस के चीथड़ों को चुनते हुए देखा, उनको लाकर वहां के लोग भून भून कर खाते हैं । लगता है इस कांग्रेस के नाम पर हलवा पूड़ी खा खा कर टमाटर बने हुए मन्त्रियों को एस डी. ओ. और कलैक्टर कहते हैं कि वहां की हालत यह है । यह दलील दी जाय कि वहां गेहूं मण्डी में उपलब्ध है तो वहां हो सकता है मत्री के लिए वे हो सकता है विजयसिंह रावत के लिए, दूसरे सेठ साहूकारों के लिए हो सकता है लेकिन जो गरीब आठ आने कमाने की क्षमता रखता है, जिसके चार पांच बच्चे बच्ची हैं, क्या, अध्यक्ष महोदय, वह भूखा नहीं मरेगा ? क्या वह इस प्रकार भूख में नहीं तड़फड़ायेगा ? क्या वह इतने मंहगे अनाज को खरीद सकता है जो आज अनाज के भाव आसमान को छू रहे हैं प्राइसेज में । आदमी पिसता जा रहा है ।यही नहीं, अध्यक्ष महोदय, सरवाड़, किशनगढ़, केकड़ी और पुष्कर यह जो उप जिले हैं, और ये म्यूनीसिपिल टाउन भी हैं, जब कि सरकार की नीति है कि एक लाख से अधिक और पचास हजार से अधिक जन संख्या वाले को अनाज देते हैं, तो फिर क्यों नहीं सरकार यह महसूस करती है कि जो नसीराबाद है, वहाँ की जनसंख्या लगभग २८ हजार की है, अब वहां दो ब्रिगेड मिल कर मिलिट्री सेन्टर स्थापित हो रहा है, ऐसी हालत में वहां की जन संख्या ५० हजार के करीब बैठती है । आज अजमेर में यदि पचास मजदूर हैं तो कल ढाई सौ तक बढ़ सकते है और परसों तक पांच सौ तक बढ़ सकते हैं क्योंकि जो इन्डस्ट्रियल टाउन हैं वहां पर मजदूरों का बढना स्वाभाविक है। ऐसे टाउन में जहां इन्डस्ट्री नहीं है, जीवन यापन के लिए दूसरी सुविधा नहीं है जहां वह मजदूरी कर सकें और मजदूरी भी इस तरह की कर सकें कि एक मजदूर को तीन चार रुपये की मजदूरी मिल सके। ऐसी स्थिति जहां जहां पर नहीं है वहां पर राज्य सरकार को यह सोचना अनिवार्य हो जाता है कि वहां की जनता को सस्ते अनाज की दुकान से राशन उपलब्ध कराया जाय और उसको प्रायोरिटी दी जाय। इसके अलावा मेरा निवेदन है कि अजमेर जिले को, जो कि मन्त्री ने कहा कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर से जिला अजमेर को राज्य सरकार ज्यादा अनाज देती है तो इसके अन्दर राज्य सरकार ने कोई महरबानी नहीं की है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताता हूं अजमेर के लिए

(श्री विजयसिंह रावत)

वहां सी. आर. पी. सेन्टर है इसलिए वहाँ अनिवार्य रूप से जो गवर्नमेंट की तरफ से राशन निर्धारित किया जता है जवानों के लिए वह देना पड़ता है। वहां की जनता को भले ही अनाज नहीं मिले लेकिन सी आर. पी. के लिए राशन अलग से निकाल कर देना पड़ता है। अजमेर में रेल्वे फैक्ट्री है इसलिए लेबर एक्ट में जो मज: दूरो के राशन हेतु प्रावधान है उसके मुताबिक लोगों को राशन मिलना जरूरी है नहीं तो उसकी यूनियन हल्ला मचायेगी। इसके करण जो राशन एक्ट, लेबर एक्ट में आता है उसके मुताबिक देना पड़ता है। किशनगढ़ के अन्दर मिल हैं, ब्यावर में मिल है, इसी प्रकार नसीराबाद में केन्टूनमेंट है दो बी श्रेणी व एक ए श्रेणी का चिकित्सालय व डिस्पेन्सरी है जहां पर मरीजों के लिए शक्कर व गेहूं अनिवार्य रूप से दिया जाता है। इन सब चीजों को देखते हुए, और अजमेर डिस्ट्रिक्ट के सरप्लस न होते हुए भी यह करण है जिसके कारण जिलाधीश ने लिखा था कि अजमेर जिले कि यह स्थिति है, वहां के छोटे छोटे टाउन और विलेजेज के लिए अकाल ग्रस्त डिस्ट्रिक्ट होने के नाते सरकार को सोचना चाहिए कि कम से कम शक्कर नहीं देते हैं, शक्कर आप के भतीजे-भतीजे और सेठ साहूकार खाते हैं तो उन्हे खाने दें लेकिन कम से कम माइलो और गेहूं तो निश्चित समय पर उन लोगों को दें। इसमें उनकी आमदनी का रीजन है और एक परिवार में पांच बच्चे बच्ची हैं और उसकी आमदनी एक रुपया, बारह आने, आठ आने है तो उसके लिए यह सम्भव नहीं हो सकता, सदन का कोई सदस्य यह मानने के लिए तैयार नहीं होगा कि जहां पांच आदमियों पर एक आदमी कमाऊ है और जो आठ आने, बारह आने की मजदूरी करता है..................

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त होगा।

श्री विजयसिंह रावत : वह अपने परिवार का पेट पाल सके। मेरा निवेदन है कि राजस्थान सरकार इस बात को प्रायोरिटी दे, केन्टूनमेंट वहां होने के नाते वहां इन्डस्ट्री नहीं है–इसकी जानकारी स्वायत्त शासन मन्त्री दे सकते हैं कि नसीराबाद की स्थिति वास्तव में ऐसी है कि वहां की जनता को एक हफ्ते राशन नहीं मिलता है तो वहां भुखमरी की स्थिति हो जाती है। इसलिए जो मैंने बताया है वह सही है, और निराधार नहीं है और जो एस० डी० ओ० और कलेक्टर ने लिखा है उसकी आप जानकारी करें और गलत निकल जाय मेरी बात को तो मैं रेस्पान्सिबिलिटी लेता हूं क्योंकि मैंने निरीक्षण किया है।

श्री अध्यक्ष : राज्य सरकार द्वारा राज्य में गल्ला वसूली के सम्बन्ध में खाद्य मन्त्रीजी का वक्तव्य।

श्री विजयसिंह रावत : मैंने कहा उसके सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगर-

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

पुर) : एक ही शब्द में मैं सरकार से जानकारी के लिये पूछना चाहूंगा कि आपने केटेगरीज बताई, क्या नसीराबाद को उस केटेगरी में आप इन्क्लूड नहीं कर सकते कि जिन केटेगरी में जिला हैड क्वार्टर्स शामिल है। आपकी वर्तमान जो कुछ वितरण व्यवस्था है उसमें परिवर्तन तो करना पड़ेगा पर नसीराबाद एक्स्ट्रा आर्डिनरीली इम्पोर्टेन्ट जगह है अगर इस सिद्धान्त को मद्देनजर रखते हुए जैसा कि नसीराबाद से आने वाले सदस्य ने कहा कि कई जिला हैड क्वार्टर्स से नसीराबाद की जनसंख्या ज्यादा है अगर आप नसीराबाद के लिये सहानुभूति पूर्वक कोई व्यवस्था कर सकें तो मैं बड़ा आभारी होऊंगा।

श्री परसराम मदेरणा : जिला हैड क्वार्टर नहीं होते हुए भी, विरोधी पक्ष के नेता महोदय को जानकारी दूं कि नसीराबाद में कर रहे हैं जब कि इस तरह के दूसरे कस्बों में नहीं कर रहे हैं, दो किलो का स्टाक दे रहे हैं, पहले ४ किलो माइलो दिया था, वह हमारे पास आया नहीं, बीच में वैगन्स नहीं मिले थे, अब माइलो आगया है। मैं मालूम करके, वहां जो व्यवस्था की जा सकती है, वह करूंगा। यह मैं नहीं कहता कि डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर नहीं है इसलिये मैं वहां कतई नहीं दूंगा। हमने दिया है और पिछले महीनों से वहां अनाज का वितरण हो रहा है, हालांकि दूसरे कस्बों में नहीं हो रहा है, जो राजस्थान के म्युनिसिपल टाउन्स हैं।

माननीय सदस्य कह रहे थे भूखों मरने का, यह रिपोर्ट गलत है, आप जिम्मेदारी लें, मैं भी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं कि कोई व्यक्ति भूख से न मरे, मैं देखूंगा कि अनाज वहां टाइम पर मिले, यह नहीं मिलता है तो चना हमारे पास स्टाक में है, वह देंगे, भूख से कोई व्यक्ति नहीं मरने दिया जायगा, यह जिम्मेदारी मैं लेता हूं।

श्री विजयसिंह रावत : राशन स्केल में नसीराबाद को ले लीजिये स्पेशल कन्सीडरेशन नहीं दे सकते तो ब्यावर में है, उस स्केल में ले लीजिये।

श्री अध्यक्ष : खाद्यान्न की सप्लाई बन्द करने के बाद में राज्य सरकार द्वारा राज्यों में गल्ला वसूली के सम्बन्ध में खाद्य मन्त्री का वक्तव्य।

श्री विजयसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, स्केल के बारे में..........

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त हुआ।

श्री भैरोंसिंह : पहले कहा जाय उसके बाद में स्टेटमेंट हो या.........

श्री अध्यक्ष : पहले स्टेटमेंट होगा, फिर आपको अवसर देंगे, फिर उसका क्लेरिफिकेशन मन्त्री महोदय कर देंगे :

श्री रामचन्द्र आर्य : इसमें मेरा सुझाव है उसको शामिल कर लिया जाय। राजस्थान में भूमिहीन लोग हैं और शहरों में नहीं बसते हैं, उन लोगों को अनाज नहीं

(श्री रामचन्द्र आर्य)

मिलता है..........

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य कृपया, किस प्रश्न पर आप सुझाव दे रहे हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : जो भूमिहीन किसान हैं, ज्यादा आबादी के हैं, उन लोगों को अनाज नहीं मिलता है, उन लोगों के लिये अनाज की व्यवस्था की जाय।

श्री अध्यक्ष : तथास्तु।

श्री विजयसिंह रावत : नसीराबाद....

श्री अध्यक्ष : मिस्टर रावत के स्केल के सम्बन्ध में।

श्री रामकिशन : आपने अभी तथास्तु कहा, यह राज्य की मान्य भाषा नहीं है, इसका अर्थ कोई समझे नहीं।

श्री अध्यक्ष : आपको प्रसन्न करने का अर्थ था। वह नहीं है दूसरा।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, यह अश्वासन मैं इस वक्त इसलिये नहीं दे सकता कि वहां कितना अनाज पहुंचा है, इस महिने के अन्त तक कितना पहुंचेगा। इसको देखकर ही कह सकता हूं। केटेगरी में नहीं आता है फिर भी वहां दिया है, हमने जून में ६ किलो दिया है तो यह कहना है कि नसीराबाद को इग्नोर किया गया है यह सही नहीं है। इस प्रकार का आश्वासन मैं नहीं दे सकता।

श्री अध्यक्ष : गल्ला वसूली के संबंध में..

श्री विजयसिंह रावत : क्या....

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री विजयसिंह रावत : क्या सरकार की यह मंशा नहीं है कि वहां लोग भूख से तड़प रहे हैं, उनको अनाज दिया जाय। नसीराबाद, सरवाड़, केकड़ी और किशनगढ़ स्केल में नहीं आते। नसीराबाद में काम का साधन नहीं, वहां स्केल नहीं कर सकते, डेढ किलो दीजिये डेढ छटांक दीजिये, ताकि जितना राशन मिलेगा, उतना लेंगे।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री विजयसिंह रावत : यही मंशा नहीं है तो वक्तव्य से कुछ नहीं होगा.......

श्री परसराम मदेरणा : वक्तव्य का सवाल क्या, वक्तव्य आप चाहते थे वह मैंने दिया, वक्तव्य का यह मतलब तो है नहीं कि प्रतिमाह वहां गेहूं दे दूं।

श्री विजयसिंह रावत : वहां मिलिटरी की पोपुलेशन है, ५० हजार जनसंख्या वैसे ही हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर.......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इनका अजमेर जाना मुश्किल हो रहा है.......

श्री विजयसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय..

श्री अध्यक्ष : आर्डर·······

The Chair is on its Legs.

माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री भैरोंसिंह : स्थान ग्रहण करने से पेट नहीं भरेगा।

श्री अध्यक्ष : खाली पेट नहीं बोल रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फिर असेम्बली में आने का क्या मतलब ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, पेट नहीं भरेगा तब तक शान्ति नहीं होगी।

राज्य में गल्ला वसूली के सम्बन्ध में खाद्य मंत्री का वक्तव्य

श्री परसराम मदेरणा (खाद्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने १० जिलों में गल्ला वसूली के लिए निर्णय किया था जिसके लिए राजस्थान राजपत्र में दिनांक १२-५-६७ प्रकाशित हुआ। तदनुसार स्पेशल खतौनियां तैयार करवा कर मांगपत्र वितरित किये गये। यह स्पष्ट कर दिया गया था कि १० दिन में अन्तर्गत जिस किसी को निर्धारित लेवी के संबंध में किसी प्रकार का आक्षेप हो अपने उजर एस. डी. ओ. के पास पेश करें।

कई तहसीलों व सब डिवीजन में इन मांग पत्रों के प्रति किसानों, खातेदारों, उप खातेदारों से लेवी को निर्धारित गेहूं के लिए स्वामित्व के बारे उजरात आने पर उनका निराकरण के आदेश सम्बन्धित उप जिलाधीश व अन्य राजस्व अधिकारियों ने मौके पर किया। किसी प्रकार की शिकायत अभी तक इन आक्षेपों के निराकरण के सम्बन्ध में इस विभाग में प्राप्त नहीं हुई है। कुछ तहसीलों से इस प्रकार की सूचना प्राप्त हुई कि पेटा काश्त और वर्षा के पानी जो बहकर आता है उससे हुई काश्त से समुचित पैदावार नहीं हुई इसकी जांच के पश्चात ऐसी भूमियों की सिंचित भूमि की तारीख में न होने से लेवी वसूली से मुक्त कर दिया गया है।

लेवी वसूली के सम्बन्ध में पुलिस फोर्स को काम मे न लेने के आदेश इस विभाग से वायरलेस सूचना दिनांक १७-६-६७ द्वारा सम्बन्धित जिलाधीशों को दिये जा चुके है कि इनका अनुपालन किया गया।

यह भी शिकायत पेश हुई कि पंजीकृत बीज उत्पादकों को जो बीज विस्तार करते हैं उनकी सारी पैदावार कृषि विभाग ले लेता है उनके पास लेवी के लिए नहीं रहता है ऐसे उत्पादकों को लेवी से मुक्त कर लिया है।

जिन जिलों से गल्ला वसूली करनी थी उनमें से कुछ किसानों से वसूल नहीं की गई यह शिकायत आधार रहित है जो सर्वथा गलत है। वसूली सब जगह नियमित व

(श्री परसराम मदेरणा)

निदेशानुसार निर्धारित दरों पर की गई है। सूखा या कीटाणुओं से लिप्त होने या अन्य कारण जिसका कि निराकरण उत्पादक की सामर्थ्य से बाहर हो ऐसे स्थानों में फसल नष्ट हो जाने पर जिलाधीशों को लेवी में छूट देने का अधिकार है वहीं छूट दी गई है अन्यथा नहीं। अतएव राजनैतिक आधार पर वसूली न करने की बात सर्वथा निराधार व गलत है।

वह सर्वथा गलत है कि अलग अलग काश्त करने वालों को एक ही मांगपत्र में लिखकर गल्ला वसूली के लिये लिख दिया हो। मांगपत्र जो तैयार किये हैं वो राजस्व अभिलेखों के आधार पर तैयार किये गये हैं और रेकार्ड में जिन काश्तकारों वा खातेदारों के इन्द्राज हैं उन्हीं पर लेवी वसूली की कार्यवाही की गई है। यह भी निर्देश दिये जा चुके हैं कि यदि कोई खातेदार दूसरे काश्त करने वाले से लेवी वसूली करने के लिये लिख कर दे तो उससे वसूली की जानी चाहिये।

उपरोक्त स्थिति में किसानों के साथ लेवी वसूली के लिये किसी भी प्रकार की ज्यादती नहीं की गई है उन्हें स्पेशल खातोनियों के तैयार करने से लेकर लेवी वसूली तक की सारी सहूलियतें देने की व्यवस्था की गई है। और यदि कोई मांग पत्र में किसी प्रकार की गलती हो या सुधार आवश्यक समझा गया तो उसके लिये आवश्यक मौका दिया गया। जिन्होंने कि निवेदन पत्र दिये हैं। ऐसे मामलों में जिला स्तर पर सुनवाई की जाकर आवश्यक आदेश दिये गये हैं।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होगा कि राज्य सरकार की ओर से लेवी वसूली में किसी प्रकार की अति नहीं की गई है। यही कारण है कि लेवी की वसूली सब ही जिलों में नियमित हो रही है।

(१ म. प.)

श्री **रामचन्द्र आर्य** : अध्यक्ष महोदय, गंगानगर जिले में राजस्थान कैनाल क्षेत्र में भूमि में पानी नहीं लगता है और अक्टूबर से नहरें बन्द हो जाती हैं तो उस इलाके से लेवी कैसे वसूल कर रहे हैं, यह न्यायसंगत नहीं है और मन्त्री महोदय यह फरमा रहे हैं कि हमने कोई गलत तरीके से लेवी वसूल नहीं की है तो क्या यह गलत नहीं है कि उस इलाके में भूमि में पानी नहीं लगता है और ६ माही नहर, पानी रबी की फसल पर नहीं लगता है तो इस क्षेत्र से लेवी वसूल करना न्यायसंगत नहीं है और इस बात की जानकारी कराई जाय और जिन लोगों से लेवी वसूल की है उन लोगों को वापस दिलाई जाय क्योंकि उन्होंने बाजार से खरीद कर लेवी सरकार के गोदाम में जमा कराई है। जांच करिए, कोई गेहूं पैदा नहीं हुआ। उस इलाके में भी लेवी का कानून लागू किया गया है, आपने आंख मींचकर किया है और ध्यान नहीं दिया। इस बारे में मैंने पहले भी

Page No. 92

(श्री रामचन्द्र आर्य)

आपके सामने निवेदन किया था जिस समय इस सदन में लेवी मांगों पर विचार हो रहा था उस समय सुझाव दिया था लेकिन इस पर कोई विचार नहीं किया गया और फिर मैने इस सम्बन्ध में आपके सामने कहा, और फिर आपके सामने निवेदन करता हूं कि इस मामले की जांच कराई जाय कि उस जमीन में पानी नहीं लगता है।

श्री अध्यक्ष : हो गया, आपने कह दिया।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं जानना चाहता हूं कि इस पर क्या व्यवस्था दी गई है।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह :

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, लेवी के सम्बन्ध में मन्त्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया उसमें एक मोटी गल्ती जिसके कारण किसानों को परेशानी हो रही है, प्रकट रूप में आई है। मन्त्रीजी ने स्पष्ट रुपसे बताया कि मांग पत्र राजस्व विभाग के अभिलेखों के आधार पर तैयार किए गए हैं। यह बात निर्विवाद रूप से सत्य है कि यदि राज्य सरकार स्वयं भी सिंचाई विभाग और राजस्व विभाग इन दोनों के आंकड़ों की तुलना करेगी तो इसमें काफी अंतर मिलेगा। सिंचाई विभाग इस बात के आंकड़े तैयार करता है कि अमुक क्षेत्र में सिंचाई के लिए कितना पानी दिया गया और राजस्व विभाग इस बात के आंकड़े तैयार करता है कि अमुक खसरा नम्बर में कितने एकड़ में रबी की फसल बोई गई। अब राज्य सरकार की मन्शा है कि सिंचित भूमि से वसूल करना। अब सिंचित भूमि से लेवी वसूली का जब आधार है तो रेवेन्यू रेकार्ड के आधार पर मांग पत्र जारी नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए आपके आगे कोटा का उदाहरण पेश करना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय........

श्री अध्यक्ष: अध्यक्ष महोदय।

श्री रामकिशन : आपको नाराज नहीं होना चाहिए, बाल सफेद हो गए, स्मृति क्षीण हो गई।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बाल तो आपके सफेद हो गए, खिजाब लगाकर काले किए हैं।

श्री भैरोंसिंह : कोटा में एक नदी है कालीसिन। इस नदी से सिंचाई होती है सिंचाई का सर्वमान्य सिद्धांत है कि गेहूं की फसल के लिए ४ पानी चाहिए, कम से कम ४ पानी के बाद जिस समय फसल को पूरा पानी मिल गया, तो इस बात की स्थिति बनती है। दुर्भाग्य की बात है कि सरकारी आंकड़ों के आधार पर १९६६-६७ में पहला पानी जो कालीसिन से दिया गया वह ६२२ एकड़ में दिया गया, दूसरा पानी जो दिया गया वह एक एकड़ में भी नहीं दिया गया, तीसरा पानी भी एक एकड़ में नहीं दिया गया और इसी तरह चौथा पानी भी एक एकड़ में भी नहीं दिया गया।

(श्री भैरोंसिंह)

केवल पहला पानी ६२२ एकड़ भूमि में दिया गया है। अब एक पानी देने से गेहूं की फसल हो जाय, मन्त्री महोदय जो स्वयं भी खेती करवाते हैं और किसान हैं, उनको विश्वास होगा कि गेहूं की खेती के लिए एक पानी से गेहूं उल्टे खराब होता है। गेहूं की पैदावार नहीं बढ़ती। गेहूं की काश्त के लिए एक पानी से तो फसल सूखती है। जो अनाज का उत्पादन बारानी भूमि में हो सकता है उसके मुकाबले में एक पानी देने से सिंचित भूमि में गेहूं की पैदावार उतनी नहीं होगी। ऐसी हालत में राज्य सरकार यह कहकर चले कि हमने राजस्व के अभिलेखों के आधार पर मांग पत्र तैयार किए हैं, यह बुनियादी रूप से गलत है। सरकार को चाहिए कि सिंचित भूमि के आधार पर यदि वह लेवी लेने का प्रोग्राम लेकर चलती है तो उस रेवेन्यू रेकार्ड के आधार पर सिंचाई विभाग के रेकार्ड को माध्यम बनाकर उस आधार पर डिमांड्स स्लिप्स इश्यू करनी चाहिए।

दूसरी बात है कि राज्य सरकार ने कुछ क्षेत्रों को अकालग्रस्त घोषित कर दिया और कुछ क्षेत्रों में अकाल घोषित नहीं किया। जैसे कोटा की सांगोद तहसील में ६६,१०० एकड़ भूमि में काश्त हुई। स्वयं राज्य सरकार ने स्वीकार किया है कि लगभग ४६,००० एकड़ के अन्दर काश्त खराब हो गई बरसात की कमी के कारण। इस भूमि में जो अच्छी फसल होनी चाहिए थी, उसका तो सवाल नहीं लेकिन जो फसल थी वह भी खराब हो गई। दुर्भाग्य की बात है कि राज्य सरकार स्वयं जिस चीज को स्वीकार करती है, वही राज्य सरकार उस क्षेत्र से भी लेवी वसूल करना चाहती है। अब यह प्रश्न आता है कि क्या हम केवल जहां अकालग्रस्त एरिया घोषित की गई उनको ही एग्जेम्पट करके चलें या जिन क्षेत्रों में अकाल के नजदीक की स्थिति पहुंच गई या खेती बिलकुल खराब हो गई लेकिन अकाल की जो परिधि बना रखी है उसके अन्दर कैसे नही आ सका, इस कारण लेवी वसूल करना, मैं समझता हूं कि राज्य सरकार स्वयं महसूस करेगी कि किसान के साथ यह अन्याय है।

राज्य सरकार यह कह कर चलती है कि हम तो किसान से, जो उसकी पैदावार है, उसका अनाज लेना चाहते हैं, स्वयं राज्य सरकार और उसके अधिकारी और विधान सभा के सदस्य यह महसूस करेंगे कि फसल करने के बाद आज राजस्थान के किसान की हालत अच्छी नहीं है उनकी आर्थिक स्थिति बढ़िया नहीं है कि वह अनाज को रिटेन कर ले। हो सकता है कि बड़े बड़े जमींदार जो हैं, जिनके पास रिटेनिंग पावर हो, उनके सामने समस्या नहीं होगी क्योंकि होरडेड़ स्टाक में से राज्य सरकार को लेवी का भाग अदा कर देंगे लेकिन आम किसान जिसकी आर्थिक स्थिति गिरी हुई है वह अनाज को रिटेन करने की स्थिति में नहीं रह सका, अनाज उन्होंने बेच दिया और बेचने के बाद यदि राज्य सरकार किसान को इसके लिए विवश करे कि वह कहीं से भी अनाज लाए और लेवी

(श्री भैरोंसिंह)

के रूप में अनाज देना पड़ेगा तो यह उनके साथ अन्याय होगा। सरकार स्टाक से यदि लेना चाहे तो समझ में आ सकता है लेकिन स्टाक के बिना लेना चाहती है तो ऐसी हालत में जब बरसात का मौसम है, खेती करने के लिए किसान को अपने खेत में ठहरना है, लेकिन सिपाही उसका पीछा करता है घर जाता है तो फसल के सिपाही पीछा करते हैं तो किसान को खेत में जगह नहीं, न घर में जगह। किसान खेत और घर के बीच में पुलिस और फसल के सिपाहियों से डरता हुआ घूमता है। जहां पर जिस समय यह बीज बोना चाहता था वह नहीं बो पाया। नतीजा यह होगा कि आज जबरन अनाज खरीदकर देगा। आज कोटा के ग्राम किसान और राजस्थान के किसान के दिमाग में यह चीज बैठ गई कि अनाज की पैदावार बढ़ायें तो रबी की फसल की जो लेवी वसूल करनी चाहिए बाजार भावों के आधे मूल्यों पर किसान से वसूल करना चाहती है। राज्य सरकार ने चाहे कुछ भी किया हो, किसास एग्री-कल्चरल पैटर्न को चेंज करेगा। आज गेहूं, बाजरा, ज्वार और मक्का की फसल लेवी के रूप में सरकार संग्रह कर सकती है तो उन फसलों से वह दूर रहकर ऐसी फसलों को तैयार कर रहा है जिन पर सरकार का कन्ट्रोल नहीं हो सकता। यदि हमने यह भी टेन्डेंसी डेवलप करदी तो हम चाहते हैं कि खाद्यान्न उत्पादन बढ़ायें लेकिन हम किसान को मजबूर करेंगे कि वह कैश क्रोप्स की और जायगा।

आज इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, प्रोब्लम यह है कि राज्य सरकार आज तक खाद देती थी उधार पर, बीज देती थी उधार पर। पर अब न खाद देती है और न बीज देती है उधार पर। गंगानगर क्षेत्र में पिलाई को बांट दिया। उधर कोटा डिविजन में रेट्स का रिवीजन हो रहा है। उसके करण किसानों पर लगान बढ़ेगा। तो खाद की समस्या, पानी की समस्या, बीज की समस्या लगान की समस्या और कास्ट आफ प्रोडक्शन दिनों दिन बढ़ती जा रही है। यह निर्विवाद रूप से सत्य है।

अब किसान के पास सेविंग नाम की वस्तु नहीं रही। तो किसान के पास अगर सेविंग नहीं रही तो नेचरली इसका इफेक्ट आगे के प्रोडक्शन पर पड़ेगा।

सरकार कहती है हमारे ५५ हजार टन खाद्यान्न की कोटे की कमी है। उस कमी में हमें केवल भारत सरकार से ३८ हजार टन का कोटा मिलता है। पर आप यह १७ हजार टन का डेफिसिट लेवी से पूरा नहीं कर पावेंगे।

जुलाई के बीच का सप्ताह चल रहा है। कृषि मन्त्री ने बताया कि अभी तक १.२२ हजार क्विन्टल शायद इकट्ठा किया है जब कि करना चाहते हैं ३.५५ लाख क्विन्टल। तो इसमें दो महीने के बाद १।३ रीयेलाइज कर पाये हैं। २।३ हिस्सा अभी बाकी है। आज यह मानकर चलें कि किसान के पास पड़ा हुआ है अनाज तो

(श्री भैरोंसिंह)

यह तो व्यर्थ की बात है। असत्य है। किसान के पास तो नहीं है । वैसी हालत में किसान से आपको स्वबीज करके लेना पड़ेगा और जब्र से लेना चाहेंगे तो किसान के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा यह।

जहां तक सरकारी प्रशासन का सवाल आता है एक शब्द में कहूं, आपने कहा हमने आदेश निकाल दिये हैं कि इसमें पुलिस का हस्तक्षेप न हो । हमने आदेश निकाल दिये हैं कि राजस्व विभाग के आदमी ज्यादती न करें। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि मन्त्री महोदय शायद गांवों में नहीं गये। जहां लेवी वसूल की जा रही है। अगर वे मेरी चुनौती स्वीकार करें तो मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वे राजस्थान के जिन गांवों से लेवी वसूल की जा रही है १० गांव अपनी मरजी से छांट लें। १० के नाम मैं बताता हूं। इन बीस गांवों में जाकर विधान सभा के सदस्य, नहीं तो माननीय मन्त्री महोदय स्वयं मेरे साथ चलें । मैं बताऊंगा कि उनके आदेशों के बावजूद भी पुलिस किसानों के घरों में पहुंची है। किसान के मकानों को तोड़ ताड़ दिया है। किसानों को हवालात में रखा गया है । उनके आदेशों के बावजूद भी किसानों के मवेशियों को पकड़ कर ले गये हैं और कहा है जब तक लेवी का अनाज नहीं दोगे जमा नहीं कराया जावेगा जब तक उनको नहीं छोड़ा जावेगा।

(शेम शेम की ध्वनि)

बारानी काश्त में जिन्होंने बोया है, जिसकी पैदावार औसतन कम होती है। अगर वह मण्डी में अपना गेहूं लेकर आ गया तो तहसील के अधिकारियों ने उनका गेहूं जब्त किया है । डी. आई. आर. के तहत जब्त करने की धमकी दी है । कहा है तकावी वसूल जल्दी की जावेगी अगर लेवी नहीं दी तो, सरकारी करजा वसूल किया जावेगा जल्दी से। इस प्रकार की धमकियां देकर तहसीलों में सात सात दिन तक किसानों को बन्द करके बिठाया गया है लगातार । कहा है जब तक लेवी का अनाज नहीं दिया जावेगा तब तक तुम्हें मुक्त नहीं किया जा सकेगा । और जब तक नहीं दिया मुक्त नहीं किया है। जो कुछ कर लिया वह तो बहुत है।

अब अगर यह इच्छा हो कि किसानों का शोषण किया जाय तो दूसरी बात है। इसका भी डटकर विरोध किया जावेगा । सरकार आगे चलकर महसूस करेगी । पर अभी तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार इस मसले पर ठंडे दिमाग से विचार करे। किसान की आर्थिक स्थिति को डांवांडोल करके आप विकास करना चाहते हैं तो न तो विकास होगा न उत्पादन बढ़ेगा बल्कि किसान बरबाद हो जावेगा।

अच्छा यह हो कि लेवी के मामले में जहां जिस समय पैदावार हुई हो वहां जाकर कैम्पों में मार्केट रेट के आधार पर

(श्री भैरोंसिंह)

किसान से लेवी वसूल करें । इसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं हो सकती । इसका जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता कि बाजार में १२५) १३०) क्विन्टल में गेहूं बिके और आप ७५) और ८१) क्विन्टल उनसे वसूल करें । यह तो आप भी स्वीकार करेंगे कि आज राजस्थान की सरकार भी अपनी पुस्तकों, राष्ट्रीयकृत पुस्तकों में मुनाफा खाकर बेचती है, कोई व्यापारी ऐसा नहीं है जो बाजार भाव से ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने की चेष्टा नहीं करे । आज सरकार मुनाफा कमाने के लिये रोडवेज का किराया बढ़ा सकती है, पुस्तकों की कीमतें बढ़ा सकती है अपने फायदे के लिये इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी बढ़ा सकती है, अपने फायदे के लिये वाटर रेट बढ़ा सकती है, तो आज किसान को इस से महरूम क्यों रखा जाता है । उसने अपने पसीने से अपनी गाढ़ी कमाई से गेहूं की पैदावार की है । आज उस को बाजार मूल्य के आधार पर कीमत न दी जाकर सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों पर देने के लिये बाध्य किया जाकर ५०) क्विन्टल तक का नुकसान उसे पहुंचाया जावे । यह कहां का न्याय है ?

मैं एक मिनिट में निवेदन करना चाहता हूं । राजस्थान और देश का भविष्य कृषि की उन्नति पर निर्भर है । हमारा देश और उसमें भी प्रमुख रूप से राजस्थान कृषि प्रधान है । कृषि का अगर यहां विकास होगा, कृषक खुशहाल होगा तो वह उत्पादन बढ़ावेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो अनाज की समस्या का समाधान होगा । आज हमें किसान को खुशहाल बनाने का प्रयत्न करना चाहिये । पर आज तो राजस्थान की इस सरकार ने उल्टा रवैय। अख्तियार कर लिया । किसान का शोषण करके कुछ ऐसे तत्वों के द्वारा खेल खेला जा रहा है जो किसान को चौपट करना चाहते हैं और अनाज के उत्पादन को ठप्प करना चाहते हैं । लेवी वसूल होनी चाहिये केवल इस नाम के ऊपर कांग्रेस के नेता खड़े हैं इसलिये कांग्रेसी सदस्य भी चुप हैं । नहीं तो छाती ठोककर हिम्मत वाले हों तो सिवाय मन्त्री महोदय के कोई अन्य खड़ा होकर यह कह दे कि यह लेवी की नीति सरकार की वाजिब है । तो कांग्रेस पार्टी की यह नेकनीयती की और ईमानदारी की बात होगी । हमने सरकार को कहा था कि लेवी वसूल न कीजावे । आज फिर कहना चाहूंगा कि आज कांग्रेस के सदस्य वहां जाकर किसान से कहते हैं लोगों से कहते हैं कि लेवी लेना जरूरी नहीं है । हमने तो कहा था वहां पर ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : पहले भी कहा था और अब भी कहूंगा ।

श्री भैरोंसिंह : आप कह सकते हैं । आप किसान नहीं हैं । आपने कभी हल नहीं चलाया । अनाज कैसे पैदा होता है, जानते नहीं । किसान का गला काटने को बैठे हैं । आज मन्त्री मण्डल में किसानों का बहुमत नहीं है । इसलिए यह प्रश्न पैदा हुआ ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : एक तरफ कन्जूमर की परवाह नहीं करने की बात कहते हैं, कहते हैं सरकार मंहगाई बढ़ाती जा रही है, दूसरी तरफ लेवी की पैरवी करने वालों को कोसते हैं । दोनों में कोई न कोई सामन्जस्य तो होना चाहिये ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अगर राजस्थान की सरकार चालीस पैसे प्रति यूनिट की लागत की बिजली को ३ पैसे प्रति यूनिट की दर से डी. सी. एम. को दे सकती है तो कोई कारण नहीं कि वह बाजार भाव से किसान से खरीद कर सबसिडी अपनी ओर से देकर सस्ते भाव पर कन्जूमर को मुहय्या क्यों न करें ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैं कह रहा था दोनों तरफ की बातें कैसे कह सकते हैं । एक तरफ कन्जूमर्स को भी सस्ते भाव पर दिलाना चाहते हैं और दूसरी तरफ किसानों को बाजार भाव की बात करते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : ये खेती करते नहीं, बीज कैसे डाला जाता है इसका ज्ञान नहीं किसान हल कैसे चलाता है यह अनुभव नहीं । अनाज कैसे पैदा होता है इसका अनुभव नहीं ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपको तो है ?

श्री भैरोंसिंह : मुझे तो सब अनुभव है । तो ऐसा व्यक्ति अगर किसान के बारे में कुछ कहे तो उसे गम्भीरता से लेने की आवश्यकता नहीं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :कथावाचक हैं आप तो ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपसे बढ़िया नहीं मिलेगा ।

श्री भैरोंसिंह : तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के किसान के साथ यदि इस प्रकार की ज्यादती की गई तो इसका असर अच्छा नहीं होगा, उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा । आज लोगों को गिरफ्तार किया है इसके लिये । कइयों को जेलों में रख दिया ।

मैंने पहले भी कहा है और फिर कहना चाहता हूं कि डी. आई. आर में जैसी गिरफ्तारियां होती हैं वैसी गिरफ्तारियाँ इस लेवी के मामले में हुई हैं । अभी भी कहता हूं कोई मन्त्री जी कहीं पर सरप्राइज विजिट कर लें आपको हर तहसील में दस बीस किसान बैठे मिलेंगे । वे और कुछ कहने वाले नहीं हैं अगर आप उनको पूछेंगे कि यहां क्यों बैठे हो तो वे वहां आपको किसी लकडी का परमिट लेने के लिये बैठे नहीं मिलेंगे, या लगान जमा कराने आये हों यह भी कारण नहीं मिलेगा और किसी कारण से आये हों तकावी लेने या बीज लेने सो भी बात नहीं मिलेगी । वे यही कहेंगे, सब के सब एक ही बात कहेंगे कि हमारे पास खाने को अनाज नहीं है पर फिर भी सरकार लेवी वसूल करने के लिये हमें हवालात में बिठाये हुए है ।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

लेवी के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार

(श्री भैरोंसिंह)

को अपनी नीति में परिवर्तन कर लेना चाहिये। इसे तुरन्त समाप्त कर देना चाहिये नहीं किया तो राजस्थान सरकार जितना अनाज आज इकट्ठा करना चाहती है वह भी नहीं होगा किसान भी तबाह होगा और सस्ता अनाज जो आप करना चाहते हैं वह भी इस लेवी से सम्बन्धित नहीं है। आप यदि इतना सा अनाज इकट्ठा कर भी लेंगे तो अनाज बाजार में सस्ता होने वाला नहीं है। आपकी सरकार की तो नीतियां ऐसी हैं कि जिनके रहते अनाज सस्ता होने वाला नहीं है, उत्पादन बढ़ने वाला नहीं है, और किसान खुशहाल होने वाला नहीं है।

जैसा समाजवादी सदस्य ने कहा था, मैं भी उनसे इस बात में सहमत हूं कि इस सरकार की इस कांग्रेस सरकार की पालिसी पर अमेरिका इस प्रकार से हावी होकर बैठा है कि जिससे भारत सरकार पी. एल. ४८० का अनाज ज्यादा से ज्यादा ले, पी. एल. ४८० का अनाज ज्यादा से ज्यादा इस देश में आवे और इस तरह से इस पी. एल. ४८० के मातहत सारा हिन्दुस्तान अमेरिका का गुलाम बना रहे। इस प्रसंग में हमारी सरकार और सारे हिन्दुस्तान की सरकार इकानोमिक पालिसी को ताक में रखकर अमेरिका की तरफ नजर लगाये रखने वाली नीति लेकर बैठी है। इस नीति के आधार पर न अनाज देश में सस्ता हो सकता है न वह बढ़ सकता है। इससे किसान भी तबाह होगा और यह देश तो तबाह होगा ही।

इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि लेवी के प्रश्न पर सरकार पुर्नविचार करते हुए लेवी के इस प्रश्न को तुरन्त स्थगित कर दे।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल व्यास।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, आपकी नजर बहुत देर में जमती है। आपकी नजर स्थिर होनी चाहिये। एक तरफ जम जाती है। इससे नुकसान हो जाता है।

श्री अध्यक्ष : उनकी नजर की तो कोई औकात ही नहीं है। आप निवेदन करिये।

श्री गिरधारीलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, जहां तक कठिनाइयों का सवाल है उनका तो वाकई निराकरण होना चाहियें।

जैसा कि मैंने पहले भी निवेदन किया था कि आज जो लेवी की वसूली को जा रही है। मंत्री महोदय ने पहले जो स्टेटमेंट दिया है उसमें स्पष्ट आदेश प्रसारित किये गये थे, उसके बावजूद भी हमारे सरकारी अधिकारी इस लेवी को वसूल करने में ज्यादती कर रहे हैं, वह नहीं होनी चाहिये ऐसा मेरा मन्तव्य है। मगर जहां तक गिरदावरी का प्रश्न है और गिरदावरी जिस प्रकार तैयार की जाती है उसमें सबसे बड़ी मुश्किल यह आती है कि हमारे जो पटवारी हैं जिन्होंने कि यह सारी की

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

सारी कार्यवाही की है और जो इस सारे किसानों की कठिनाई की मुख्य जड़ हैं, उसके ऊपर कन्ट्रोल नहीं किया। आज एक आदमी के पास १०बीघा जमीन है और उसमें से एक बीघा जमीन में वह गेहूं बोये, दो बीघा जमीन में जौ बोये और ३ बीघा जमीन में चना बोये, इस तरह से बोये। लेकिन पटवारी ने अपने घर में बैठकर १० बीघा जमीन का हिसाब लगाया और उसी हिसाब से गेहूं की लेवी वसूल करने के लिए स्टेटमेंट दिया और मांग-पत्र किसान के पास प्रस्तुत कर दिया। इसके बाद काश्तकार एस. डी. ओ. से जाकर मिले, तहसीलदार से जाकर मिले, पटवारी से जाकर मिले लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई और उसकी बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और लापरवाही से उसकी बात को टाल दिया। काश्तकार ने उनको सारी बातें स्पष्ट की गेहूं, जौ, चने, मेथी सबकी पिलाई अलग अलग अर्ज करके लेवी की कार्यवाही की जाय। उस आदमी को ऑबजेक्शन मांगने के लिये मांग-पत्र दे दिया जाता है वह मांग-पत्र लेवी वसूली के पत्र के साथ प्रस्तुत कर दिया जाता है उसको भी पूरी तरह हमारे एस. डी. ओ. और तहसीलदार डिसपोजल नहीं करते और बराबर इस प्रकार की गलत मांग जारी रहती है। मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट के रेकार्ड से यह साबित हो जाय कि यह लेवी इस प्रकार से गलत मांगी गई थी कम से कम उसी वक्त कुछ न कुछ निर्णय होना चाहिये ताकि कल या परसों बार बार परेशान न हो और व्यवस्था तुरन्त लेने की कार्यवाही होनी चाहिये। बहुत सी कठिनाई हल हो सकती है। इसी प्रकार अकालग्रस्त ऐरिया में भी पिछली बार कहा गया था कि अकालग्रस्त ऐरिया में लेवी वसूली की कार्यवाही स्थगित कर दी जाय। खरीफ की फसल का पूरा अनाज न निपटा हो इसी प्रकार अगर रबी की फसल भी न हुई हो तो उनको भी स्थगित कर दिया जाय मगर वहां पर मांग-पत्र जिन जिन लोगों ने गेहूं के भरे हैं, उनको मांग-पत्र दे दिया जाय और यह कार्यवाही अब तक चालू है। मैं माननीय मंत्री महोदय को इसके पूर्व भी इस सम्बन्ध में जानकारी दे चुका हूं और मैंने स्वयं ने दरख्वास्त प्रस्तुत की है कि वहां पर जहां पर अकालग्रस्त एरिया है लेवी वसूल करने की कार्यवाही हो रही है जब कि आपके स्पष्ट आदेश हैं कि उन्हें बन्द कराई जाय और अकालग्रस्त एरिया में लेवी वसूल न की जाय तो इस बारे में हमको पूरी तरह ध्यान रखकर, गवर्नमेंट के इस प्रकार आदेश हो गए हैं तो वहां के सरकारी अधिकारी इसका पालन न करें यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है इसके लिये पूरी तरह ध्यान करेंगे और माननीय सदस्य पूरी जानकारी देंगे। दूसरी मेरी अर्ज है कि कल यहां बड़े जोरों से व्हीट ग्रोवर्स जो है और जो पंचायत समिति ज्यादा पैदा करती है दो मन उनको पंचायत समिति की ओर से दिया जाता है और बड़े बड़े जागीरदारों और बड़े बड़े आदमी इन व्हीट ग्रोवर्स में से उनकी पैरवी कल परसों यहां असेम्बली में की गई। ऐसा लगता है जो बड़े ग्रोवर्स हैं जिन्होंने हजारों मन गेहूं पैदा किया है और जिन्होंने पंचायत समिति को सवा सवा भी डेढ़ डेढ़

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

सो मन गेहूं दो रुपये फी किलो के हिसाब से उसको दिया और ऐसे लोग हैं जो अब लेवी देने से वंचित रहना चाहते हैं। मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक तरफ तो दो दो रुपये सरकार से फी मन ज्यादा वसूल कर लिया और उसके बाद अब भी पोते में है। हजारों मन अनाज पड़ा हुआ है पर चूंकि वे इन्फ्लूएन्सियल आदमी हैं अपनी गार्डस को वे ठेठ तक पहुंचा सकते हैं इतनी बड़ी-बड़ी तादाद में उन लोगों से लेवी वसूल नहीं की जाय तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं इस प्रकार की पैरवी के अन्दर हमारे कन्ज़ूमर को सस्ते भाव पर गेहूं दिलाने का है। यह नहीं होना चाहिये कि उनसे गेहूं, जौ आदि जबरदस्ती वसूल कर लिया जाय और उसको पुलिस में बैठा दिया जाय। पटवारी के जरिये उनसे ले लिया जाय तहसीलदार के जरिये उनको तंग किया जिनके पास सैकड़ों हजारों मन अनाज पड़ा हुआ है वे लोग जो हैं तहसीलदार से मिलकर वापिस कर सकते हैं। इसमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

ऐसे लोग जिससे लेवी वसूल होनी चाहिये वे तो लेवी देने से वंचित रह जायं और जो गरीब आदमी हैं दस दस, पांच पांच मन अनाज पैदा करते हैं जिन लोगों ने अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने बोहरे को और दूसरे लेवी की मांग जाने के पूर्व ही बेच दिया उनको जबरदस्ती तंग किया जाकर तंग किया या नहीं किया लेकिन वे गेहूं खरीद कर १२५ रु० से ऊपर देकर लेवी जमा करा रहे हैं तो आपके जरिये मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : ध्यान आकर्षित हो गया, कृपया स्थान ग्रहण कर लें।

श्री गिरधारीलाल व्यास : रजिस्टर्ड ग्रोवर्स से यह लेवी वसूल होनी चाहिये, एक मिनट में खत्म करता हूं माननीय अध्यक्ष।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट का समय नहीं है माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह : मैं न खेती करता हूं न मैं काश्तकार हूं और न ही मेरे पास जमीन है। मेरे पास एक भी जमीन........

(व्यवधान)

श्री गिरधारीलाल व्यास : मगर यह लेवी जो है उसका वसूली का मुख्य उद्देश्य है.........

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री गिरधारीलाल व्यास : एक तरफ तो यू० पी० में आप अपनी पार्टी के तहत लेवी वसूल करने के प्रोग्राम में सहयोग देते हैं और यहां पर हमारी राजस्थान की सरकार को सहयोग देने के बजाय कन्ज़ूमर की दिक्कतें मिटाने के बजाय उन्हें परेशानी में

Page No. 101

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

डालते हैं। कन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट प्रस्तुत किया गया है। इससे यहां की व्यवस्था गड़बड़ है ऐसी बात कहकर........

(शोर गुल)

खाद्यान्न की व्यवस्था राजस्थान की नहीं बल्कि सारे देश की समस्या है। यह किसी पार्टी की समस्या नहीं है।

(व्यवधान)

बराबर सहयोग देकर काम करना चाहिये तभी हम देश की समस्या का हल कर सकेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज।

महारानी शिवकुमारी।

(व्यवधान)

महारानी श्रीमती शिवकुमारी (खानपुर) : अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ दिनों से सदन के अन्दर लेवी के प्रश्न को लेकर जो वाद विवाद उठ रहा है और जनता के अन्दर शहरों में, गाँवों में, जहां जहां लेवी के प्रश्न का विवाद उठ रहा है जो असन्तोष और रोष फैला हुआ है, यह एक गंभीर प्रश्न है। पहले तो जो समय लेवी वसूली करने का निर्धारित किया गया और जो फैसला किया गया वही गलत है क्योंकि १५ मई तक काश्तकार लोग अपने अनाज को बेच चुके होते हैं और जो कुछ भी उनको अपने घरों में अपनी जरूरत के लिये अनाज रखना होता है वह रख लेते है। १५ मई के बाद हमारे यहां लोग अगली फसल की तैयारी के लिये मेलों में बैल वगैरह खरीदते हैं क्योंकि इन्हीं दिनों में मेले लगते है। दूसरी बात इस साल यह है कि अबकी विवाह वगैरह के जो सावे हैं वे इतने ज्यादा हुये हैं कि इसकी वजह से किसान ने और भी जल्दी अपने अनाज को बेचकर रुपया ले लिया ताकि शादियों में उसका उपयोग कर सके। तीसरी बात है कि सरकार के द्वारा यह नियम निर्धारित किया गया है कि कानूनन ५० क्विन्टल से ज्यादा अनाज कोई नहीं रख सकता है। ऐसी स्थिति में लोगों ने अपना अनाज सब बेच दिया और जब उनके पास अनाज ही नहीं रहा तो लेवी के लिए एक्सट्रा कहां से लावें। ऐसी हालत में लेवी लेना बिल्कुल अनुचित है। लेवी वसूली के लिये जो इन्तजाम सरकार की तरफ से होना चाहिये वह इतना विलम्ब से हुआ है कि १५ जून तक इनको कोई कार्यवाही नहीं हो सकी। इसके अलावा किसान की कोई सुविधा का ध्यान नहीं रखा गया। लेवी केन्द्रों पर लोगों को शक्कर, तेल, सीमेन्ट, चद्दरें व कपड़े इत्यादि सस्ते भाव से या ठीक भाव में दिया जाय, इसका कोई प्रबन्ध नहीं था। गवर्नमेंट की तरफ से, उनको बड़ी असुविधा हुई है।

इसके अलावा कीमतें लेवी के गेहूं की

(महारानी श्रीमती शिवकुमारी)

निर्धारित की गई, बाजार में गेहूं का भाव १२५) क्विन्टल है और गवर्नमेन्ट ने ८५ क्विन्टल का भाव निर्धारित किया है, यह कहां तक न्याय संगत है। मैं समझती हूं यह बड़ी भारी ज्यादती है किसानों पर। लेवी लेना ही है तो मार्केट रेट से लेते। गेहूं नहीं हैं जिनके पास देने को तो पैसे ले लिये जायं। इस तरह ज्यादती करके लेवी लेना कहां तक वाजिब है यह मैं निवेदन करना चाहती हूं।

कागजों में सरकार के पास आंकड़े हैं वे बिलकुल गलत है। ऐसी आम शिकायतें हैं कि जितनी जमीन में गेहूं बोया जाता है, ३० बीघा जमीन होती है तो ६० करके दिखायी जाती है, यह बिलकुल गलत है।

कालीसिंध योजना से सांगोद तहसील में ६२२ एकड़ भूमि को एक बार पानी दिया गया जब कि आम तौर पर लोगों को मालूम है कि चार पानी बिना सिंचायी होना संभव नहीं है और न इतने पानी से पैदावार हो सकती है। इस पर यहां लेवी लगाना कहां तक उचित है ?

इसी तरह परवन और आलनियां नहर योजना में पानी नहीं मिला और लोगों से लेवी मांगी जा रही है। यह भी कोई ठीक बात नहीं है। जिन इलाकों में अकाल की स्थिति घोषित हो चुकी है वहां भी लेवी ली जा रही है। लाडपुरा तहसील में २४ गांव हैं, जिनमें बन्याणी खेड़ा, रसूलपुर, कंथून आदि शामिल हैं इन में लेवी ली जा रही है। इसी प्रकार राजस्थान के २६ जिलों में से २३ जिलों में अकाल घोषित किया गया है। इन पर पिछले वर्ष में ११ करोड़ रुपये राहत कार्यों पर खर्च हुए। कोटा जिले में लाडपुरा तहसील में ३२ गांव, इन्द्रगढ़ में ८२ गांव, पीपलदा में ६२, बारां में ११ किशनगढ में २२ गांव और रामगंज मंडी में २८ गांव, इस प्रकार कुल २३७ गांव अकाल ग्रस्त घोषित किये गये जिनमें सिर्फ तीन चार जगह रिलीफ कार्य किया गया। पीपलदा में खातोली से बावली तक सड़क, रामपुरा से नया गांव तक सड़क तालाब से बारदा तक और इन्द्रगढ़ में तालाब बलवन व बांध देवपुर। यह बिलकुल नगण्य है। ऐसी स्थिति में इन जगहों पर लेवी लेना कहां तक उचित होगा यह मैं आपसे पूछना चाहती हूं।

एक तरफ लेवी लेने के लिये आपने सब छीन लिया और दूसरी तरफ काश्तकारी की सहूलियत का कोई ध्यान न रख कर कोटा के इलाके में पिलाई की दरें बढ़ा दीं, खाद की दरें बढ़ा दीं, बीज भी नकदी से दिया जाता है। काश्तकार पर इस प्रकार बोझ डाला गया वह कहां से पैदावार करे। राष्ट्रदूत में दो चार दिन पहले खबर थी कि ७॥)रु० पर किलो जवार का बीज दिया गया है। तो यह किसी भी तरह से किसान के लिये उसके बस के बाहर की बात है कि उसको किस प्रकार खरीद सकता है। सैटलमेंट के रिविजन से लगान बढ़ गया।

(विरोधी पक्ष द्वारा शेम शेम)

(महारानी श्रीमती शिवकुमारी)

पूरा पानी नहीं दिया जाता । पिलाई की दरें बढ़ चुकीं । वाटर लोगिंग की बड़ी समस्या है कोटा जिले में । पटवारी लोग रिपोर्ट देते हैं वह बिलकुल गलत है जेसा मैंने कहा कि कम मागों में गेहूं बोया जाता है और ज्यादा एवरेज बता कर ज्यादा लगान और लेवी ली जाती है । नहरी सिचायी भी वहां नहीं है । तालाब में गेहूं बोया गया उसकी लेवी वसूल की जा रही है लेवी वसूली के लिये हमारे कलेक्टर कोटा ने जो आदेश दिये हैं, हिन्दुस्तान समाचार में जो आया है उसको मैं पढ़कर सुनाना चाहती हूं । "जरूरी हो तो लेवी वसूली में बल प्रयोग किया जाय ।"

श्री अध्यक्ष : कृपया थोड़ा जोर से बोलें । आवाज नहीं सुनाई दे रही है ।

महारानी श्रीमती शिवकुमारी : कोटा १३ जुलाई । जिलाधीश विक्रम प्रकाश सूद ने तहसील लाडपुरा के समस्त पटवारियों की एक आवश्यक बैठक में आदेश दिये कि लेवी की वसूली में कोई ढ़िलाई न की जाय तथा आवश्यक होतो उसके लिये बल प्रयोग भी किया जाय ।

(शेम शेम की आवाज)

श्री सूद ने पटवारियों के साथ चौकीदारों को भी अधिकार दिये हैं कि वे लेवी की वसूली के लिये कृषकों की तलाशी लें । यदि माल न मिले तो भी किसानों से बाजार से माल खरीद कर लेवी चुकाने के लिये मजबूर किया जाय ।

(शेम शेम की आवाज)

बेठक में कुछ पटवारियों ने जब मांग में आनेवाली कठिनाइयां पेश कीं तो आपने कहा कि इन बातों से काम नहीं चलेगा । यदि लेवी वसूली नहीं की तो उसका परिणाम आपको भुगतना होगा । जिलाधीश ने पुलिस की सहायता लेने के लिये कहा । उपरोक्त आदेश के उपरान्त क्षेत्र में लेवी वसूली की पार्टियां निकल पड़ी हैं तथा बोरखडा गांव मे अनेक किसानों से जबरन लेवी वसूल की जा रही है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या । आदेश कलेक्टर का है ।

श्री भैरोंसिह : पटवारियों के सम्मेलन में कलेक्टर ने जो भाषण दिया ।

श्री अध्यक्ष : यह एक्स्ट्रेक्ट कहां मे आये ।

श्री भैरोंसिह : यह अखबार के हैं ।

श्री अध्यक्ष : अखबार कौनसा ?

श्री भैरोंसिह : यह हिन्दुस्तान न्यूज एजेन्सी द्वारा प्रकाशित न्यूज है ।

श्री अध्यक्ष : दिनांक ?

महारानी श्रीमती शिवकुमारी : १३ जुलाई।

इस तरह से किसानों पर जुल्म किया जाकर उनके लिये बचे हुए खाने या बोने के लिए बीज के अनाज के दाने भी उनके घरों से जबरदस्ती जाकर छीन लिया जाय इसमे बढ़ कर ज्यादती और अन्याय क्या हो सकता है जबकि राजस्थान का ३,३४ हजार क्विन्टल कलेक्शन करने का उनका कोटा है। १,०४ हजार क्विन्टल अब तक कलेक्ट हो चुके हैं। १।३ भी वसूल नहीं हुआ। बाकी अनाज भी बाहर से ही मगाना पड़ेगा। ऐसी हालत में किसानों के साथ इस प्रकार का अन्याय करके उनको इस तरह परेशान नहीं किया जाय। एकतरफ तो हमारी सरकार ग्रो मोर फूड केम्पेन का नारा बुलन्द करती है दूसरी तरफ किसानों से जबरदस्ती अन्न वसूल करके उनको डिस्करेज किया जाता है तो इससे पैदावार कैसे होगी ?

(विरोध पक्ष द्वारा हीयर हीयर)

"जय किसान जय जवान" का नारा लगाकर बड़े बड़े अधिकारियों द्वारा उनके साथ यह व्यवहार क्यों किया जा रहा है इसके लिए मुझे बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि अन्न संकट भविष्य में आ रहा है बड़ा गम्भीर है इसकी भयंकरता को दृष्टि में रख कर इसकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, लेवी के संबंध में जो सरकार ने निर्णय किया है....

श्री अध्यक्ष : मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह वाद-विवाद की शक्ल न पकड़ ले इसलिए संक्षेप में आप कहेंगे ताकि समय बच सकें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, लेवी के आदेश....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ताकि जिन्होंने स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं उनको भी बोलने का मौका मिल सके।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सबको मौका मिल जायेगा इस बात का भी ध्यान रखा जाये।

श्री अध्यक्ष : ध्यान सभी तरह से रखा जाये जिससे समय की बचत हो सके। और आगे प्रश्न पर चला जा सके।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, लेवी की वसूली के संबंध में...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के ऊपर तो बहस हो ही नहीं सकती क्योंकि उसकी ऑडिट रिपोर्ट आज नहीं आई है।

श्री अध्यक्ष : आप तो व्यवधान करने की मन्शा रख रहे हैं आज।

श्री रामानन्द अग्रवाल : लेवी की

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

वसूली के सम्बन्ध में सरकार की तरफ से जो रवैया अपनाया जा रहा है वह न केवल सरकार की तरफ से जो आदेश जारी किये गये हैं उनके विपरीत है बल्कि नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। अध्यक्ष महोदय, अलवर जिले की ही कुछ बातों की तरफ मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करूंगा।

अध्यक्ष महोदय, वहां पर अलवर और भरतपुर में विशेष तौर पर विस्थापित लोग आकर बसे हैं। इन लोगों को अलग अलग जमीन और अलग अलग खतौनियां बनाकर खसरा नम्बर हर एक का अलग अलग दर्ज है अलग अलग खतौनियां बनाकर लैण्ड अलाटमेंट किया गया था। इस पिछले सेटलमेंट में यहां के जो सेटलमेंट आफिसर्स गये जो कि हमारे यहां की स्थिति से वाकिफ नहीं थे उन्होंने क्या किया कि एक एक कुए पर यदि सात-सात, आठ-आठ परिवारों को दो-दो बीघा जमीन अलग-अलग अलॉट हुई है, अलग-अलग खसरा नम्बर अलॉट हुए हैं उन तमाम जमीनों को इकट्ठी मानकर सबको ज्वाइट टेनेन्सी के रूप में उन्होंने बाबत सेटलमेंट के कागजात में पर्ची जारी कर दी। अध्यक्ष महोदय, चूंकि किसानों को लगान वगैरह देने में कोई दिक्कत नहीं आती थी इसलिए अभी तक उन्होंने उस बात से कोई परेशानी महसूस नहीं की लेकिन अब यह तमाम सब परिवार अलग अलग होते हुए भी चूंकि कुए की जमीन इकट्ठी एक जगह लिखी हुई है उनके खसरा नम्बर अलग अलग हैं फिर भी इन सब को एक मालिक खातेदार मानकर और उन पर लेवी लगा दी गयी है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह लेवी के आदेशों के बिलकुल विपरीत है, वास्तविकता के बिलकुल विपरीत हैं और इस प्रकार के जो परिवार हैं जिनकी खतौनियां अलग अलग बन चुकी जो कि बाकायदा अलग अलग परिवार हैं जिनका खसरा नम्बर अलग अलग दर्ज है उनकी ज्वाइन्ट टेनेन्सी नहीं मानी जानी चाहिए और उनके ऊपर जो डिमाण्ड स्लिप इश्यू हुई है उनको कैंसिल कर दी जानी चाहिए।

दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जिले में चाही जमीन है वह अधिकतर कुओं से काश्त होती है और एक एक कुए में जब तक चार-चार साझी खड़े न हों तो उस कुए पर लाव चरस से काश्त हो नहीं सकती, उससे सिंचाई हो नहीं सकती।

(१.३५ म० प०)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई उपाध्यक्ष पदासीन)

इसलिए जो किसान अपनी साझी खड़ी कर लेते हैं उन किसानों को और वह आपस में उनकी बटी हुई है, खसरा नम्बर भी बंटा हुआ है लकिन रेवेन्यू रेकर्ड्स में अभी सम्मिलित ही दर्ज है उन लोगों को भी इकट्ठा टेनेन्सी में मानकर उन लोगों को

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

अलग अलग डिमाण्ड स्लिप इश्यू कर दी गयी है। इस तरह से उपाध्यक्ष महोदय, जो लोग बहुत छोटी छोटी जमीनों के मालिक हैं जो एग्जम्पशन लिमिट में आते हैं उनके ऊपर लेवी बिलकुल नहीं लगनी चाहिए ऐसे लोगों पर कानून को तोड़ मरोड़ कर उनके ऊपर लेवी लगा दी गयी है।

तीसरी बात मैं उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के भी केसेज हैं जिसमें न केवल एक परिवार के लोग साझी के तौर पर काम नहीं कर रहे हैं बल्कि अलग अलग परिवार के हैं, अलग अलग जाति के हैं एक हरिजन है एक और अहीर है एक और किसी कौम का है वह अगर एक कुए पर काश्त कर रहे हैं तो केवल मात्र इस कारण कि वह एक काश्त करते हैं उन लोगों की ज्वाइन्ट टेनेन्सी कुए पर मान ली गयी है और उनकी जमीन का पर्चा दे दिया गया है और उनसे लेवी वसूल की जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, अब स्थिति यह है कि जिस आदमी का नाम है डिमाण्ड स्लिप उसे इश्यू हुई है दूसरे लोग जो उसमें शामिल हैं उन लोगों के नाम पर डिमाण्ड स्लिप नहीं है तो उस बेचारे की डबल मार हुई है। दूसरे लोग उसका हिस्सा देने को तैयार नहीं हैं। वह कहते हैं कि हमारी तो दो बीघा जमीन है और हमारी दो बीघा जमीन एग्जम्पशन में है इसलिए इसपर लेवी नहीं ली जानी चाहिए। अब भी १२ बीघा का कुआ है एक 'ए' के नाम जारी हो गया तो चाहे वह दो ही बीघा हो 'ए' के पास लेकिन १२ बीघा पर लेवी 'ए' के नाम से वसूल हो रही है और 'बी' सी० 'डी' जो उसमें शामिल हैं उनके ऊपर डिमाण्ड स्लिप नहीं है। वैसे जायज तौर पर उनसे वसूली भी नहीं होनी चाहिए और अब 'ए' के जिम्मे मुकद्दमा चला हुआ है और वह मुकद्दमा लड़ने की कोशिश करता है तो उस पर डबल मार पड़ी है। मैं यह कहना चाहूंगा कि इस प्रश्न पर गम्भीरता से सरकार को विचार करना चाहिए। अभी तक मैंने उन्हीं मामलों की तरफ आपको इशारा किया है जहां लीप्स एण्ड बाउन्ड्स में खेतों का बंटवारा है, जहां खसरा नम्बर अलग अलग हैं उनको आप ज्वाइन्ट टेनेन्सी मान रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि यह कानूनी तौरसे भी गलत है जहां लीप्स एण्ड बाउन्ड्स का डिस्ट्रिब्यूशन नहीं हुआ है अगर रेवेन्यू रेकार्ड में इस तरह से भी इन्दराज है ए' 'बी' 'सी' 'डी' बहिस्सा बराबर १।४ था इनके चौथे-चौथे हिस्से के जमीन के वह मालिक हैं। एग्जम्पशन की दृष्टि से आपको देखना चाहिए कि वह १२ बीघा का कुआ है और चार-चार लोगों को बराबरी हिस्सेदारी में लिखा हुआ है १।४-१।४ सबका हिस्सा है तो आपको ३ बीघा का हर एक आदमी का मानना चाहिए और उनको एग्जम्पशन में मानना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, यह इस तरह से जो यहां पर अनाउन्समेन्ट हुआ जिस तरीके से आपने छोटे छोटे किसानों को दो एकड़ वालों तक को एग्जम्प्ट करने की घोषणा की और अगर वास्तविकता से इस कानून को लागू किया जाता तो बहुत बड़ी तादाद में किसानों को छुटकारा मिल सकता था

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

लेकिन आज केवल आप इसलिए कि आप अनुचित तरीके से भी जिन लोगों से लेवी वसूल नहीं होनी चाहिए आप अपने टार्गेट पूरा करने के लिए उनको भी जबरदस्ती तंग कर रहे हैं और उपाध्यक्ष महोदय, आज जैसे अभी खानपुर से आने वाली सदस्या ने कहा यह केवल कोटा जिले की ही बात नहीं है हर जिले के अन्दर मैं समझता हूं कि इस तरह रेवेन्यू आफिसर्स की मीटिंग बुलाई गई है और उस रेवेन्यू आफिसर्स की मीटिंग में कलेक्टर्स ने साफ तौर से इस तरह के आदेश दिये हैं कि सरकार का यह हुकम है कि इतना अनाज तुमको इकट्ठा करके देना है और इसमें आपको फ्री हैंड देते हैं बल्कि यह एक आम बात है कि जब एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर्स की मीटिंग बुलाई जाती है तो वह भी एक संकेत गवर्नमेन्ट की तरफ से मानते हैं। इन्टेन्शन क्या है क्या नहीं है वह बात बहुत देखते हैं। पहले वह पूछते हैं कि सरकार की मन्शा क्या है—इस चीज को लागू करना है वह कहते हैं अगर आप लागू करना चाहते हैं तो हमको फ्री हैंड दे दीजिए और उसके बाद में पीछे वह एग्जीक्यूटिंग आफिसर्स को फ्री हैंड देते हैं आप लागू करें, वसूली करें और कुछ होगा तो हम देख लेंगे। और उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो इस लेवी प्रोक्योरमेन्ट आर्डर में कलेक्टर साहब को पावर्स दीं कि जो लोगों के अभाव अभियोग हों कहीं अकाल हुआ हो या किसी की जमीन में खराबी हो गयी हो उसकी इन्डीविजुअल एप्लीकेशन के ऊपर विचार करके उसको राहत दी जाये इस तरह के इस प्रावधान के ऊपर कलेक्टर्स ने अमल नहीं किया है। अलवर जिले को तो मुझे अनुभव है उपाध्यक्ष महोदय कि कलेक्टर ने अपनी पावर्स डेलीगेट करदी हैं एस० डी० ओ० को और इस प्रकार की एप्लीकेशन्स को एन्टरटेन करने से इन्कार कर दिया। अगर कोई साधारण किसान गया तो उसको कह दिया कि इतना देना ही पड़ेगा नहीं तो जेल में जाओगे और अगर कोई किसी वकील को साथ ले आया तो कहा कि वकील साहब अब तो वसूल हो जाने दीजिए फिर देख लेंगे याने इस तरह से डिली-डैली टैक्टिक्स लगाकर वसूली की जा रही है और परेशान किया जा रहा है ....

बानसूर तहसील का, उपाध्यक्ष महोदय, एक ऐसा बानसूर तहसील का मामला इस किस्म का मेरे नोटिस में आया कि जहां कुएं अलग अलग हैं। एक कुए और दूसरे कुए में कम से कम आधा मील का फासला है इन दोनों कुओं की जमीनों को मिला कर जब कि दोनों कुओं का मालिकाना अलग अलग है, उन दोनों कुओं की जमीनों को मिला कर उस लेवी के एरिया के अन्दर आ जाय, इस बात के लिए उन दोनों कुओं की जमीनों को मिला कर शामलात जमीन करके फिर इन पर डिमांड स्लिप जारी कर दी गई और जब इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया तो उस प्रोटेस्ट को भी सुना नहीं गया और लोग बेचारे मारे मारे फिरते रहे।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

इसी तरह से मण्डावर तहसील में, उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत बाइज्जत लोगों को वहां पर पीट गया और उनको जबरदस्ती इस तरह से पीट कर और उनको चुप किया गया और उनसे लेवी वसूल की गई। कुछ टीचर्स अपने गांव की कोई शिकायत लेकर गये, खुद उनके घर की शिकायत थी, एक टीचर होने के नाते अपने घर अपने घर की ही कोई शिकायत नहीं ले जायं, मैं यह समझता हूं कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। एक टीचर ने इस तरह की कम्प्लेंट की तो वहां के एस. डी. ओ साहब ने उसके खिलाफ रिपोर्ट कर दी कि यह आदमी लेवी की वसूली में बाधा पहुंचाना चाहता हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर हमारा यह स्वतन्त्र देश है, डेमोक्रेटिक तरीके से हम चलना चाहते हैं और अगर किसी कानून को समाज के हित में आप बनायें तो इस कारण कि आपको यह कानून लागू करना है, आप नेचुरल जस्टिस के तमाम प्रिंसिपल्स को तमाम बातों को बलाए ताक पर रख कर इस तरीके से अमल क्यों करना चाहते है कि जनता उसके जबरदस्त विरुद्ध हो जाय। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया अपना भाषण छोटा करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो जोइन्ट टेनेन्सी का प्रश्न है इस पर गवर्नमेंट गम्भीरता से विचार करे। इस प्रश्न से न केवल लेवी का ही इफेक्ट होता है बल्कि आपने लगान में जो एग्जेम्पशन दिया है मिनिमम होल्डिंग्स में उसमें भी यह जोइन्ट टीनेंसी बनाने से बहुत से लोग जो हकदार हैं वे वंचित रहते हैं, जिन लोगों पर आपने सेंट पर सेंट सरचार्ज लगाया है ३० स्टैंडर्ड एकड़ होने के कारण, उनको जॉइन्ट टीनेंसी के अन्दर गलत तौर से रखा गया है जो लोग उसकी धारा में नहीं आते हैं, जॉइन्ट टीनेंसी गलत तरीके से मानने के कारण सेंट परसेंट सरचार्ज लग जाएगा। तो इसलिए यह चीज, लेवी का प्रश्न तो आयन्दा भी आएगा। इसलिए मैं गवर्नमेंट से निवेदन करना चाहूंगा कि आप इन बातों पर विचार करें और आप इस कानून में जो बुनियादी खामियां हैं उनको दुरुस्त करें, वरना आप इस भरोसे में न रह जायं कि अब की बार तो आपने देर से इसे लागू किया और लोगों ने नई चीज मान कर वसूल होने दी लेकिन यदि यही आपका रवैया रहा, इसी तरीके से आपने वसूल करने की कोशिश की, जो जायज बाते हैं लोगों की उनको नहीं सुना तो लेवी के विरुद्ध लोगों को सोचना पड़ेगा और राजस्थान के अन्दर सारे किसानों को इकट्ठा होकर आपकी अनजस्टिफाइड चीजों का मुकाबला करना पड़ेगा। इसलिए मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसी परिस्थितियां पैदा न हों इससे पहले आप जो इसके अन्दर जस्ट और रीजनेबल बातें होनी चाहिए उनको पूरा करें और दूसरे प्रांतों में, सारे हिन्दुस्तान में दूसरी जो नॉन-कांग्रेस गवर्नमेंट्स हैं उनसे आप सबक

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

लें, वे जिस तरह से कर रही हैं, उन बातों को भी ध्यान मे रखें ताकि लीस्ट रेजिस्टेंस हो।

(कई माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री जुझारसिंह। लेकिन आप अपनी बात बहुत थोड़े में कहेंगे। बहुत से सदस्य बोलना चाहते हैं इसलिए जो खास मुद्दे हों उन्हें ही थोड़े में कह दें।

श्री जुझारसिंह (रामगंज मण्डी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो बहुत थोड़े में ही बोलूंगा और मुद्दे के पॉइन्ट ही कहूंगा, मन्त्रीजी उनको ध्यान से सुन लें। मैं वही बात कह रहा हूं जिनका जवाब हाउस में दिया गया है। मेरी तहसील सांगोद के बारे में जनसंघ की सदस्या, खानपुर से आने वाली माननीय सदस्या ने इसके बारे में जिक्र कर दिया है, लेकिन फिर भी यहां पर जो रेवेन्यू मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने मेरे एक प्रश्न का उत्तर ३०-५-६७ को यहां पर दिया था और उसमें बताया था कि सांगोद तहसील में २८६ गांवों में अकाल की स्थिति है लेकिन फिर भी वहां पर अकाल घोषित नहीं किया गया है। इसी तरह से रामगंज मण्डी में ८६ गांव अकाल की स्थिति में हैं लेकिन केवल २८ गांव को ही अकाल ग्रस्त घोषित किया गया है। तो जिस चीज को आप रेकार्ड में मानते हैं, जिस चीज को सदन में कह दिया है कि एक तहसील में २८६ गांवों में अकाल की स्थिति है, जो एक तहसील है उसमें २५ प्रतिशत गांवों को छोड़ कर ७५ प्रतिशत से ज्यादा गांव ऐसे हैं जहां पर अकाल है उसके बावजूद भी उस एरिया को अकाल-ग्रस्त घोषित नहीं किया जा रहा है, और सिर्फ पोलिटिकल रीजन्स से ही अकालग्रस्त घोषित करते हैं और इस तरह से लेवी लेते हैं, और लोगों को परेशान करते हैं। तो यह कहां तक उचित है। आपके गवर्नमेंट के रेकार्ड से आपके मन्त्रीजी के द्वारा यहां पर स्वीकार किया जाय तो फिर इसका आप ही फैसला कर दें कि उस एरिया से लेवी लेना कहां तक वाजिब है। इस तरह माननीय मन्त्रीजी ध्यान दें।

दूसरी बात जैसी भैरोंसिंहजी ने बतायी कि यह गवर्नमेंट के इरिगेशन डिपार्टमेंट की दी हुई सूची है। उसमें उन्होंने बताया है कि सांगोद तहसील में रबी की फसल में इस साल ९२२ एकड़ में पानी की एक पिलाई की और दूसरी पिलाई एक एकड़ में खरीफ की फसल के रूप में की है और एक से अधिक पिलाई वहां पर नहीं की है। तीसरी और चौथी पिलाई तो बिल्कुल नहीं हुई है। उसके बावजूद भी सारे क्षेत्र को सिंचित मान कर लेवी लगाना कहां तक उचित है? यहां पर लिफ्ट इरिगेशन भी होती है कुओं से, लेकिन अभी तक कुओं में पानी बिल्कुल नहीं पहुँच रहा है। वहां पर उजाड़ नदी हमारे क्षेत्र में है जिससे बहुत ज्यादा लिफ्ट इरिगेशन की स्कीम चलती रहती हैं, लेकिन अबकी बार तो वह भी बिल्कुल सूख गई थी और उसके सूख जाने

(श्री जुझारसिंह)

से, वहां के गांवों में लिफ्ट इरिगेशन की स्कीम है, लेकिन इसके बावजूद भी एक या दो से ज्यादा पानी नहीं दिया गया है, और फिर भी उस रकबे को सिंचित बता कर उनसे लेवी वसूल की जा रही है।

इसके साथ-साथ यह भी निवेदन करूं कि मैं अक्टूबर महीने से बराबर मंत्री महोदय, को, कलेक्टर को, यहां के फूड कमिश्नर को और जो-जो सम्बन्धित अधिकारी है उनको बराबर लिखता आ रहा हूं कि मेरे क्षेत्र में अकाल की स्थिति है, उनका कभी जवाब आता है, कभी जवाब नहीं आता है। इनका रवैया ही ऐसा है कि जवाब तो बहुत ही कम आता है इस तरह से पत्रों का लेकिन मंत्री महोदय का जवाब जो सदन में प्राप्त हुआ है उससे कम से कम यह साफ है कि वे इस प्रकार की परिस्थिति से अवगत हैं, और मेरा पत्र उनको मिल गया था और उन्होंने खुद ने खाद्य आयुक्त को यह आदेश दे दिया था कि इस स्थिति की जानकारी करें। उसके छः-आठ महीने बाद भी वहां की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जब कि आप खुद यह कहते है कि वहां पर पानी नहीं है, राहत कार्य शुरू करने की आवश्यकता है। आप राहत कार्य शुरू करें या न करें, यह तो आपके सोचने की बात है लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी आप लेवी किन से और किस तरह से वसूल कर रहे हैं। वह लेवी देंगे कहां से। इससे तो जनता की परेशानी बढ़ाना मात्र है। मैं इस विषय पर ज्यादा नहीं बोलना चाहता, दूसरे भी सब लोग, बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे और बहुत से बोल भी चुके हैं, लेकिन चूंकि यह मेरे क्षेत्र का मामला है और इसके बारे में इस सदन में दो तीन प्रश्नों के जवाब भी आ चुके हैं। रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने भी जवाब दिया है और इरिगेशन मिनिस्टर साहब ने भी आंकड़े दिए हैं उनके आधार पर मन्त्री महोदय स्वयं ही फैसला करें तो खुद ही इस निर्णय पर पहुंच जायेंगे कि सांगोद तहसील और रामगजमण्डी में लेवी लेना अनुचित है। यही मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं।

(कई माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवचरणसिंह !

श्री शिवचरणसिंह (महुवा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय..........

श्री उपाध्यक्ष : थोड़े में कहेंगे आप अपनी बात। बिल्कुल थोड़े में कहेंगे आप।

श्री शिवचरणसिंह : आपकी आज्ञानुसार थोड़े में ही अर्ज करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आपको अर्ज करूं कि पहले जैसे खसरा गिरदावरी में इन्दाराज होता था जिसकी वजह से गांवों में जाकर पटवारी और गांव के मुखिया लोग हरएक खेत की मेड़ पर जाकर उसकी गिरदावरी भरा करते थे लेकिन अब उस खसरा गिरदावरी का प्रावधान नहीं रखा गया है और जो जिसवार एंट्री की जाती है जिसके

(श्री शिवचरणसिंह)

आधार पर हमारे यहां पर डिमांड स्लिप इश्यु की गई हैं आम तौर पर मैं आपको निवेदन करूं कि उनमें खामियां है। चूंकि पटवारी मौके पर जाता नहीं, और मौके पर न जाने के कारण से कहीं अगर जौ हैं तो गेहूं लिख दिया जाता है, और कहीं अधिक चना और जौ है तो भी वहां पर गेहूं लिख दिया जाता है, और इस प्रकार से लेवी वसूली की डिमाण्ड स्लिप्स जारी की गई है जो गलत इश्यू हुई हैं।

इसी प्रकार से साझेदारी के बारे में झगड़ा है। एक बाप की मृत्यु के पूर्व उसके चार लड़के हैं और चारों लड़कों की बराबर की हिस्सेदारी खाते में दर्ज है तो उसमे आपका जो खतरा है, खाता है सैटलमेंट का उसमें यह चारों भाइयों के नाम हिस्से में बराबर की बंटी हुई है, लेकिन हमारे यहां पर डिमाण्ड स्लिप जो इश्यू है वह एक के ही नाम पर इश्यू हुई है जब कि उस एक बाप की जमीन की लेवी चार हिस्सेदारों से बराबर बराबर वसूल होनी चाहिए थी।

नम्बर ३ मैं यह अर्ज करूं कि आम तौर पर जैसे गंगानगर जिले में और हमारी तरफ भी जमीनों की खरीद फरोख्त होती है,

(२ म० प०)

तो वहां पर जबानी तौर पर जमीन गिरवी रख देते हैं रजिस्ट्री कराने से पहले जमीन का कब्जा दे देते हैं। खाते बन्दी नहीं बदलते हैं काश्त एक करता है और टेनेन्सी राइट दूसरे के नाम दर्ज होती है। रेकार्ड के अन्दर जिसका नाम दर्ज होता है उसी के नाम डिमान्ड स्लिप मिलती है। यह तो हमारे टेनेन्सी लॉ के अन्तर्गत लीगल इम्पलीकेसी का प्रश्न है।

चौथा पॉइन्ट यह है कि राजस्थान के बड़े बड़े राजा महाराजा हैं जिनके फार्म है। उनको विशेष सुविधायें प्राप्त हैं। बहुत से राजा महाराजाओं के फार्म है, कोटा महाराजा के बड़े बड़े आर्चर्ड हैं? वे आर्चर्ड के नाम से उनमें खेती करते हैं। उसके लिये कहा गया है कि वर्षा नहीं होने से आर्चर्ड कायम नहीं रह सके हैं, पेड़ गिर जाते हैं अतः उसमें पैदावार करायी जाय। खानपुर से आने वाली माननीय सदस्या को भी इस बात का पता होगा कि उस आर्चर्ड में खेती की गई। बहुत से राजा महाराजाओं के पास एक-दो को छोड़कर किसी के नाम डिमान्ड स्लिप इश्यू नहीं की गई है। राज्य सरकार गरीबों के साथ सख्ती कर सकती है। राजा महाराजाओं के विशेष अधिकार हैं इसलिये उनको तो डिमान्ड स्लिप तक नहीं दी जाती, लेकिन गरीबों के साथ सख्ती से वसूली की जाती है। मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार का बरताव गरीबों के साथ होता है उसी प्रकार का सब के साथ होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप जरा संक्षेप में ही कहें।

श्री शिवचरणसिंह : मैं पॉइन्ट्स ही

(श्री शिवचरणसिंह)

ले रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : इस तरह के पॉइन्ट्स तो बहुत हो सकते हैं ।

श्री शिवचरणसिंह : मैं यही निवेदन कर रहा हूं कि बरताव सब के साथ एक सा होना चाहिये ।

श्री श्रवणलाल : मिनिस्टरों के भी खेत हैं उनसे भी लेने की कहिये ?

श्री शिवचरणसिंह : मिनिस्टर और राजा महाराजा सब एक हैं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं जिनके पास बड़ी बड़ी होल्डिंग्ज हैं उनके नाम से आपने डिमान्ड स्लिप इश्यू नहीं की है........

श्री श्रवणलाल : मिनिस्टर लोग तो अंगूरों की पैदावार कर रहे हैं उनसे क्या लेवी लेंगे ?

श्री देवीदत्त गार्यड़ा : गेहूं भी पैदा किया है ?

श्री शिवचरणसिंह : लेवी वसूली के सिलसिले में खसरा गिरदावरी न होने की वजह से, स्लिपों के गलत इश्यू होने के कारण जो लेवी वसूली में धान्धली हो रही है उनके खिलाफ आप रेवेन्यू ऑथोरिटीज के विरुद्ध कोई सख्त कदम उठाने की कृपा करें ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री देवीदत्त गाडिया !

श्री देवीदत्त गाड़िया (बांरा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस लेवी के प्रश्न को लेकर खानपुर से आने वाली माननीय सदस्या ने और हमारे दल के नेता ने जिस गम्भीरता को लेकर विचार प्रकट किये हैं मैं उनका समर्थन करता हुआ निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें समर्थन की आवश्यकता नहीं आप अपना पॉइन्ट पेश करें भूमिका आप इतनी लम्बी चोड़ी बान्ध रहे हैं जेसे आप घंटा भर बोलेंगे ।

श्री देवीदत्त गाडिया : मैं संक्षिप्त में ही अपना भाषण करूंगा । उन बातों को जो माननीय सदस्यों ने कह दी हैं उनका रिपीटिशन न करता हुआ निवेदन करना चाहूंगा । इन्होंने एक दो रोज पहले इसी सदन में इस प्रकार की बात कही थी कि राजस्थान के अन्दर कहीं पर भी पुलिस के माध्यम से लेवी वसूली नहीं की जा रही है । मैं माननीय मंत्री महोदय के इस चेलेन्ज को स्वीकार करता हूं । कोटा जिले के अन्दर कोटा पुलिस के अधीक्षक ने इस प्रकार के आदेश सब थानेदारों को भेजे कि गल्ला वसूली, के लिये लेवी वसूली के लिये तहसीलदारों को अधिक से अधिक मदद दी जाय । जितनी फोर्स मांगे उतनी फोर्स लेवी वसूली के लिये भेजी जाय । इस बात की पूर्ति के लिये मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । बारां तहसील के उप-जिलाधीश महोदय के आदेश से पुलिस फोर्स को लेकर फतेहपुरा ग्राम के अन्दर उसके साथ २ अन्य ग्राम भी हैं मंत्री महोदय ध्यान पूर्वक नोट करें फतेहपुर, बटेड़ा. नरेला नामनाडा,

(श्री देवीदत्त गाडिया)

तनेड़ा, कटेडा, आदि ये इतने गांव है इनमें तहसीलदार ने कानूनगो ने और नायब तहसीलदार और पटवारियों ने पुलिस फोर्स के साथ तमाम गांवों के अन्दर जाकर गरीब किसानों से जबरदस्ती लेवी वसूल की है। जो लोग घर पर नहीं मिले थे बारां मंडी में गये हुए थे या खेतों पर थे उनके घरों के ताले तोडकर जो घरों में पांच दस बोरियां रखी हुई थीं वह निकाल कर उस गल्ले को वहीं पर तौला नहीं जबरदस्ती भरकर बारां के अन्दर लाकर इकटठा कर दिया। इसकी क्या गारन्टी है कि जो किसान गेहूं एक क्वालिटी का था आप उसका भाव ८५ रुपया देना चाहते हैं उसको क्या मिलेगा और कब मिलेगा इसकी क्या गारन्टी हैं। कितना तोल में हुआ यह जो लूट खसोट मचा रखी है उससे वास्तव में इन पुलिस अधिकारियों के ऊपर डाकेजनी के केस बनने चाहिये। क्या मंत्री जी यह घोषणा करेंगे इस प्रकार से जिनके घरों से जबरदस्ती उनकी गैर मौजूदगी में ताले तोडे हैं डाकुओं की तरह माल निकाला है ...

श्री उपाध्यक्ष : रिपीटीशन नहीं करें।

श्री देवीदत्त गाडिया : आज जिस प्रकार के जुल्म किसान के साथ हो रहे है उनकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जनवरी १९६६ के दिसम्बर माह में और ६५ के अन्दर कोटा जिलाधीश ने तहसीलदार और एस० डी० ओ० ने....

श्री उपाध्यक्ष : आपका यह कौन सा मामला है कब का है इसका इस लेवी से क्या ताल्लुक है ?

श्री परसराम मदेरना : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है वह इसी सिलसिले का है क्या फिर आप उस पर बहस नहीं करेंगे उसको विथड्रा कर रहे हैं।

श्री देवीदत्त गाडिया : दो मिनिट में लेवी के बारे में निवेदन करूंगा। कोटा जिलाधीश ने बीस हजार बोरी गेहूं खरीदा, उस अनाज का क्या हुआ। जिन किसानों को ६१) रु० क्विन्टल की बजाय ५५) रुपया दिया गया........

श्री उपाध्यक्ष : यह तो पुराना केस है। आप दो मिनिट में कह दीजिये इसके लिये लम्बी चर्चा की जरूरत नहीं। सभी माननीय सदस्य अपने अपने क्षेत्र के बारे में कहेंगे। क्या जुल्म ज्यादतियां हो रही है उसी तक सीमित रहें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय सदस्य ने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है वे यहां कहने के बाद उसको प्रेस नहीं करेंगे विथड्रा कर लेंगे अत: इनको बात कहने के लिये दो चार मिनिट का ज्यादा समय दे दिया जाय तो कोई अनुचित नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष : दो चार मिनिट में तो कोई ऐतराज नहीं।

श्री देवीदत्त गाडिया : मैं निवेदन

(श्री देवीदत्त गाडिया)

करना चाहूंगा आप उस कांड की जांच करवायेंगे कि किस आदेश से कोटा जिलाधीश ने २० हजार बोरी जबरन वसूल करके उसको किस आदेश से ५५) रुपये में खरीदा और ६१) रु० क्विन्टल बेचा। इसके अलावा मंत्री महोदय की जानकारी के लिये निवेदन कर दूं गल्ला वसूली के लिये जो ३० हजार का खाली बारदाना दिया गया डिस्ट्रिक्ट सप्लाई आफिसर को, उसका कोई हिसाब नहीं। इसके अलावा मांगरोल तहसील के उन किसानों को इस गल्ले का भुगतान नहीं किया।

तो जिस प्रकार से २० हजार बोरी गेहूं खरीदने में घोटाला हुआ, और आज भी इसी प्रकार फतेहपुर ग्राम और तामखेड़ा गांव के किसानों का बिना तुलाये गल्ला उठा लाते हैं और कोई क्वालिटी निर्धारित नहीं की है, कोई तुलाई नहीं हुई है और लाकर सरकार की बाउन्डरी के अन्दर पटक दिया, तो उसका अर्थ क्या हुआ? इस प्रकार का अत्याचार और इस प्रकार का आतंक इस बात का प्रतीक है कि आज राजस्थान के अंदर प्रजातन्त्र नहीं है, तानाशाही और पुलिस की नादिरशाही का शासन है।

जहां ये बातें हैं वह मैं आज आप से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने इस सदन के अन्दर यह कहा था कि उन किसानों से लेवी वसूल की जायगी जिनको नहर से पानी मिला है। आज जिस फतहपुर ग्राम का विचार कर रहे है और जो आंकड़ें बताये हैं तो आप किसी अधिकारी को भेजकर जांच करवालें कि पार्वती नहर से इस गाव को सिर्फ सूखी धरती के अंदर पीवत करने के लिए एक बार पानी दिया और उसके बाद उस क्षेत्र के किसानों को गेहूं की पैदावार करने के लिए एक भी पानी बाद में नहीं दिया गया। जब उन किसानों को पीवत के लिए, गेहूं की खेती के लिए और पानी नहीं दिया गया, तो उन किसानों से लेवी वसूल करने का क्या अधिकार है? इस सदन में जो शब्द आपने उच्चरित किये थे, जो घोषणा की थी या तो उसको वापिस लें या उस घोषणा को कार्यान्वित करने के लिए सिंचाई विभाग के अधिकारियों पर क्या एक्शन लिया गया और कलेक्टर पर क्या एक्शन लिया, जिन्होंने किसानों से जबरन लेवी वसूल की है।

जहां ये बातें है वहां, माननीय उपाध्यक्ष, आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आज अन्ता तहसील के क्षेत्र में, मांगरोल तहसील के क्षेत्र में चम्बल नहर का सिंचाई पटवारी रिपोर्ट देता है कि अमुक किसान ने अपने खेत में (समय-समाप्ति-सूचक घन्टी) सिर्फ २ बीघे के अन्दर या ५ बीघे के अन्दर सिंचाई की है, लेकिन रेवेन्यू का पटवारी कहता है कि उससे दुगुनी खेती के अन्दर उसने गेहूं पैदा किये, इस आधार की रिपोर्ट देता है। इस प्रकार की ये कन्ट्रोवर्शियल रिपोर्टस दो विभाग के पटवारियों द्वारा दी गई और सरकारी अधिकारियों ने रेवेन्यू पटवारी रिपोर्ट को सही मानकर उन गरीब किसानों से

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

जबरन लेवी वसूल की। यह सरासर अन्याय है।

माननीय उपाध्यक्ष, जहां ये बातें हैं, आपने इस हाउस के अन्दर यह भी कहा था कि यदि इस क्षेत्र के किसानों ने किसी भी प्रकार की कोई सिंचाई नहीं की तो उसकी जांच होगी। माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि अन्ता के अन्दर कोटा जिलाधीश महोदय ने अन्ता पंचायत समिति के कृषि फार्म का जिस समय उद्घाटन किया था उस समय मैं भी वहां मौजूद था और मेरे सामने उस गांव के, तामखेड़ा गाँव, जो अन्ता सब—तहसील के अन्दर है वहां के किसानों ने लिखकर दिया, माननीय उपाध्यक्ष, उन गरीब किसानों ने यह लिख—कर दिया है जिसकी प्रतिलिपि मेरे पास है, उसकी प्रतिलिपि उन गरीब किसानों ने राज्यपाल महोदय को भेजी थी, कोटा जिलाधीश को भेजी थी, उन्होंने कहा कि हमारे यहां खरीफ की फसल नहीं के बराबर हुई है, या बिल्कुल नहीं हुई है और रबी की फसल के अन्दर (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) नहर के इन्जीनियर ने हमको कोई इतना पानी नहीं दिया....

श्री उपाध्यक्ष : आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री देवीदत्त गाडिया : २ मिनिट।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनिट में।

श्री देवीदत्त गाडिया : कोई पानी नहीं दिया और खेतों के अन्दर जो गेहूं की पैदावार होनी चाहिए थी वह नहीं के बराबर हुई इसलिए हमारा लगान माफ किया जाय। जिस क्षेत्र के किसान जिनके खरीफ की फसल नहीं हुई, जिनके रबी की फसल नहीं हुई, वे किसान लगान माफ कराने की बात कर रहे हैं. उस क्षेत्र के किसानों पर इस प्रकार जैसे औरंगजेब के शासन के अन्दर जजिया कर वसूल होता था उसी प्रकार कोटा जिलाधीश औरंगजेब के पदचिन्हों पर चलकर गरीब किसानों के घरों में घुसकर जबरन लेवी वसूल कर रहा है।

अन्त में, माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपके आदेशों का, आसन द्वारा दिये गये आदेशों का पालन करते हुए और निवेदन करना चाहता हूं मेरा यही निवेदन है कि कोटा जिले के अन्दर जांच करवाकर देखें कि चम्बल नहर चाहे वह दाई हो या बाई उन नहरों से किसानों को कितना पानी दिया गया। मैं आज भी मंत्रीजी आपको दावे के साथ कहता हूं कि उस क्षेत्र के अन्दर किसानों को जहां एक पानी दिया गया और ज्यादे से ज्या पानी दिया गया है जबकि उनकी फसल को कम से कम ३-४ पानी मिलने चाहिए। जिन किसानों चार-चार पानी नहीं मिला है किसानों से इस प्रकार लेवी की वसूली करना अत्यधिक अन्यायपूर्ण होगा।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि उस क्षेत्र के किसान सरकारी अधिकारी के पास जाते हैं, नेताओं के पास जाते हैं तो कहते हैं कि जनसंघ को वोट दिया है तो

(श्री देवीदत्त गाडिया)

उनके पास जाओ। जनसंघ को वोट दिया है इसलिए गल्ले की वसूली होगी, लेवी होगी। अगर आपका राजनैतिक दृष्टिकोण है तो आप मंत्रीजो त्यागपत्र दें, राजस्थान के मुख्य मंत्री त्यागपत्र देदें और कोटा जिले से जनसंघ के जो विधायक चुनकर आये हैं उनमें से एक गद्दार निकला है जो कांग्रेस की ओर चला गया है, लेकिन मेरी पार्टी आज भी किसानों की समस्याओं को लेकर सदन से त्यागपत्र देने के लिए तैयार है। यदि आप में हिम्मत है तो वहां से चुनाव लड़कर दिखाओ और आज आप आजांय इस हाउस के अन्दर तो देखें। कांग्रेस दल के सभी सदस्य इस्तिफा देने को तैयार हों तो चुनाव लड़कर देखें। मन्त्रीजी और राजस्थान के मुख्य मन्त्रीजी का त्यागपत्र दिलाकर देख लें। एक बार उनका इस कुर्सी से मोह छोड़कर देखें जो जमे हुए हैं १५ साल से राजस्थान के मुख्य मन्त्री हैं। उनके कार्य इस प्रकार के हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री देवीदत्त गाडिया : सन् ५७ के अन्दर वे १९ हजार वोटों से जीते थे। सन् ६२ के अन्दर.........

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री रामकिशन : लेवी के सम्बन्ध में बोले हैं.......

श्री देवीदत्त गाडिया : बस एक सेकण्ड।

श्री उपाध्यक्ष : 'अंत' चार बार आपने किया। एक शब्द को चार तरीकों से कहेंगे। यह सामान्य वाद-विवाद है नहीं। आप अपनी बात कह दें।

श्री देवीदत्त गाडिया : मैं यही कहना चाहता हूं कि मन्त्रीजी आप कोटा जिले की ओर ध्यान देंगे अगर वास्तव में आपका प्रजातंत्र में विश्वास है, किसानों को राहत देना चाहते हैं, न्याय करना चाहते हैं तो इसकी जांच कराइये। आप कोटा जिले में चलें। हम आपके साथ जाने को तैयार हैं। जहां जुल्म हुए हैं वहां जांच करवाने का आप आश्वासन दें। जिन पुलिस के अधिकारियों ने और कर्मचारियों ने, जिन तहसीलदार, पटवारी और कानूनगों ने कोटा में गरीब किसानों के मकानों को तोड़कर गल्ला बिना रसीद दिये उठाया है, बिना तोले हुए उठाया है उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी, इस प्रकार का आश्वासन देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामप्रसाद बोहरा।

श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : मैंने प्राक्कलन समिति की सदस्यता के लिए चुनाव का फार्म पेश किया था। मैं उम्मीदवारी से अपना नाम वापिस लेता हूं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक मेरे दल का एक भी व्यक्ति नहीं बोल पाया है।

श्री अध्यक्ष : विधड़ा करना चाहते हैं माननीय सदस्य।

श्री मनफूलराम।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : तीन दिन पहले जो कुछ भी कहना था कह चुका हूं.........

श्री मनफूलराम (केसरीसिंहपुर) : मैंने प्राक्कलन समिति को सदस्यता के लिए चुनाव का फार्म पेश किया था। मैं उम्मीदवारी से अपना नाम वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रोफेसर केदारनाथ दो तीन मिनट लेंगे।

श्री नत्थसिंह (भरतपुर) : हमारे दल का कोई भी नहीं बोला है। ये ही बोलेंगे और कोई नहीं खड़ा होगा।

श्री रामकिशन : हमारा तो एक ही सदस्य बोलेगा, यही बोलेगा, नियम से बोलेगा और कानून से बोलेगा।

श्री उपाध्यक्ष : लेवी के बारे में सामान्य वाद विवाद तो हैं नहीं। स्थगन-प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। मन्त्री महोदय ने जवाब दे दिया। आप ज्यादा से ज्यादा कोई पाइंट इल्यु सिडेट करा लें। यह अवसर दिया गया है तो इसमें खास तकलीफ या मुद्दे की बात हो वह कह दें। वह मैं समझता हूं कि २-३ मिनट के अन्दर ही कही जा सकती है, क्योंकि आगे की कार्यवाही लेनी है और विचारणीय विषय हैं। इसलिए आपकी भावना का आदर करते हुए आपको काफी लम्बा समय इस विषय पर दे चुका हूँ। इससिए मैं माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि सक्षेप में कह दें। मैं समझता हूँ कि नाम नहीं लिये जाय अगर लेवी के बारे में कुछ कहे नहीं कोई दल तो बुरा लगता है। इसलिए आप थोड़े थोड़े में बात कह दें।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : मान्यवर, प्रोक्योरमेन्ट स्कीम के अन्दर जितनी अब तक वसूली हुई है इसमें ५० हजार क्विन्टल गंगानगर जिले से हुई है: इस इलाके में इसका क्या इम्पेक्ट हुआ है क्या तरीका प्रोक्योरमेंट का अपनाया गया है, आफिसियल्स का क्या रवैया रहा है? मैं समझता हूँ, प्रोक्योरमेंट पालिसी और प्रोक्योरमेन्ट पर ही मैं रोशनी डालूंगा और मैं समय को ध्यान में रखते हुए कहूँगा। मान्यवर, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट एक बोर्डर डिस्ट्रिक्ट है और बोर्डर डिस्ट्रिक्ट होने के अलावा यह सबसे बड़ा राजस्थान कैनाल का एरिया है। राजस्थान कैनाल में पांच अक्टूबर के बाद इर्रीगेशन नहीं होता है और नान पैरेनियल साधन से भी पन्द्रह अक्टूबर के बाद इर्रीगेशन नहीं होता। दूसरा वह एरिया है जहां टेल से इर्रीगेशन होती है वहाँ एक फसल को एक दो पानी मिल पाते हैं, तीन या चार पानी आज तक कभी मिले नहीं है। इसलिए मैं आपकी मार्फत यह दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि कोई न कोई पैटर्न वहाँ तय हो जाय। हालांकि जिला परिषद में यह पाइन्ट डिस्कस हुआ है और पंचायत समिति मे भी यह पाइन्ट डिस्कस हुआ है। जिन आफिसरों ने इस एप्रोच से काम किया, यह पंचायत समिति

(श्री केदार नाथ)

के मार्फत या विलेज पंचायत के मार्फत–उनका एप्रोच सही निकला और लोगों ने ज्यादा वसूली दी, लेवी ज्यादा दी इसका इम्पेक्ट क्या हुआ ? जो लोग आफिसियल के साथ मिल गये, बड़े बड़े लैंड लार्ड थे, जमीदार थे—उन्होंने क्या फायदा उठाया ? शुगर में सबसे ज्यादा हिस्सा लें, सीमेन्ट में ज्यादा हिस्सा वह लें, जितनी और जरूरियात की चीजें है, जितनी जरूरियात की कंट्रोल की चीजें हैं उनमें सबसे ज्यादा फायदा उठाते है और प्रोक्योरमेन्ट में उन्होंने सबसे कम दिया। इसका इमेक्ट जिले में क्या हुआ ? जिन पटवारियों की मार्फत और तहसीलदारों की मार्फत आपने लेवी वसूल की वह और वह हमेशा से एक रहे हैं और एक होने से प्रोक्योरमेन्ट में यह रिजल्ट रहा कि जितनी लेवी वसूल हुई है उसमें दो-तिहाई हिस्सा जो छोटे किसान हैं और बीच के किसान हैं उनका होगा। मकसद आपका यह था कि मार्के--टेबल जो सरप्लस जो है उसको आप टेप करें, उसको मोब करें और आपके पास आये ताकि कन्जूमर्स को आप दे सकें। वह आपका ऑब्जेक्ट, मकसद पूरा हुआ नहीं है। तीसरी यह बात कहना चाहता हूँ कि इर्रीगेशन रिकार्ड और रेवेन्यू रिकार्ड अलग अलग हैं। रेवेन्यू रिकार्ड में गिरदावरी कल्टीवेटर के नाम नहीं होती, जब इर्रीगेशन रिकार्ड में गिरदावरी कल्टीवेटर के नाम होती है। इसलिए यह भी एटरेन्डम तय हुआ कि किसको सही मानें, किसे बेसिस मानकर चलें। इसके उपर फैसला नहीं हुआ। आखिरी बात में यह कहना चाहता हूं कि बोर्डर के एरिया होने के नाते, पांच सात बोर्डर एरिया के गांवों की आबादी में ज्यादातर वे हैं जो डिस्प्लेस्ड हैं और जिनको लैंड ग्रान्ड फादर के नाम या फादर के नाम एलाट हुआ है, उनकी वह जोइन्ट टैनेन्सी रिकार्ड पर है जब कि उनके हिस्से अलग अलग हो गये हैं। एक्चुअली फील्ड में उनके हिस्से अलग अलग है लेकिन कानूनन वह जोइन्ट टेनेन्सी है। प्रोक्योरमेंट का इम्पेक्ट जोइन्ट टेनेन्सी के ऊपर ज्यादा है जब कि छोटे छोटे किसान, जिनके पास एक एकड़, दो एकड़, तीन एकड़ लैंड है वह एक्जेम्प्शन लिस्ट में आ जाने चाहिए। वह एक्जेम्प्शन लिस्ट में नहीं आये हैं इसलिए मैं यह दर–ख्वास्त करना चाहता हूं कि जो माननीय मन्त्री जी का एप्रोच है उसके अनुसार कन्स-लटेटिव कमेटी बन जाय डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। यह डिसीजन गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। यह नहीं होता है तो डिफीकल्टीज आयेंगी। कारण, यह ऐसी चीज है, जो राजस्थान में ही नहीं हिन्दुस्तान भर में जिसकी वसूली हो रही है, और नान–कांग्रेस गवर्नमेंट भी कर रही हैं लेकिन वह कल्टीवेटर्स को चीनी दे रही है, सीमेन्ट दे रही है, लोहे की चीजें दे रही है। तो ह्यूमन टच आपके आफिसियल्स में नहीं है। मैं नहीं समझता हूं कि दूसरी चीजें न दें जबकि वह घाटा सहन कर लें और मुसीबत सहन कर लें। मैं आशा करता हूं सरकार से, कम से कम आफिसियल्स में ह्यूमन टच देना न भूलें। यह वसूली का सवाल है किसानों से, यह जितने ज्यादा पीड़ित है, इतने टोचर्ड हैं, इतने डिसपरेट है कि कम से कम इनके पास आफिसियल्स

(श्री केदारनाथ)

जायं तो ह्यूमन टच को लेकर जायं। आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, ला एण्ड आर्डर की बात करते हैं लेकिन आपकी पावर्स वहां काम आती है जहाँ कोई मूवमेंट हो, कोई बड़ा एजीटेशन हो और उसको दबाना हो। लेकिन जहां वसूली का सवाल आता है वहां बड़े आदमी है उनके ऊपर ला एण्ड आर्डर लागू नहीं होता है। कई लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने केस से, पैसे से खरीद कर लेवी दी है। लेवी के असेसमेंट मे देखा गया है कि जहां तीन पानी, चार पानी नही दिये हैं वहाँ कागजों में पांच पानी दिखा दिये हैं। इसके अलावा जहां तीन बीघा में काश्त नहीं हुई वहां कागजों में पांच बीघा में काश्त की दिखाई है। जिन्होंने पाच बीघा मे काश्त हुई नहीं, उन्होंने बाजार से खरीद कर लेवी दी है। सही एप्रोच जो आपका हो उसके मुताबिक ही आफिसियल्स का एप्रोच आपकी योजनाओं में हो।

आखिरी चीज यह है कि कुछ इलाके हैं जहां रेन्स शुरू हो गये है और प्रोक्योरमेंट प्लेस दूर होती है, वहां तक जाने के रास्ते बन्द हो गये हैं इसलिए किसानों को लम्बे रास्ते को पार करके प्रोक्योरमेंट देने जाना पड़ता है। यह वक्त आ गया है जब लेवी वसूली बन्द हो जाय। आप कहेंगे कि इस वक्त लेवी वसूली बन्द करने में जिन छोटे किसानों ने लेवी दे दी है उनको नुकसान पहुँचेगा, और वह बड़े लास में रहेंगे। मैं कहूँगा, जो एक्सपीरियेन्स आपने आज तक किये उनको रिपीट न करते हुए आप उनसे लेवी वसूल कीजिये जिनके पास मार्केटेबल सरप्लस हो, जो बड़े बड़े जमींदार हों और जो छोटे किसान हैं, जो बीच के किसान हैं उनको एक्जेम्प्टेड मान कर उनसे वसूली न करें। यह इसलिए नहीं कि हम इस बात की बहस कर रहे हैं, बात कह रहे हैं। मैं आपको पूछना चाहता हूं कि कितने केसेज आपने रजिस्टर्ड किये हैं, कितनी आपने गिरफ्तारियां की हैं, कितनी मारपीट की हैं और कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने केश में लेवी दी है। यह रिपोर्ट इनकी आनी चाहिए ताकि हम विजुएलाइज कर सकें कि एप्रोच हमारा सही था या गलत था। लेवी वसूली की कार्यवाही ठीक से चले इसलिए आप एक कन्सलटेटिव कमेटी मुकर्रर कीजिये ताकि रोजमर्रा जो कठिनाइयां आती हैं उनका हम समाधान कर सकें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पृथ्वी सिंह।

श्री पृथ्वीसिंह (बाली) : मैं ज्यादा समय तो नहीं लूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, जो मन्त्री महोदय ने अपना वक्तव्य दिया है उसमें उन्होंने कहा था कि मांग पत्र प्राप्त होने के दस दिन के अन्दर जिन्होंने उज्रदारियां पेश कर दी हैं उनकी सुनवाई हुई है। बाली तहसील का मैं उदाहरण देता हूँ, जहां हजारों नहीं सैंकडों काश्तकारों ने उज्रदारियां पेश की हैं जिसमें उन्होंने वर्षा की कमी के कारण हुई क्षति के कारण लेवी से छुटकारा पाने का निवेदन किया है, जवाई बांध में पानी की कमी के कारण समय पर इरिगेशन के लिए पानी न देने के लिए उत्पादन न होने कारण

(श्री पृथ्वीसिंह)

लेवी से छुटकारा पाने के लिए निवेदन किया है। मैं दुःख के साथ निवेदन करूंगा आज तक उन सैकड़ों दरख्वास्तों पर कोई सुनवाई नहीं हुई है और उनके मांग पत्रों को संशोधित नहीं किया गया है अथवा उनकी लेवी को माफ नहीं किया गया है। यह बड़ी शर्म की बात है। अतः मैं सरकार से निवेदन करूंगा, मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस विषय में तुरन्त जानकारी प्राप्त करें और उन दरख्वास्तों का शीघ्र ही निर्णय करने के लिए तहसीलदार अथवा कलैक्टर, जो भी उस कार्य को देखते हैं, को आदेश दें कि उनकी दरख्वास्तों की शीघ्र सुनवाई करें और उनको लेवी से छुटकारा दें।

दूसरा मैं एक और निवेदन करूंगा कि कई काश्तकारों को बिना मांग पत्र दिये हुए लेवी वसूल करना शुरू कर दिया है चाहे उसकी काश्त हुई हो अथवा कहीं से मोल लाकर, बीज के लिए अनाज लाकर रखा हो, उस अनाज के गल्ले को, जो बीज के लिए गोदामों में पड़ा हुआ था, जब्त कर लिया है, तहसीलदार के आदमियों ने वह छीन लिया है और कहा है कि यह लेवी में देना पड़ेगा चाहे वह काश्त से पैदा किया हो अथवा नहीं किया हो। राज्य सरकार को रिकार्ड को देखने से मालूम होगा कि वास्तव में वह कहाँ से खरीद किया हुआ था, अथवा किसी अन्य जरिये से प्राप्त किया हुआ था अथवा वह खेत से पैदा किया हुआ था। ऐसी ऐसी ज्यादती अधिकारीगणों ने की है, यह वास्तव में बड़े शर्म की बात है।

इसके अलावा मैं निवेदन करता हूँ कि मुख्य मन्त्री जी ने और मंत्री महोदय ने, जो पाली का डेपूटेशन आया था, उसके सामने एक आश्वासन दिया था कि काश्तकारों के पास खाने के लिए और बीज के लिए अनाज छोड़ दिया जायगा, और उससे जो सरप्लस होगा उसकी वसूली की जायगी। बड़े दुर्भाग्य की बात है, यह मुझे कहना पड़ेगा कि उस आश्वासन के बावजूद कई केस ऐसे हुए हैं जिनमें ज्यादा लेवी को वसूल किया गया है। मैं बालूपुरा का उदाहरण दूंगा, जहां राज्य के अधिकारी और पुलिस अधिकारी ने लाकर एक गरीब काश्तकार के लिये एक दाना भी घर में न छोड़कर जितना अनाज उस गरीब के घर में पड़ा हुआ था, सब का सब वसूल करके डकैतों की तरह ले आये और उसके खाने पीने के लिये, बीज के लिए किसी किस्म का एक दाना भी नहीं छोड़ा।

इसके अलावा मैं निवेदन करूंगा कि मार्च के महीने में जो भयंकर वर्षा हुई, जो भयंकर तूफान आया, भयंकर ओला वृष्टि हुई उसके कारण बाली तहसील में क्षति हुई है, उसकी ओर भी तहसीलदार और कलैक्टर ने ध्यान नहीं दिया है और उन किसानों के द्वारा जो दरख्वास्त पेश की गई है उनकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं और उनसे भी जबर्दस्ती लेवी वसूल करली गई है।

अतः ऐसी जो दरख्वास्तें हैं, उनकी

(श्री पृथ्वीसिंह)

जानकारी कर के उनसे लेवी वसूल नहीं करने के आदेश देने चाहिये। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि गिरदावरी के आधार पर मांग पत्र इश्यू करने की बात कही गई है लेकिन मैं अर्ज करता हूँ कि गिरदावरी बिल्कुल गलत हुई है, गलत एन्ट्रीज कर दी हैं। मैं बाली के कुए का उदाहरण देता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : इस विषय पर चर्चा सदन में हो चुकी है, मन्त्री महोदय के ध्यान में वह है, जो बात कह दी गई है, उसको दोहराने से कोई फायदा नहीं है।

श्री पृथ्वीसिंह : यह बात नहीं कही गई है।

श्री उपाध्यक्ष : कई दफा कही गई है, मैं खुद मौजूद था।

श्री पृथ्वीसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बाली गाव में एक कुआ है, वह कुआ इस साल में चालू भी नहीं किया गया था और उस कुए में गिरदावरी में दर्ज किया गया है कि १० एकड़ गेहूँ की फसल बोई गई। ऐसे ऐसे कई उदाहरण है कि गेहूँ की खेती ही नहीं की गई, की गई तो बहुत कम की गई है, जहाँ बढ़ा चढ़ा कर गलत एरिया दर्ज कर के लेवी की वसूली की जा रही है। जो बिल्कुल गलत चीज है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिये। बस मैं इतना ही निवेदन करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगन्नाथ !

श्री जगन्नाथ (टोडा रायसिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, लेवी की बाबत में वाद-विवाद भी हो चुका और मैंने लेवी के बारे में समर्थन भी कर दिया कि लेवी लेनी चाहिये पर इसमें जो खामियां हैं और इससे काश्तकारों को जो बहुत दुखः उपजा है, वह थोड़ा निवेदन करूंगा। जैसे टोंक जिले में एक मोती सागर बांध है, उसकी १८ फीट की भराई है। इस बार १२ फुट ४ इंच भरा। ६ हजार बीघा की सिचाई का कमाण्ड एरिया था। पानी छोड़ा और गेहूं की फसल बोनी थी वह बोई। यह लेवी का कानून निकला है मई के अन्दर हुआ था और जो यह गश्त गिरदावरी हो गई यह उपाध्यक्ष महोदय, फरवरी और मार्च के दोरान हो गई। उस वक्त काश्तकार बिलकुल सोया हुआ था क्योंकि उसे कोई लेवी का नोटिस नहीं मिला हुआ था कि वह खुद खेतों में जाकर पटवारी से अपनी प्रश्न गिरदावरी करवाता। पटवारी ने खसरा न० १ था उसमें २० बीघा जमीन थी १० बीघा में जौ और १० में गेहूं बोया, पर काश्कार साथ में नहीं गया तो २० बीघा में ही पटवारी द्वारा गेहूं की फसल लिखी गई। लेवी का अचानक हुक्म हुआ तो २० बीघा की लेवी वसूल हो गई। इससे काश्तकार तंग हो रहा है, उसे पूरा पानी भी नहीं मिला, ३ पानी मिले थे इसलिये जितनी आमदनी एन्ट्री में लिख रखी थी उतनी नहीं हुई और काश्तकार लेवी को बर्दाश्त नहीं कर सका।

इसी तरह कोटा जिले की बात बताई

(श्री जगन्नाथ)

माननीय सदस्या साहिबा ने वहां भी इस प्रकार ही हुआ। चम्बल बांध इस प्रकार नहीं भरा हुआ था वहां जमींदारों की काश्त में फसलों में पानी नहीं पहुंचा। यह गेहूं की वसूली बहुत नाजायज हो रही है, जो वाजिब थी उस माफिक नहीं हुई है। अभी किसान अपनी गर्दन पर लेवी और सरचार्ज का पांच रुपया सैंकड़ा बर्दाश्त कर रहा है पर जब किसान अपनी गर्दन हिलायेगा तब आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे।

एक माननीय सदस्य : दो मिनिट चाहूंगा !

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आन ए पोइन्ट आफ प्रिविलेज सर, दो मिनिट में लेउंगा। उपाध्यक्ष महोदय, यह गंगा-नगर पत्रिका नाम का समाचार पत्र है ? इसमें मेरे सम्बन्ध मे व्यक्तिगत निम्न स्तर के आक्षेप लगाये हैं। इसमें एक काल्पनिक चित्र ऐसा खींचा गया है कि मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था रात के ३ बजे कोई पुलिस आफीसर आया, मैंने तीन चार पैग विस्की के पिये, फिर मैंने सुखाड़िया के सम्बन्ध में कहा :

'No one like Sukhadia is in Rajasthan. Really Sukhadia is great'.

इस तरह से बहुत सारी बातें लिखी हैं और मेरे राजनैतिक जीवन को धूमिल करने की चेष्टा की गई है। मैं समझता हूं कि इस सदन के एक सदस्य के नाते मैं इस सदन से प्रोटेक्शन चाहूंगा और इस सम्बन्ध में हमारे संयुक्त दल के विषय में भी छिद्रान्वेषण किया गया कि चौधरी कुम्भारामजी के बारे में भी मैंने अनुचित बातें कही। इस सम्बन्ध में उल्लेख है कोई अश्विनी कुमार राही, जिनको यहां आने का अधिकार है, विशेषाधिकार है, उनके द्वारा यह छापा गया है। वैसे तो व्यक्तिगत रूप से जो कुछ मुझे करना है, करूंगा मेरे भी सिद्धान्त हैं, मैं निम्न स्तर की राजनीति को काम में नहीं लेता। मैं मुख्य मन्त्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया के लिये कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करना चाहता, न उधर बैठे हुए सम्माननीय सदस्यों के सम्बन्ध में आक्षेप किया। हमारा एक स्तर है। यहां राजनीति में चलना है, विरोध करके चलना है, तो विरोध के दायरे में रह कर चलना है। इस तरह की चीजें होंगी, तो यह विशुद्ध और स्वतन्त्र पत्रकारिता के लिये लांछन है और जहां तक मेरा व्यक्तिगत सम्बन्ध है, मैं तो राजनीति में कई वर्षों से चला आ रहा हूं। राजनैतिक उतार चढ़ाव आते रहते हैं. लोग कहते हैं उसे हमें सुनना चाहिये, जो कहने की बात है कहें, हम १० दफा सुनेंगे लेकिन ऐसी काल्पनिक बातें, रात के तीन बजे, तीन चार पैग विस्की के पीना, पुलिस अफसर का आना। मैं तो राजस्थान के पुलिस अफसरों से डरता हूं. अपना कोई किसी से लेना देना नहीं। मैंने अपने भूतपूर्व राज्य में जिन लोगों को पढ़ाया, स्कालरशिप दी बड़ा किया, भीखाभाई आदि लोगों से कहता हूँ कि मेरे से व्यक्तिगत सम्पर्क ही रखो, मैं विरोधी हूँ, मेरे से व्यक्तिगत सम्बन्ध रखोगे और उससे आपका अहित हो तो गलत है। मैं तो किसी से सम्बन्ध नहीं रखता। मैं बुड्ढा आदमी हूँ,

मैं नहीं कहता कि मैं नही पीता, ४ पैग पीऊं तो सुबह औंधा हो जाऊं, ६० वर्ष की उम्र में।

ऐसी बात है, तो मैं इसे सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : विरोधी पक्ष के सम्मानीय नेता से मेरी सहानुभूति है। इसमें अपने नियम बिलकुल स्पष्ट हैं। इसकी सूचना पहले दे दी जानी चाहिये और उसके बाद में क्योंकि इसमें कानून का प्रश्न आता विशेषाधिकार का प्रश्न आता है, बहुत पेचीदा प्रश्न होता है इसलिये आपको थोड़ी तकलीफ होगी, वह आप दे दें, उसके बाद में यह सदन के सम्मुख आयेगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मै आपकी आज्ञा के अनुसार मैं हमारी व्यवस्था के प्रतिकूल कोई काम नहीं करना चाहता। रूल्स के अनुसार सोमवार को मैं नोटिस दे दूंगा और अगर आप इसको एड्मिट कर लेंगे तो सदन की मेज पर आपकी आज्ञा के माफिक रखूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : लेवी के सम्बन्ध में काफी कहा जा चुका है, अब मैं माननीय सदस्यों से सहयोग चाहूँगा कि अब बिजली पर चर्चा हो। बिजली का भी कृषि से सम्बन्ध है, उसमें लेवी की बात होगी तो बर्दाश्त कर लेंगे, परसो भी ऐसा बर्दाश्त किया गया था। अब अगला विषय ले लें।

श्री दौलतराम सारण : बिजली में लेवी का कह दें।

श्री नत्थीसिंह : बिजली और लेवी के मन्त्री अलग अलग हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : जहां तक कि मेरा व्यक्तिगत सम्बन्ध है दो शब्द बिजली के सम्बन्ध में भी कहना चाहूँगा।

श्री उपाध्यक्ष : बिजली का बाद में होगा...........

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : देन पोईन्ट आफ आर्डर। अभी से क्लेरिफिकेशन हो जाय तो बहस में सुविधा होगी। मेरा नम्र निवेदन है कि ६४–६५ के समाप्त होने वाले वर्ष के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लेखे पर टिप्पणियां हैं आज ही आई हैं, उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस के संबंध में भी यही हुआ, समाज कल्याण विभाग के सम्बन्ध में भी यही का यही हुआ। हम लोग मेहनत करते हैं, रात को १२ १ बजे तक बैठ कर आंकड़े वगैरह का अध्ययन करते हैं। जिस दिन बहस हो उसी दिन उससे सम्बन्ध रखने वाला साहित्य आये तो उस साहित्य का हम उचित रूप में लाभ भी नहीं ले सकते। आपके द्वारा मैं मंत्री महोदय को और आपको निवेदन करूंगा कि इस सदन के सम्माननीय सदस्यों के लिये यह अत्यावश्यक होगा अगर विद्युत् मंडल के सम्बन्ध में चर्चा बजाय आज के सोमवार को रखें।

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो अभी विरोधी दल के माननीय नेता ने आडिट रिपोर्ट के बारे में कहा, मुझे खेद है कि आडिट रिपोर्ट पहले नहीं रखी जा सकी।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : आपका दोष नहीं है, आपकी जगह हम हों तो भी ऐसा ही होता। लेकिन आपकी भी सहानुभूति तो होनी चाहिए।

श्री हरिदेव जोशी : मेरी निश्चित रूप से सहानुभूति है। मगर जिस चीज को डिस्कस करना है, वह बजट पहले ही सदन की मेज पर रख दिया गया था। आडिट रिपोर्ट मोस्टली पी० ए० सी० के काम की चीज है।

कई माननीय सदस्य: नहीं नहीं।

श्री हरिदेव जोशी : पी० ए०सी० कर लेगी और उसके बाद बहुत आसानी से माननीय सदस्यों के पास कमेंट्स आयेंगे इसलिए आज इसको डिसकस कर लेना चाहिए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, यद्यपि स्थगन प्रस्ताव, जो लेवी के संबंध में प्रस्तुत किया गया, उस पर विचार चल रहा था, परन्तु आज का दिन जिस बात के लिए निर्धारित था वह यह था कि विद्युत मंडल के बजट पर विचार होगा, उस संबंध में सदन के विरोधी दल के नेता ने कुछ बातें कही हैं और मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है। इसमें केवल यही बात नहीं है कि देर से पेश किया गया है, यह तो आपत्ति है ही कि जो पेश किया गया है........

श्री उपाध्यक्ष : मेरे ख्याल से इस समय जो विषय चल रहा है उसके बाद में..........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा।

श्री उपाध्यक्ष : लेवी वाले विषय पर चर्चा समाप्त कर दी जाय और मंत्री महोदय इसका जवाब दें........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसलिए यह पोइंट उठाई थी कि विद्युत मंडल के बजट पर चर्चा नहीं होने वाली है इसलिए लेवी पर खुलकर चर्चा हो ५ बजे तक।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की अनुमति होगी तो समय बढ़ाकर इस पर चर्चा करेंगे। ऐसी बात नहीं होगी कि आपको पूरा अवसर नहीं मिले....

(श्री श्रवणलाल के खड़े होने पर)

जनसंघ की तरफ से कई माननीय सदस्य बोले हैं।

श्री श्रवणलाल : वे सब कोटा डिवीजन के लिए बोले हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अलग अलग क्षेत्र का होगा तो १८४ क्षेत्र हैं....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं जानना चाहता हूं कि सदन के नेता महोदय ने बीच में पोइन्ट उठाया आडिट रिपोर्ट के सिल-

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

सिले में कि आज पेश की गई इसलिए पढ़ नहीं सके इसलिए बहस नहीं होनी चाहिए । यह सुझाव जो प्रस्तुत किया गया है, उस सम्बन्ध में मन्त्री महोदय ने यह खेद व्यक्त किया कि आज पेश होनी चाहिए थी, फिर भी चर्चा आज होनी चाहिए, इस बारे मे चर्चा बाद में करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : जरूर, विद्युत मंडल वाला सवाल आएगा तब करेंगे ।

श्री दौलतराम सारण ।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, लेवी का मसला बहुत गम्भीर है । एक तरफ खाद्यान्न का अभाव है, उसकी गम्भीरता को भी हम लोग महसूस करते हैं, दूसरी तरफ किसान की आर्थिक स्थिति और राज्य में और देश में इस समय जो अभाव की स्थिति है, वह प्रश्न है । इस बैकग्राऊंड में अगर देखते हैं तो लेवी का जो काम इस समय वसूली का चल रहा है उस सम्बन्ध में जो माननीय सदस्यों ने यहां तथ्य रखे हैं, उन सब को देखते हुए, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि लेवी चाहे आज के समय वसूल करना, राज्य सरकार आवश्यक समझें, कानून में चाहे राहत का प्रावधान किया गया हो लेकिन इन सबके बावजूद भी राज्य सरकार इसमे असफल रही है पूरी तरह से कि वह किसान को राहत नहीं दे पा रही है । प्रशासन राज्य सरकार की नीतियों और राज्य सरकार के आदेशों की अनुपालना नहीं कर रहा है और इसका एकमात्र कारण यह है कि राज्य सरकार प्रशासन को अपनी नीतियों और अपने उद्देश्यों के अनुकूल नहीं ढाल पाई है । इसलिए जो मान्यता जनतांत्रिक प्रशासन का व्यवहार होना चाहिए, उस व्यवहार से वह दूर है और उनका मानस आज भी वही बना हुआ है जो २० साल पूर्व था । उसका प्रमाण है कि उनका मानवीय दृष्टिकोण नहीं है । वे तमाम के तमाम नहीं समझते । किसान जो अनपढ़ है गरीब है, साधनहीन है, उस किसान से उसकी अज्ञानता और गरीबी के कारण उसकी उपेक्षा करते हैं और उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, इसलिए राज्य सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने प्रशासनिक अधिकारियों को, विशेष तौर से अपने उच्च अधिकारियों को अपनी नीतियों और आदर्शों के अनुकूल ढाले तब जाकर वह अपने कार्यक्रम में सफल हो सकते हैं । लेकिन राज्य सरकार ने ध्यान नहीं दिया । वह तो एक ही बात की तरफ ध्यान देती है कि उच्च अधिकारी किस प्रकार एम० एल० एज० को तोड़ने में संलग्न हैं, सारे कलक्टर्स, एस० पी०, आई० जी०, डी० आई० जीज०, एस० डी० ओज०, एम० एल० एज० को तोड़ने में संलग्न है । जो एम० एल० एज० तोड़कर ले आयेंगे उनको पुरस्कार देते हैं...

श्री नत्थीसिंह : यह सरकारी नीति के अनुरूप है ।

श्री दौलतराम सारण : राज्य सर-

(श्री दौलतराम सारण)

कार अगर विशुद्ध रूप से प्रशासन के मामले में अपनी नीतियों के खिलाफ चलने वाले अधिकारियों को सजा दे तो निश्चित रूप से प्रशासन में सुधार हो सकता है। लेवी वाली असुविधा दूर हो सकती है, कई अड़चनें दूर हो सकती हैं, लेकिन आज राज्य सरकार किसी भी उच्चाधिकारी को, उसके खिलाफ कितनी गम्भीर शिकायतें हों, कितनी गम्भीर अनियमिततायें प्रमाणित हो जाय लेकिन सजा नहीं देती। मुझे याद नहीं कि किसी भी आई० जी०, डी०, आई० जी०, एस० पी, कलक्टर या किसी सेक्रेटरी या हैड आफ डिपार्टमेंट को आज तक सजा दी हो उनके अनियमितताओं के या दुर्व्यवहार के कारण। इसका परिणाम है कि आज शासन में राज्य सरकार की नीतियों और नियमों और उद्देश्यों और आदेशों के विपरीत आचरण करने की प्रशासनिक अधिकारियों की आदत पड़ गई है और वे राज्य सरकार की किसी बात की परवाह नहीं करते। आज सदन में चाहे माननीय सदस्य कुछ भी कहें, लेकिन कोई परवाह नहीं। इसका एक मात्र कारण यह है कि शासन निर्बल है, शासन संचालन और नीति निर्धारण करने वाला जो मंत्री मंडल है, वह बिल्कुल अयोग्य है, निर्बल है, निस्तेज है। अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए उनको मना नहीं पाते। इस कारण सारी समस्याएं वहां हैं। इसके अतिरिक्त कोई कारण नहीं। आप लेवी वसूल करते जायं अगर क्षमता है अगर आप आवश्यक समझते हैं लेकिन कम से कम जिस लेवी को लेते हैं उसकी मंशा बताने की क्षमता होनी चाहिये कि लेवी लेना क्यों आवश्यक है। यह बात उनके गले उतारनी पड़ेगी। अगर उनके गले उतारना केवल कानून के डंडे से करना चाहते हैं, कानून के डंडे से शासन करना चाहते है तो लोकतंत्र केवल कानून के जरिए, लोकतंत्र हुक्म से नहीं चल सकता। लोकतंत्र जन मानस के बल पर चलाया जा सकता है, लोकतंत्र हुक्म से नहीं हांका जा सकता सकता। इसलिए अगर आप किसी समस्या को, किसी भी कार्य को और किसी स्थिति को अगर आप राजस्थान में अमल कराना चाहते हैं कोई भी काम कराना चाहते हैं, कोई वसूली कराना चाहते हैं तो उसके अन्दर आप नई स्थिति के अनुकूल अपने प्रशासन को ढालेंगे। आज आप उसमें फेल हो गए, यह आपकी अयोग्यता है। आपका नाम इससे नहीं होगा कि किसान को पीटा जाय, किसान के साथ कानूनी तौर से दुर्व्यहार किया जाय, उसके घर का ताला तोड़कर घुसा जाय। कानून को अपने हाथ में ले लिया जाय और उसके बाद अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही न की जाय, इससे बढ़कर अयोग्यता नहीं हो सकती। आप कहते है कि यह रूल ऑफ लॉ है। एक तरफ आप कहते हैं कि जनता जनार्दन है। दूसरी तरफ जनता के साथ दुर्व्यवहार होता है, उसकी बिल्कुल उपेक्षा करते हैं। इतनी सदन में समस्याएं आई, शिकायतें आई दुर्व्यवहार के संकेत मिले लेकिन एक में भी आपने आज तक कार्यवाही की हो, तो मुझे जानकारी नहीं है और इसलिये कैसे भरोसा करें कि आज जितनी समस्याएं आई हैं उन पर आप अमल करेंगे ? मैं थोड़े से शब्दों में इतना ही दिवेदन करना चाहता हूं कि आप

(श्री दौलतराम सारण)

जो भी निर्णय करें, जो भी आदेश दें, जो भी नीति निर्धारित करें, उसकी अनुपालना कराते समय अपने प्रशासन को जनतांत्रिक माध्यम समझायें, लोकतंत्री बुनियाद का आभास कराए, इसमें आप असफल हैं। वह तब तक नहीं हो सकता जब तक आप व्यक्तिगत सम्पर्क से, साज के माध्यम से उनको यह बात नहीं समझायेंगे। जो आप प्रशासनिक अधिकारी अनियमिततायें करते हैं उनमें केवल इन्क्वायरी की जाती है। आपको कलक्टर कोई जवाब नहीं देता, आपके आदेशों की अनुपालना नहीं उसके बाद भी केवल इन्क्वायरी करते हैं, कोई सजा नहीं देते हैं। इसका परिणाम यह है आज आपके हुक्म का पालन नहीं होता है। मैं मंत्री महोदय को जानता हूं वह दुखी होते हैं जब किसान के दुख की बात को सुनते हैं लेकिन क्या कारण कि सजा देने की पावर नहीं है? वहां एक बड़ा बैठा हुआ है जो कभी विधान सभा में आने की जरूरत नहीं समझता, वह मुख्य मंत्री सारी सत्ता केंद्रित किए हुए बैठे हैं, वह सजा नहीं देते। कोई मंत्री अगर किसी गजेटेड आफिसर के लिये अगर सजा देने का प्रस्ताव भेजता है तो वह इन्क्वायरी सजेस्ट करते हैं। इन्क्वायरी भी ऐसे अधिकारी से कराई जाती है जो लिखता है कि कोई कसूर नहीं पाया गया और शिकायत-कर्त्ता से तो पूछा ही नहीं जाता जैसे आज मेजर फतेहसिंह कह रहे थे। यह हालत है प्रशासन की। अतः मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप जिम्मेदार दोषी व्यक्ति को सजा दें।

पटवारियों को सजा देते हैं। सिपाही को सजा देते हैं जो घरों में घुस जाता है। सिपाही का कोई कसूर नहीं, पटवारी का कोई कसूर नहीं। कसूर उस कलक्टर और एस. डी ओ. का है, हैड आफ दी डिपार्टमेन्ट का है जिसके मातहत ने गलती की है। जब तक आप उसको सजा नहीं देंगे तब तक छोटा अमला मजबूर है उसके हुकम को मानने के लिये। इसलिये आप उस तरह ध्यान दीजिये। लेवी की सारी समस्या हल हो जावेगी। जो वसूली अब तक हो गई, हो गई, अब होना मुश्किल है। जय हिन्द !

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय,

श्री उपाध्यक्ष : श्री ब्रज प्रकाश।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दूसरे विषय पर निवेदन कर रहा हूं। एक मिनिट में कर देता हूं।

इन्डस्ट्री मिनिस्टर साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि काफी मजदूर आये हुए हैं नेशनल बॉल बीयरिंग के और वे आपकी बिजली वितरण संबंधी नीतियों के परिणामों को भुगत रहे हैं।

आज बॉल बीयरिंग फैक्टरी के संचालक मजदूरों को नोटिस दे रहे हैं कि चूंकि उनको बिजली बराबर नहीं मिल रही है, न आगे मिलने की सम्भावना है इसलिये मजदूरों को वे ले आफ कर रहे हैं और बाकी को भी और भी धीरे धीरे अलग कर देंगे। इससे सारे राजस्थान में यह संकट

Page No. 128

(श्री रामकिशन)

होता जा रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष : यह विषय पांच मिनिट में आने वाला ही है सदन में ।

श्री रामकिशन : यह बिजली वाले मामले से सम्बन्धित नहीं हैं, उपाध्यक्ष महोदय । वे मजदूर यहां आये हुए हैं जिनको नोटिस मिला है और वे मन्त्रीजी से मिलना चाहते हैं और उनसे यह जानकारी चाहते हैं कि इस सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है । संयोग से ये बिजली और इन्डस्ट्री दोनों के मन्त्री भी हैं । मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : इस पर बाद में बहस हो जावेगी, अभी सदन के निर्धारित कार्यक्रम को चलने दीजिये ।

श्री रामकिशन : यहां की बहस मजदूर किसानों के कल्याण के लिये ही तो है । और आज जब खुद मजदूर की भूखों मरने की नोबत आ गई है । बिजली संकट के नाम पर छंटनी हो जावे कारखानेदार नोटिस दे दे और मन्त्रीजी आंख मींच कर बैठ जावें पुराने टाइम के राजा महाराजाओं की तरह यह उचित नहीं है । मैं जिस बात को इतनी गम्भीरता से कह रहा हूं मन्त्रीजी उस तरह से नहीं ले रहे है ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह कौनसी बहस होने जा रही है ?

श्री रामकिशन : यह पेट की ज्वाला है, डिबेट का प्रश्न नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : तीन बजे तक लेवी की चर्चा समाप्त हो जावेगी । पांच सात मिनिट बाकी हैं ।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, यह उससे सम्बन्धित विषय नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : आप इसे उस वक्त कह सकते हैं ।

श्री रामकिशन : उस वक्त भी कहेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : तो अभी इसको समाप्त होने दें ।

श्री रामकिशन : अभी तो इतना ही निवेदन करना है कि मन्त्री महोदय, उनसे मजदूरों से मिल लें और तसल्ली दिलवा दें उनको ।

श्री उपाध्यक्ष : आप व्यवस्था से चलें ।

श्री रामकिशन : यह व्यवस्था की बात नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय । मन्त्री महोदय जरा, एक मिनिट में मैं खुद ही खतम कर रहा हूं, मजदूरों से मिल लें । आप जानते हैं हम तो बहुत अनुशासित लोग हैं । वे मजदूरों से मिल कर तसल्ली करा दें कि उनके बारे में उनकी इस बिजली की समस्या के बारे में वे क्या करना चाहते हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, नेशनल बाल बीयरिंग कम्पनी है। उसने १०० के करीब मजदूरों को ले आफ कर दिया है और बाकी को भी नोटिस दे दिये हैं। इससे सैंकड़ों मजदूरों के बेरोजगार होने का खतरा पैदा हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष : यह आज का विचारणीय विषय नहीं है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हम चाहते हैं माननीय मन्त्रीजी चलकर उनसे मिल लें और अपने विचार उनको बता दें। उनकी कठिनाइयां सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष : सदन का यह प्रांगण का उपयोग इसके लिये नहीं किया जा सकता। किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है।

श्री रामाननन्द अग्रवाल : यह सार्वजनिक मामला है, मेरा कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है। मेरा अकेले का मामला नही है। सारा सदन इस मामले में सहमत है।

आप आदेश दीजिये। अभी जावें और उनसे मिलें। सैंकड़ों मजदूर इस तरह से ले आफ होने वाले हैं उपाध्यक्ष महोदय। बिजली आप दे नहीं रहे हैं। इसलिये ये ले आफ हो रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप कोई भी विषय को जब आपके जंचे मन में तभी कहना शुरू कर दें यह उपयुक्त नहीं है बिलकुल।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, लोग रोजमर्रा नहीं आते हैं। प्रदर्शन करना रोजमर्रा नहीं होता है। बहुत भयंकर कोई बात हो जाती है, तब आते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं क्या कर सकता हू इसमें ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : एडजोर्नमेन्ट मोशन जैसा होता है उस प्रकार इसका नोटिस लेना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : तीन बजे तक लेवी वाली चरचा समाप्त हो जावेगी, फिर लीजिये।

श्री नत्थीसिंह : हमारा सिर्फ यह निवेदन है कि मजदूर घूप में खड़े हैं, परेशान हैं, जिनके पेट पर लात मारी जा रही है। मन्त्री महोदय उनको देखने का जरा कष्ट करें, सुन लें उनकी बात, और अपनी बात उनको कह दें। परन्तु इतना सब कुछ कहने सुनने के बाद भी मन्त्री महोदय चुप चाप बैठे हैं जैसे उनको मुख ही न हो, न कान हों। वाणी उनकी बन्द है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अगर उनको घेराव का डर हो तो एस्कोर्ट हम कर देंगे। घबराने की कोई बात नहीं है। कोई घेराव बगैरह नही होगा।

श्री हरिदेव जोशी : मैं इन घेराव से कोई अपने दिमाग पर असर नहीं लेता। जिनको मुझ से मिलना है वे चाहे सामूहिक रूप से चाहे अपनी यूनियन के मार्फत मुझ

श्री हरिदेव जोशी)

से मिल सकते हैं। अभी हाउस एडजोर्न होगा, मैं घर पर जाऊंगा, उस समय मिल लें। या अभी शाम बाहर चला जाऊंगा, १७ तारीख को वापिस आऊंगा उस दिन मिललें। एब्रप्लटी यह चीज मेरे सामने आई है। मैं इसे देखूंगा और जो कुछ कर सकता हूं, करूंगा।

श्री रामकिशन : यह डेमोक्रेटिक व्यवहार नहीं है मन्त्री महोदय का। आपको केवल थोड़ी देर जाना है और मिल लेना है। आप कौनसी तोप चला रहे हैं यहां बैठकर। आप उनसे मिल लें थोड़ा, उनको सन्तोष हो जावेगा और यह जो आपका अनडेमोक्रेटिक व्यवहार है लोकतन्त्र के लिये घातक है, लोकतन्त्र को शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाये आप अभी तक। लोगों को घुटन होती है तो मिलने आते हैं। आप जहांगीर से तो बड़े नहीं हैं। आप केवल इतना कह सकते थे कि मैंने तुम्हारी बातें समझ ली हैं। फिर भी अगर आप नहीं मिलने जा रहे हैं, तो हमतो मिलने जा रहे हैं प्रतिष्ठा का इसमें कोई प्रश्न नहीं है। यह तो लोकतन्त्र का सही सीधा सा तरीका है।

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय जिस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, मैं उस पर ओब्जेक्ट करता हूं।

श्री रामकिशन : इसमें क्या है ओब्जेक्शन जैसी बात ?

श्री हरिदेव जोशी : किसी यूनियन के सदस्य ने किसी लेबर ने मुझ से मिलने का टाइम नहीं मांगा। न डेपूटेशन आया है।

श्री रामकिशन : हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं।

श्री हरिदेव जोशी : केवल आपने एब्रप्टली खड़े होकर बात कही। न तो सदन में इससे पूर्व कोई सूचना थी। मुझ से अगर लेबर मिलना चाहते हैं अपनी बात कहना चाहते हैं उनके प्रतिनिधि मिलना चाहते हैं अपनी बात सुनाना चाहते हैं तो मैं पेशन्टली सुनूंगा। और उनकी ग्रीवान्सेज को रिड्रेस करूंगा। मुझे पहले कोई नोटिस भी नहीं मिला।

श्री रामकिशन : इसमें अन ड्यू क्या है ?

श्री नत्थीसिंह : यह व्यवस्था का प्रश्न है।

(एक अन्य सदस्य के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : स्थान ग्रहण करिये। आर्डर।

श्री हरिदेव जोशी : मुझे कोई नोटिस नहीं मिला। आई टेक नो नोटिस आफ इट। मैं कहता हूँ यह बिलकुल गलत है। मुझे कोई नोटिस नहीं मिला है।

श्री नत्थीसिंह : इस सदन से बड़ा कोई और चीज है नहीं, उसको भी आप कहते हैं नोटिस नहीं लेता हूं। यह उनका बिलकुल लोकतन्त्र के विरुद्ध आचरण है। इसकी हम निन्दा करते हैं। सख्त शब्दों में निन्दा करते हैं।

श्री बृजप्रकाश गोयल (हनुमानगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गंगानगर जिले में राजस्थान के तमाम जिलों से अधिक लेवी वसूल हुई है और गंगानगर जिले के किसान इस लेवी वसूली में सरकार के साथ पूर्ण सहयोग दे रहे हैं। परन्तु इस वसूली में कुछ ऐसा व्यवहार किसानों के साथ किया जा रहा है। पर किसान हिम्मत से बर्दाश्त करते जा रहे हैं। आप कहते हैं कि जबर्दस्ती नहीं कर रहे हैं। पुलिस का उपयोग शुरू हो गया है। नाजायज तरीकों से जबर्दस्ती वसूली होनी शुरू हो गई।

रेवेन्यू की गिरदावरी में दर्ज है उसे नहीं मानते, इरिगेशन की गिरदावरी में कहीं अगर यह दर्ज मिल जाती है कि किस जमीन में क्या काश्त हुई है और कहीं अगर और चना दर्ज मिल जाता है तो चने को छोड़ देते हैं और गेहूं को मानकर लेवी वसूली शुरु कर देते हैं।

एक में चना गेहूं दर्ज है। एक में चना है। तो गेहूं को सही मान लेते हैं। और यह आरबिटरेरी तरीके से माना जा रहा है। यह किसान के साथ अन्याय है। जब उनसे चना काश्त किया है तो गेहूं की लेवी बाजार से खरीद कर देनी पड़े यह बहुत बड़ा अन्याय है और इसका जरूर समाधान किया जाना चाहिये।

इरिगेशन की गिरदावरी को ज्यादा मानते हैं। तो यह बहुत बुरी बात हो गई है। आप वायरलैस मैसेज से इत्तला दें कि राजस्व की गिरदावरी को मान्यता दें। आप भी राजस्व की गिरदावरी को मान्यता दे रहे हैं पर गंगानगर में इरिगेशन की गिरदावरी को दे रहे हैं। और वहां अगर राजस्व की गिरदावरी में चने की काश्त लिखी है तो भी गेहूं की मानकर लेवी ली जा रही है। तो आज ही वायरलैस से इत्तला करें कि राजस्व की गिरदावरी को मान्यता दी जाय और जहां तफावत हो एन्क्वायरी की जाय और जहां चना की खेती करना साबित हो वहां किसी प्रकार की लेवी वसूल न की जाय।

(३ म० प०)

श्री विजयसिंह रावत : यह लोग कुछ नहीं करने वाले हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय खाद्य मंत्री जी।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक ही मिनिट लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तीन चार दिन पहले इस पर काफी कह दिया। मैं उन बातों को बार बार दोहराना नहीं चाहता। और सदन का समय भी नष्ट नहीं करना चाहता। जहां तक मेरे दल की नीति

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

का सवाल है वह बिलकुल ही स्पष्ट है। हम कम्पलसरी लेवी लेने के विरुद्ध हैं। आज की खाद्य समस्या है वह ऐसी समस्या है कि सरकार की मजबूरी को आखिर हम इन्सानियत के नाते समझ सकते हैं : जिलों में लेवी लेने का जो प्रकरण शुरू किया है, मेरे खयाल में बिलकुल अनुचित है, लोगों को परेशानी और दिक्कतें होंगी। इस सदन के माननीय सदस्यों ने बार बार निवेदन किया है मैं उस बात को दो शब्द में ही अर्ज करना चाहूँगा कि जो गरीब काश्तकार हैं जिनके पास वास्तविक रूप से गेहूँ नहीं है इस पुलिस स्टेट के द्वारा वसूल न करें। माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि मैं ऊट पटांग बात करता हूं, पुलिस स्टेट का आरोप लगाता हूं। मैंने सारे भारतवर्ष के लिये कहा है उसको राजस्थान के लिये समझा कि मेरे द्वारा ऐसे आक्षेप लगाये जाते हैं। हिन्दुस्तान में रोज पुलिस द्वारा मारा पीटी हो रही है और यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। वह दिन न आये कि राजस्थान में भी वह दिन आये। माननीय दौलतरामजी ने कहा लोगों के घरों में घुस जाना, उनकी खाना तलाशी लेना, ऊट पटांग बातें करके बाहर लाकर यह कहना कि खरीद कर लाकर लेवी पूरी करो यह तो अशोभनीय है। सरकार के लिये शोभनीय नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि किसान से व्हीट ८०) रुपये क्विन्टल में खरीदना और १२५) क्विन्टल में बेचना यह तो मेरे खयाल में काला बाजारी की पराकाष्टा है। प्राफिट मोटिव गवर्नमेन्ट की नीति में भरा हुआ है इसका जितना विरोध किया जाय वह कम नहीं होगा। सरकार को चाहिये कम से कम खरीदे तो मार्केट रेट पर खरीदे। पहले भी दुष्काल पड़ते थे, पहले भी लोगों को राजी करके लेते थे अकांग्रेसी सरकार है, यू. पी. आदि, उनको देखेंगे तो उनका कोई न कोई इन्सेन्टिव है। राजी करके लेवी लें। जिनके पास गेहूं का जखीरा है उनसे आप लें तो मैं समझता हूं सर्वथा उचित होगा। आप सेल्स टैक्स लेते हैं अनाज पर आप सर चार्ज लेते हैं, आप लेवी लेते हैं, मेरे खयाल में इससे बढ़ कर और क्या अत्याचार होगा। सरकार को उन सब बातों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिये उनकी दिक्कतों को मद्देनजर रखते हुए कोई न कोई मध्यमार्गी व्यवस्था करनी चाहिये वरना तो, मेरे खयाल से, लेवी को लेकर हम लोगों को भी बाध्य होना पड़ेगा। जो कुछ भी भविष्य में होना होगा। हमारे धैर्य की भी पराकाष्टा है।

श्री उपाध्यक्ष : खाद्य मन्त्री जी।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, जो वक्तव्य मैंने दिया उसके विषय में मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। लेकिन माननीय सदस्यों ने जो मुद्दे उठाये उनका संक्षेप मे पांच मिनिट में जवाब देना उचित समझूंगा। कभी भी माननीय विरोधी दल के नेता के लिये यह बात नहीं कही कि उन्होंने ऊट पटांग बात कही। मैं उनकी बात को ध्यान से सुनता हूं और उसका जवाब भी देता हूं। उनकी नीतिय में और

(श्री परसराम मदेरणा)

हमारी नीतियों में फर्क है। जो बात उन्हें सही दिखती है वह हमें सही नहीं दिखती है। उनके हमारे एप्रोच और कार्यान्वयन में फर्क है। वह नीति का फर्क है। विरोधी दल के माननीय नेता ने कहा कि जुलाई में लेवी ली जा रही है। उपभोक्ताओं के खाने के लिये जुलाई में अनाज मांग रहे हैं क्योंकि उपभोक्ता खाने के लिये जुलाई में अनाज मांग रहे है। लेवी वसूल करनी है और मात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। परसों ही मैंने निवेदन किया था कि हमारे टारगेट्स ३,२५,५०० क्विन्टल के हैं। यह वसूली करनी है। इसमे से १, ०४, ३१७ क्विन्टल गेहूं लेवी में वसूल हुई है। खासतौर से अलवर के लिये शिकायत की गई। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अलवर से ८२ परसेन्ट लेवी वसूल हो गयी है। बड़ी भारी परेशानी बतायी गयी लेकिन हमारे पास तो अब तक कोई शिकायत नहीं आयी है। कुछ क्विन्टल वहां से वसूल होना बाकी रह गया है। अलवर डिस्ट्रिक्ट का पूरा हो जावेगा। यहां पर जयपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने और खानपुर से आने वाली माननीय सदस्या ने और रामगंज मण्डी से आने वाले माननीय सदस्य ने सांगोद और काली सिंध योजना की बात कही। ९२२ एकड़ है और एक वाटरिंग दिया गया है।

श्री जुझारसिंह : यहां असेम्बली में दिया हुआ जवाब मौजूद है।

श्री परसराम मदेरणा : असेम्बली के आंकड़े दे देना मैं जाच करवा लूंगा। चीफ इन्जीनियर इर्रीगेशन, डिस्ट्रक्ट एग्रीकल्चर ओफिसर और जिलाधीश तीनों से जांच करवा लूंगा।

श्री जुझारसिंह : असेम्बली में दिया हुआ जवाब है।

श्री परसराम मदेरणा : अक्टूबर में जबाब दिया था। उस जवाब पर मै किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकता। वायरलैस से मैं कोटा कलेक्टर को कह दूंगा तीनों जगहों की जांच करवा लें। प्राडक्शन ठीक हुआ है, इर्रीगेशन एरिया से लेवी लेनी है। वाटरिंग का कहा, पैदावार हुई नहीं और सरप्लस एरिया नहीं है तो उस मसले को देखा जाना चाहिये। सिर्फ सांगोद का मसला नहीं है। कोटा डिस्ट्रिक्ट में लेवी १५ परसेन्ट ही वसूल हुई है। दूसरी जगह ७५ परसेन्ट वसूल हो गयी है। वहां कम हुई है। यह कहना जबरदस्ती लेवी ली जा रही है अनुचित है। लेवी के लिये राज्य सरकार लिबरल रही है। हम नहीं चाहते कि काश्तकारों के पास अनाज नहीं है तो लिया जाय। आज उपभोक्ता को अनाज देना है और लेवी से ही सस्ती कीमत पर अनाज दे सकते हैं.......

श्री जुझारसिंह : मन्त्री महोदय ...

श्री परसराम मदेरणा - आप सुनिये।

श्री उपाध्यक्ष : ओर्डर प्लीज। दुबारा फिर पूछेंगे और जवाब देना पड़ेगा तो उसका कोई अन्त नहीं आवेगा।

श्री परसराम मदेरणा : यह कहा गया कि ८० में खरीद कर १२५ में बेचना चाहते हैं। ट्रान्सपोर्ट चार्जेज आदि होंगे। नो लौस नो प्रोफिट के ऊपर ही हम बचेंगे। हम मुनाफाखोरी नहीं करना चाहते। उपभोक्ता को अनाज चाहिये। आज कोई लेवी देना पसन्द नहीं करेगा क्योंकि मार्केट रेट हाई है। राज्य सरकार को इसकी जानकारी है। लेवी ली जाती है उस समय एक रुपया भी उसको कम मिलता है तो दुख होता है। किसी प्रकार लिबरल पोलिसी इम्पोज की गई है। पेटा काश्त एक्जम्प्ट कर दिया। जो कुछ शिकायतें आयीं, एडीश्नल कलेक्टर को बुलाया, भूरे के बारे में बात कही, इंडिविजुअल केसेज को भी देखा, लेवी के लिए सख्ती न की जाय, ज्यादती न की जाय, जूत लगाने की बात कही, प्रमुख भी पहुंच गये, एस. डी. ओ. भी पहुंच गये। उस आदमी ने कहा जूते नहीं लगाये। आज कोई कहे कि लेवी वसूल नहीं करेंगे तो कोई देने वाला भी नहीं है। लेवी इम्पोज की गयी है तो माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि इम्पोज की है तो वसूली के लिये ही की है और जैसा मैंने जिक्र किया था कि खाद्यान्न की कमी है राज्य सरकार कोप नहीं कर पा रही है। कई मामले ऐसे हैं नेशनल और इन्टरनेश्नल मामले इन्वोल्व हैं। भारत सरकार ने सब स्टेट्स को डाइरेक्शन्स दिये कि लेवी लगाओ और वसूल करो। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लेवी के सम्बन्ध में पुलिस फोर्स यूज नहीं की जायेगी और ज्यादती नहीं की जावेगी। कोई मुद्दा है। आसपास के पड़ोसियों से पूछ कर निराकरण करना चाहिये। निराकरण के बाद सही हालत का डिसपोजल करना चाहिये यहाँ पर एक बात है डूंगरपूर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा ... ...

श्री श्रवणलाल : इस पर एक स्पष्टीकरण कर दीजिये। जिनसे वसूली की गई है क्या उन्हें वापिस दिलवाया जा रहा है, गेहूं।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य को इन्टरफियर नहीं करना चाहिये। मैं आगे जवाब दे दूंगा। सरकार अपनी नीतियों को क्रियान्वित नहीं करवा सकी और यह मन्त्री मण्डल अयोग्य है, मैं उनसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि वे १० साल तक मन्त्री मण्डल में थे और मन्त्रि मण्डल को नीतियों के अनुपालन के सम्बन्ध में आप आज कमियां बता रहे हैं, उस समय क्यों नहीं इंगित कीं, उस समय क्यों नहीं पाइन्ट आऊट किया।

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने अनुभव किया है तभी तो बताया है।

श्री केसरीसिंह : अनुभव किया तभी तो बता रहे हैं।

श्री नत्थीसिंह : अनुभव करके कदम उठा लिया ....

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : सदन के अन्दर जो कुछ भी सरकार पाईन्ट आऊट करती है उपाध्यक्ष महोदय बादमें ऐसे उठाये गए

(श्री परसराम मदेरणा)

मामलों पर खास तौर से लेवी के सम्बन्ध में मामले आते है, उन पर राज्य सरकार एक्शन भी लेती है। लेकिन कान्सट्रक्टिव सजेशन दें तो ज्यादा अच्छा होगा। आपका वक्तव्य एक भावना से सम्बन्ध रखने वाला वक्तव्य था।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दौलतरामजी ने जो कुछ कहा है वह अनुभव के आधार पर ही कहा है। उस बात पर तो विचार करना चाहिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यहां पर आ जायेंगे तो ऐसे भाषण नहीं दे पायेंगे।

श्री नरसीसिंह : वैसे अनुभव तो मंत्री जी को भी है लेकिन वे कह नहीं पा रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : शायद वे प्रमाण नहीं दे सके तो आपने इस मशीनरी को ठीक नहीं समझा, अफसोस इस बात का है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ऐसी निकम्मी मशीनरी को छोड़कर आ गए हैं इसलिए कि वे मशीनरी को चेन्ज करना चाहते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : इस लेवी के मामले में रबी की फसल को प्रोटेक्शन दिया गया वह सैकन्ड एस्टाब्लिश था। फर्स्ट और फाईनल एस्टाब्लिश को छोड़ कर करीब ७ लाख से ऊपर मिलता था। ५ लाख २५ हजार फाईनल नहीं आया लेकिन वह वसूल करने जा रहे हैं। और जो एक्जम्प्ट हो गए हैं उस केटेगरी को न लेकर इस सम्बन्ध में टोटल प्रोडक्शन को लिया है उसमें लेवी ले रहे हैं। मैं समझता हूं कि फाईनल एस्टाब्लिश वेरायेसन्स आ जाय तो ५-६ टोटल प्रोडक्शन जो व्हीट का राजस्थान में हमारी लेवी का है वह वसूल किया जाय। करीब ९५ परसेन्ट व्हीट है। काश्तकार की परिस्थितियां बहुत बड़ा दबाव डाल रही हैं। इसमें कोई बहुत अधिक लेवी नहीं है। राजस्थान सरकार लेवी वसूल करने में पुलिस की मदद नहीं ले रही है और न ही अधिकारियों को सख्ती से वसूल करने के लिए कहा गया है। लेवी वसूल करने में हम बहुत लिबरल रह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज।

एक माननीय सदस्य : माननीय मन्त्रीजी............

श्री उपाध्यक्ष : नो मोर डिसकशन्स। आर्डर प्लीज आर्डर। नो मोर क्वेश्चन एण्ड आन्सर्स। आर्डर, आर्डर।

श्री श्रवणलाल : मुझे बोलने के लिये भी समय नहीं दिया गया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन काश्तकारों ने चना बोया है............

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज। नाउ देयर इज नो एंड टू दिस

(श्री उपाध्यक्ष)

डिसकशन ।

एक माननीय सदस्य : एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है ।

श्री भैंरोंसिंह : जवाब उन्होंने नहीं दिया हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य खूब जानते हैं । खूब अनुभव है उनका । इसमें दो घन्टे लगेंगे । माननीय सदस्यों को पूरा समय दे दिया गया था । अब अधिक समय न लें । मैं अब आप सब लोगों का सहयोग चाहूंगा ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : जिन किसानों ने अपने खेतों में अन्य वस्तुयें पैदा की हैं और कुछ जगह गेहूं की जगह चना बोया गया है उनसे लेवी वसूल की गई है या नहीं और की गई है तो उन्हें क्या वापिस की जायगी ।

श्री परसराम मदेरणा : ५० परसेन्ट गेहूं लिया जायगा, ऐसे स्पष्ट आदेश हैं यह एक हाईपोथेटिकल क्वेश्चन है ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : एक मेरा भी स्पष्टीकरण है ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज । यह तो आप मन्त्री महोदय से मिलकर मालूम कर सकते हैं क्योंकि सब सवालों का जवाब यहां पर देना और उनका निराकरण करना बड़ा मुश्किल है । आर्डर प्लीज । इनके उत्तर यहां नहीं आ सकते हैं । स्थान ग्रहण करें समय का अभाव है । दो विषय अभी और हैं आर्डर प्लीज ।

एक माननीय सदस्य : व्यवस्था का प्रश्न है ।

एक माननीय सदस्य : स्थगन प्रस्ताव से जो आज एडजोर्नमेंट दिये है उसके बारे में आपको व्यवस्था देनी चाहिये ।

श्री पी० के० चौधरी : नो रूल्स ।

श्री उपाध्यक्ष : आपका जो स्थगन प्रस्ताव है, उसमें जानकारी चाही गई है उसके बाद में व्यवस्था दी जायगी ।

श्री श्रवणलाल - उपाध्यक्ष महोदय, एक विशेषाधिकार का प्रश्न है । मैंने परसों दिया था । मैं जानकारी चाहूंगा उसमें क्या हुआ ।

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन की सुविधा के लिये और इन दी इन्ट्रेस्ट आफ पब्लिक यह चाहिये कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटि बोर्ड के बजट के ऊपर आज डिसकशन होने का है । अगर नहीं होने का है तो वैसा कहा जाय, क्योंकि बहुत से बड़े बड़े अफसर इसके लिये वेट कर रहे हैं । यह मैं इसलिये कह रहा हूं कि वे राज के बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्यों को छोड़कर इसलिये यहां बैठें हैं कि आज राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के वित्तीय विवरण, १९६७-६८ पर बहस होगी ।

(श्री हरिदेव जोशी)

उनको काफी काम निपटाने हैं। बहुत समय से ये यहां बैठे है। इलेक्ट्रिसिटि बोर्ड के चेयरमेन, सेक्रेटरी आदि बहुत से आफिसर बैठे हुये है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस संबंध में अब यह निवेदन है कि इस समय ३-३० बजने को आये हैं। एडजोर्नमेंट मोशन है। इसलिये अभी इसमें घंटा भर लग जायगा। अतः इसको किसी दूसरे दिन ले लिया जाय। आडिट रिपोर्ट भी सदन में आज पेश हुई हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर। आज जो बचा हुआ समय है, उसमें इसको ले लिया जाय। आप जो कुछ कहना चाहें वह भी..........

श्री हरिदेव जोशी : It has been placed on the table of the House in the month of May.

श्री रामानन्द अग्रवाल : No- only today.

श्री हरिदेव जोशी : No No. In the month of May, this report was laid, on the table of the House.

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

एक माननीय सदस्य : जो कानून के अनुसार व्यवस्था हो वह दी जानी चाहिये

श्री हरिदेव जोशी : दो घंटे का समय अगर इस पर ज्यादा मिले तो इसमें क्या हर्ज की बात है। आज का समय दो-तीन घंटे व्यर्थ जायगा दो-तीन घंटे आज उस पर चर्चा की जाय और दो घंटे किसी दिन और रख दें ताकि पूरा अध्ययन कर उस पर कुछ कहा जा सके।

श्री रामकिशन : आज दो घंटे बैठ सकते हैं लेकिन सरकार को इस बात को कैसे समझायें कि विभाग जिस बात को....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, प्लीज। आर्डर, आर्डर--आपस में बात मत कीजिए। मन्त्री महोदय ने शुरू में ही जब यह आपत्ति उठाई थी तो कह दिया गया था कि आज पेश हुई उसके लिए उनको पश्चाताप है। इसके अलावा यह रिपोर्ट सदन की मेज पर बहुत पहले रख दी गई थी।

अनेक माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इजाजत दें तो मैं एक्सप्लेन कर दूं क्योंकि आप इजाजत नहीं दे रहे हैं इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं। सी० ए० जी० के अनुसार १९६५ की आडिट रिपोर्ट, राज्य की जो रिपोर्ट पेश की जाती है उसका पार्ट है इसलिए वह उसके साथ में ही पेश हुई है और यह रख दी है। यह जो किताब पेश की गयी है

(श्री हरिदेव जोशी)

सदन की मेज पर यह स्टेटमेन्ट ग्राफ अकाउन्ट्स और उसका ग्राडिट सर्टीफिकेट ही है एण्ड नाट दी आडिट रिपोर्ट । तो ग्राडिट रिपोर्ट तो मई में ही इस सदन की मेज पर रख दी गयी है और ग्राडिट पैरा इसमें सन्नहित है और वह सारी की सारी मई में ही रख दी जा चुकी है इसलिए यह धारणा कि ग्राडिट रिपोर्ट ग्राज सामने रखी गयी है यह करेक्ट नहीं है । अब रहा सवाल जो मैंने ग्रभी स्टेटमेन्ट ग्राफ अकाउन्ट्स और यह जो स्टेटमेन्ट ग्राफ सर्टीफिकेट रखा है वह तो केवल अकाउन्ट्स का और उसका सर्टीफिकेट-मात्र है जो कि ग्रापको पहले पेश किया जा चुका है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक स्पष्टीकरण कर दीजिए । जो ग्रापने सी० ए० जी० का हवाला दिया है वह व्यवस्था कब लागू हुई ? किस पीरियड से, किस तारीख से, किस नियम से और किस कानून से ?

श्री हरिदेव जोशी : १९६१-६२, ६२-६३ और ६३-६४ जो था उसके तो पहले जैसा ग्राडिट रिपोर्ट स्टेट की पेश की जाती है उस तरह से पेश की जा चुकी है ।

'C. A. C. took a decision that only audit certificates should be presented to the Legislature separately in terms of section 69 of the Electricity Act, 48. The financial irregularities deducted during the audit accounts should be included in the accounts of the State Govt. This practice has been observed for 63-64, 64-65, 65-66.

इसलिए मैंने निवेदन किया कि यह जो प्रिवीलेज प्रेक्टिस है उसी के हिसाब से यह ग्राडिट रिपोर्ट मई में पेश की जा चुकी थी और उसके पहले भी पेश की जा चुकी है ।

श्री रामकिशन : इसमें एक स्पष्टीकरण चाहूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज । यह डिसकशन्स इतने लम्बे हो जाते हैं कि उसमें सदन का समय बहुत जाता है । मंत्री महोदय ने स्थिति है वह ग्रापके सामने स्पष्ट कर दी उसके बाद में यह भी व्यवस्था दे दी गयी है कि २ घन्टे ग्रागे और किसी भी दिन चर्चा होगी । अब समय का ख्याल करके ध्यान ग्राकर्षण प्रस्ताव ग्रभी एक और बाकी है, वह लिया जायेगा, और उसके बाद में विद्युत मण्डल के बारे में चर्चा होगी ।

श्री रामकिशन : एक स्पष्टीकरण मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : ज्यादा अच्छा रहेगा । ग्राप अपने भाषण में कह दें ।

श्री रामकिशन : भाषण देना नहीं है । ग्राप कह रहे हैं कि इसके डिसकशन में उपयोगी नहीं है जो साहित्य दिया जाता है वह उपयोगी होता है....

श्री हरिदेव जोशी : हर लिट्रेचर का उपयोग तो अपने आप में है ही लेकिन यह एक्सट्रेक्ट एक्सपेन्डीचर और रेवेन्यू का जिसके ऊपर उन्होंने सर्टीफाई किया है ।

श्री रामकिशन : इसमें बड़ी डिटेल में दिया है । बिना पढे कहा है....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, प्लीज़ ।

ध्यान आकर्षण प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष : श्री लादूराम सुलाणिया, डूंगाराम राजोरिया व श्री गंगासहाय ध्यान आकर्षित करेंगे वन मन्त्री जी का ।

श्री गंगासहाय (कठूमर) : उपाध्यक्ष महोदय, अलवर जिले में बांस उद्योग बहुत पुराना है और इसमें धानका जाति और परिगणित जाति के दो हजार परिवार इसी उद्योग से अपना जीवन निर्वाह करते हैं और अलवर जिले की रियासत के समय में जो उनकी सहकारी समितियां थीं उनको ठेका नहीं मिल सका इसलिए अभी पिछले साल भी कोई ठेका नहीं दिया गया इसलिए उनको रिलीफ पहुँचाने के लिए और उनको जितने बांसों की आवश्यकता हो वह उनको दिये जायें लेकिन देखने में यह आया है कि ६२ से ६७ तक इस कुटीर उद्योग पर ३ बार सरकार ने प्रहार किया है। सन् ५२ में ठेका नहीं मिला, ५७ में नहीं मिला और ६७ में भी नहीं मिला जब कि ६५ में भी माननीय वन मंत्री जी ने यह आदेश दिया था कि यदि बांस के कूप जेल सेन्टर में हों तो भी उनको बांस दिये जायें लेकिन उस पर भी सरकारी अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया। और इसके लिए फिर माननीय मुख्य मंत्री महोदय का भी एक मेमोरेन्डम दिया लेकिन उसका भी परिणाम कुछ नहीं निकला । नतीजा यह हुआ कि जो पिछली साल भी ठेका नहीं दिया और ४ महीने से भयंकर बेरोजगारी हो गयी है और इस महंगाई के जमाने में उनके भूखों मरने की नौबत आ गयी । क्या सरकार ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करेगी और उन गरीबों को कोई राहत देगी ? इतना ही नहीं ...

श्री उपाध्यक्ष : इस विषय के बारे में आपको मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना है तो जो तथ्य हों बहुत ही थोड़े हैं आप कह दीजिए, इस पर कोई लम्बा भाषण न हो ।

श्री गंगासहाय : वही बता रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : आप क्या चाहते हैं ? क्या तकलीफ है ? क्या कराना चाहते हैं ? वह मंत्री महोदय के सामने रख दिया जाये, वह जवाब दे देंगे ।

श्री गंगासहाय : बात यह है कि जो सहकारी समितियां हैं वहां एक सहकारी समिति १२-१३ वर्ष से काम कर रही है उसको ठेका नहीं दिया गया और लोग मनमानी करते हैं। आफिसरशाही और पक्षपात और सांठगांठ का नतीजा है कि उनको ठेका नहीं मिलता और जो वन कूप दिये जाते हैं उनकी भी कीमतें सही तय

(श्री गंगासहाय)

नहीं की जातीं। उनकी चार गुना कीमत बढ़ा दी गयी है और जो कीमत वन को ज्यादा तय की जाती है वह घटिया किस्म की कूप होती है और जो अच्छी कूपें होती हैं उनकी कीमत कम होती है और उनका ठेका भी उन्हीं सहकारी समितियों को दिया जाता है जिसके ठेकेदार लोग सांठगांठ करके उनसे काम कराते हैं। इसके अतिरिक्त जो राजस्थान राज्य सहकारी संघ एक बना है वह भी सहकारी समितियों की घोर अपेक्षा करता है वह चन्दा लेते हैं और सौ सौ रुपया लेते हैं और जो कुछ सहायता सरकार से मिलती है और पक्षपात उनके साथ किया जाता है।

इसके अलावा और भी मैं आपको बताऊं कि एक नयी योजना और लागू की जा रही है। इस वन उद्योग में क्योंकि अधिकतर लोग परिगणित जन जाति के लोग और हैं वह कहीं आर्थिक दृष्टि से स्वाव लंबी नहीं हो जायें इस दृष्टि से उनका शोषण किया जाये इस कारण से यह सांठ-गांठ होती है। इसका नतीजा दूसरा और सामने आने वाला है कि बांस वाले वनों की कूपों का ठेका वन में ही नीलाम करके ठेकेदारों को दे दिया जाये। मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यदि वह चाहते हैं कि इन उद्योग धंधों में लगे लोगों को और हरिजनों को रोजगार मिले और वह आर्थिक दृष्टि से खड़े हो जाये तो इन सहकारी समितियों की रक्षा की जाये और चार चार महीने से जो बेरोजगार हो रहे हैं उनके लिए उचित व्यवस्था की जाये।

श्री उपाध्यक्ष : वन मंत्री जी।

श्री नारायणसिंह मसूदा (वन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने इस बात पर ध्यान आकर्षित किया है कि अलवर में जो बांसों का ठेका.......

देवीदत्त गाडिया : आवाज साफ नहीं सुनाई दे रही है।

श्री नारायणसिंह मसूदा : ... अलवर में जो बांसों का ठेका दिया जाता था वह गत वर्ष नहीं दिया गया और इस कारण से वहां के लोग जो विशेष जाति के हैं और जो इसमें काम करते है उनको घाटा हुआ है। इस विषय में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि गत वर्ष इस प्रकार का निर्णय लिया गया था कि जहां जहां सेन्चुरीज हैं वहां कटाई इत्यादि के लिए काफी रेस्ट्रिक्शन्स रखे जायेंगे ताकि जिस मकसद से वह सेन्चुरीज बनाई हैं वह मकसद पूरा हो सके और अनियमित रूप से अथवा और प्रकार से जो वहां पर कटाई हो जाती है और जंगलों की बरबादी होती है वह रोकी जा सके। इस निर्णय के बावजूद भी उस समय जो वन मंत्री थे उनके पास वहां के बांस काटने वालों ने ४-१-६७ को एक आवेदन रखा कि उनको इस प्रकार का ठेका देना चाहिए और उनको काफी इससे नुकसान इत्यादि और उस समय के वन मन्त्री महोदय

(श्री नारायणसिंह मसूदा)

ने सब बातों की जानकारी करके और इस निर्णय पर आए कि जब डिपार्टमेंटली उस सेंक्चुअरी की कटाई करने का प्रश्न पूरी तरह से हल नहीं हुआ है और वहां पर बांस काटने का ठेका दिया जा सकता है तो उसके लिए उन्होंने ११-१-६७ को यह जो रोक थी सेंक्चुअरी के अन्दर बांस का ठेका न देने की, उसको रफा कर दिया और उसके लिए रजामन्दी जाहिर की। उसके बाद में सी. सी. एफ. ने १७-१-६७ को उसी के अनुसार वहां के डी. एफ ओ. से इसके प्रपोजल मांगे, और और भी जो इसकी कार्यवाही थी, जो वन, जैसा अभी माननीय सदस्य जिक्र कर रहे थे, जन वन सहकारी संघ हैं, उसकी तरफ से एलिशियेशन होना आवश्यक है, रजिस्ट्रार की भी सिफारिश इत्यादि होनी चाहिए, तो डी. एफ. ओ. की सिफारिशों के प्रपोजल ३०-१-६७ तक आए। उसके बाद संघ ने अपनी रिकमण्डेशन ९–२–६७ को इस विषय में की कि ठेका दे दिया जावे। कंजरवेटर आफ फोरेस्ट जयपुर ने १३-२-६७ को इसकी रिकमण्डेशन की। उसी के अन्दर यह भी उन्होंने कहा कि अगर उनके खिलाफ कोई बकाया रकम न हो तो यह ठेका इस प्रकार से दे दिया जावे। अब उस बकाया रकम की जानकारी करते कुछ समय हुआ और मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि तीन प्रकार की सहकारी समितियां इस विषय में मौजूद हैं। एक राम बांस उत्पादन सहकारी समिति है जिसके खिलाफ ३७६८) रुपये की बकाया है। एक शंकर बांस उत्पादन सहकारी समिति है जिसके खिलाफ ४८९२) रु. बकाया है, इसी प्रकार से एक बांस उद्योग सहकारी संघ अलवर है जिसके खिलाफ २९७६) रुपये बकाया हैं। तो इन सब चीजों की मालूमात की गई और अब तक २९ मार्च तक इसका समय समाप्त होने को आ गया इसलिए उनको उस साल में ठेका नहीं दिया जा सका। अब आगे के वर्ष के लिए यह रखा गया है कि सेंक्चुअरी में जहां तक हो सके इस प्रकार की कटाई बहुत ही रोकथाम के साथ हो और बहुत ही चौकस के साथ हो परन्तु फिर भी जहां इस प्रकार का आवश्यक हो जिस प्रकार से अलवर की धानका जाति के लोगों की बात बताई है, उनकी पूरी रोजी ही इस पर निर्भर करती है तो उनका जरूर खयाल रखा जावे और उनको किन्हीं सीमाओं के अन्दर उसका ठेका दिया जावे। इस व्यवस्था के अनुसार ही उन्हें ठेका दिया जाएगा और ठेका देते समय राज्य सरकार ने इस पर विचार किया है। पहले जो उनको ठेका दिया जाता है सन् ५७ तक वह रायल्टी के आधार पर दिया जाता था लेकिन जब यह देखा गया कि वनों को अनियमित रूप से फेलिंग होता है तो सन् ५७ के बाद कूप सिस्टम इन्ट्रोड्यूज किया गया और उसके आधार पर दिया जाने लगा। इसी आधार पर गत वर्षो के अन्दर सिक्चुरीज का ठेका बिल्कुल नहीं देने का निर्णय हुआ था पर बाद में जिस प्रकार की परिस्थितियां पैदा हुई उसमें ठेका देने का निर्णय लिया गया लेकिन जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि इन कारणों से इस वर्ष इनको ठेका नहीं दिया जा सका। अब इस वर्ष में दिया जा सकता है लेकिन वह भी एक उसके अन्दर एक सिद्धान्त निर्धारित किया जा

(श्री नारायणसिंह मसूदा)

सकता है कि इस प्रकार की वन श्रमिक सहकारी समितियां हैं उनको कुछ परसेंट की छूट देकर....

श्री उपाध्यक्ष : आप थोड़े के अन्दर ही उनकी जो बात है उसका जवाब दे दें। समय का अभाव है।

श्री रामकिशन : क्या कह रहे हैं समझ में नहीं आया।

श्री अमीलाल यादव (बहरोड़) : इन्होंने कह दिया और उन्होंने समझ लिया।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

श्री नारायणसिंह मसूदा : तो मैं निवेदन करता हूं कि इस वर्ष में कुछ छूट देकर जो आवश्यक समझी जाती है ऐसे वन सहकारी समितियों को वहां पर ठेका देंगे और वह इस वर्ष में दिया जायेगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनिट में कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय विरोधी दल के नेता महोदय, समय का बहुत अभाव है। समय बहुत हो चुका है, पौने चार बजने को आगए हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं उपाध्यक्ष महोदय, दो ही मिनिट में अपनी बात कह देता हूं। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानकारी प्राप्त करना चाहूंगा कि जहां तक कि यह पिछड़ी जाति का प्रश्न है, जहां तक कि सहकारी समितियों के द्वारा यह बांस का ठेका दिए जाने का प्रश्न है, एक-एक प्रगतिशील प्रश्न है। समय के अनुसार आपको चलना चाहिए। जब पहले भूतपूर्व राज्यों में पिछड़ी जाति के लोगों को, धानका जाति के लोगों को बांसों का ठेका दिया जाता था तो मेरे खयाल में इस जाति का सहानुभूति पूर्वक अगर आप उत्थान करेंगे तो कुटीर उद्योग की समस्या को लेकर, टोकरियां बनाने, बांस की चटाइयां बनाने की दृष्टि से आप इस पर विचार करेंगे तो ठीक होगा। बकाया की जो आपने बात कही तो बकाया भी मेरे खयाल में इतनी ज्यादा नहीं है। पिछड़ी हुई जाति को अनुदान देने के सिद्धान्त के अनुसार ही चलेंगे तो भी मेरे खयाल में आपत्ति नहीं होगी। रहा सवाल बांस का ठेका देने का और सेंक्चुअरी का ठेका देने का सवाल। बांस की तो ऐसी हालत है तो साल दर साल नष्ट हो जाते हैं ये। बांस अब राजस्थान का करीब करीब नष्ट प्राय हो चुका है। सेंक्चुअरी में बांस हैं लेकिन बांस की आप रोटेशन से काटते जायं तो सेंक्चुअरी के लिए भी अहितकर नहीं होगा। तो मेरे खयाल में बांस को बाई रोटेशन निकालने की आप प्लान के अनुसार व्यवस्था करें तो उचित होगा। यह जो मांग की जा रही है यह आज के राज्य की नीति के प्रतिकूल नहीं है, अनुकूल है और उसको मैं आशा करता हूं कि आप प्रोत्साहन देंगे।

श्री नारायणसिंह मसूदा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय विपक्ष के नेता महोदय ने जो सुझाव दिए हैं वे बहुत उपयोगी हैं। बाई रोटेशन बांस को काटने इत्यादि के और यह विभाग की नीति है कि पिछड़ी जातियों अथवा परिगणित जातियां, जन जातियों इत्यादि और उनके जो सहकारी संघ हैं उनकी मार्फत उनको जितनी भी तरजीह दी जा सकती है, वह दी जाय और सेंक्चुरीज में जो अनर्गल रूप से कटाई होती है उसको रोका जाय और इसमें यह जो मैंने आपके सामने उद्धृत की गई रकमें, इसके कारण ही नहीं दिया है, यह बात नहीं है·······

श्री उपाध्यक्ष : ज्यादा विस्तार में न पड़ें। ज्यादा विस्तार में जाने से उसमें और प्रश्न खड़े होने का खतरा लगता है।

श्री नारायणसिंह मसूदा : मैं यह निवेदन कर रहा था कि उसके मुताबिक ही व्यवस्था की गई है और चूंकि ३१ मार्च का टाईम समाप्त हो गया इसलिए ठेका दे दिया गया ·········

(व्यवधान) (अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर। ऐसे मामलों में, ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के अन्दर आप बोल दें और मन्त्री महोदय बोल दें उसके बाद फिर चर्चा का इसमें अवसर नहीं रहता है। समय काफी हो गया है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि अब आगे का जो विचारणीय विषय है उसको लेने दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय···········

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह आवश्यक नहीं है कि आपके दल को जितने भी विषय सामने आए सब में अवसर दिया जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरे एडजोर्नमेंट मोशन हैं उसके बारे में क्या व्यवस्था है, यह जानना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें जानकारी चाही गई है जानकारी आने के ऊपर इस पर निर्णय दिया जायेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कौन से पर, मैंने दो एडजोर्नमेंट मोशन दिए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : एक तो नगर परिषद के कर्मचारियों के विषय में है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : नगर परिषद के कर्मचारियों के·······

श्री उपाध्यक्ष : आप इस पर भाषण करेंगे तो काफी समय हो जाएगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरा दूसरा एडजोर्नमेंट मोशन है·······

श्री उपाध्यक्ष : जानकारी चाही है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : स्टेटमेंट कब होगा यह बता दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : जानकारी आएगी

(श्री उपाध्यक्ष)

उसके बाद । दूसरा एडजोर्नमेंट मोशन आपका प्रिवी पर्सेज के बारे में है उसकी भी जानकारी चाही गई है ।

(व्यवधान)

श्री नत्थीसिंह : उसमें क्या जानकारी चाहना है । उसकी जानकारी तो सारे हिन्दुस्तान को है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मुख्य मन्त्री महोदय ने दिल्ली के अन्दर यह कहा, तीन स्टेटों के ......

श्री उपाध्यक्ष : इसमें आप और समय लगायेंगे । अभी इलेक्ट्रिसिटि बोर्ड का प्रश्न सामने आ रहा है उसके अन्दर आप कह सकते हैं ।

श्री नत्थीसिंह : उसमें कैसे कह सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : बिल्कुल कह सकते हैं । इलेक्ट्रिसिटि फ्री दी जाती है इस संदर्भ में कह सकते हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा तो एडजोर्नमेंट मोशन है....

श्री उपाध्यक्ष : इस बारे में व्यवस्था दे दी गई है कि एडजोर्नमेंट मोशन के बारे में जानकारी चाही गई है, अब इस बात पर भी आप भाषण देना चाहें कि जानकारी लेना जरूरी है..........

श्री रामानन्द अग्रवाल : जानकारी अपने आप में मौजूद है.......

श्री उपाध्यक्ष : आप समय का खयाल रखें.......

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपको यह व्यवस्था देनी चाहिए कि यह स्टेटमेंट मुख्यमन्त्री जी से कब दिलवाना चाहते हैं । यह एडजोर्नमेंट मोशन मैंने परसों दिया था सेक्रेटरी साहब कहने लगे कि यह देरी से मिला है अत: इसको नहीं ले सकते मैंने कहा परसों सही । इसकी डेट मुकर्रर करनी चाहिए चूंकि यह मुख्य मन्त्रीजी से सम्बन्धित है इसलिए टालना चाहते हैं यह उचित नहीं होगा । ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न जो आल इन्डिया क्वश्चन बना हुआ है प्रीवीपर्स समाप्त होनी चाहिए आपके यहां के प्रदेश कॉंग्रेस के अध्यक्ष ने लिखा है ए । आइ० सी० सी० ने जिसको मन्जूर किया है, लोकसभा में प्राइवेट मेम्बर्स ने रेजोल्यूशन रखा है उसके बारे में हमारे मुख्य मंत्री कुछ और कहते हैं । इससे मालूम पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट की यह नीति है ।

श्री उपाध्यक्ष : इस बात की जानकारी चाही गई है इसमें कहां तक तथ्य है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : मुख्य मन्त्री की तरफ से जो स्टेटमेंट अखबारों में आया है उसका कन्ट्राडिक्शन मुख्यमंत्री ने नहीं किया । यह नेशनल क्वश्चन है इन्होंने कहा हैकि स्टेट गवर्नमेन्ट से बिना पूछे निर्णय नही लें ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर। आप सुन लीजिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप भी तो सुन लीजिये, आपको भी हमारी बात सुननी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर आप सहयोग देना नहीं चाहते। क्या आप चाहते हैं वही हो ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : मुख्य मंत्री साथ में जुड़े हुए हैं इसलिये जान बूझकर देरी की जा रही है। मैंने परसों यह मोशन दिया था आप जानकारी कर सकते थे। आपकी इसको टालने की नीयत हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने निवेदन किया जानकारी चाही गई है।

श्री नत्थीसिंह : आप कबतक जानकारी प्राप्त कर लेंगे स्थगन प्रस्ताव है पब्लिक इम्पोर्टेन्स का मामला है जानकारी कब तक ली जायगी ?

श्री उपाध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न के बारे में होते हैं उसको इस दृष्टि से देखा जाता है कि इस पर बहुत समय नहीं लगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हमने भी अविलम्बनीय लोकमहत्व की दृष्टि से ही दिया था केबीनेट में इस पर बहस हो रही है उसके बारे में स्टेट गवर्नमेन्ट के चीफ मिनिस्टर कहें कि हम विचार नहीं करते राजस्थान के मुख्य मंत्री की भी इच्छा नहीं स्टेट गवर्नमेन्ट की इच्छा नहीं बिना स्टेट गवर्नमेन्ट के निर्णय के मुख्य मंत्री महोदय ऐसा कैसे कह दें।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर तो डेट मुकर्रर करनी होगी।

श्री नत्थीसिंह : आखिर कोई डेट तो मुकर्रर कर दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : १७ तारीख को जानकारी ले लेंगे। इस में इतनी जिद् करने की बात क्या है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप जोर-जोर से और रोब जमाकर हमें चुप करना चाहते हैं। हमने आपको चुना है वह इसलिये नहीं कि आप हमारे पर इस तरह से रोब जमावें। मैं आपकी इस भाषा को डिसलाइक करता हूँ कन्डेम करता हूँ।

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, जिस भाषा का चेयर के लिये उपयोग किया गया है....

श्री रामानन्द अग्रवाल : चेयर ने भी जिस तरह की भाषा का हमारे लिये प्रयोग किया है।

श्री हरिदेव जोशी : मैं निवेदन करता हूँ उन वाक्यों को कार्यवाही से एक्सपन्ज किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : आसन की तरफ से

(श्री उपाध्यक्ष)

यह कभी नहीं रहा एक सदस्यीय दल रामानन्द जी को कभी बोलने का अवसर न दिया गया हो या उनको अपनी बात कहने का मौका न दिया हो आपको यदि शिकायत है तो आसन को उससे अधिक शिकायत होनी चाहिये । आपको बराबर अवसर दिया जाता है उसके बाद भी आसन के लिये आप इस प्रकार के शब्द उपयोग में लेते हैं १७ तारीख को जानकारी के लिये रखी गई है...

श्री रामानन्द अग्रवाल : १७ तारीख की बात कहते ही तो मैं बैठ गया । आपको इतना इनसिस्ट किया गया ...

श्री उपाध्यक्ष : इस पर भी आप इस तरह के शब्दों का उपयोग करें । मैं इनको एक्सपन्ज करना ठीक नहीं समझता ये शब्द रेकार्ड पर रहेंगे ।

राजस्थान राज्य विद्युत् मंडल के वित्तीय विवरण, १९६७-६८ पर विचार

श्री हरिदेव जोशी (विद्युत मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान राज्य विद्युत् मंडल के वार्षिक वित्तीय विवरण (आय व्ययक) १९६७-६८ को विचारार्थ लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : महारावल श्री लक्ष्मणसिंह ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज के युग के अन्दर यह निर्विवाद बात है कि विद्युत् और बिजली का बहुत बड़ा भारी महत्व है । विद्युत् और जल हरेक राष्ट्र की प्रगति और खुशहाली के वास्ते अनिवार्य हैं और समाज के लिए भी अत्यन्त आवश्यक हैं । पानी उत्पादन के लिये अनिवार्य है और हमारी बढ़ती हुई आबादी को ध्यान में रखते हुए पानी का सदुपयोग उत्पादन हेतु होना उतना ही आवश्यक है । हमारे राजस्थान में जहां जहां पर प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होता है उसका हमको सदुपयोग बिजली उत्पादन के लिये बिजली वितरण के लिये परम आवश्यक है । बिजली का औद्योगीकरण और उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुत ही आवश्यक चीज है । बिजली पानी द्वारा उत्पादन होता है । मेरे ख्याल में औद्योगीकरण और उत्पादन दोनों साथ साथ चलते हैं । हमारे देश में वैसे तो बड़ी बड़ी नदियां हैं उन नदियों में बाढ़ें आती हैं फसलें बरबाद हो जाती हैं पशु धन की हानि होती है । कभी कभी तो गांव के गांव बह जाते हैं । लेकिन मेरे ख्याल से जहां तक पानी का प्रश्न राजस्थान का प्रश्न है प्रकृति इस संबंध में अविरुद्ध है हमारी समस्यायें कम से कम अधिकांश राजस्थान की समस्यायें हैं । खास तौर से सूखे की समस्या है वह हर क्षेत्र की विभिन्न प्रकार की और महत्वपूर्ण समस्या है । अगर हम इसको ठीक ढंग से सोचकर आगे चलते हैं तो प्रगति कर सकेंगे । जो लोप साइडेड डेवलपमेन्ट कर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वह मैं समझता हूं अनुचित व्यवस्था है विशद रूप से मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं । हमको विद्युत की समस्या को लेकर राजस्थान की एक सी समस्या मानना चाहिये । अन्यथा

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

हमारी प्रगति के अन्दर बाधा उत्पन्न हो सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, पानी के सदुपयोग के सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करूंगा अब भी बीस वर्ष की आजादी के पश्चात् हम जल समस्या को समुचित ढंग से हल नहीं कर पाये। पेय जल की समस्या वैसी ही लटकी हुई पड़ी है अन्यथा हमारे जल से विद्युत समस्या एक हद तक आगे बढती हुई खामियों से भरपूर है यह मेरा निश्चित अनुभव है।

उपाध्यक्ष महोदय, बिजली चार रूप से अनिवार्य हमारे राजस्थान के क्षेत्र के लिए उपयोगी हो सकती है। गहरे कुओं से पानी निकालने के लिए बिजली बहुत लाभदायक हो सकती है। इसके अलावा छोटे बड़े गांवों के अन्दर इसको खेती के लिए उपयोग में लाने के लिए लाभदायक हो सकती है।

तीसरा औद्योगिक विकास के लिए, हमारे पिछड़े हुए क्षेत्रों को विकसित करने के लिए बिजली परमावश्यक है, और चौथा, उपाध्यक्ष महोदय, खनिज संपत्ति जो हमें नान–टैक्स रेवेन्यू देती है, खनिज संपत्ति जो राजस्थान के अंदर अनोखा महत्व रखती है. अगर उसको महत्व दिया जायगा तो मेरे ख्याल हैं राजस्थान की जनता को खुशहाली और राजस्थान सरकार की, वह दोनों पक्षों के हित में होगा, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में विद्युत् मंडल की स्थापना १ जुलाई १९५७ को हुई, अर्थात् विद्युत्-मंडल की स्थापना हुए १० साल हो चुके। इसके पहले विद्युत्-व्यवस्था निजी रूप से भी थी और सरकारी बिजली घरों के द्वारा भी बिजली का उत्पादन और वितरण हुआ करता था। विद्युत्-मंडल की स्थापना के बाद अब भी कहीं कहीं बिजली घर निजी रूप से चल रहे हैं...

(३.५० म० प०)

(श्री केदारनाथ, सभापति पद पर आसीन)

किन्तु यदि मैं यह कहूं कि बिजली का वितरण, बिजली का उत्पादन आज राज्य के हाथों में मोनोपोलिस्टिक बेसिस के ऊपर करीब-करीब आ चुका है। राज्य का यह लक्ष्य है कि बिजली की मोनोपोली राज्य को हस्तान्तरित हो, इसको भी देखते हुए जो मेरे दिल के विचार हैं, विषमता को देखते हुए जो मैं अनुभव करता हूं मैं समझता हूं मैं जो शब्द निवेदन करूंगा।

विद्युत्-मंडल के गठन के सम्बन्ध में दो शब्द, चैयरमैन महोदय, सदन के समक्ष रखना चाहूंगा। विद्युत्-मंडल में ७ सदस्य हैं—एक अध्यक्ष, एक प्राविधिक (टैक्निशियन, एक लेखा एवं वित्त का सदस्य, चोथा औद्योगिक सदस्य—ये पदेन सदस्य हैं और तीन गैर सरकारी सदस्य हैं। उन तीन गैर-सरकारी सदस्यों में से एक सदस्य ऐसे हैं जो इस सदन के सम्मानीय सदस्य हैं....

श्री हरिदेव जोशी : अब वे नहीं रहे ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं कहना चाहता था कि अगर हैं तो कैसे हैं, किन्तु उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय द्वारा स्पष्टीकरण होने के पश्चात् मुझको आपत्ति इस सम्बन्ध में उठाने की कोई गुन्जायश नहीं रही ।

उपाध्यक्ष महोदय, विद्युत्-मंडल में १०९८१ कर्मचारी हैं । सन् १९६६-६७ के बजट के अनुसार १,८५,००,०००) रु० का इस सम्बन्ध में प्रावधान खर्च किया गया । इसके अतिरिक्त कुछ कर्मचारी और हैं जिनके ऊपर १,१४,०००) रु० का खर्च अनुमानित किया गया है । सभापति महोदय, ये १०९८१ जो कर्मचारी हैं उनकी सेवाओं को विद्युत्-मंडल को सन् १९५७ में ट्रांसफर किया गया है, यानी १० साल के करीब यह बात हो चुकी है कि उनकी सेवाओं को ट्रांसफर किया गया है । इनके पहले जो अन्य कर्मचारी थे वे अन्य विभागों में संभवत: अपनी सेवाओं में लगे हुए होंगे । यह खेद का विषय है, सभापति महोदय, कि १० वर्षों के पश्चात् बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी सेवाओं के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार अभी तक कोई निर्णय नहीं ले पाई है । यह समस्या विचाराधीन है । इतना महत्वपूर्ण विषय यदि विचाराधीन ही रखा है तो मेरे ख्याल में यह एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक उचित व्यवस्था नहीं कही जा सकती है । एफिशियन्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जितने विषय कम विचाराधीन रखे जाएं उतना ही अच्छा है । इन कर्मचारियों की सेवाओं के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार का निर्णय कोई नहीं होने के कारण कर्मचारियों में भी असन्तोष है । मेरे ख्याल में विद्युत मंडल के कर्मचारियों को सन्तुष्ट रखना विद्युत् मंडल की सफलता के लिए परमावश्यक है । आज अगर देशव्यापी मंहगवारी की समस्याओं को लेकर हम इस संबध में विचार करें तो बहुत से कर्मचारीगण आज यह अनुभव करते हैं कि सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करना तो दरकिनार रहा, लेकिन आज आधुनिक रुपये की क्रयशक्ति इतनी क्षीण हो चुकी है कि उनका बोथ दी एण्ड्स मीट करना, उनका गृहस्थाश्रम का निर्वाह करना अत्यन्त कठिन हो गया है । और ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए कर्मचारियों के भविष्य के लिए मेरा निवेदन है कि सरकार को शीघ्रातिशीघ्र निर्णय लेना चाहिए ।

इस सदन में सभापति महोदय, मैंने विचार एक छोटे-मोटे बिजली के कर्मचारी के सम्बन्ध में रखा । उसका नाम है चांद खां । वह चांद खां डूंगरपुर बिजली घर के अन्दर ३० वर्ष तक नोकर रहा । सभापति महोदय, ६ वर्ष हो गये उसको रिटायर कर दिया गया, किन्तु ६ वर्ष में उसकी पेन्शन के लिए कोई व्यवस्था नहीं हुई । (शेम, शेम) वह अत्यन्त ही गरीब आदमी है । वह दमे की बीमारी के अन्दर मुब्तिला है । वह मेरे ख्याल में दाने-दाने का भिखारी है । आप स्वयं विचार कर सकते हैं कि यह व्यवस्था सरकार के लिए सिर्फ अशोभनीय और खेदजनक है ।

सभापति महोदय, बिजली तीन प्रकार से पैदा होती है—पानी से, स्टीम से और

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

तेल से । मैंने बहुत कोशिश की । जो साहित्य मेरे पास आया उसके द्वारा यह जानकारी प्राप्त करने की कि हमारे राजस्थान के अन्दर बिजली के सम्बन्ध में कितना कुल खर्चा हम आज दिन तक कर पाये हैं। तमाम हमारा केपिटल आउटले क्या है ? इस सम्बन्ध में केपिटल आउटले गो कि यह जनहित का कार्य है, लेकिन उसके साथ-साथ व्यवसाई कार्य है, और व्यवसायी कार्य के लिए मेरे खयाल में यह अयन्त आवश्यक है। किन्तु यह हर तरह से परमावश्यक है कि हम ठीक तरह से जानकारी करें कि इस पर कुल खर्चा कितना हुआ । इस बातको भी ध्यान में लेकर हम आगे चलें । सरकार का मैं इस ओर ध्यान आकर्षित करूंगा । २० वर्ष पहले जो वर्तमान सकसेसर गवर्नमेंट को विरासत में बिजली घर मिलें उनका भी मेरे खयाल में कोई मूल्यांकन हुआ हो, ऐसी मुझे जानकारी नहीं है ।

और उसके साथ साथ, सभापति महोदय, कुछ बड़ी योजनाएं, जैसे भाखरा है...

(श्री मूलचन्द कटेवा के श्री अमीनुद्दीन के साथ आने पर विपक्ष से शेम, शेम)

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : प्रोसेशन में लाये हैं। बुरका होना चाहिए था । शेम, शेम ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : इनकी व्यवस्था केन्द्रीय सरकार करती है और उसी तरह अणुशक्ति उत्पादन के सम्बन्ध में राजस्थान का अधिकार है । ऐसी स्थिति में उस पर कुल कितना खर्चा हुआ यह हमारे लिए जानकारी प्राप्त करना आवश्यक होते हुए भी इसमें हमारी जो कमियां है वह स्पष्ट उसमें नजर में आ गई, किन्तु उसके उपरान्त एज ए मेटर आफ इन्ट्रेस्ट हमको यह जान लेना चाहिए कि कुल मिलाकर हमारा केपिटल आउटले क्या है ? और जब तक हम इस सम्बन्ध में जानकारी नहीं कर पाते है तो मेरे खयाल में इस संस्था को व्यवसायी संस्था के नाम से बयान करना भी अनुचित होगा ।

आय-व्यय के सम्बन्ध में जो विवरण दिया है, मैने देखा है । सभापति महोदय, उसके अनुसार ६६-६७ के अन्दर, एक साल के अन्दर हानि (१,४३,३४४) रु० बताई गई है । उसके साथ-साथ १० वर्ष पहले जब विद्युत् मंडल की स्थापना हुई सन् १६५७ में तो यह हानि २४ लाख की थी और सन् ६७-६८ में यह हानि बढ़ कर २०० लाख या दो करोड़ हो गई ।

(४ म० प०)

तो निरन्तर यह लॉस जो है यह बढ़ता जा रहा है, यह मेरे ख्याल में कोई संतोषजनक व्यवस्था नहीं है । अगर हम गैस टर्बाइन का उपयोग करके और बिजली पैदा करें तो इसमें हमें और भी अधिक हानि होगी, क्योंकि उस पर पैंतालीस पैसे प्रति यूनिट खर्च बैठता है । ऐसी हालत में मैं,

(महाराल श्री लक्ष्मणसिंह)

समझता हूं, कुछ उद्योगपतियों को सरकार ने दो पैसे पर युनिट जो पॉवर देने का जो निर्णय लिया है वह एक हद तक ऐसी रियायत होना सर्वथा मैं अनुचित नहीं मानूंगा, किन्तु जब हमारे पास प्रचुर मात्रा में बिजली प्राप्त होती तो ऐसी रियायत भी, मेरे ख्याल में, एक हद तक उचित होती, परन्तु मेरी तो आशंका है, वैसे तो यह सरकार अपने को समाजवादी सरकार बताती है, किन्तु अन्दरूनी रूप में पूंजीपतियों से सांठ गांठ करती है, उनसे मदद लेती है चुनावों के लिये और उनकी कृपा के ऊपर आधारित होने के कारण यह रियायत अनुचित रूप से सरकार द्वारा दी गई है। इसकी मुझे आशंका है, खास कर, सभापति महोदय जब मैं यह देखता हूं कि सरकार सामानों पर सेल्स टैक्स लगाती है, बिजली पर सरचार्ज लगाती है, जुलाई के महीने में लेवी तावड़तोड़ रूप से वसूल करता है, उसके साथ साथ दूसरे रूप से देखा जाय तो पूंजीपतियों को रियायत देती है। यह दोनों चीजें समानान्तर रूप से नहीं चल सकती और मेरे ख्याल में यह कान्ट्रेडिक्ट्री है। खास करके आज जब राजस्थान के अन्दर दाने-दाने के लिए लोग भिखारी हैं, खास कर महगवारी गगनचुम्बी हो रही है, तब मेरे ख्याल में आपको उत्पादन और वितरण की ओर ध्यान देना चाहिए, न कि पूंजीपतियों की तरफ जो कि मेरे ख्याल से एक हद तक विश्वासघात कहा हुआ है उसके ऊपर भी मैं आगे निवेदन करूंगा। तो सभापति महोदय, मेरा यह निवेदन है कि आज हम एक संकट के अन्दर संकटग्रस्त नहीं हैं, कई तरह के संकट हमारे पर आये हुए हैं और यह बिजली का उत्पादन-खर्च ज्यादा बढ़ेगा और आय का घाटा होगा। जो बात चाहते हैं तो मेरे ख्याल में और भी यह समस्या, और, भी यह संकट ज्यादा होगा। आज हमारे सामने खाद्य-संकट है, महंगवारी, संकट है, सुरक्षा-संकट है, सीमा-संकट है, कर्मचारियों का संकट है, विद्युत् सकट है और इसके साथ-साथ जो बाकी था, हम प्रकृति का संकट भी अनुभव करने लग गये हैं। ऐसी स्थिति सरकार की होनी चाहिए और दूरदर्शी रूप से ऐसे कदम उठाने चाहिए कि जरूरियात के लिए विद्युत् का उत्पादन और वितरण को हम मुख्य लक्ष्य बना कर चलें न कि दो तीन केपिटलिस्ट्स की इन्डस्ट्री के लिए। सभापति महोदय, मेरे दल की यह निश्चित नीति है और हम तो आलोचनात्मक रूप से सरकार को बराबर कहेंगे, अगर उसके बहरे कानों पर हमारी आवाज न पहुंचे, अगर सत्ता में मदान्ध होकर हमारी बात को न सुनें तो भी हम अपनी बात कहेंगे, और एक हद तक मैं मान कर चलता हूं कि हमारी कुछ बातों को धन्यवाद प्रकट करते हुए नहीं किन्तु अदूरदर्शी रूप से हमारी बात को सरकार ने माना है। तो मैं योजनाओं के सम्बन्ध में, सभापति महोदय, राजस्थान सरकार से यह निवेदन करूंगा कि आपका प्लान है, यह बिल्कुल फेल हो चुका है। आपका प्लान अदूरदर्शी है, अवास्तविक है, अत्यन्त खर्चीला है और अत्यन्त महत्वाकांक्षी है। आपको प्लान के फेल्योर के द्वारा सबक लेना चाहिए, लेसन लेना चाहिए और नीति में आमूल चूल परिवर्तन करने के लिए हम तो बराबर यह कहते हुए आये हैं, हमारा

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

सिद्धांत भी यह है और सामान्य बुद्धि वाला भी यही कहेगा, कट द कोट अकार्डिंग टू द क्लाथ। हां डेफिसिट फाइनेंसिंग हो, एक हद तक हो, लेकिन एक ओवर राइडिंग कन्सीडरेशन यह होना चाहिए, कट दी कोट अकार्डिंग टू दी क्लाथ। हमारी हैसियत के उपरान्त ही हमें कुछ करना चाहिए। हैसियत के उपरान्त हम ऐसा करके चले जो चीज हमारी हैसियत के अनुसार पांच वर्षों में करी जा सकती है ठीक रूप से उसको पांच महीने में करा जाय तो हमको कभी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। यह ऐसा है।

(प्रथम पंक्ति अश्रव्य)

"परबत पर खोदे कुआ तो कैसे निकले तोय?"

तो इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करूंगा कि गांधी सागर का निर्माण हुआ, राणा प्रताप सागर का निर्माण हुआ। यह निर्माण होते समय, मेरे ख्याल से, जो माप आदि हमने एकत्रित किये, जो डेटा हमने इकट्ठा किया वह भी संतोषजनक नहीं होना चाहिए। यह मेरा निश्चित अभिमत है। हमको उस समय चाहिए था कि न्यूनतम वाटर लेवल का हम अनुमान करते। हमको उस वक्त चाहिए था कि हम न्यूनतम वर्षा का अनुमान करते। हमको उस वक्त चाहिए था कि न्यूनतम कैचमेंट एरिया का हम अनुमान करते। मेरे ख्याल में, मुझे यह आशंका है कि कैचमेंट एरिया का असेसमेंट का आधार भी बहुत से नालों में जो पानी आता है, उसकी फुल कैपेसिटी, हाफ कैपेसिटी के अनुसार कैचमेंट एरिया को निर्धारित किया जाना चाहिए। अगर कम वर्षा होती तो अधिकांश नालों में पूरा पानी भर जाता है, और दो दो तीन तीन इंच पानी बाहर निकल जाता है। मेरे ख्याल में, आपका इस सम्बन्ध में प्लानिंग था, आपका प्लानिंग आपके गांधी सागर, राणा प्रताप सागर का था वह भी डिफेक्टिव और कारणों से है। तमाम कारण बताने की जरूरत नहीं है। आज की व्यवस्था हम देख रहे हैं। हमारी असफलता, हमारी महत्वाकांक्षा को देखते हुए वह इस बात को स्पष्टतया प्रकट करती है। मुझे यह कहना नहीं चाहिए परन्तु मैं यह कहना अपना पुनीत कर्तव्य समझता हूं कि सरकार उनके टेक्निशियनों पर बहुत ज्यादा भरोसा करती है, किन्तु मेरे ख्याल में टेक्निशियनों ने भी सरकार को लेड डाउन किया है। जो सामान्य बुद्धि की बात है उसका निर्णय सरकार को लेना चाहिए, जो पॉलिसी फ्रेम करने की बात है, तो पॉलिसी को फ्रेम सरकार को करना चाहिए। और उस पॉलिसी के फॉर कॉर्नर के अन्दर टेक्निशियनों की राय अगर सरकार लेगी तो एक हद तक, मेरे ख्याल में इस विषय की आशंका उत्पन्न हो सकती है कि हमको आगे जाकर के कोई न कोई फेल्यार को मीट करना पड़ेगा। आपने उत्साह में आकर किया, उत्साह को भी मैं विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन वह अदूरदर्शी उत्साह था। उत्साह में आकर के बड़ी मात्रा में पानी से बिजली उत्पादन हो इस सम्बन्ध में पूरा जोर लगाया, फुल कन्सेन्ट्रेट उस तरफ किया। अगर यह नहीं किया है तो मन्त्री महोदय इस बारे में प्रकाश डालें ताकि

Page No. 152

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

स्पष्टीकरण के रूप में इधर बैठने वाले माननीय सदस्यों को यह अनुभव हो सके कि वास्तविक रूप से यह नहीं है। किन्तु मुझे यह आशंका है कि आपने पानी से बिजली उत्पादन के ऊपर विशेष कन्सेन्ट्रेट किया, और उस पानी से जब आपने बिजली उत्पन्न की तो उसका परिणाम बिल्कुल स्पष्ट सामने आया। गाँधी सागर से १९६४ से ८ लाख पर डे युनिट बिजली उत्पन्न करने की जगह अप्रेल १९६६ में पचास हजार बिजली हम उत्पन्न कर पाये और आज उससे भी सम्भवतः कम बिजली का उत्पादन करते हों—ऐसा मैं अनुभव करता हूँ। सभापति महोदय, इस सम्बन्ध में एस्टीमेट कमेटी के पैरा १९ के कुछ एक्स्ट्रेक्ट्स में सदन के सामने पढ़ कर सुनाना अत्यावश्यक समझता हूँ :

"यह बात साफ हो जाती है कि हम अपनी योजना बनाते समय कई बार वास्तविक पक्ष पर पूरा ध्यान नहीं देते, जिसका परिणाम यह होता है कि हमें आगे जाकर सकट का सामना करना पड़ता है। गाँधी सागर जलाशय में पानी कम से कम इतना इकट्ठा रहना चाहिये कि जिससे बिजली के उत्पादन में आशातीत कमी न हो। इस बात का अनुमान योजना बनाते समय ही लगा लिया जाना चाहिये।

आगे जा कर कहा है :

"लगातार दो वर्ष तक पानी की कमी के कारण होने वाले संकट को सर्वथा आकस्मिक नहीं कहा जा सकता और लगता है कि योजना बनाते समय कोई न कोई भारी गलती रह गई है।"

श्री जयनारायण सालोदिया : शेम।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : इससे बढ़ कर के मेरे ख्याल में सरकार के लिये और क्या स्ट्रक्चर पास हो सकता है ?

इन्डस्ट्रीज के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता था कि उद्योगपतियों के साथ भी विश्वासघात हुआ है। उन उद्योगपतियों को आपने बुलाया, कई प्रकार की इन्डस्ट्रीज, खास कर के कोटा में कायम की। उनको विश्वास दिलाया कि हर तरह उनको बिजली दी जायगी। उनको दिये हुए आश्वासनों को, फुलफिल करने के लिये आपने सद्भावना के साथ प्रयास किया हो पर जो आश्वासन आपने उनको दिये उनको आप पूरा नहीं कर सके अधिकांश उद्योग कोटा में हैं, ठप्प पड़े हैं। इसलिये मैं समझता हूँ आपकी यह नीति भी एक तरह से विश्वासघात की है। इस सम्बन्ध में ४ जोलाई के हिन्दुस्तान टाइम्स में जो एक एक्स्ट्रेक्ट निकला है, यह भी मेरी बात की पुष्टि करता है :—

"Jaipur, July-2,

Power shortage is hampering industrial growth in Rajasthan

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

where supply does not meet even half the demand. The demand is 20 lakh units a day whereas supply totals only about 10 lakh units. Kota Rajasthan's industrial backbone gets only 3.9 lakh units a day as against the demand of 5.5 lakh units."

सभापति महोदय, अब सरकार ने जब यह पानी के द्वारा बिजली उत्पादन होने के संकट का अनुभव किया तो जल्दबाजी में गुजरात गये, मध्यप्रदेश गये, संकट–निवारण की इधर-उधर दौड़–भाग कर के चेष्टा की। मेरे खयाल से यह सिर्फ सरकार की असफलता का और अयोग्यता की ही द्योतक नहीं है, बल्कि मैं समझता हूं राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पर भी एक ग्रेव रिफ्लेक्शन हैं। इनको चाहिये था कि इस प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं हो। सरकार को चाहिये था कि इस तरह की समस्या उत्पन्न हो गई है तो प्राइवेट में भी उनसे पूछें कि यह क्योंकर है? इतना भी सरकार नहीं कर सकती तो वह सरकार सरकार कहलाने का दावा नहीं कर सकती। १३० के. वी. लाइन रतनगढ़ से जयपुर लाने की कोशिश की। मेरे क्षेत्र में गुजरात से बिजली लाने की कोशिश की, मैसूर से १० मेगावाट का टर्बाइन लाये, फिर भी अभाव ही अभाव। कभी सदन में भी मैं अनुभव करता हूं कि बिजली लुक छुप, लुक-छुप करती है।

मेरे खयाल से इन सब बातों को देखते हुए जो भी व्यवस्था सरकार अपने हाथ में लेती है, वह स्वावलम्बन प्राप्त नहीं कर पाती, उस पर परावलम्बी बनाती है और परावलम्बन हमारा दिन ब दिन बढ़ता जाता है, हमारा लॉस दिन ब दिन बढ़ता जाता है। इसलिये मैं कैसे कहूं कि यह सरकार की नीतियां प्रगतिशील है या ठोस और ठीक नीतियां हैं।

सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र के सम्बन्ध में भी मैं दो शब्द निवेदन करना चाहूंगा। यह मैं नहीं कह सकता कि कहां तक मेरी जानकारी ठीक है, किन्तु मैंने सुना है, एक माही डेम का प्रोजेक्ट जल विद्युत् का कोई कहता है बांसवाड़ा जिले में बहुत विशाल डेम पांचलवाड़ा के पास में बंधेगा। कोई कहता है गुजरात में नाडीनाथ के पास में बांधा जायगा। कोई कहता है कि सांवला ग्राम डूंगरपुर जिले में है लोहाड़िया ग्राम बांसवाड़ा में है, इनके बीच ६ माइल का बांध बनाया जायगा। सर्वेयर भी आये, कोई कहता है कि केन्द्रीय सरकार के सर्वेयर आये। छोलदारियां भी लगाईं, आदिवासी क्षेत्रों में कहा तो आदिवासी भयभीत हो गये, तहलका मच गया। अगर आप यह बांध भी बंधायेंगे तो हजारों आदमियों को विस्थापित करेंगे, यदि बांध बांधेंगे तो हजारों आदमियों को वहां से निकाल कर कहां बसायेंगे। हजारों एकड़ भूमि डूब में आयेगी। बड़ी उर्वरा भूमि है, जो गरीब आदिवासियों के निर्वाह का मूल कारण बनी हुई है, वह छिन जायगी तो मेरे खयाल से इससे बढ़कर और दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था क्या

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

होगी। अगर हठधर्मी पर आकर यह बांध बांधे तो इस प्रकार की पॉलिसी का निर्माण करें कि पहले एक बांध बांधे। सब्सीडियरी दो तीन बांध एक साथ बांध लेंगे तो जमीन डूब जायगी, विस्थापितों को बसाना पड़ेगा। इसलिये पहले एक बांध बांध कर देख लें। पांच चार वर्ष देख लें उसके बाद पांच चार वर्ष बाद दूसरा बांध बंधवा लें। मेरा निवेदन है, यह सामान्य बुद्धि की बात है। यहां पर टेक्निशियन्स बाध्य करें कि दो तीन बांध साथ में बांधे नहीं तो यह होगा, वह होगा। कुछ नहीं होगा, आप पहले एक बांध बंधवा कर देखें। क्योंकि

"एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाय।"

मैं सरकार को वार्न करना चाहता हूं। आपको जो भी एक्स्पेरिमेंट करना हो पहले एक बांध बांध कर देखें।

कृषि के सम्बन्ध में जो टोटल विद्युत आप पैदा करते हैं, उसका २.५ पर्सेंट खेती के लिये वितरित करते हैं। मेरे खयाल से यह बिलकुल अपर्याप्त है। हमारी आवश्यकता को देखते हुए अवास्तविक है। इसका मैं गोर विरोध करता हूं। किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है उसको खुशहाल करने के लिये, समाज को खुशहाल करने के लिये, उद्योग और कृषि दोनों चीजों को साथ चलाने के लिये बिजली दीजिये। आज स्थिति यह है कि उद्योग ठप्प पड़े हैं, कुओं के लिये बिजली देने का जयपुर के आसपास देखते हैं, वह भी नाम मात्र।

तो बिजली के सम्बन्ध में सरकार के पास कोई योजना नहीं हैं। मैं समझता हूं सरकार को यह अखरेगा, क्योंकि सरकार की वास्तविक स्थिति के यह विपरीत है, यह स्टेट मोनोपोली आन इलेक्ट्रिसिटी है, यह ठीक नहीं है। यह हमारे विशेषज्ञों का अभिमत हैं, अर्थशास्त्रियों का निश्चित अभिमत है। मैं समझता हूं यह स्टेटिज्म की प्रक्रिया अवास्तविक है। स्टेटिज्म का मतलब है राज्य ही राज करे, राज्य ही व्यापार करे, राज्य ही सब आय के स्रोतों पर कब्जा करे और राज्य ही खेती के द्वारा जबरदस्ती राजकीय खेती के सिद्धांत के द्वारा किसानों को मजबूर करके, उनको भी उत्पीड़ित करे। मैं निवेदन करूंगा कि कहां हैं ऐसे राष्ट्रीय भावना रखने वाले लोग, कहां है आपके पास ऐसे आदमी जो राष्ट्र के हित को प्रमुखता देकर, निजी हित को गौण रखें और नियन्त्रण चलावें ?

मैं तो चलते चलते इतना ही कहूंगा कि आज अवसरवादिता का बोलबाला है। मैं पढ़ता था तो हमारे मास्टर सिखाते थे :

"Honesty is the best policy."

आज समापति महोदय, मैं सर्वत्र क्या देखता हूं :

"Dishonesty is the best policy."

But dishonesty cannot be the best policy for ever. It must be ruinous.

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

मगर इसमें मुझे विशेष नहीं कहना है लेकिन जो इंटरनल ट्रुथ है, जो भी सिद्धांत है, जो सर्वमान्य अनादिकाल से है, उसकी अवहेलना आप करें तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो स्टेटिज्म के संबंध में मैं निवेदन करने जा रहा था कि आज रशिया की नीति भी आप देखें, उनकी भी स्टेटिज्म की नीति है। वह एडवान्स्ड है, वह समृद्ध है, उनमें नियंत्रण है, लेकिन वे यह कटु अनुभव के पश्चात अब कन्वेशनल मेथड्स को भी एडाप्ट करते हैं, प्रॉफिटिंग इन्सेन्टिव जो लाभ प्राप्त करने की भावना जब तक आप उत्पन्न नहीं कर सकते, केवल राष्ट्रीय योजना की सफलता प्राप्त करने के लिये आप विचार करें तो उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। आज की भारतवर्ष की स्थिति को देखते हुए यह मेरा निश्चित अभिमत है, मैंने पहले भी निवेदन किया कि वर्षों पहले जब मैं अजमेर में रहा करता था तो अजमेर इलेक्ट्रिक कंपनी नाम की एक संस्था थी उसका एक शेयर एक रुपए का दस रुपए में बिकता था....

महाराज श्री केसरीसिंह : राजस्थान इलेक्ट्रिक कंपनी।

महारावल श्री लमक्ष्मणसिंह : लुकु छुप जैसे आज होता है, वह कभी भी मैंने नहीं देखा। मैं मानता हूं कि आज आपकी बड़ी-बड़ी व्यवस्थायें हैं वह जरूर....

श्री विजयसिंह (मकराना) : जिस प्रकार की सरकार है उसी प्रकार की बिजली है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : लेकिन स्वस्थ प्रतियोगिता अगर आपके आचरण को सिद्ध करने के लिए कोई न कोई व्यवस्था आप अवश्य करें कि जिसके द्वारा आपको यह तो अनुमान हो कि कितनी गल्ती पर जा रहे हैं। तो मिक्स्ड एन्टरप्राइज का आप अनुसरण नहीं करते तो मेरे खयाल से जन धन का आप नाश करते हैं और आप उसकी पूर्ति नहीं कर पायेंगे, यह मेरा मत है।

अंत में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कर्मचारियों की जो शिकायतें हैं उनका निवारण करें। उनके सर्विसेज के टेन्योअर के संबंध में शीघ्रातिशीघ्र आप निर्णय करें, कर्मचारियों को संतुष्ट रखना सरकार का प्रथम कर्त्तव्य, एलिमेंट्री ड्यूटी है। वाटर, डीजल व स्टील तीनों से बिजली उत्पन्न हो, इस तरह की आप बेलन्स्ड व्यवस्था का निर्माण करें मगर Pur all your eggs in on basket.

ऐसी समस्यायें आज उत्पन्न हो रही हैं, आपकी राष्ट्रीयकरण योजना चाहे बिजली-वितरण की हो, मन्त्री महोदय, मेरे सामने बैठे हैं वह शायद कहेंगे कि नहीं लेकिन रोडवे की आपाधापी यह भी बिल्कुल एक तरह की समस्या हो गई है कि आपने व्हाइट एलीफेंट बांध लिया है, तो यहां भी स्वस्थ प्रतियोगता नहीं आएगी, तबतक आपको कोई अनुमान नहीं हो सकता कि स्टेट मोनोपोली का क्या नतीजा है। आपसे निवेदन है कि आप इस सम्बन्ध में मिक्सड एनटरप्राइज को इन्ट्रोड्यूस करें और आपकी नीति में

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

आमूलचूल परिवर्तन करें वरना कभी भी भला नहीं हो सकता। मेरा इतना ही निवेदन है और इसके साथ-साथ हमारे नेता....

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह तो हमेशा ही आप कहते हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : हां हमेशा कहता हूं। हमारे नेता चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने जो विचार व्यक्त किए हैं, वे भी सदन के विचारार्थ, सरकार के विचारार्थ, आपकी आज्ञा से रखता हूं। राजाजी कहते है :–

"Production of wealth depends on proper combination of men-power, materials, machinery, markets, money and land and water and intelligence. A good interpreneur brings this about. A poor interpreneur destroys wealth instead of producing it. There is national prosperity only, if all the people find gainful employment and find life a source of happiness, if the State takes over the business, it displaces and hurts the people employed and in that business, adds to the domination of officials over the life of the people and prolifirates the bureaucracy. It tends in mis-management."

ये शब्द आपकी करनी और कहनी पर पूर्णतः लागू होते हैं, इतना ही मेरा निवेदन है।

श्री केसरीसिंह (हिंडोली) : सभापति महोदय, आप जो विद्युत् मंडल पर बहस चल रही है उसके विषय में मैं चंद शब्द सदन के सदन के सामने पेश करना चाहूंगा। सभी जिलों में या सभी रियासतों में शुरू से ही बिजली देने की व्यवस्था थी। मैं नहीं कह सकता कि इनका श्रेय इस सरकार को है कि वह बिजली लेकर आई है। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक विषयों का कुछ अनुभव कराया जाता था। दक्षिण में इस प्रकार के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हुआ करते थे और उत्तर में मण्डी रियासत में यह हम सुना करते थे। मगर आज उनको देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं खुद गांधी सागर डेम को देखने गया और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पर जो उस समय बतलाया जाता था वह यह था कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक के उत्पादन में कम लागत लगती है और सस्ती बिजली दी जा सकती है। मगर आज देखने को यह प्रतीत होरहा है और स्पष्ट है कि आज की बिजली पहले जो बिजली थी उससे भी महंगी होगई है। आज जो बिजली है वह जनता जनार्दन के लिए नहीं है वरन् बड़े-बड़े पूंजीपति, फैक्ट्री ओनर्स, मन्त्रियों के मकानों और वातानुकूलित भवनों के लिए है। मुझे आश्चर्य है कि आज से पूर्व जो मन्त्री २० साल से पूर्व वातानुकूलित का नाम भी नहीं जानते थे, आज वे उनके अलावा रहना पसंद नहीं करते। आज वे ट्रेविल करेंगे रेल के डिब्बों में तो भी वातानुकूलित में। ऐसी आदतें बिगाड़ ली हैं इस-

(श्री केसरीसिंह)

लिए हो न हो कभी मौका आया तो इनको कष्ट उठाना पड़ेगा।

आज जो बिजली दी जा रही है वह मुख्यत: दो लाभ देती है। प्रथम लाभ और इसका प्रथम चरण बिजलीका उत्पादन और दूसरा चरण पानी काश्तकारों को देकर सिंचाई करना है। बिजली उत्पादन से जैसे मैंने पहले निवेदन किया, किसानों को इससे अभी जैसा लाभ होना चाहिए था वैसा लाभ नहीं मिला। पिलाई के अन्दर काश्तकारों को पिलाई उनके फिसलों के लिए दी गई, मगर जसा आश्वासन दिया गया वैसा नहीं हुआ। काश्तकारों को पर्याप्त पिलाई न मिलने से फसल प्राय: नष्ट हो गई। पाटन क्षेत्र में या यूं समझिए कि कोटा डिवीजन के अन्दर गन्ना इतनी तादाद मे बोया गया था, उसका उत्पादन किया गया था, उसके लिए सरकार द्वारा तकाबियाँ दी गई थीं, समितियों के अन्दर बहुत भारी प्रचार किया गया था। मगर हुआ क्या ? एक साल पैदा किया और उसके दूसरी साल बाद वह गन्ना नष्ट हो गया।

राजस्थान सरकार ने एक सहकारी शक्कर फैक्ट्री का भी आयोजन किया पाटन के अन्दर और वह शक्कर फैक्टरी जो थी उसके लिए जमीन भी उपलब्ध कर ली गई। इसके ४२०० शेअर बिके और १०,५०,०००) रुपये की प्राप्ति हुई। शेयर १५ नवम्बर, ६५ से अब तक बेचे गये और इसकी लागत से जो जमीन मंडी कमेटी से से खरीदी जाने वाली है उसके २,१८,६१४-८० पैसे अभी भी देना बाकी हैं। मिल का कार्य शुरू नहीं हुआ। अभी इसकी मशीनरी का एस्टीमेट ही मगाया जा रहा है।

चेयरमैन महोदय, मैं निवेदन करूं कि इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं हमारी सरकार बनाती है, मगर एक भी योजना उनकी सकसेसफुल नहीं होती। इसका कारण यह है कि इस तरह का ये एक्सपेरीमेंट करते हैं। जनता के पैसे का सरासर दुरुपयोग करते हैं और एक एक्सपेरीमेंट करके उसमें कामयाब नहीं होते तो नाकामयाब कहकर अलग हो जाते है। मगर आज जनता चैतन्य हो गई है। तो इस तरह के एक्सपेरीमेंट को हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं।

इसके अतिरिक्त मैं निवेदन करूं कि काश्तकारों को जो पानी दिया गया उसके साथ–साथ उनके हर काम में ज्यादती की गई है। लगान में वृद्धि कर दी गई। पिलाई मे वृद्धि कर दी गई। खुशहाली कर लगा दिया गया। सर चार्ज में वृद्धि कर दी गई।

क्या चेयरमैन महोदय, मैं यह नहीं पूछ सकता कि आपने कोटा के अंदर जो बड़े बड़े जे० के०, श्रीराम रेयन्स, डी. सी. एम. इत्यादि बड़े–बड़े फैक्ट्री ऑनर्स जो हैं, उन पर क्या टैक्स बढ़ाया ? उनको आप तीन पैसे युनिट के प्रति भाव से बिजली दे रहे हैं और जनता से ४० पैसे वसूल कर हैं। इसका क्या कारण ?

आज काश्तकारों को फायदा नहीं मिलता, बल्कि बड़े–बड़े मालिकों को फायदा

(श्री केसरीसिंह)

मिलता है और इसका कारण, चेयरमैन महोदय, स्पष्ट है कि हमारी सरकार उनसे फायदा उठाती है। वह किस तरह से उठाती है इसके प्रमाण मेरे पास मौजूद हैं।

जे. के. में मैं निवेदन करूं कि जितनी जीपें है उन्होंने वे सब चुनाव में कांग्रेस को दीं। इसके अतिरिक्त अटरू वाले एम. एल. ए. जो है उनको खास तोर से जे. के. की ही मोटरों से लाया गया। (शेम–शेम की ध्वनि) और उन्होंने लाखो रुपयों चन्दे के रूप में दिये हैं। अगर ऐसे लोगों पर सरकार टैक्स बढ़ावे तो यह एम. एल. ए. को लाना, जीपों का मिलना, पैसे का मिलना भला, कहां से हो सकता है।

श्री श्रवणलाल : उनको किस पोजीशन में लाये, यह भी बतला दीजिये।

श्री केसरीसिंह : काश्तकारों को तो बेवकूफ बना दिया गया। उनसे फायदा तो उठा लिया। राजाओं का राज समाप्त कर दिया, काश्तकारों को गुमराह करके। आज उनका कोई भला नहीं चाहता।

आज ये माननीय मन्त्रीगण उन्हीं काश्तकारों का खून चूसने में लगे हुए हैं। आज इस मन्त्री-मण्डल का इतिहास बन रहा हैं। उस जमाने में जैसे महमूद गजनी ने सोमनाथ, मंदिर पर आक्रमण करके जो लूट की थी, आज उसी प्रकार की लूट यह राजस्थान की सरकार जनता के घरों में घुसकर कर रही है। किसानों के घरों में से, उनकी बहू बेटियों के रहते हुए उनके मकानों को तोड़–तोड़ कर अनाज को बटोर रहे हैं। ऐसी भूखी नंगी यह सरकार कहां तक चल सकती है? इस सरकार पर जनता कहां तक विश्वास रख सकती है? इसका तो ईश्वर ही कह सकता है।

चेयरमैन महोदय, मैं इस सरकार की तारीफ कहां तक करूं इसकी तारीफ तो इतिहास लिखेगा। जो पीछे इतिहास लिखेंगे वे इस सरकार पर लाख बार थूकेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी (मडावा) : राजाओं का राज ले लिया, छीन लिया सरकार ने इसलिये?

श्री केसरीसिंह : राजाओं का तो बड़ा त्याग था। राजाओं ने एक आवाज में वगैर मांगे अपना राज जनता को सौंप दिया। पर आज विरोधियो का बहुमत होते हुए भी कांग्रेस सरकार यह राज देने को तैयार नहीं है। एम. एल. ए. को खरीदा और आज मन्त्री बनाकर शासन पर आरूढ हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : बहुमत बनाने का तो आपने भी बहुत प्रयत्न किया।

श्री केसरीसिंह : वह खरीद हम भी कर सकते थे। पर नहीं किया। एक जयपुर के नाहरगढ़ का हीरा सारे राजस्थान को खरीद सकता है। इसको आप न भूलें। मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया

(श्री केसरीसिंह)

वे जनमत में विश्वास करती हैं। आप ऐसी बातें न करें।

श्री रामनारायण चौधरी : राजाओं ने खून की नदियां तो बहा दीं।

श्री केशरीसिंह : खून की नदियां कांग्रेस सरकार ने बहाई हैं। मुखाड़िया ने बहाई है। राजाओं ने नहीं बहाई। अगर किसी ने कभी बहाई भी तो उसकी जांच भी हुई है। आप तो जांच कराने को भी तैयार नहीं थे। शोक प्रस्ताव तक पास करने को भी तैयार नहीं थे। जयपुर की जनता भूल सकती है, आपको? कि यह सरकार उनके लिए शोक प्रस्ताव भी पारित करने को तैयार नहीं। उनके लिये इससे ज्यादा शर्म की क्या बात हो सकती है आप राजाओं का मुकाबला न कर सकते थे और न आज भी कर सकते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : न करना चाहते हैं।

श्री केसरीसिंह : नहीं कर सकते। उनका त्याग है। उन्होंने जनता की आवाज पर सत्ता जनता को तत्काल सौंप दी। आप आज चिपके बैठे हैं।

श्री हरिदेव जोशी : मैं निवेदन करूंगा। आप विषय से बहुत डाइवर्ट हो चुके हैं। इलेक्ट्रिसिटी पर आ जाइये।

श्री केसरीसिंह : आप अपने आदमियों को रोकिये। मुझ तो ऐतराज नहीं है। आप अपनों को कन्ट्रोल में करिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इतिहास में लिखा है। राजाओं ने राज बनाकर एक का भी खून नहीं बहाया। कांग्रेसियों ने खून बहाया है अपना राज रखने के लिये।

श्री भैरोंसिंह : आप बिजली पर कैसे आ गये?

श्री मोहनलाल मोदी : आपका प्रिवीपर्स बन्द हो रहा है।

श्री केसरीसिंह : न मुझे प्रिवीपर्स मिलती है, न इसका अफसोस है, जावेगा तो राजाओं महाराजाओं का जावेगा। हमारी तो जागीरें चली गईं। इसलिये हमारा इससे कोई तालुक नहीं। नुकसान होगा तो आपके उधर बैठे राजाओं का और इन नवाब साहब का होगा।

आप देखिये, भाषण में अगर रोड़ा डालेंगे तो और अधिक समय लेना पड़ेगा। आज मैं ठानकर आया हूं कि मुझे कुछ सदन से निवेदन करना है वह करूंगा।

अब बिजली के गैस टरबाइन की बात बता दूं। एक लाख रुपया तो व्यय हो गया लाने में और १॥–दो लाख उसको फाउन्डेशन के बिठाने में हो गया। पर गैस टरबाइन ने काम नहीं किया। ऐसे ऐसे एक्सपेरीमेन्ट ये करते हैं।

उस टरबाइन को लाने से क्या फायदा

(श्री केसरीसिंह)

हुआ। आज आप उस टरबाइन को बेचने पर तुले हैं। पर आपको कोई खरीददार नहीं मिल रहा है। खरीददार उनसे अक्लमन्द है। उनसे कोई अधिक बेवकूफ मिले तो ताक में हैं कि उसको चिपका दें। मगर आज उनसे अधिक अकलमन्द मिल नहीं रहा है। इस लिये सरकार का पैसा, जनता का पैसा ऐसे बहा रहे हैं जैसे कि उनकी बाप दादों की जायदाद हो।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय सदस्य मेहरबानी करके अगर हम तक ही सीमित रक्खे इसे तो अच्छी बात है। बाप-दादो की बात तक न जावें। बाप-दादे आपके भी हैं। तो इसमें क्या तुक है ?

श्री केसरीसिंह : अगर दलील करेंगे तो हम भी मानेंगे। तो जैसे आपकी खुद की कमाई हो।

श्री हरिदेव जोशी : हमें इसमें ऐतराज नहीं है।

श्री केसरीसिंह : जनता की पसीने की गाढ़ी कमाई को इस तरह से उडाने का आपको अधिकार नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी : यहां पर बाप-दादों के बारे में बात अगर की जावे इस तरह से तो मुझे ऐतराज नहीं है। सिर्फ यही निवेदन करना है कि बाप दादे आपके भी हैं।

श्री केसरीसिंह : बाप–दादे तो जनता भी है। उनके वोट लेने के बाद ऊनको गुलाम बना देते हैं। जनता बाप है। जनता जनार्दन है। उनको वोट जब तक लेना होता है तबतक तो बाप के रूप में और अपने को सेवक के रूप में मानते हैं, और वोट लेने के बाद कुत्ते की तरह दुत कारते हैं। इसका अफसोस है मुझे। मन्त्री महोदय कष्ट न करें। आप बोलने दें। कृपया बीच में बाधा न डालें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वरना हाऊस से निकाल दिये जाओगे।

श्री केसरीसिंह : समापति महोदय, खास मसला एक और है जिसको मैं पहले रखना चाहता था। इस विद्युत् को लेकर कांग्रेस नेता लोग अपना प्रचार कार्य भी करते हैं। इनके उदाहरण मेरे पास हैं और उसकी फोटोग्राफिक कॉपीज भी है जो सदन की मेज पर मैं अभी रखूंगा।

हिन्डोली क्षेत्र का चुनाव १८ फरवरी को होने वाला था। १७ फरवरी को नेनवा नगरपालिका अध्यक्ष श्री सूर्यकुमार ने एक मन माने तरीके से लाइन खिचवायी। उसकी जांच तो अगर सरकार जांच कमेटी बिठाये तो ही हो सकती है वैसे तो जांच हो नहीं सकती क्योंकि वे कांग्रेस के लीडर हैं, कांग्रेस के होने के नाते और नगरपालिका अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने मन माने तरीके से न मालूम किस प्रकार एक नयी लाइन खिचवायी और लोगों से यह कहा कि वोट हमें देना और हम तुम को बिजली देंगे यह कहां तक सत्य है, समापति महोदय,

(श्री केसरीसिंह)

इसका परिणाम क्या हुआ कि एक गरीब विद्युत के काम करने वाले की मौत हुई और उसकी मौत की मन्त्री महोदय कीमत करते हैं २५०) रु० । २५०) रु० मुआवजे में देना कहां तक वाजिब है ? आज एक जान की कीमत २५०) रु० । मुझे नहीं मालूम था कि यह कांग्रेस सरकार जो अपने आपको जन प्रतिनिधि बताती है, कहती है, एक मजदूर की जान ले ली अध्यक्ष नगरपालिका ने और कहते हैं कि २५०) उसकी कीमत ले लो । उसका चित्र मेरे पास मौजूद है और ५ कापी हैं । जिसमें खम्भा भी है जिस खम्भे पर लाइन खींची गयी है, जनता खड़ी है वह भी है, पुलिस अफसर खड़ा है वह भी है और एक चित्र खम्भे पर चिपक रहा है और उसको खींच रहे हैं वह भी है । यह पांच कापी सदन की मेज पर रखूंगा । और मन्त्री महोदय से नम्र निवेदन करूंगा कि आप इसकी जांच करवायें, निष्पक्ष जांच करवायें और मुझे बड़ी खुशी होगी जिसकी गलती से हो, हो न हो नगरपालिका अध्यक्ष की गलती से भी हो उसको भी सजा मिलनी चाहिए । एक गरीब की जान लेना आसान नहीं है । आज उसकी बेवा क्या कहती है ? उसकी शादी हुई थी । इस विषय का प्रश्न मैंने मार्च माह में रखा था लेकिन इस विभाग ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया, उसको दबाये रखा । इतने महीने हो गये मुझे खास तौर से आज इस विषय में बोलने का मौका मिला । अगर इसकी जांच हो और उस बेवा को जो उसके पति के मरने के दुःख से दुखी है उसके एवज में उसको पर्याप्त धनराशि मिले, पेन्शन मिले ताकि वह अपना जीवन निर्वाह कर सके । उसके छोटे छोटे बच्चे हैं । उन सबके पढ़ने के लिये, खाने पीने के लिये वह ही एक मात्र साधन था ।

इसके अतिरिक्त, चेयरमेन महोदय, एक बात और इसी विषय की है कि वह मन्त्रिमंडल और यह नेता लोग इनको वोट और नोट इन दो बातों से अधिक प्रेम है । मैं आप से यह निवेदन कर रहा था कि खानपुर का भी अभी मसला आया था और भी मसले आये हैं कि ये कर्मचारियों को ऐसे प्रचार के चुंगल में फांसते हैं कि जिसकी हद नहीं । इस तरह उनको फसाना ठीक नहीं । उदाहरण के लिए यहां फोटोग्राफ भी पेश करना चाहता हूँ । २० तारीख को पाटन क्षेत्र का मतदान हुआ । पाटन क्षेत्र से जीतने वाले सदस्य भी यहां हैं, जिस रोज श्री बृजसुन्दर शर्मा, इस वक्त सदन में नहीं है हों तो ठीक है, अपनी जीप में हेल्थ सेन्टर के कम्पाउन्डर और उनकी पत्नी जो मिड-वाइफ है, दोनों को प्रचारार्थ ले गये । उनसे प्रचार करवाया । उसके फलस्वरूप जो कुछ भी हुआ हो लेकिन उनको इस तरह करना ठीक नहीं । उनकी फोटो कापी उस कम्पाउन्डर के जीप में बैठते हुए मौजूद है जो सदन में पेश करूंगा । चित्र में तीन मूर्तियां हैं । श्री बृजसुन्दर शर्मा, उनकी पत्नी पंडितानी और तीसरी शुक्ला की पत्नी मिड-वाइफ ये उनके कारनामे हैं ।

दो एक बातें अर्ज करना चाहूंगा जल्दी

(श्री केसरीसिंह)

में। पाटन में जो कि कोटा से पांच मील दूरी पर है उस पर बिजली केवल नगर-पालिका के चुनाव के वक्त लगायी गयी और बिजली सिटी कोटा से बहुत कम रकम से आ सकती थी लेकिन तालेड़ा से लायी गयी। मैंने कहा कि तालेड़ा से लाने में क्या फायदा। मुझे कहा गया कि उन गांवों को बिजली दी जावेगी। लेकिन एक को भी नहीं दी गई। इस तरह जनता के धन को व्यय करना उचित नहीं है।

दूसरी नैनवा की विद्युत लाइन खींची वह उनियारा से लायी गयी जब कि बड़ी आसानी के इन्द्रगढ़ से आ सकती थी। उस लाइन पर देई, करवर, आंतरदा ये तीन बड़े कस्बे आ जाते तो उनके भी विद्युत् का प्रबन्ध होता क्योंकि देई और करवर पर सिंचाई के साधन नहीं हैं सिंचाई केवल कुओं से की जाती है। विद्युत् आ जाती तो बिजली का पम्प लगा कर अन्न उत्पादन का काम कर सकते थे लेकिन इस सरकार ने इस माफिक करना उचित नहीं समझा।

इसके अतिरिक्त मैं एक बूंदी के अन्दर कोटा से हाइड्रो की लाइन आयी उसमें भी चालबाजी की गई उसकी अर्ज करना चाहूँगा। जो लाइन पॉवर हाउस की जाती उसको दीदा-दानिस्ता चक्कर दिया गया। इन्जीनियर वहाँ के अमुक व्यक्ति का रिश्तेदार था उनको लेकर, उनके फार्म के सामने होकर निकाली और वहां ट्रान्सफोर्मर लगाया ताकि उनको नुकसान नहीं पहुंचे। इस माफिक खर्च करना मैं समझता हूं इस जमाने में मुनासिब नहीं है।

इसके अतिरिक्त एक लाइन बूंदी से नानकपुरिया खींची गई। उस वक्त भी, इन्जीनियर का नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, लेकिन ६१-६२ के साल में जो भी इन्जीनियर हों, उन्होंने हर कनेक्शन पर दो सौ रुपया रिश्वत का लिया और लाइन में चक्कर डाल दिया और इस प्रकार जनता की गाढ़ी कमाई की रकम का नुकसान किया।

जो लाइन बूंदी से देवली गई है उसके अन्दर भी बहुत कुछ गड़बड़ी हुई है और उसका मैंने अतारांकित प्रश्न भी किया था उसका उत्तर मेरे पास मौजूद है। एक तरफ हिन्डोली के अन्दर रेगरों के मोहल्ले में लाइट क्यों नहीं दी गई। यह एक जनरल नियम है कि स्ट्रीट लाइन में किसी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है। आवेदन पत्र पर लाइट नहीं लगती है। आवेदन न हो तो लाइट नहीं लगायी जाय यह गरीबों के साथ सरासर अन्याय होगा और मन्त्री महोदय ने उत्तर में लिखा है कि कोई आवेदन पत्र नहीं था लाइट इसलिये नहीं दी गई। आवेदन पत्र में कोई बात हो तो ही स्ट्रीट लाइट दी जाय तो यह भी कर दिया जावेगा घर की मुर्गी दाल बराबर। जो कुछ कहेंगे बेचारे कर देंगे।

इसके अतिरिक्त हिन्डोली से एक लाइन देवली गयी है उसके अन्दर चक्कर दिया

(श्री केसरीसिंह)

गया है। वह एक ग्राम हरिना है उधर होकर निकली है। मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि नहीं ऐसा नहीं है। तो मैं समझता हूं कि लाइन सीधी सड़क के साथ जाती उसको उधर होकर क्यों ले गये अगर ले गये तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि वहां पर कुए हैं, इरीगेशन का साधन नहीं है, बांध नहीं हैं, नहरें नहीं हैं तो कुओं पर पम्प लगाने चाहिए और इसी के साथ साथ टीकरदा ग्राम की २५-३० दरख्वास्तें हैं और एक लाइन पूरसागर से गयी है वहां से टीकरदा ग्राम सौ, डेढ़ सौ गज के फासले से ज्यादा नहीं है लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, अधिकारीगण भी मौन हैं और मन्त्री महोदय भी मौन हैं और इनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती।

इसके बाद में आखिरी बात जो मैं निवेदन करना चाहूंगा वह यह है कि आप चाहते हैं कि उद्योग पनपें। आप चाहते हैं कि राजस्थान का विकास हो तो यह जो लाइन देवली गयी है इस लाइन के ऊपर ही उमरदा ग्राम आता है और गंगासिहजी जो पहले कांग्रेस के सदस्य हैं वह पहले यहां से जीनकर आये थे और मैं उन्हीं के गांव का जिक्र कर रहा हूं और उन्हीं का अनुरोध था कि मैं जिक्र करूं। आज के समय मे दो तीन बातों की जरूरत हुआ करती है वह यह हैं सड़कें, बिजली और रेल। सड़कें तो हैं मगर अपर्याप्त हैं, रेल का कोई सवाल नहीं। यह राजस्थान की सरकार और भारत सरकार रेल दस बीस साल भी नहीं लायेगी लेकिन विद्युत तो वहां आसानी से लग सकती थी ताकि उत्पादन ज्यादा होता और वहां पर इतना महंगा मकराना, मार्बेल निकलता है जो कि जोधपुर के मकराने को भी मात करता है और जिसमें कई रंग हैं गुलाबी है, लाल है, हरे रंग की धारियां हैं-बहुत ही अच्छा पत्थर है लेकिन इस विषय के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। मैं इन्हीं शब्दों के साथ नम्र निवेदन करूंगा कि इस बात का ध्यान रखें कि जो कुछ भी कार्य किया जाये अपने हित को नहीं बल्कि जन हित को ध्यान में रखकर किया जाये तब तो जनता जनार्दन का लाभ होने वाला है लेकिन यह तो डूबेंगे ही और यह कागज की नाव आपकी भी डूब जायेगी अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो।

श्री सभापति : श्री गिरधारीलाल व्यास !

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) सभापति महोदय, आज बिजली के बजट के बारे में यहां डिसकशन्स हो रहे हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में जब से हमारी यह सरकार आई है उसके पूर्व राजस्थान में कितनी बिजली थी और इस सरकार ने इसके आने के बाद में किस प्रकार से राजस्थान ने बिजली की प्रगति की है इसका जिक्र किया गया कि राजस्थान में सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनाया है तब से राजस्थान की बिजली में किस प्रकार से प्रगति हो रही है। आप अगर पहली, दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना की तरफ दृष्टि डालें तो आपको स्पष्ट रूप से मालूम

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

होगा कि इन तीनों योजनाओं में हमने किस प्रकार से मिलकर के चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ५०१ मेगावाट बिजली प्राप्त करने का प्रयास किया है। हालांकि तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद ९५.५१ मेगावाट बिजली प्राप्त करने का राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने प्रयास किया मगर जहां तक राजस्थान की प्रगति का ताल्लुक है और राजस्थान जिस प्रकार से प्रगति करना चाहता है, राजस्थान एक एग्रीकल्चर में प्राथमिकता या मुख्य कदम रखने वाला प्रदेश है और इस पर सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जानी चाहिए तो वह एग्रीकल्चर की तरफ दी जानी चाहिए।

श्री दौलतराम सारण : कृषि की तरफ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : कृषि समझ लीजिए। खेती की तरफ प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उसके विपरीत हम यह देखते हैं कि राजस्थान में बिजली की तरफ बिजली के महकमे ने राजस्थान की कृषि को तरक्की देने के लिए कितने प्रतिशत आपने बिजली कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिए दी है। जहां तक यह प्रश्न है कि हम खेती में ज्यादा से ज्यादा तरक्की करें उस तरफ हम ध्यान नहीं देकर हम डी० सी० एम० या दूसरे बड़े बड़े उद्योग-धंधों और उसके अलावा प्राइवेट कन्ज्यूमर्स और पंखे चलाने के लिए या दूसरे एशो-आराम के लिए जितने भी साधन हैं उनको बिजली दें तो हमारा देश प्रगति नहीं कर सकता। हम चाहते हैं कि हमारे देश में, प्रदेश में कृषि को भी एक प्रकार से इन्डस्ट्री मानकर जिस प्रकार से आप उद्योगों को कम कीमत पर बिजली दे रहे हैं उसी प्रकार से अगर हम खेती को भी प्राथमिकता देकर सस्ती दरों पर खेती के लिए बिजली दें तो उससे ज्यादा से ज्यादा हमारा प्रदेश तरक्की कर सकता है। मैंने पिछली साल और उससे पूर्व दो-तीन साल से बराबर इस बात पर जोर दे रहा हूं कि जहां तक खेतीबाड़ी के ज्यादा साधन हैं और जहां बिजली का ज्यादा उपयोग हो सकता है वहा पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए न कि ऐसे स्थानों पर जहां बिजली की कोई आवश्यकता नहीं है लेकिन प्रेशर की वजह से आप उन स्थानों पर बिजली दे देते हैं और उसका कोई उपयोग नहीं होता है, उनका जनरेशन नहीं हो पाता है, ट्रान्समीशन लाइन का उपयोग नहीं ले सकते हैं जिससे जितनी बिजली आप दे सकते हैं उतनी सप्लाई नहीं कर सकते और कामर्शियल बेसिस पर भी लाभप्रद नहीं होता। इसलिए ध्यान यह रखना चाहिए कि जिन स्थानों पर ज्यादा कुए हैं, जहां सिंचाई के साधन ज्यादा बढ़ सकते हैं वहां पर प्राथमिकता देकर बिजली देनी चाहिए। राजस्थान में अगर आप देखें तो १० लाख के करीब कुए हैं जो है उसमें से अकेले ....

श्री श्रवणलाल : जो है नहीं यों है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह तो

(श्री गिरधारी लाल व्यास)

आपकी समझ की भूल है ।

मैं तो यह अर्ज कर रहा था कि राजस्थान में १० लाख कुए हैं सिंचाई के और उसमें से अगर आप हिसाब लगायें कि कौनसी तहसील में कितने-कितने कुए हैं और उनके हिसाब से थाप्रमिकता देकर बिजली दें तो उससे हमारी पैदावार ज्यादा बढ़ सकती है और उस पैदावार का हम उपयोग भी ज्यादा कर सकते हैं । जहां तक मेरी तहसील का ताल्लुक है और भीलवाड़ा जिले का सवाल है १ लाख कुए राजस्थान के अन्दर १० लाख का १० परसेन्ट कुए भीलवाड़ा में हैं लेकिन जहां तक मेरे जिले का ताल्लुक है अगर सारे जिले का अनुपात लगाया जाये तो जैसा कि रामकिशन जी अक्सर कहा करते हैं दूसरे जिले तो कभी पानी में पड़ गये, कभी सड़कों में बढ़ गये लेकिन बिजली का हिसाब लगायें तो भरतपुर और अलवर के सामने १० परसेन्ट भी भीलवाड़ा नहीं ठहरता । हालांकि १ लाख कुए हैं और आसीन्द में अकेले में २० हजार कुए हैं उस अनुपात से आसीन्द तहसील को प्राथमिकता दी जानी चाहिए लेकिन आज तक उसकी तरफ मन्त्री महोदय या आपके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने ध्यान नहीं दिया हालांकि पिछली साल भी बिजली मन्त्री ने इसके सम्बन्ध में आश्वासन दिया था । मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में आप विशेष तौर से ध्यान देकर कुओं के अनुपात से खेती–बाड़ी की तरक्की को और आसीन्द में किस प्रकार से खेती की तरक्की कर सकते हैं इस बात को ध्यान में रखते हुए उम्मीद है कि आप इस वर्ष जरूर निर्णय लेकर इस तहसील को बिजली दिलाने की कृपा करेंगे ।

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही सोमवार प्रात: ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही मध्याह्न पश्चात् ४.५९ पर सोमवार दिनांक १७ जुलाई १९६७ के म. पू. ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई ।)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ८२२ का उत्तर देखिए)

Statement showing Police personnel killed in action on Border.

Appendix 'A'

S. No.		Name & Rank.		Battalion or Range to which attached.
(a) Number of Officers & men killed during the Indo-Pak. conflict. during 1965-66.				
1.	Shri	Hanuman Singh,	P.C.	9th Bn. R.A.C.
2.	„	Umapati,	H.C. No. 23.	7th „ „
3.	„	Samundra Singh,	H.C. No. 49.	-do-
4.	„	Jagat Singh,	H.C. No. 100.	7th Bn. R.A.C.
5.	„	Dungarram,	H.C. No. 88.	9th „ „
6.	„	Surat Singh,	H.C.	-do-
7.	„	Jethu Singh,	Const. No. 460	7th R.A.C.
8.	„	Sohan Singh,	Const No. 301.	-do-
9.	„	Kripal Singh,	„ No. 297.	-do-
10.	„	Budhu Singh,	„ No. 309.	-do-
11.	„	Lekharam,	„ No. 206.	-do-
12.	„	Pemaram,	„ No. 201.	-do-
13.	„	Sujan Singh,	„ No. 343.	-do-

१		२	३	४
14.	,,	Inder Singh,	,, No. 510.	-do-
15.	,,	Narain ram,	,, No. 375.	3rd Bn. R.A.C.
16.	,,	Tejpat Singh,	,, No. 478.	1st ,, ,,
17.	,,	Baij ram,	,, No. 380.	-do-
18.	,,	Amar Chand,	,, No. 711.	2nd Bn. R.A.C.
19.	,,	Chadra Singh,	,, No. 165.	9th Bn. R.A.C.
20.	,,	Jaswant Singh,	,, No. 516.	-do-
21.	,,	Mangi Lal,	,, No. 513.	-do-
22.	,,	Murari Lal,	,, No. 566.	-do-
23.	,,	Punam Singh,	,, No. 246.	Ap Police Lines, Jaisalmer.
24.	,,	Swaroop Singh,	H.C.	C.I.D. (I.B.), Border Intelligence, Barmer.

—

Appendix 'B'

Statement showing Pows Repatriated From Pak.

S. No.		Name & Rank.	Bn. or Range to which attached.
Officers.			
1.	Shri	Govind Singh, Coy. Comdr.	7th R.A.C.
		H.Cs.	
1.	Shri	Sardul Singh No. 84.	-do-
2.	"	Ramesh Chandra, No. 46.	-do-
3.	"	Raghubir Singh, No. 74.	-do-
4.	"	Karan Singh, No. 94.	-do-
5.	"	Surjanram, No. 125.	-do-
6.	"	Udai Singh.	9th R.A.C.
		Constables.	
1.	"	Ram Chandra, No. 273.	7th R.A.C.
2.	"	Uttam Singh, No. 335.	-do-
3.	"	Dhanram No. 274.	-do-
4.	"	Poonaram No. 282.	-do-
5.	"	Pabudan Singh, No. 283.	-do-
6.	"	Gopalram, No. 278.	-do-
7.	"	Bhoor Singh, No. 277.	-do-
8.	"	Moolaram No. 288.	-do-
9.	"	Surjaram, No. 652.	-do-
10.	"	Khirajram No. 300.	-do-

१		२	३
11.	Shri	Ramkumar No. 306.	-do-
12.	„	Rattiram, No. 214.	-do-
13.	„	Prem Singh, No. 318.	-do-
14.	„	Hastiram No. 296.	-do-
15.	„	Swarup Singh, No. 736.	-do-
16.	„	Gokul Singh, No. 261.	-do-
17.	„	Karan Singh, No. 188.	-do-
18.	„	Cbhogram No. 955.	-do-
19.	„	Hanumanaram, No. 291.	-do-
20.	„	Ladu Singh, No. 189.	-do-
21.	„	Jalam Singh, No. 346.	-do-
22.	„	Govind Singh, No. 307.	-do-
23.	„	Ranjeet Singh, No. 731.	-do-
24.	„	Ram Karan No. 241.	-do-
25.	„	Balwaut Singh, No. 242.	1st R A.C.
25.	„	Mahendra Singh, No. 579.	-do-
27.	„	Ganpat Singh, No. 489.	9th R A.C.
28.	„	Sumer Singh, No. 785.	-do-
29.	„	Hanuman Singh, No. 158.	-do-
30.	„	Madan Singh, No. 508.	5th R.A.C.
31.	„	Man Singh, No. 616.	-do-

१	२	३
	ASI (W/T)	
1.	Shri Jasraj PRO.	
2.	„ Harlal „	
	Cook.	
1.	„ Jalam Singh	7th R.A.C.
2.	„ Kaniya Lal.	-do-
	Barber.	
1.	„ Shsopal.	1st R.A.C.

TOTAL :— 43

Note :—All of them have been given Rs. 100/- each from the Canteen fund under I.G.Ps. orders

Appendix 'C'

List of wounded/Injurred Personnel of R.A.C. Battalions During Indo-Pak. Conflict—1965.

S. No.			Name & Rank.	Unit	Reward given
1.	CC	Shri	Narain Singh	2nd RAC	Promoted as Quarter Master.
2.	PC	„	Jangjeet Singh.	-do-	-do- Company Commander
3.	PC	„	Dinanath.	1st RAC	Police Medal.
4.	Cont.	„	Magal Singh.	„	100/-
5.	HC	„	Pitambar Dutt.	„	100/-
6.	Ct.	„	Govind Ram	„	100/-
7.	Ct.	„	Maluram	2nd RAC	75/-
8.	Ct.	„	Ghasiram.	„	75/-
9.	HC.	„	Lil Bahadur.	3rd RAC	100/-
10.	Ct.	„	Hariram	„	400/-
11.	Ct.	„	Malkhan Singh.	„	100/- & promote as H.C.
12.	Ct.	„	Sundar Lal.	„	100/-
13.	Ct.	„	Khangaram.	„	100/-
14.	Ct.	„	Jor Singh.	„	100/-
15.	Ct.	„	Mool Singh	„	100/-

१	२	३	४	५
16.	Ct. Shri	Manpati.	3rd RAC	100/-
17.	Ct. „	Bhooraram	„	100/-
18.	Ct. „	Mohd Unis,	„	100/-
19.	Ct. „	Pannalal.	7th RAC	100/-
20.	Ct. „	Ram Singh.	„	20/-
21.	Ct. „	Laxman Singh	„	100/-
22.	Ct. „	Prabhati Ram	„	100/-
23.	Ct. „	Hari Ram.	9th RAC	100/-
24.	Ct. „	Mohabat Singh.	„	100/-
25.	HC. „	Loon Singh	AP Police Lines Jaisamler.	1000/- & promoted as S.I.
26.	HC. „	Prabhu Dan Singh	„	500/-
27.	H.C. „	Dan Singh	„	500/-
28.	H.C. „	Kan Singh	„	500/-

Noth :—Rewards as indicated against the names have been given. All the remaining have been sanctioned Rewards of Rs. 100/- each.

—

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ८३५ का उत्तर देखिये)

।। सूची ।।

क्रम सं०	रूट का नाम	समय
१.	जालौर आगोड़ा गुड़ा	एक बस का आना जाना । दो बसो का आना जाना जालौर व सायला के बीच ।
२.	जालौर–आगरा	एक बस का आना जाना
३.	जालौर–भीनमाल	,, ,,
४.	जालौर–गोदावास	,, ,,
५.	सायला–बाकरा	दो बसों का आना जाना
६.	आहोर–छूघाड़ा	एक बस का आना जाना
७.	पाना मोदरा–जीवनां	,, ,,
८.	भीनमाल–सांचार	,, ,,
९.	भीनमाल–जाव	,, ,,
१०.	भीनमाल–जसवन्तपुरा शीलघर	,, ,,
११.	भीनमाल–दासपा–सुराणा	,, ,,
१२.	राणीवाड़ा–सांचौर भवातरा	एक बस का आना जाना सांचोर भवातरा के बीच

Page No. 174

१	२	३
		(व)
		तीन बसों का आना जाना रानीवाड़ा व सांचौर पर।
१३.	सांचौर–सिलूजाब	एक बस का आना जाना।
१४.	समदड़ी–मादरा जून आहोर बिशनगढ़	,, ,,
१५.	जालौर–फालना	६ बसों का आना जाना।
१६.	रानीवाड़ा–मैंडारा	२ बसों का आना जाना।
१७.	रानीवाड़ा–रेवघर	,, ,,

परिशिष्ट ३

(कृपया स्थगित प्रश्न सं० ६७६ दिनांक ७-७-६७ का उत्तर देखिये)

Amount Collected in Welfare Fund of the Distts. in Rajasthan.

S. No.	Name of Distt.	1962-63	1963-64	1964-65	1965-66	1966-67.
1	2	3	4	5	6	7
		Rs.	Rs,	Rs.	Rs.	Rs.
1.	Jhalawar.	675.00	3448.00	—	2057.00	44202.00
2.	G.R.P. Ajmer	No Welfare fund except Canteen.				
3.	Tonk.	15829.00	—	—	—	—
4.	Barmer.	8593.00	8303.00	6910.00	—	—
5.	S. Madhopur.	8646.00	1367.00	—	—	—
6.	Alwar.	956.27	208.14	21600.92	856.85	820.03
7.	Jaipur.	8253.50	—	3838.80	2900.00	3706.73
8.	Kotah.	—	—	10171.00	—	—

1	2	3	4	5	6	7
9.	Pali.	9385.12	693.35	2157.00	2907.78	—
10.	Banswara.	12915.35	330.13	12.72	12.60	—
11.	Bundi.	3764.00	4770.00	—	—	—
12.	Sri Ganganagar.	9575.00	3311.00	1419.00	24331.00	6558.00
13.	Ajmer.	—	—	1481.38	—	—
14.	Chittorgarh.	11472.97	—	—	—	—
		5822.24	3121.50	2972.40	1768.65	2683.25
15.	Udaipur.	4206.50	2791.00	2000.00	2438.00	—
		2772.70	—	—	—	—
16.	Sikar.	13261.00	116.60	143.00	20.00	—
17.	Bharatpur.	6800.22	—	—	—	—
		1362.00	—	—	—	—
18.	Nagaur.	—	13478.00	—	—	—
19.	Jalore.	10.00	861.00	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7
20.	Sirohi.	460.00	61160 00	968.00	626.00	—
21.	Dungarpur.	2950.00	1681.00	1543.00	720.00	—
22.	Churu.	14416.00	26918.00	4832.00	—	5000.00
23.	Jhunjhunu.	17478.00	1056.00	1720.00	1520.00	1435.00
24.	Jodhpur.	12337.00	3077.00	2359.00	1150.00	8271.00
25.	Bhilwara.	4674.00	240.00	1904.00	671.00	59022.00
26.	PTS Kishangarh.	1088.20	282.00	2617.41	1774.34	—
27.	Bikaner.	7620.00	19304.00	1108.00	1595.00	168.00
28.	Jaisalmer.	—	—	—	—	—

Expenditure Statement of Welfare Fund in the Distts. of Raj.

S. No.	Name of the Distt.	1962-63	1963-64	1964-65	1965-66	1966 67
1.	2	3	4	5	6	7
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs	Rs.
1.	Jhalawar.	474.00	999.09	372.00	663.00	4429.00
2.	GRP Ajmer.	No Welfare Fund.				
3.	Barmer.	841.57	2033.87	488.88	250.20	295 24
4.	Tonk	1353.99	3263 37	325.90	94.75	—
5.	S. Madhopur.	1590.00	2999.00	1788.00	1899.00	1654.00
6.	Alwar.	2205.75	4278.54	4265.25	562.93	924.80
7.	Jaipur.	11306.51	3422 50	1802.53	2239.58	7547.36
8.	Kotah.	1390.50	1091.50	2897.14	1639.10	427.34
9.	Pali	3462.15	1239.62	384 00	3873.59	1848 78
10.	Banswara.	1150.00	656.00	585.00	1150.00	832.00

1	2	3	4	5	6	7
11.	Bundi.	2367.65	2410.23	2007.85	1260.64	1528.61
12.	Sri Ganganagar.	6440.00	4677.00	9992.00	2593.00	1610.00
13.	Ajmer.	—	3640.00	2505.30	840.93	1265.79
14.	Chittorgarh	1686.32	2125.23	2182.92	3416.50	5246.30
16.	Udaipur.	4552.57	3540.95	4529.81	5156.09	3888 47
16.	Sikar.	65572.99	7779.96	1623.82	790.54	848.44
17.	Bharatpur.	1189.68	4928.00	1586.19	1633.00	1144.43
18.	Nagaur.	2588.08	6442.00	5002 00	1974.93	2366.06
19.	Jalore.	135.00	2445.00	413.00	625.00	248.00
20.	Sirohi.	326.00	1684.00	2342.00	2972.00	811.00
21.	Dungarpur.	780.00	555.00	283.00	521.00	300.00
22.	Churu.	2113.00	6543.00	1663.00	2057.00	1790.00
23.	Jhunjhunu.	6054.00	1751.00	1564.00	682.00	980.00

1	2	3	4	5	6	7
24.	Jodhpur.	7094.00	4234.00	1329.00	515.00	5410.00
25.	Bhilwara.	984 00	8039.00	2052.00	1176.00	5878.00
26.	PTS Kishangarh.	592.36	362.00	273.56	1827.00	339.12
27.	Jaisalmer.	219.05	120.88	434.12	459.17	790.13
28.	Bikaner.	2963.00	2331.00	3839.00	4188.09	2329 00

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ८३९ का उत्तर देखिये)

कार्य	निर्णय
(१) गिक चिकित्सा एवं अनुसंधान केन्द्र को पेथौलाजोकल प्रयोग शाला में, प्राकृतिक चिकित्सालय के सेमपल्स की जांच किये जाने के सम्बन्ध में ।	चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, यौगिक चिकित्सा एवं अनुसंधान केन्द्र, जयपुर को इस कार्यालय के आदेश पत्र संख्या एम० एण्ड० सो० ।६७ दिनांक ४-४-६७ द्वारा आदेश दिया जा चुका है कि वे प्राकृतिक चिकित्सालय के रोगियों के सेमपल्स (मल, मूत्र, एवं खून) की जांच अपनी प्रयोगशाला में करना प्रारम्भ कर दें । यह कार्य आरम्भ हो चुका है ।
(२) समन्वय करने यौगिक चिकित्सा एवं अनुसधान केन्द्र के डाईविटिक क्लीनिक व एस० एस० एस० अस्पताल एवं मैडिकल कालेज के साथ ।	प्रधानाचार्य, एस० एम० एस० मैडिकल कालेज, जयपुर को इस कार्यालय के पत्र संख्या २०२ दिनांक २३-३-६७ के द्वारा लिखा गया है कि चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, यौगिक चिकित्सा एवं अनुसंधान केन्द्र को डा० नरेश भू के साथ सवाई मानसिंह अस्पताल को डाईविटिक आउटडोर क्लीनिक में बैठ कर रोगियों को बैठने की व्यवस्था कराये । इस सम्बन्ध में पत्र व्यवहार सवाई मानसिंह विद्यालय एवं चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, यौगिक चिकित्सा एवं अनुसधान केन्द्र से चल रहा है ।
(३) डा० एन० वरनडानी, चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, यौगिक चिकित्सा एवं अनुसंधान केन्द्र को डाईविटिज एवं एनडरों किमनोलाजी के नवीन ज्ञान एवं तरीकों की	डा० एन० वरनडानी, चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, यौगिक चिकित्सा एवं अनुसंधान केन्द्र जयपुर को प्रस्ताव अनुसार दिनांक १६-७-६७ के [illegible] हेतु [illegible]

अन्य	निर्णय
जानकारी के लिये आल इन्डिया मेडिकल साईन्स नई दिल्ली केन्द्र पर प्रशिक्षण हेतु भेजने के क्रम में ।	इन्डिया मेडिकल साइन्स नई दिल्ली केन्द्र पर भेजा जा रहा है ।
(४) समन्वय करने यौगिक चिकित्सा एवं अनुसंधान प्रणाली को आयुर्वेदिक पद्धति के साथ ।	यौगिक चिकित्सा एवं अनुसंधान केन्द्र पर दो सुरक्षित बैड रखे हुए हैं जिन पर आयुर्वेद विभाग से जो बीमार आयेंगे उनको चिकित्सा आयुर्वेदिक एवं यौगिक पद्धति से होगी जो कि प्रयोगात्मक होगा इस सम्बन्ध में निदेशक, आयुर्वेदिक विभाग को इस कार्यालय के पत्र संख्या २२५ दिनांक २४-३-६७ को लिखा गया है तथा उन्हें स्मरण भी करा दिया गया है । अभी तक कोई रोगी इन बैडों पर भर्ती नहीं हुआ है ।
(५) यौगिक चिकित्सा एवं अनुसंधान केन्द्र को सलाहकार समिति के सम्बन्ध में ।	इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को सलाहकार कमेटी का शीघ्र गठन करने के लिए इस कार्यालय के पत्र संख्या २०३ दिनांक २३-३-१९६७ को लिखा जा चुका है ।
(६) भोजन की मात्रा को निर्धारित करने की स्वीकृति के क्रम में ।	भोजन मात्रा निर्धारित करने का प्रसंग राज्य सरकार एवं संचालक, आयुर्वेद विभाग अजमेर में चल रहा है इस कार्यालय द्वारा समरण पत्र भी दिया जा चुका है ।
(७) यौगिक चिकित्सा एवं अनुसंधान केन्द्र को इमारत के लिये जमीन दिये जाने के क्रम में ।	इस प्रसंग में राज्य सरकार को इस कार्यालय के पत्र संख्या ७८७ दिनांक ३ जून, ६७ को लिखा गया है कि सचिव महोदय, नगर विकास ट्रस्ट को शीघ्र लिखा जावे कि यौगिक चिकित्सा अनुसंधान के निकटवर्ती भूमि को भवन निर्माण हेतु अलाट की जावे ।

परिशिष्ट ५

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ४६८ का उत्तर देखिये)

सूची मार्च १९६६

क्रम सं०	जिला	सीमेन्ट कांकरीट सड़कें लम्बाई मीलों में	डामर (वी० टी०) लम्बाई मीलों में
१.	अजमेर	—	५७६—३
२.	अलवर	४—४	३७६—२
३.	बांसवाड़ा	—	७२—१
४.	बाड़मेर	—	१३१—०
५.	भरतपुर	४—६	४४४—४
६.	भीलवाड़ा	—	१७०—५
७.	बीकानेर	०—७	१८६—७
८.	बून्दी	२—०	१३३—७
९.	चित्तौड़गढ़	—	२५०—६
१०.	डूंगरपुर	—	५८—७
११.	चूरू	—	२३३—५
१२.	गंगानगर (राज० नहर सहित)	—	६२३—२
१३.	जयपुर	०—३	३७८—७
१४.	जालौर	—	४५—६
१५.	जैसलमेर	०—३	२०६—६
१६.	झालावाड़	०-१	३६६—०

१	२	३	४
१७.	झुंझुनू	—	२१२–५
१८.	जोधपुर	०–४	४०७–१
१६.	कोटा	११–२	२८५–४
२०.	नागौर	—	२३६–६
२१.	पाली	—	२८१–६
२२.	सवाई माधोपुर	—	२१५–०
२३.	सीकर	—	१३७–०
२४.	सिरोही	१–४	१८३–१
२५.	टोंक	०–४	१६६–५
२६.	उदयपुर	—	३२६–६
	योग	२६–६	६३७०–६

———

परिशिष्ट ६

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ५२६ का उत्तर देखिये)

विवरण पत्र पुराने टायरों, पुर्जों व पार्ट्स तथा ढोलों का

क.सं.	वस्तु का नाम	केन्द्रीय कार्य शाला	अजमेर	जोधपुर	कोटा	आबू	सिरोही	अलवर
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१	पुराने टायर साईज							
	९०० २०	१२५२	३१	५६	२२८	—	—	१७
	८२५ २०	२२५३	६४	६७	१२६	—	६३	६
२	खाली ढोल	१५५	३२	१८	—	१०	१३	१४
३.	कार साईज	६३	—	११	—	—	—	—
४.	पुराना स्टील आई-रन सीट, पार्ट्स पुर्जे	२५०० कि. ग्रा.	४० कि. ग्रा.	४१० कि. ग्रा.	५० कि. ग्रा	५ कि. ग्रा.	१६०० कि. ग्रा.	— कि ग्रा

नोट:—उपरोक्त टायरों के अलावा १००० पुराने टायर ऐसे हैं जो कि (Retread) किये जा सकते हैं और पुन: निगम द्वारा काम में लिये जा सकते हैं।

———

परिशिष्ट ७

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ५३६ का उत्तर देखिये)

मलेरिया मेडिकल आफिसर की सूची

क्रमांक	नाम	स्थान	दिनांक कब से कार्य कर रहे हैं।
१.	डा० डी० डी० नीमावत	अजमेर	१९-७-६३
२.	डा० जी० एस० मीनावत	अलवर	४-५-६७
३.	डा० आर० एन० गोस्वामी	भरतपुर	२९-३-६३
४.	डा० भूपेन्द्र बिहारी लाल	बीकानेर	५-८-६६
५.	डा० बी० के० सोल	गंगानगर	२७-४-६६
६.	डा० आर० के० पाण्डे	टोंक	१९-९-६३
७.	डा० पी० एन० मलहोतरा	जोधपुर	२४-४-६७
८.	डा० आर० सी० माथुर	जालोर हैड क्वा० सिरोही	मई, ६६
९.	डा० एन० भट्टाचार्य	भीलवाड़ा	१-१२-६४
१०.	एम० एल० पाण्डे	उदयपुर	१४-१-६६

ऐडिशनल डिस्ट्रिक्ट हैल्थ आफिसर

१.	डा० बी० एन० शर्मा	जयपुर	७-५-६५
२.	डा० हर चरणसिंह	दौसा	३-९-६६
३.	डा० डी० के० नाथ	चूरू	२२-११-६६

——

शुद्धि-पत्र

(शुक्रवार, दिनांक १४ जुलाई, १९६७)

स्कंम सं.	पंक्ति सं.	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
२	७	चक वकील	एक वकील
५	१४	थानका	थाना
६	७	त प्रश्न	गत प्रश्न
११	४	वेकाल	वकील
,,	१२	copnder	under
,,	१३	oi	of
१३	३	हो जावगा	हो जावेगा
१५	अन्तिम से ७	मोल से	मील से
१६	८	फिस के	फीस के
,,	१६	गवर्मेंट	गवर्नमेंट
२८	अन्तिम से २	श्रेणी	श्रेणी
२६	१८	सस्पेड	सस्पेंड
३३	अंतिम से ३	कि स्थिति	की स्थिति
३५	११	मन्त्रा	मन्त्री
,,	अंतिम	जनकारी	जानकारी
४०	१६	एडव न्स	एडवान्स
४२	८	ग्रेड	ग्रेड

१	२	३	४
५२	२०	श्री केदारन:थ	श्री केदारनाथ
६६	३	संख्बा	संख्या
७४	१४	श्री कन्हैयालाल (बस्सी)	८४५. श्री कन्हैयालाल (बस्सी)
७६	१४	तही है	सही है
८०	१७	श्री मूलचन्द कटेबा	श्री मूलचन्द कटेवा
८१	शीर्षक	ग्रनु० सद यों के	ग्रनु० सदस्यों के
८३	,,	प्रश्नोउत्तर	प्रश्नोत्तर
८४	८	क्वा	क्या
९३	ग्रंतिम से ४	हए हैं ?	हुए हैं ?
१०१	२	ट्यवबल	ट्यूबवैल
११५	११	रिमेम्बेंसर	रिमेम्ब्रेंसर
१४६	ग्रंतिम से ९	ग्रतुपयोगी	ग्रनुपयोगी
१४७	,, ७	के लिगे	के लिये
१५१	,,	जिले वा	जिलेवार
१५७	शीर्ष	(श्री रामान्द ग्रग्रवाल)	(श्री रामानन्द ग्रग्रवाल)
,,	१६	ग्रसुसार	ग्रनुसार
१६१	२	पेन्टन	मेन्टेन
१७७	शीर्ष	(श्री रामघन्द्र ग्रार्य)	(श्री रामचन्द्र ग्रार्य)
२०९	शीर्षक	लेवी वली	लेवी वसूली
,,	ग्रंतिम से ११	ग्रलग-ग्रलग	ग्रलग-ग्रलग

१	२	३	४
०	४	अध्यथ	अध्यक्ष
१	८	उपाध्यव	उपाध्यक्ष
२	शीर्षक	लेवी वसूला	लेवी वसूली
	६	लीगत	लीगल
	११	औरंगजेद	औरंगजेब
	अंतिम से ८	किसानों	किसानों को
,,	,, ७	है किसानों	है उन किसानों
२३१.	शीर्ष	(श्री देवीदत्त माडिया)	(श्री देवीदत्त गाडिया)
,,	अंतिम से ३	श्री उापध्यक्ष	श्री उपाध्यक्ष
२३३	१	श्री अध्यक्ष	श्री उपाध्यक्ष
,,	१३	श्री नत्थसिंह	श्री नत्थीसिंह
२३४	२	इससिए	इसलिए
२३५	१२	इमेक्ट	इम्पेक्ट
,,	२०	मार्क-	मार्के-
२३६	१६	कम्स-	कन्स-
,,	अंतिम से २	टोचर्ड	टोर्चर्ड
२३७	६	केस से	कैश से
२३९	शीर्ष	(श्री पृथ्वीसिंह)	(श्री पृथ्वीसिंह)
२४०	२०	खान पीन	खाने पीने
२४३	५	हो रही	हो रही

१	२	३	४
२४५	६	सूंचन	सूंचना
२४७	अंतिम से १२	महीदय	महोदय
२५०	४	नीतयों	नीतियों
२५५	२	विपय	विषय
२५८	१४	धूप में	धूप में
२५६	शीर्ष	श्री हरिदेव जोशी)	(श्री हरिदेव जोशी)
२६१	अंतिम से १०	मल जाता है	गेहूं और चना दर्ज मिल जाता
२७७	स्तम्भ	१७१	२७७
२७८	,,	१७८	२७८
२८०	८	देवीदत्त गाडिया.	श्री देवीदत्त गाडिया
२८१	१५	एलिशियेशन	एफीलियेशन
२६०	अंतिम से ४	श्री हरिदेव ओशी	श्री हरिदेव जोशी
२६६	६	अमुभव	अनुभव
२६७	१०	कार्थ कें	कार्य के
,,	११	अयन्त	अत्यन्त
३३६	१६	Promote	Promoted
३४१	शीर्षक	–१४ जलाई, १६६७–	–१४ जुलाई, १६६७
३४६	६	(१) गिक	(१) यौगिक